राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 — चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 66 वां दिवस — संख्या 39

शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, शिक्षा, गृह, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, विधि विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

उदयपुर रतनपुरा रूट पर बसों के परमिट

674. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय यातायात ऑथोरिटी ने उदयपुर-रतनपुरा रूट पर राजस्थान रोडवेज को यात्री बसों के चलाने हेतु परमिट दिये थे ? यदि हां, तो कितनी बसों के परमिट दिये थे ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त रूट पर क्षेत्रीय यातायात ऑथोरिटी ने व्यक्तिगत लोगों के नाम भी यात्री बसों के परमिट मंजूर किये थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के नाम परमिट मंजूर किये थे ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि टी. ए. टी. ने व्यक्तियों के नाम पर मंजूर शुदा परमिटों के विरुद्ध अपील करने पर स्टे दिया था ? यदि हां, तो अपील कर्ता कौन थे ?

(4) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय यातायात ऑथोरिटी ने स्टे के बावजूद कुछ व्यक्तियों को आरजी परमिट यात्री बसें चलाने के लिए दिए थे ? यदि हां, तो क्या इस कृत्य से सरकारी नीति पर अतिक्रमण हुआ है और व्यक्तिगत बसों के चलने के कारण रोडवेज को घाटा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है और इसके कारण रोडवेज को कितने रुपयों का घाटा हुआ है और हो रहा है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां। रोडवेज को 30 बसों के परमिट दिये गए थे।

(2) जी हां। यह सही है। 4 व्यक्तिगत लोगों के नाम परमिट मंजूर किये गए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है। और प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भीमसेन : प्रश्न चार के उत्तर में आपने जवाब दिया है कि यह सही नहीं है। मैंने पूछा है कि इसमें रोडवेज को कितना घाटा हुआ है व्यक्तिगत परमिट देने के कारण ?

Page No. 2

(श्री भीमसेन)
इसका उत्तर आपने दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। यह सारी कार्यवाही नियमों के विरुद्ध हुई है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात नहीं है। जब इस रूट को नैशनेलाइज किया गया, उस समय जो बसें चल रहीं थीं उनके लिए हाई कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर था कि जब तक उनके परमिट्स वेलिड रहेंगे तब तक वे परमिट्स भी चलते रहेंगे, उनके परमिट्स रिन्यू हो गए और उसके बाद लॉ का इन्टरप्रेटेशन होने की वजह से दरअसल बसें उस रूट पर चलना रुक गईं तो जब तक आपने सवाल किया उस वक्त तक कोई घाटा नहीं हुआ और बसें चलती रहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रोडवेज की बसों के घाटे के लिए पूछा है

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब रूट को नैशनेलाइज किया था, उस समय घाटा कैसे हो सकता था ? बसें पहले चल रही थीं।

श्री भीमसेन : प्रश्न यह है कि यह जो प्रश्न पूछा है उसके बाद बसें चलना बंद हुईं लेकिन जिस समय नैशनेलाइज्ड थीं, तब घाटा कैसे हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ और नैशनेलाइजेशन को सही रखा और बाकी बसों को जारी रखने का किया तो उस समय हाई कोर्ट की रूलिंग का इन्टरप्रेटेशन हुआ, तो जितनी कार्यवाही हुई है, जब लीगेलाइज्ड हुई है और उसके बाद ऐसी हालत पैदा हुई कि बसों को चलने से हाई कोर्ट ने रोक दिया और प्राईवेट बसें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

स्कूलों में छात्रों के पीने के पानी की व्यवस्था

675. **श्री केसरीसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में छात्रों के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रों को गर्मी में सीमेंट की टंकी का गरम-गरम पानी पीना पडता है ?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापकों के लिए तो मटके रखे जाते हैं पर छात्रों के लिए नहीं ?

(4) क्या गर्मी में गर्म पानी पीने से छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर नहीं पड़ता ?

(5) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला में गर्म पानी पीने से अक्सर कन्यायें बेहोश हो जाती हैं ?

(6) सरकार गर्मियों में क्यों नहीं समस्त पाठशालाओं में मटकों का प्रबन्ध करती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह)
(1) पीने के पानी के लिए मटके रखे जाते हैं और इसके लिए कन्टींजेन्सी में से खर्च किया जाता है।

Page No. 3

(राव श्री धीरसिंह)

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) जी नहीं ।

(6) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर मिथ्या है कि पाठशालाओं में मटके रखे जाते हैं । कुओं पर बाल्टी रहती है, अगर ठंडा पानी पीना हो बाल्टी से खींचकर कुए में से पानी निकालते हैं वर्ना टंकियों का पानी छात्रों को मिलता है । यह माध्यमिक कन्या शालाओं की हालत है और वही हालत हायर सैकेन्डरी स्कूल, बूंदी की है । अध्यापकों के लिए तो मटके रहते हैं और लडकों के लिए नहीं रहते हैं । इसकी सरकार द्वारा पूरी जांच होनी चाहिए । गर्म पानी पीने से काफी कन्याएं बेहोश हो गई हैं ।

राव श्री धीरसिंह : अगर ऐसी बात है तो तथ्य बताइए, पूरी जांच करा ली जायगी।

श्री केसरीसिंह : तथ्य तो बता रहा हूं । सवाल ही इसलिए पूछा ।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जांच करा लूंगा । सवाल आया है और इस पर जो आपने कहा है उसके ऊपर इन्सट्रक्शन्स इश्यू कर दिए जायेंगे और गल्ती है तो जांच की जायगी ।

श्री केसरीसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न सही है या सरकार का उत्तर गलत है ? छात्रों के लिए मटके रखे गए हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं । मंत्री महोदय जांच करा लें । कई स्कूलों में टंकियों को काम में लिया जाता है ।

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां । जांच कराई जायगी और सरकार की ओर से सक्यूलर भी इश्यू किया जायगा कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मटकों का इन्तजाम होना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सरकार की नीति क्या है ? जहां भी वाटर वर्क्स हैं वहां स्कूलों में पानी पीने के लिए नल दिये जायेंगे या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी कोई नीति नहीं है कि जहां नल नहीं हैं, वहां नल लगें । हम पीने के पानी का इन्तजाम कर सकते हैं, चाहे नल के जरिए या कुए के जरिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

सतर्कता आयोग को कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

677. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेडा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सतर्कता आयोग की स्थापना के समय से 31 मार्च, 1967, तक आयोग को सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) आयोग ने इनमें से कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की ?

(3) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशों पर अमल किया तथा कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की ?

Page No. 4

वित्त मंत्री [श्री मथुरादास माथुर (मुख्य मंत्री की ओर से)] :

(1) 5186 शिकायतें प्राप्त हुई ।

(2) 603 कर्मचारियों के विरुद्ध ।

(3) सरकार ने सभी सिफारिशों पर अमल किया है और 175 कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली गई है। शेष के विरुद्ध जांच जारी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें से डिपार्टमेंटल हैड्स ने कितने पर कार्यवाही की है और अब तक जो कार्यवाही करने में देर की गई है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : 175.

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या कारण है देर क्यों हो रही है ? सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : देरी किसी में नहीं की जा रही है। सबमें नियमों के हिसाब से जितना समय लगना चाहिए, उतना ही लगता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कितने समय से सिफारिशें पेंडिंग हैं डिपार्टमेंटल हैड्स के सामने ?

श्री मथुरादास माथुर : अलग अलग सिफारिशें अलग-अलग समय से पेंडिंग हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट काफी समय से सरकार के विचाराधीन रही है और इस कारण जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह विभागाध्यक्षों के पास या कमिश्नर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज के पास मामले रेफर नहीं किए गए हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कहना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइए कि पहली रिपोर्ट विजिलेन्स कमीशन की सरकार को कब मिली और उस पर अमल करने का निर्णय कब लिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : जो रिपोर्ट थी वह कुछ समय राज्य सरकार के पास रही उसके कारण थे। चुनाव आ गए, राष्ट्रपति शासन आ गया इसलिए 6-7 महीने हो गए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फर्स्ट रिपोर्ट सरकार के पास एक साल तक विचाराधीन रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मुझे याद नहीं है। देख कर बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : यह देखकर बताने का नहीं है, दिले का है। फर्स्ट रिपोर्ट साल भर तक सरकार के पास दबी पड़ी रही है । यह आप बताइये कि उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये कितने समय के बाद लिखा डिपार्टमेन्टल हैड्स को ?

Page No. 5

श्री मथुरादास माथुर : ज्यों ही रिपोर्ट आती है इन्डिविजुअल केस की उसके ऊपर कार्यवाही शुरु हो जाती है। अब टोटल रिपोर्ट साल भर की आई और उसमें कुछ समय लगा, वह पड़ी रही तो इसमें भी कारण है। राज्य सरकार की कतई यह मंशा नहीं है और न रही कभी कि रिपोर्ट को डिले किया जाय। या किसी अफसर को, किसी गुनहगार को बचाया जाय। इसलिये वह रिपोर्ट भी सारी मंजूर कर ली गई। एक भी मामले में सरकार ने डिसएग्री नहीं किया। यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन सिफारिशों पर कुछ डिपार्टमेन्टल हैडस ने अमल नहीं किया है इसका कोई कारण मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : They are carrying on according to the procedure and rules.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार किस किस्म का विचार उस पर करने के लिये देर लगाती है और अपने पास पड़े रखती है उस रिपोर्ट को, क्यों नहीं कन्वेन्शन ऐसा डाल दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आवे उसकी सीधी सूचना विभागों को कर दी जाय और वे एक्शन लेना प्रारम्भ कर दें ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रोसीजर क्या है यह मैं निवेदन करता हूं। कोई केस जो विजिलेन्स कमीशन के पास जाता है वह उस पर इन्क्वायरी करता है फिर उस पर एक्शन सजेस्ट करता है कि फलां एक्शन डिपार्टमेन्ट को लेना चाहिये और वह इन्डिविजुअली विभाग के पास पहले आ जाता है और डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड उससे अगर एग्री करता है तो साइमल्टेनियसली वह भी इन्क्वायरी शुरू कर देता है और अगर डिसएग्री करता है तो वापिस कमीशन को लिखते हैं तो इन्डिविजुअल केस तो चलते रहते हैं।

पर जहां तक साल भर की रिपोर्ट जो वे देते हैं तो उस पर सरकार अगर एग्री होती है तो एक्शन शुरू कर देती है और अगर किसी एन्डिविजुअल केस में डिसएग्री करती है तो अपने एक्सप्लेनेशन के साथ वापिस कमीशन को लिखती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह भी जांच की है कि विजिलेन्स कमीशन में इन्क्वायरी आती है तो डिपार्टमेन्ट भी साइमल्टेनियसली एन्क्वायरी शुरू कर देता है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सब रिपोर्ट फाइनली जब सरकार के पास आती है तो जितने कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट होते हैं उनकी भी रिपोर्ट आती है कि फलां केस में फलां action taken. तो फिर उस पर केबिनेट बैठकर फाइनल फैसला कर देती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट इसके इम्पलीमेन्टेशन की रिपोर्ट तैयार करेगी ?

Page No. 6

श्री मथुरादास माथुर : बाकायदा। फिर हाउस को यह जानने का पूरा अधिकार है कि क्या क्या इम्पलीमेन्ट किया, क्या नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : तो यह तो सही है कि इम्पलीमेन्टेशन की रिपोर्ट आप इस सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर सदन में यह भी प्रस्तुत करने का प्रावधान है तो मैं करूंगा वरना तो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। माननीय सदस्य उसके बारे में कई तरीकों से पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सेकण्ड रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट एज सच हमारे सामने पेश नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी रिपोर्ट पेश हो गई है और मुख्य मन्त्री...

श्री मथुरादास माथुर : सेकण्ड रिपोर्ट ?

यह अलग से प्रश्न है। इसकी क्या स्थिति है यह इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि प्रश्न संख्या के भाग 1 में जो फिगर्स आपने बताये हैं वे सब इन रिपोर्ट एक और दो के फिगर्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ये 31 मार्च, 67 तक जितने मामले हैं वे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर तो सेकण्ड रिपोर्ट आ गई है। फिर आप इन्कार कैसे करते हैं ? यह तो साबित है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सेकण्ड रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को मिली या नहीं ? यह बडा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। विजिलेन्स कमीशन की सेकण्ड रिपोर्ट सरकार के पास आई या नहीं और आई है तो सरकार ने क्या कन्सीडरेशन किया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 676।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका तो जवाब बताने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता दूंगा देखकर कि फर्स्ट रिपोर्ट और सेकण्ड रिपोर्ट अलग अलग आई हैं या इन दोनों को एक ही साथ भेज दी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अलग अलग हैं।

श्री मथुरादास माथुर । मैं बता दूंगा आपको। I will tell you.

श्री अध्यक्ष : 676।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय। क्या यह विजिलेन्स कमीशन के फंक्शन प्योरली एडवाजरी है इन करेक्टर, या रिकमण्डेटरी है इन करेक्टर ?

Page No. 7

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
या उनके पास कोई कम्पलेन्ट आती है तो उसके बेसिस पर सुओ मोटो वह एक्शन लेता है ?

श्री मथुरादास माथुर : विजिलेन्स कमीशन को वे अधिकार जो दिये गये हैं सदन में उन अधिकारों के बारे में जानकारी रख दी गई थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक बार कृपा करके मन्त्री महोदय स्पष्टतया बताने की कोशिश करें ।

श्री मथुरादास माथुर : I will put a copy to you.

गजट में नोटिफाई हुआ है और उस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल है ।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री महोदय ।

पुलिस कल्याणकारी फण्ड

676. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने जिलों में पुलिस कल्याणकारी फण्ड बना हुआ है ?

(2) यदि सभी जिलों में यह फण्ड है, तो प्रत्येक जिले में गत पाच वर्षों से प्रति वर्ष कितना कितना रुपया किस किस प्रकार इकट्ठा हुआ और किस किस प्रकार से व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) राजस्थान में 26 जिले एवं पी0 टी0 एस0 किशनगढ़ और रेल्वे मंडल अजमेर पर पुलिस कल्याणकारी फण्ड बना हुआ है ।

(2) हां, प्रत्येक जिले में जितना जितना रुपया प्रति वर्ष इकट्ठा हुआ और खर्च हुआ उसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई सूची नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं मिली है ?

एक कापी आई थी, जो मेरे पास है ।

माननीय सदस्य के लिये दूसरी कापी नहीं आई । मैं इसको स्थगित करता हूं ।

नेक्स्ट । श्री रामकिशन ।

जयपुर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा परमिट

678. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी ने सन् 1962 से मई सन् 1967 तक जयपुर रीजन में कुल कितने बस ट्रक तथा टैक्सियों के विभिन्न मार्गों पर चलने के लिये परमिट प्रदान किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न मार्गों पर बसें चलने के लिये काफी प्रार्थना पत्र हरिजनों (अनुसूचित जाति) भूतपूर्व सैनिकों ड्राइवरों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों ने भी दिये थे ? अगर हां, तो उनमें से कितने लोगों को किस किस मार्ग पर किस तारीख को परमिट दिये गये ?

(3) क्या सन् 1967 में भी कुछ प्रार्थना पत्र उक्त वर्गों के रीजनल ट्रान्स

(श्री रामकिशन)
ऑथोरिटी के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) सारे राजस्थान में सन् 1962 से सन् 1967 तक कितने परमिट बस ट्रक व टैक्सी चलाने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा ड्राइवरों को दिये गये हैं ? ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जयपुर रीजन में सन 1962 से मई सन 1967 तक इस प्रकार परमिट दिये गये हैं।

बस	ट्रक	टैक्सी
'963	·2351	404

(2, 3, 4) परमिट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र जिस फार्म में प्राप्त होते हैं उसके अन्दर कोई कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग विशेष की जानकारी दर्ज की जाती हो। इसलिये इस तरह की इन वर्गों की अलग अलग सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सूची नहीं मिली है और मामला बहुत बड़ा महत्व का है। यह आप देख लीजिये। सूची के बगैर समझ में ही नहीं आ सकता।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सूची भिजवा दी है।

श्री अध्यक्ष : सूची आपके पास हो तो वह भी पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशन : खाली पढ़ देने से याद नहीं रहेगी सूची, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपकी स्मृति बड़ी तेज है, मुझे विश्वास है।

श्री रामकिशन : क्या यह राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि ड्राइवर, भूतपूर्व सैनिक, पिछड़ी जातियों के लोग यदि दरख्वास्त दें तो कालम में लिखते हैं बाकायदा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात नहीं है। एक्ट में तो डिफाइन किया है केवल कोआपरेटिव के लिये। बाकी का और कोई उसके अन्दर डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिक को मोटरों के रूट के परमिट देने में प्राथमिकता दिये जाने के आदेश सरकार ने दे रक्खे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसकी मैं जानकारी कर लूंगा। मुझे इस समय जानकारी इसकी वाकई नहीं है। वरना मैं आपको दे देता। मगर यह जो एक्ट है उसमें बता सकता हूं कोई प्रिफरेन्स नहीं दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : है।

श्री रामकिशन : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रक्खे हैं कि पचीस प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बेरोजगार ड्राइवर और भूतपूर्व सैनिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाय और आप कहते हैं कि कालम नहीं है तो अगर कालम नहीं है तो पता कैसे लगेगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है ? कार्यवाही भी नहीं हो सकती।

Page No. 9

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : एक्ट का सवाल नहीं है। फैक्ट का सवाल है। सरकार ने जो आदेश दिये हैं कि अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक और बेरोजगार ड्राइवरों को प्राथमिकता दी जाय तो उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : कहां दिया है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : है यह।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर ऐसा आदेश दिया भी जाता है तो जब तक एमेन्ड-मेन्ट एक्ट में न हो जावे तब तक कैसे क्या हो सकता है ?

श्री भरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि परमिट एक्ट के मातहत नहीं रूल्स के अन्तर्गत दिये जाते हैं और क्या यह सही है कि रूल्स में संशोधन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप ही फरमा दीजियेगा न। गजट में आया है वे तो रूल्स। माननीय सदस्य स्वयं बतला देंगे।

श्री रामकिशन : अगर अब तक संशोधन नहीं किया है तो एज ए नीति जब सेवा में 12½ प्रतिशत रियायत करने की बात कहते हैं तो क्या यह नीति है सरकार की और उन लोगों का हिस्सा उनको देने का सरकार का इरादा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अब इसके लिये जैसा मैंने कहा जानकारी ले लूंगा कि इसमें कहां तक यह हो सकता है। एक्ट के हिसाब से तो जो है वह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री रामकिशन : सरकार की क्या नीति है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नीति तो अच्छी ही अच्छी है।

श्री अध्यक्ष : नीति की जानकारी के बाद दूसरी जानकारी पर विचार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न यह है···

श्री लाबूराम मुलानिया (फागी) : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार की इस प्रकार की नीति है कि वह इन वर्गों को और प्राथमिकता देना चाहती है ? यदि सरकार की नीति है तो निश्चित रूप से मोटर व्हिकल्स एक्ट को राजस्थान में एमेन्ड करना पड़ेगा और करना चाहिये। केवल रूल्स के एमेन्डमेन्ट से काम नहीं चलेगा। माननीय मन्त्री महोदय बतायें कि क्या आपकी नीति है या नहीं कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारी नीति तो बहुत है लेकिन सेन्ट्रल एक्ट के अन्तर्गत यह कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष (दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) : ऑर्डर ! ऑर्डर ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : क्या सरकार ने इस नीति के अनुपालन में इस बात की जांच करवायी है कि मोटर व्हिकल्स एक्ट में राज्य सरकार की नीति को क्रियान्वित कराने के लिये राज्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सरकार संशोधन ला सकती है और सरकार ऐसा संशोधन लायेगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: इस मामले में देखेंगे। ऐसा हो सकता है तो यह यकीन दिलाया जावेगा। एक्ट में अमेन्डमेन्ट होना है तो वह भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तस्फिया तलब है कि नीति है या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेट गवर्नमेन्ट को लेजिस्लेशन करने का अधिकार है। उसमें संशोधन का अधिकार है। You have powers to make amendment.

उसके लिये टाइम चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री लादूराम सुलानिया : क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि आने वाले पीरियड में इन लोगों के लिये उचित व्यवस्था करके ऐसे नियम बनायेंगे कि उनको प्रोत्साहित रखा जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नीति का प्रश्न चल रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : हमारे नियमों की संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी प्रश्न की सूची सदन की मेज पर रख दी जाती है तो सूची की एक कापी उस सम्बन्धित माननीय सदस्य को भी प्रोवाइड कर दी जाती है यह परम्परा अब तक रही है। आपने जो व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! आगामी भविष्य के लिये सजग हैं। यह तो साफ हो गया है। कोई प्रश्न है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यही व्यवस्था चाही गई है।

श्री रामकिशन : आपने फरमाया कि इस तरह की एप्लीकेशन्स नहीं हैं। आपको गलत सूचना है। कई लोगों की एप्लीकेशन्स हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। नाम कुछ तो मेरे पास हैं। भरतपुर जिले में किशनसिंह भूतपूर्व सैनिक है। नत्थीसिंह भूतपूर्व सैनिक हैं। इन्होंने दरख्वास्त दी है। किस आधार पर कहते हैं कि कालम नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कालम तो है ही नहीं। एक्ट के अन्तर्गत फार्म बना हुआ है उसके अन्दर नहीं है। एप्लीकेशन इस इसप्रकार दी होगी तो उस पर सोचा होगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : एप्लीकेशन दी जाती है उसमें एडीशनल ग्राउन्ड है कि यह हमारी स्थिति है, ड्राईवर है भूतपूर्व सैनिक है, यह सब दिया जाता है। सूचना दी जाती है और दी गई है।

श्री अध्यक्ष : इसको माननीय मन्त्री देख लें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज !

बीकानेर में विश्वविद्यालय

679. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण नगरों की भांति बीकानेर में भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): जी नहीं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलना भी सम्भव नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : फिजिक्स और कैमिस्ट्री में एम. एस. सी. क्लासेज खोल दी हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सुनाई नहीं दिया।

श्री बरकतुल्ला खां : बीकानेर डूंगर कालेज में फिजिक्स और कैमिस्ट्री की एम. एस. सी. क्लासेज खोल दी गई हैं। इसी सेशन से ऑर्डर कर दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह निर्णय कमेटी द्वारा किया गया, जो इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह निर्णय इसी ग्राउन्ड पर किया गया कि बीकानेर रीजन के तमाम लोगों को जयपुर या जोधपुर आना पड़ता है एम. एस सी. के लिये और फिजिक्स और कैमिस्ट्री में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं मिलते हैं इसलिय स्पेशल कन्सीडरेशन के अनुसार बीकानेर रीजन के लोगों को सहूलियत मिल जाय इस लिये यह किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

प्रश्न संख्या 680

श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट !

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री भैरोंसिंह !

(प्रश्न संख्या 681) ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

श्री विजयसिंह रावत।

स्लीपरों की खरीद।

682. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ व भवन) के सहायक अभियन्ता श्री आर. डी. सक्सेना ने कोटा की फर्म से 200 स्लीपर खरीदे, मगर रेलवे रसीद लेकर ही 12,278 रुपये का भुगतान करा दिया था ? जब माल नहीं आया तो किस कारण से उसे एम. बी. में चढवाया गया ?

(2) जो चेक कोटा की फर्म के नाम था, वह अजमेर की एक फर्म के नाम क्यों बेचान हुआ ?

(3) स्लीपर अजमेर में क्यों खरीदे गये ? इन स्लीपरों को सार्वजनिक निर्माण

(श्री विजयसिंह रावत)
विभाग की ट्रकों में लाद कर क्यों लाया गया? श्री सक्सेना ने इन को मेडिकल कोलेज में सीधा लेने की आज्ञा क्यों ली? ये स्लीपर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोदाम में क्यों नहीं गये? एम. बी. में किस ओवरसीयर ने चढाये हैं?

(4) क्या इस मामले में सहायक अभियन्ता श्री सक्सेना ने भ्रष्ट कार्यवाही की है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) स्लीपर आवश्यकतानुसार व नियमानुसार खरीदे गये तथा आॅर्डर की टर्म्स के अनुसार सप्लाई हुई। इन्चार्ज ओवरसीयर श्री जोगेन्द्रसिंह थे।

(4) जी नहीं।

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह स्लीपर कोटा की फर्म से नहीं खरीदे गये थे?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: कोटा की फर्म से खरीदे गये थे जरूर।

श्री विजयसिंह रावत: क्या कोटा की फर्म से खरीदने से पूर्व असिस्टेन्ट इन्जीनियर को यह ज्ञात नहीं था कि सस्ते मूल्य पर अजमेर से खरीदे जा सकते थे?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : टेन्डर सब अजमेर में हुए।

श्री विजयसिंह रावत : कोटा की फर्म से क्यों खरीदे गये?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसलिये कि छोटा भाव दिया।

श्री विजयसिंह रावत : इसलिये कि उसका रिश्तेदार कोटा में था?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री विजयसिंह : क्या स्लीपर अजमेर में कोटा की फर्म के नहीं आये? पेमेन्ट कर दिया। रुपयों का पेमेन्ट कर दिया और जब माल नहीं आया तो इन्जीनियर तकलीफ में हो गया, अरेस्ट होने लगा तो दूसरा टेन्डर लेकर अजमेर से खरीदा?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात नहीं है। स्लीपरों का टेन्डर हुआ। टेन्डर के जरिये बिक्री हुई और जैसी जरूरत थी साइड पर स्लीपर ले जाये गये और पास किये गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : स्लीपर की डिमान्ड क्या थी और कुल कितने टेन्डर प्राप्त हुए?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका ब्यौरा मैं आपको दे दूंगा। टेन्डर आये थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्नकर्ता का सवाल बहुत स्पष्ट है। उन्होंने सम्भावना प्रकट की वह यह है कि जानबूझ कर एक कान्ट्रेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिये कोटा से यह किया गया। इसलिये हम यह जानना चाहेंगे कि कुल कितने टेन्डर्स थे और लोएस्ट कितने थे?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह आपको जरूर इत्तेला दे दी जावेगी कि कुल कितने टेन्डर्स थे और कितने लोग थे इसकी जानकारी भी पूरी तौर पर दे दी जावेगी।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या यह सही है कि कोटा के सेठ को टेन्डर दिया गया वह अजमेर की पार्टी को ट्रान्सफर किया गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जिसको दिया गया उसने सप्लाई किया। 6 फर्म से टेन्डर आये थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लोएस्ट का क्या था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसी टेन्डर का था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा वाली फर्म का जिसका लोएस्ट टेन्डर आया उसका नाम क्या है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसका नाम बताता हूं। राजस्थान कन्स्ट्रक्शनल वर्क्स, कोटा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऐसी कोई फर्म नहीं है। बोगस है।

श्री अध्यक्ष : फर्म का क्या नाम है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : राजस्थान कन्स्ट्रक्शनल वर्क्स, कोटा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : लोएस्ट टेन्डर माननीय मन्त्री महोदय बताते हैं वह रजिस्टर्ड फर्म है या अनरजिस्टर्ड फर्म है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रजिस्टर्ड होगी तब ही तो टेन्डर में शामिल किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिस फर्म के बारे में इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा सन्देह किया जा रहा है मन्त्री महोदय को चाहिये था कि उसका पूरा पता लगा कर आते····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! श्री रावत।

श्री विजयसिंह रावत : कोटा की फर्म है वह कोई फर्म नहीं है, कोई एक्जिस्टेन्स नहीं है। अजमेर की फर्म्स ने लोएस्ट टेन्डर भरे। इन्जीनियर ने उसको मन्जूर नहीं करके, कोटा में अपने रिश्तेदार को दे दिया। बाद में माल सप्लाई नहीं हो सका। घोटाले में डालने लगे तो शिकायतें हुई। इन्जीनियर के अरेस्ट होने का हुआ तो····

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं लेकिन यह बताता हूं कि इस किस्म की और कोई जानकारी चाहें तो मालूम करके और जानकारी दे दूंगा।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य पूछने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री महोदय ! सदन के सदस्यों की यह आशंका है कि इस नाम की कोई फर्म ही नहीं है और कई बातें इसमें पैदा हुई हैं। मैं यह चाहता हूं कि सारी बातों की जानकारी करके अवगत करादें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बहुत अच्छी बात है।

Page No. 14

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

बांगड हास्पिटल पाली की निरीक्षण कमेटी की बैठकें ।

683. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली बांगड हास्पिटल के निरीक्षणार्थ कोई हॉस्पिटल कमेटी या एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया हुआ है ? यदि हां, तो कब किया गया तथा उसकी अवधि कितनी है ?

(2) कमेटी के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस कमेटी की बैठकें इसके निर्माण के बाद कितनी बार हुईं और उनमें क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस कमेटी से नगर की कोई सेवा नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके अधिकार व कर्त्तव्यों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : (1) हां, एक हॉस्पिटल विजिटिंग कमेटी जिला पाली के अस्पताल के लिये राजस्थान की सरकार विज्ञप्ति संख्या एफ. 11 (1) (71) एम. पी. एच. 54 दिनांक 6-4-65 के प्रसंग में, निर्माण की गई जिसकी अवधि दो साल के लिये थी।

(2) कमेटी के सदस्यों के नामों की सूची निम्न प्रकार है :—

1. अध्यक्ष, नगरपालिका
2. श्री मोहम्मद शरीफ वकील
3. श्रीमती शारदा भार्गव
4. श्रीमती राजकंवर
5. श्री प्रमुख, जिला परिषद्
6. श्री राम प्रसाद गांधी
7. श्री शंकरलाल
8. श्री बल्लभदास अरोड़ा
9. श्री बरकत अली अन्सारी
10. श्री रामस्वरूप गुप्ता।

(3) इस कमेटी के निर्माण के बाद इसकी पहली बैठक दिनांक 24-5-65 को बांगड अस्पताल में हुई जिसमें चिकित्सालय देखने हेतु नियम बनाये गये जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इसके अलावा दिनांक 24-8-65 को हुई जिसमें यह तय हुआ कि दिनांक 13-11-65 से 15-11-65 तक बांगड अस्पताल दिन मनाया जावे।

(4) इस कमेटी का काम नगर की कार्य सेवा करना नहीं है परन्तु इस कमेटी के सदस्यों का काम अस्पताल की विजिट करने का है और अस्पताल के कार्य में जो सुझाव उनके ध्यान में आवें वो देने का है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने बता दिया है कि यह एडवाइजरी कमेटी 2 साल के लिए थी

(राव श्री धीरसिंह)
और अब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

श्री शंकरलाल : इसके बाद में नई कमेटी क्यों नहीं बनाई ?

राव श्री धीरसिंह : अभी कोई कमटी नहीं बनाई गई है।

श्री शंकरलाल : कब तक बना दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर): इसमें एक प्रश्न पूछना है। इस प्रकार की एडवाइजरी कमेटी जैसी आपने पाली में बनाई है क्या सरकार की नीति है कि इस प्रकार की हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज के लिये राजस्थान भर के लिये कमेटी बनाई जाये ?

राव श्री धीरसिंह : जो नोटीफिकेशन निकाला था उसके अनुसार जोधपुर, पाली, बाडमर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कमेटीज बनाई गई थीं इसलिए वहां बन गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन चार जगह बनाने का विशेष कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या सरकार कोई आधार रखती है सका, यह तो बतायें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल !

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के डाइरेक्टर

684. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के ओनरेरी डाइरेक्टर कौन हैं और वे कब से नियुक्त हैं ?

(2) इन्हें ओनरेरियम किस दर से दिया जा रहा है ? और अब तक इन्हें कितना दिया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति ने सरकार को सन् 66 में लिखा है कि वे वृद्धावस्था तथा अस्वस्थता के कारण इस पद से निवृत होना चाहते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इनका कार्यकाल 31–7–66 को समाप्त हो चुका था ? यदि हां, तो फिर किस प्रकार इनकी अवधि किसके द्वारा कब तक के लिए बढ़ाई गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के ओनरेरी डाइरेक्टर मुनि जिनविजय हैं और वे 1–6–51 से नियुक्त हैं।

(2) इन्हें 35) रु. प्रतिदिन के हिसाब से ओनरेरियम दिया जा रहा है किन्तु वर्ष में 200 दिन से अधिक के लिए यह प्रावधान नहीं है। अब तक इन्हें 63,925 रु. ओनरेरियम के रूप में दिये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं। सन् 1966 में इन्होंने ऐसा कोई पत्र सरकार को नहीं दिया।

(राव श्री धीरसिंह)

(4) इनका कार्यकाल 31–7–66 को नहीं बल्कि 31–8–66 को समाप्त हुआ था। बाद में प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर सरकार द्वारा इनका कार्यकाल एक साल के लिए और बढा दिया गया।

(5) वर्ष 1966–67 में 4 कल्पसूत्र ग्रन्थों की चोरी की रिपोर्ट हुई है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पांचवां प्रश्न कौन सा है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उत्तर ठीक है। ओरीजिनल प्रश्न में 5वां था इसलिए उत्तर ठीक है।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो 5वां नहीं है लेकिन क्या यह सूचना इसी से संबंधित है या दूसरे से है तो कह दीजिए।

राव श्री धीरसिंह : इसी से है। जिनके विषय में आवश्यक कार्यवाही होकर जांच हो रही है। इसके अतिरिक्त और कोई विषय में किस प्रकार का मामला नहीं चल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्वयं आनरेरी डाइरेक्टर ने इस सरकार को यह पत्र लिखा था कि मेरी वृद्धावस्था है और अब हाथ पैर काम करते नहीं है इसलिए मुझे नौकरी से मुक्त किया जाये?

राव श्री धीरसिंह : यह 63 में बीमार हो गये थे उस समय में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी लेकिन 66 में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फायल नं. एफ4।प्रका। राप्राविप्र। 65–66। 2205 में दिनांक 30–7–67 को आत्माराम जाजोदिया को दिए गए ऑफिशियल पत्र में उन्होंने लिखा है कि "अवस्था के कारण दिन प्रति दिन शिथिलता बढती जा रही है। सबसे अधिक व्याकुलता आंखों के कारण होती रहती है। एक आंख से तो बिलकुल कार्य नहीं होता है और दूसरी आंख से बडी कठिनाई के साथ कुछ पढ़ सकता हूं लेकिन यह भी अधिक समय तक नहीं, अतः लिखने पढ़ने की मेरी शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी है। जोधपुर में जब आता हूं तब थोडा बहुत काम करता रहता हूं। एक प्रकार से अब सर्वथा निवृत्त हो जाने का समय आ गया है।" इस प्रकार का स्वयं इन्होंने पत्र सरकार को लिखा था।

राव श्री धीरसिंह : यह पत्र सरकार को एड्रेस किया हुआ है क्या?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सरकार की फाइल में मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : किस के नाम का पत्र है?

राव श्री धीरसिंह : सरकार के नाम से पत्र नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : किस के नाम का पत्र है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आत्माराम जाजोदिया।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट को तो नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेन्ट की फाइल में है तो जिस समय उनको रिटायर होना चाहिए था यह फैक्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
गवर्नमेन्ट के नोटिस में आ चुका था फिर भी गवर्नमेन्ट ने एक साल की अवधि क्यों बढ़ाई ?

राव श्री धीरसिंह : अगर कोई पत्र सरकार को न मिलकर किसी तीसरे आदमी को लिखा है उसकी कापी गवर्नमेन्ट की फाइल में है या नहीं यह भी एक प्रश्न है और गवर्नमेन्ट क्या ऐक्शन ले क्योंकि पत्र किसी तीसरे को लिखा गया है। उनका स्वास्थ्य 63 में खराब हुआ उसका जवाब दे दिया अब उसके बाद में आप लेटर बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं इनके कार्यकाल को बढ़ाने से इन्कार कर दिया था ?

राव श्री धीरसिंह: नहीं। अब 63 में स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसके बाद में ठीक हो गया और स्वयं उन्होंने आफर किया था कि अब मैं कार्य कर सकता हूं और 63 में जब वह कार्य करने लग गए तो····

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब अवधि समाप्त होने आई और एक्सटेन्शन के कागजात मिनिस्ट्री में आये तो शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ने इनकी अवधि को बढ़ाने से इन्कार कर दिया था

श्री अध्यक्ष : वह तो पूछ लिया कोई आधार हो तो बता दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल: शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ने लिख दिया था कि नोट रिकमन्डेड इसके बावजूद भी एक्सटेन्ड किया गया।

राव श्री धीरसिंह : मैंने बताया कि प्रशासकीय की सिफारिश पर हुआ है यह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर हां पक्ष और ना पक्ष है और एक 'झूठ' पक्ष और रख दिया जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : आप उसमें बीच में आ जायें तो अच्छा हो। माननीय सदस्य इसका दायित्व ले लें।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन अध्यक्षता भी उसकी आपको ही करनी पडेगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं नोमीनेट कर दूंगा माननीय सदस्य को।

श्री बरकतुल्ला खां : आपका साथ रहेगा तो माननीय अध्यक्ष जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम।

रताऊ से कठोती वाया तीतरी सड़क का निर्माण

685. **श्री हरजीराम बरडक** (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रताऊ से कठोती वाया तीतरी जिला नागौर की सडक जो तीतरी तक बनी हुई है और तीतरी से आगे कठोती तक बननी बाकी है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

(2) उक्त सडक तीतरी से कठोती वाया जोचीणा जायेगी या सीधे कठोती ही ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सडक जोचीणा जाने से काश्त की भूमि सडक

(श्री हरजीरम बुरडक)
के नीचे नहीं आती क्योंकि ज्यादातर ताल (गांगोर) बीच में पडता है जिससे ताल में से ही सडक निकलेगी। यदि हां, तो उक्त सडक वाया जोचीणा क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) कार्य बंद करा दिया गया है अतएव आगे सडक निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूंडावत।

साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के कार्यालय

686. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे:--

(1) साहित्य अकादमी और संगीत अकादमी के कार्यालय राजधानी में क्यों नहीं कायम किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि संगीत-नाटक अकादमी की एक शाखा का कार्यालय रवीन्द्र मंच की इमारत में है ? यदि हां, तो मुख्य कार्यालय को इसी इमारत में क्यों नहीं रखा जाता है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) अकादमियों के विधान निर्माण के समय यही प्रावधान किया गया था कि साहित्य अकादमी का कार्यालय उदयपुर होगा और संगीत-नाटक अकादमी का कार्यालय जोधपुर होगा।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अकादमियों के कार्यालय विधान बनाते समय शहरों में रखने के लिए खास तौर से क्यों सोचा गया इसके पीछे क्या कारण थे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां): राजस्थान के और भी शहर हैं और उनमें भी दिलचस्पी कायम रहे और पूरे राजस्थान के शहरों का राजस्थान हैं और गांवों का राजस्थान है, सिर्फ जयपुर का नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय अगर इन तीनों कार्यालयों को एक जगह स्थापित कर दिया जाये तो क्या नुकसान है ?

श्री बरकतुल्ला खां : नुकसान का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस समय यह फैसला किया गया यह मुनासिब जाना गया कि यह एक्टीविटीज राजस्थान के सारे इलाकों के अन्दर कन्फाइन्ड हों।

श्री अध्यक्ष : वह आपने फरमा दिया। नेक्स्ट.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछना है। जब सरकार बचत करने जा रही है तो यदि इन तीनों कार्यालयों को एक जगह कर दिया जाता है तो जो इनके एस्टेब्लिशमेन्ट में 60 परसेन्ट खर्चा हो रहा है वह बच जायेगा और कितनी भारी बचत होगी इसलिए एक क्यों नहीं किया जाता है ?

Page No. 19

श्री बरकतुल्ला खां : तीनों एकेडेमीज अलग अलग हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ये सारी की सारी, एक चीज को लेकर अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। ये एकेडेमीज एक इस्टीट्यूशन मात्र हैं। तीनों को मिला दिया जाय तो ये पूर्ण हो जायेंगी।

श्री बरकतुल्ला खां : आज कल स्पेशलाइजेशन का जमाना है और आज यह माना जाता है कि He should know more and about less and less.

श्री अध्यक्ष : About a particular subject.

नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

जच्चाखाना–खेडली

687. **श्री गंगासहाय** (वहूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार खेडली मण्डी में में जच्चाखाना (मेटरनिटी सेन्टर) खोलने का विचार रखती ह ?

(2) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ···

श्री रामकिशन (वैर) : क्यों साहब, प्रश्न क्यों नहीं उपस्थित होता ? क्या वहां बच्चे नहीं होते ?

राव श्री धीरसिंह : ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना में चार पांच स्थानों के लिए ही प्रावधान था जिसमें से एक किशनगढ़, टोडारायसिंह और एक जयपुर के लिए था। इसके अलावा एक क्राइटेरिया यह भी है कि जहां पांच हजार से अधिक की आबादी हो वहीं पर खोला जाता है। चूंकि इसकी आबादी 3,137 है इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामकिशन : यह आबादी आप मण्डी की बता रहे हैं खेडली की और जो इसके आस पास गांव हैं और जिसको मिला कर म्युनिसिपल एरिया बनाया गया है, जिनमें इन गांवों को शामिल कर लिया गया है तो फिर इसकी आबादी कम कैसे है ?

राव श्री धीरसिंह : धनाभाव का प्रश्न भी सामने है। जो आप आबादी बता रहे हैं तो वह गांवों को मिला कर हो सकती है लेकिन खेडली की आबादी तो 3,137 ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि वहां पर सेंट परसेंट केस्ट्राइनेशन नहीं हुआ है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रश्न संख्या 688।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर पूरी आबादी नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी कैसे बनी ?

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ···

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

Page No. 20

(श्री सुखाड़िया बोलते रहे जो व्यवधान में सुना नहीं गया)

ऑर्डर प्लीज। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

माननीय यातायात मंत्री महोदय।

जयपुर-कोटपूतली रूट पर बसें

688. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से कोटपूतली, राजस्थान रोडवेज की 6 बसें चला करती थीं और अब एक बस भी नहीं चलती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब सरकार कब तक इन बसों को चालू करने का इरादा रखती है?

(2) क्या यह सही है कि प्राइवेट बसें जो कोटपूतली से शाहपुरा चलती हैं उनके मालिकों को फायदा पहुंचाने की गरज से समय पर इन रोडवेज की बसों के परमिट रिन्यू नहीं कराये गये? यदि हां, तो इसमें किस अधिकारी की गलती है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां। इस निगम को जो स्थायी परमिट जयपुर से कोटपूतली बसें चलाने को मिली थी उस पर ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा स्टे 8-12-66 को देने के कारण बसें निगम को बन्द करनी पड़ीं। टी. ए. टी. में सुनवाई जारी है। निगम के हक में फैसला होते ही बसें फिर से चला दी जायेंगी।

(2) रोडवेज को परमिटों को समय पर रिन्यू न कराने के लिए उस समय के आगार प्रबन्धक, जयपुर को जिम्मेवार ठहराया गया। उनके खिलाफ अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है। जांच अभी जारी है नतीजा आने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी तथा जब ही पता चल सकेगा कि वास्तव में परमिट किस कारण से नहीं लिये जा सके।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रश्न यह है...

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यह जांच कब शुरू हुई?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मोहनलाल मोदी : यह जांच कब तक समाप्त हो जायेगी?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जांच 14-8-67 को रखी है दूसरी जो कि ए. डी. एम. के सामने है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त होने की बात पूछ रहे हैं।

(विराम)

उसका अन्दाजा नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब रोडवेज ने बिना परमिट के गाड़ियां चलाई थीं तो रोडवेज कार्पोरेशन का प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया गया?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें बिना परमिट के गाडियां चलाने का प्रश्न नहीं है। रिन्यूअल का सवाल है, बिना परमिट का सवाल नहीं है।

Page No. 21

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नहीं है कि बिना रिन्यूअल के गाडी चलाना भी आफेंस है ?

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन ऑफ लॉ है।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन ऑफ कामनसेंस है।

श्री अध्यक्ष : बिना परमिट के गाडी चलाना—क्वेश्चन ऑफ लॉ है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें बिना परमिट का सवाल ही कहां पैदा होता है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्नकर्त्ता।

श्री मोहनलाल मोदी : अब वहां की जनता की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हम यही कर रहे हैं कि जिस वक्त भी इजाजत मिलेगी हम बसों को चला देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि जयपुर से कोटपूतली के बीच जो बसें चलीं वह किस परमिट से चलीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूर वह परमिट से ही चलीं।

श्री भैरोंसिंह : और फिर रिन्यूअल के बिना भी चलीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नहीं, बिना रिन्यूअल के भी बसें नहीं चलीं।

श्री विजयसिंह रावत : अगर बसें नहीं चली थीं उस वक्त में तो जनता की सुविधा के लिए क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : भरसक कोशिश की।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसका इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : गाडियां यदि नहीं चलीं तो स्टे किस बात का हुआ ? माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि स्टे हो गया। जब गाडियां ही नहीं चलीं तो स्टे किस बात का हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : दुबारा उनसे परमिशन ली गई...

श्री भैरोंसिंह : स्टे किस बात का हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब दुबारा परमिशन मिल गई तो उसके खिलाफ अपील की गई और उस पर स्टे हुआ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है। आप देख लेना। कार्पोरेशन बिना रिन्यूअल के गाडियां चला रहा था जिसकी कम्प्लेंट की गई, उस पर स्टे हुआ है और आप कहते हैं कि गाडियां नहीं चलीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री डूंगाराम राजोरिया।

प्राथमिक पाठशाला मण्डी, खटीकान जयपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

689. **श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्राथमिक पाठशाला, मंडी, खटीकान जयपुर में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के कितने छात्रों को सन् 1963 से 1966 तक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ? अगर छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, तो क्यों ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह) : राजकीय प्राथमिक शाला, मण्डी खटीकान,

(राव श्री धीरसिंह)
जयपुर के अनुसूचित जाति के छात्रों को सन् 1963-64 से 1966-67 तक कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली। बजट में जितनी धनराशि छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध होती है उसमें से बहुत बडा भाग नवीनीकरण में खर्च होता है तथा शेष भाग उच्चतर व माध्यमिक शालाओं के प्रथम श्रेणी में आने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में खर्च होता है। धनाभाव के कारण हर छात्र को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जब धनराशि प्राथमिक शालाओं के लिए है और मेरा प्रश्न भी प्राथमिक शालाओं के बारे में है तो धनराशि खत्म हो जाने को क्या बात है ?

राव श्री धीरसिंह : जो छात्रवृत्ति की धनराशि स्वीकार की जाती है उसमें से बहुत बडा भाग तो नवीनीकरण में खर्च हो जाता है और उसके बाद उच्चतर और माध्यमिक शालाओं में जो छात्र फर्स्ट डिविजन में आते हैं उन्हें ही नए सिरे से दी जाती है और फिर अगर पैसा बच जावे तब जाकर प्राथमिक शालाओं का नम्बर आता है। इस समय इतना पैसा नहीं है कि हम सबको दे सकें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग के बजट का पैसा हर साल लैप्स होता है और पूरा पैसा खर्च नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अलग से प्रश्न नहीं है, इसमें ही शामिल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गोरधन सोनी !

मेड़ता शहर म पागल कुत्ते के काटे का इलाज

690. **श्री गोरधन सोनी** (मेडता) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मेडता के शहर के अस्पताल में 2-3 वर्ष पहले पागल कुत्ते के काटे का इलाज होता था, परन्तु आजकल वहां के डाक्टर उसका इलाज न करके उसे जोधपुर या अजमेर भेजते हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब यह कितने दिनों से होने लगा है ?

उप मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : जी हां, वहां का पुराना रेफ्रीजेटर जिसमें एण्टी रेबिक वेक्सीन रखा जाता था करीब 2 साल से खराब पडा है जिसे कई बार ठीक कराया गया परन्तु ठीक नहीं हुआ जिसकी वजह से मरीज जोधपुर या अजमेर व नागौर सुविधा मुताबिक जाते हैं। रेफ्रीजेटर भेजने के आदेश जिला चिकित्सा अधिकारी नागौर को दे दिये गये हैं। शीघ्र ही मेडता के अस्पताल में पागल कुत्ते के काटने के इलाज की व्यवस्था फिर शुरू हो जायेगी।

श्री गोरधन सोनी : क्या यह सही है कि इस मेडता शहर में ही पागल कुत्तों का इलाज हुआ है ? (व्यवधान-अश्रव्य)

चिकित्सा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : इलाज करते जा रहे हैं।

श्री ओमदत्त (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बर्थ कण्ट्रोल

(श्री ओमदत्त भाटी)
दूसरे लोगों में तो हैं लेकिन कुत्तों में नहीं हैं। जब आप और लोगों में बर्थ कण्ट्रोल करते हैं तो कुत्तों में क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : यह प्राइवेट प्रेक्टिस वाले पहले ले लें।

(हंसी)

श्री श्रवणलाल !

श्री गोरधन सोनी: वहां पर रेफ्रीजेटर कितने वर्ष से खराब है ?

श्री अध्यक्ष : अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। यातायात मंत्री महोदय।

भरतपुर से छोकरवाड़ा-भुसावर तक जाने वाली गाड़ी के परमिट की अवधि

691. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर से छोकरवाडा होती हुई भुसावर तक जाने वाली गाडी नं० आर० जे. डी. 2026 के परमिट की अवधि कब खत्म हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह गाडी अवधि समाप्त होने पर भी चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री, (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) इस गाडी के परमिट की अवधि तारीख 11-5-67 को खत्म हो गई।

(2) यह गाडी तारीख 5-7-67 को सीज करके थाने में बन्द कर दी गई है।

श्री श्रवणलाल : क्या इस बीच में · · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : प्रश्न यह है कि · · ·

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री श्रवणलाल : जो आपने यह बताया कि 11-5-67 को इसकी अवधि समाप्त हो गई और इस बीच में गाडी चली तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसका पहला एक्शन तो यह हुआ कि उसको उठा कर थाने में भेज दिया। अब दूसरा एक्शन थाने वाले लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि क्या इस गाडी वाले ने अपने परमिट की मियाद खत्म होने से पहले रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे दी थी या नहीं दी थी ? अगर दे दी थी तो कितने दिन पहले दे दी थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसने छः महीने पहले दे दी थी।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : और उसने फीस भी जमा करा दी थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह भी छः महीने पहले की बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर उसका रिन्यूअल क्यों नहीं हुआ ? इतने अर्से पहले, छः महीने पहले रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे देने के बाद भी उसका रिन्यूअल क्यों नहीं हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसलिए कि पहले उसको याद दहानी करानी चाहिए थी यह नहीं करके बिना परमिट को रिन्यू कराए गाडी चलाई इसलिए चालान किया गया ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि उसने कितनी ही दरख्वास्तें इसके लिए दे दीं, याद दहानी करा दी और यदि आप चाहें तो डेट भी बता सकता हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल्कुल सत्य है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल घपला और चोरी–बेईमानी चलती है, इसमें पैसा मिलने की मशीन के अलावा कोई भी चीज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में इस रूप में देखें कि छः महीने पहले जब फीस जमा करा दी तो भी रिन्यूअल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री अध्यक्ष : क्या यह विभाग की जिम्मेदारी की बात नहीं समझते कि 6 महीने पहले रिन्यूअल की दरख्वास्त दें और फिर उसको यह भुगतना पड़े ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : Actually it is the responsibility of the Home Deptt. or something लेकिन यह है कि इत्तिला दी है तो मालूमात कर लूंगा कि कितनी दफे रिमाइण्ड कराया है।

श्री रामकिशन (वैर) : इत्तिला नहीं दी गई तो रोडवेज डिपार्टमेन्ट ने आपके डिपार्टमेन्ट को लिखा है कि बगैर परमिट के चल रही है तो क्या ऐक्शन लिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐक्शन तो ले लिया कि थाने में भेज दी, लेकिन यह जो आपका कहना है इसकी जांच कराई जायगी, कि बार बार रिमाइण्डर दिया है तो उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : दोनों तरफ से बेइमानियां हो रही हैं। एक तो डिपार्टमेन्ट ने जानबूझकर रिन्यूअल नहीं किया। एक बार रिन्यूअल कर दिया और फिर 6 महीने के बाद रनिंग रिन्यूअल नहीं किया गया इसके बाद भी गाडी चलती रही, तो किन-किन आदमियों की साजिश से चलती रही, यह प्रश्न है। रिन्यूअल नहीं मिला तो थाने वाले पैसा बना रहे हैं और आपका ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर पैसे बना रहा है। केवल एक ही गाडी है। परसों ही उसको बन्द किया गया है। मैं वहां भरतपुर में था।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया The matter appears to be fishy.

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं देख लूंगा और मालूमात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

न्यायालयों में नकल देने की व्यवस्था

692. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में न्यायालयों में नकलें देने की क्या व्यवस्था है, और कितने नकलनवीस हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने नकल अनुभाग में कोई टाइप किये जाने की व्यवस्था कर रखी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि अपर्याप्त साधनों के कारण लोगों को डबल फीस की नकलें एक एक सप्ताह तक नहीं मिलती हैं ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(4) क्या राज्य सरकार नकल अनुभाग के कारण होने वाली असुविधाओं के निराकरण हेतु कोई तुरन्त कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, विधि विभाग (राव श्री धीरसिंह) : (1) जयपुर नगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के अधीन प्रतिलिपियां देने के लिए केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग हैं। इस कार्य के लिए एक मुख्य प्रतिलिपि लेखक तथा सात प्रतिलिपि लेखक हैं।

(2) जी हां।

(3) यह सत्य है कि नकल अनुभाग में प्रतिलिपि लेखकों की कमी होने के कारण डबल फीस की नकलें देने में कभी-कभी देरी भी हो जाती है, क्योंकि नकलनवीस पहले सात न्यायालय के लिए थे उन्हें अब 15 न्यायालयों संबंधी प्रतिलिपियां तैयार करनी पडती हैं। गर्मियों की छुट्टी में कुल नकलें जो बकाया थीं, पूरी कर दी हैं और कोई नकल बकाया नहीं रही है। केवल त्रुटिपूर्ण दरख्वास्तों की नकलें ही बकाया हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। मैंने पूछा कि कितने नकलनवीस हैं तो आपने नहीं बताया।

राव श्री धीरसिंह : मैंने बता दिया कि एक मुख्य लिपिक है और 6 लिपिक हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि जयपुर नगर में कुल न्यायालय कितने हैं और कितने नकल नवीस हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : टोटल नम्बर ऑफ न्यायालय अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह नकल नवीस 6 आपने बताये और मुख्य नकल नवीस बताया तो वह कितने न्यायालयों के लिए हैं ?

राव श्री धीरसिंह : पहले 7 के लिए थे और अब 15 का काम उनको करना पड रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 7 कुल कितने न्यायालयों की नकलें करते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : पहले 7 न्यायालयों की करते थे अब 15 की करते हैं यह मैंने बता दिया।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था सब बतला दी। अपर्याप्त भी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जितना पैंडिंग वर्क था उसको गर्मियों की छुट्टियों में निकलवाने की कोशिश की है। तो आपका अनुभव है कि गर्मियों की छुट्टियां एक महीने की होती है....

श्री अध्यक्ष : मेरा अनुभव नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अनुभव हर प्रकार से होता है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर चलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 11 महीनों तक रेग्युलर वर्क होता है और बड़े बड़े केसेज

Page No. 26

(श्री दुर्गालाल बादवार)
आते हैं। एक आदमी का कन्विक्शन हो जाता है और डबल फीस से नकल हुक्म लेता है तो वह समय पर नहीं मिलता है तो उसको 2-3 दिन जेल में रहना पड़ता है। आपने कहा है कि टाइपिस्ट की व्यवस्था कर रखी है तो 15 न्यायालयों के लिए कितने टाइपिस्ट हैं इसकी आपने जानकारी करने की कोशिश की है ? अजमेर में स्थिति यह है कि कुल 9 न्यायालयों में 8 नकल नवीस हैं और यहां 15 न्यायालयों में 6 नकल नवीस हैं, और राज्य सरकार के सामने यह मसला आज से नहीं 3-4 साल से बराबर पुटअप किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार यह चेष्टा नहीं करती है कि नकल नवीस बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : परपज ऑफ आपरेशन रख दें।

श्री दुर्गालाल बादवार : मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम 1-1 नकलनवीस 1-1 न्यायालय के लिए तो हो। 15 न्यायालयों के लिए आधे भी नहीं हैं 6 आदमी हैं तो कैसे काम निकल सकता है ?

राव श्री वीरसिंह : जल्दी से जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे।

श्री दुर्गालाल बादवार। यह "जल्दी से जल्दी" तो "एज अर्ली एज पासिबल" की तरह जो जाप्ता फौजदारी में है कि रिपोर्ट तो आज कर दी और 6 महीने तक चालान पेश नहीं हुआ तो कम से कम 6 महीने में, साल भर में कर देंगे ऐसी कोई लिमिट तो बना दें।

विधी मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष, प्रोपोजल बनाकर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को भेज देंगे और जब फाइनेन्स से स्वीकृति मिलेगी तो लागू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक होगा।

श्री ओमदत्त भाटी !

कारों और स्कूटरों के एलोटमेंट में डाक्टरों को प्राथमिकता

693. **श्री ओमदत्त भाटी** (जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार सरकारी कोटे में एलॉट होने वाली कारों और स्कूटरों में डाक्टरों को उनकी ड्यूटी की नेचर को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस बारे में कब तक व्यवस्था हो सकेगी ?

(ख) गत पांच वर्षों में उक्त कोटे में से कितने स्कूटर्स और कारें सरकारी अधिकारियों को एलॉट की गईं और इनमें डाक्टर्स कितने थे ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (क) सरकारी कोटे में से कारें व स्कूटर डाक्टरों को उनकी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए एलाटमेंट में प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : अगर प्राथमिकता दी जाती है तो 25 पर्सेन्ट को ही क्यों दी गई ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक आध मोटर है। 50 पर्सेन्ट तमाम टोटल एलॉटमेंट में से दी गई है।

श्री ओमदत्त भाटी : खराब थी इसलिए दी। कोई अच्छी चीज नहीं थी सडकों पर चलने वाली। 25 पर्सेन्ट ज्यादा देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

भीलवाड़ा हॉस्पिटल

694. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा हॉस्पिटल में कितने पलंग स्वीकृत हैं ?

(2) गत तीन वर्षों में आउटडोर तथा इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या कितनी रही है ?

(3) यहां पर कितने डाक्टर तथा लेडी डाक्टर स्वीकृत हैं और मौजूदा समय में कितने हैं ?

(4) जिले की बढ़ती हुई आबादी और औद्योगिक स्थिति को देखते हुए क्या भीलवाड़ा हॉस्पिटल (बी) श्रेणी में लिया जा रहा है ? यदि लिया जा रहा है, तो कब ?

उप मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) भीलवाड़ा महात्मा गांधी आरोग्य सदन व मेंटरनिटी हॉस्पिटल में स्वीकृत पलंगों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. महात्मा गांधी आरोग्य सदन, भीलवाडा में	..	45 बेड्स
2. टी. बी. बेड्स	..	20
3. ई. एस. आई. बेड्स	..	12
4. मेटरनिटी हॉस्पिटल भीलवाडा		19
योग	..	96

(2) इन तीन वर्षों में आउटडोर तथा इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या निम्न प्रकार है:—

सन्	इन्डोर	आउट डोर
1964	4033	65751
1965	5479	69243
1966	4039	56181

(3) उक्त अस्पताल में 10 चिकित्सक एवं 3 महिला चिकित्सक के स्वीकृत पद हैं तथा उनमें से 7 चिकित्सक एवं 1 महिला चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टरों के अभाव में शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति डॉक्टरों के उपलब्ध होने पर की जायगी।

(4) इस अस्पताल को (बी) श्रेणी बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वहां पर आबादी इतनी बढ़ रही है और खाटें इतनी कम हैं कि बीमार नीचे पड़े रहते हैं तो क्या आप खाटें वहां बढ़ा रहे हैं या नहीं ? अगर उसको (बी) श्रेणी में नहीं लेते हैं तो कम से कम यह तो करें।

राव श्री धीरसिंह : एकोमोडेशन जितनी है उसके मुताबिक बेड्स उपलब्ध किये गये हैं और अगर आप वहां पर कन्ट्रीब्यूशन करके और एडीशन्स करवा दें हॉस्पिटल बिल्डिंग में तो सरकार सहायता देने के लिए विचार करेगी।

प्रश्न संख्या 695

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(श्री अध्यक्ष)

जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या 375

श्री महेन्द्र सिंह !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : एक प्रश्न रह गया है धौलपुर अस्पताल वाला वह बड़ा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : समय मिल जायगा तो ले लेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह !

डी. आई. आर. के तहत केसेज

55. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में डी. आई. आर. क तहत अब तक कितने केस दर्ज किये गये हैं और किन-किन के विरुद्ध ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त डी. आई. आर. के केसेज में से कुछ कोर्ट आफ लॉ में चेलेन्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और मुख्यतया किन आधारों पर ?

(3) अब इस समय डी. आई. आर. के तहत कितने केसेज चल रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास): (1) राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत 892 मुकदमात दायर किये गये। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) 13 जिलों में डी. आई. आर. के कोई केसेज पैन्डिग नहीं हैं। जैसलमेर में 29 केसेज भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 व 25 ए के अन्तर्गत पैंडिंग हैं। शेष जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। वैसे सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों को भारत सुरक्षा अधिनियम नियमावली के प्रावधानों को बड़े संयम से काम में लाने के बारे में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें करेक्ट इन्फार्मेशन आनी चाहिये थी। एक तो मैंने यह पूछा था पहले प्रश्न में कि राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत अब तक कितने केस दर्ज किये गये हैं उसकी सूची दी है और किन किन के विरुद्ध तो उसकी सूची मुझे नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अब जो है उससे प्रश्न पूछलें।

श्री दिग्विजयसिंह : वह भी गलत है। उन्होंने बताया है कि अभी तक जैसलमेर में मुकदमे दर्ज हुए हैं 3 और पैंडिंग 29 बतलाये हैं। जब 3 ही दर्ज हुए तो 29 पैंडिंग कैसे हुए ?

(12 मध्याह्न)

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने इसको पूरा सुना नहीं। मैंने जयपुर के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने यह कहा है, फिर सुन लीजिये जवाब को।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(1) राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत 892 मुकदमात दायर किये गये। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

वह मिल गई है आपको।

नम्बर दो यह है—जी नहीं।

नम्बर तीन यह है—13 जिलों में डी. आई. आर. के कोई केसेज पैंडिंग नहीं हैं। जैसलमेर में 29 केसेज भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 व 25 ए के अन्तर्गत पैंडिंग हैं। शेष जिलों में से सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। वैसे सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों को भारत सुरक्षा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को बड़े संयम से काम में लाने के बारे में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आप यह जो फर्मा रहे हैं वह ठीक है। आपने जो सूचना दी है कि कितने केसेज डी. आई. आर. में दर्ज हुए हैं उसमें जैसलमेर जिले में 21 केसेज पैंडिंग होने का जिक्र किया है। जब कि जवाब में बताया है, जैसलमेर में 29 केसेज भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 व 25 ए के अन्तर्गत पैंडिंग हैं। इसमें 29 बताये हैं जब कि दर्ज थे 21 केसेज।

श्री अध्यक्ष : तो पूछ लीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : वही पूछ रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सूची में दर्ज है 21 और इसमें बताया है जैसलमेर में 29 केसेज भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 व 25 ए के अन्तर्गत पैंडिंग हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : यह कान्ट्रेडिक्ट्री स्टेटमेन्ट है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, गलत जानकारी दी गई है, दुबारा सही जानकारी दिलाई जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिगर्स की गलती होगी। मैं सही जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : इसके अलावा नामों की सूची नहीं दी गई है। जो आपका उत्तर है वह इन्कम्प्लीट है। मैंने पूछा है (श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने पर) एक मिनट। आपने जिलेवार सूची तो दे दी। मैंने पूछा है किन किन के विरुद्ध ? उसका जवाब नहीं दिया है। इसलिये क्वेश्चन का उत्तर पूरा नहीं दिया है तो मैं सप्लीमेन्ट्री किस पर करूं ?

श्री अध्यक्ष : किन किन के विरुद्ध है—इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किन किन के विरुद्ध है ?

श्री दिग्विजयसिंह : यही प्रश्न मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत अब तक कितने केस दर्ज किए गए हैं और किन किन के विरुद्ध हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : 892 मुकदमात हैं, इसके सूची तो काफी लम्बी होगी। यह जानकारी माननीय सदस्य को चाहिए थी तो अनस्टार्ड प्रश्न वह पूछ लेते।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। अलग से प्रश्न पूछ लें तो मैं लिस्ट बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न पूछा गया है और स्थगित प्रश्न पूछने के बाद भी मन्त्री महोदय बराबर जानकारी न करके असमंजस में रखें।

श्री अध्यक्ष : यह कहा गया है कि मन्त्री महोदय जानकारी उपलब्ध कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे वास्तव में खेद है कि मैं जवाब नहीं दे सका। जैसा मैंने बताया, राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत 892 मुकदमात दायर किये गये। अब अगर आप उनके नाम पूछना चाहते हैं तो अनस्टार्ड प्रश्न पूछ लेते। इसकी लिस्ट तो बहुत लम्बी होगी।

श्री अध्यक्ष : Postponed. May be treated as unstarred.

श्री किशनलालशाह : अध्यक्ष महोदय, 697 का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष 696.

सरकारी विभागों को दान दिये गये भवनों का कब्जा

696. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के किसी भी विभाग के लिए जब कोई भवन किसी के द्वारा भेंट किया जाता है तो पहले वह सार्वजनिक निर्माण विभागद्वारा टेक-ओवर किया जाता है और फिर सम्बन्धित विभाग के सुपुर्द किया जाता है ?

(2) पाली जिले में ऐसे कितने भवन हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत टेक ओवर तो नहीं किये गये हैं पर उन पर उन विभागों का कब्जा है और वे उनमें कार्य कर रहे हैं जिनके लिए जनता ने वे भेंट किये थे अथवा दान में दिये थे ? ऐसा कब्जा ऐसे भवनों पर कब से है ?

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भवनों को टेक ओवर करने के लिए बार बार प्रार्थना की गई है फिर भी उन्हें टेक ओवर नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि टेक ओवर करने के स्थान पर भवनों के दानदाताओं को उनकी मरम्मत कराने के नोटिस दिये जा रहे हैं जब कि वे गिफ्ट डीड रजिस्टर कराने के लिए भी बार बार प्रार्थना कर चुके हैं ?

(5) ऐसे भवनों को जिनमें सम्बन्धित सरकारी विभाग कब्जा किए हुए हैं, कब तक विधिवत टेक ओवर कर लिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) जी नहीं।

(2) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार होना नहीं पाया गया है।

(4) इस विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

(5) इस विभाग का दायित्व नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे भवन हैं जिन्हें टेक ओवर नहीं किया जा रहा है और उनकी मरम्मत के लिए नोटिस दिये जाते हैं। बस्सी का अस्पताल है और सादड़ी का जानवरों का अस्पताल

(श्री फूलचन्द बाफना)

हैं। यह दोनों अच्छी तरह याद हैं, और भी ऐसी जगहें हैं, जहां ऐसे बहुत से भवन हैं उनका उत्तरदायित्व सरकार क्यों नहीं ले रही हैं ?

श्री अध्यक्ष: क्या ऐसे बहुत से भवन हैं जो नहीं लिये जा रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं वह हैल्थ डिपार्टमेन्ट को दिये गये होंगे। उनके लिए पी. डब्ल्यू. डी. को नहीं कहा है कि वह टेक ओवर कर ले या उनकी मरम्मत कर ले। यह पी. डब्ल्यू. डी. की जानकारी में नहीं है और न डाइरेक्टली पी. डब्ल्यू. डी. एक्शन ले सकता है।

श्री फूलचन्द बाफना: सादड़ी के जानवरों के अस्पताल के लिए वहां के जिला अधिकारी ने स्वयं लिखा है सरकार को, फिर भी कुछ नहीं हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): रेडटेपिज्म और इनएफीशियेन्सी के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए यह नहीं कहेंगे कि जो व्यवस्था इस बारे में करनी है वह शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री भावनाओं को समझें !

श्री किशनलाल शाह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह यह चैरिटी का सवाल है, इसमें भला करना चाहते हैं तब भी सरकार ग्रेटीट्यूड एक्सप्रेस न करके रेडटेपिज्म, इनएफीशियेन्सी और पता नहीं क्या क्या करती है, दिल्लगाई करती है।

श्री फूलचन्द बाफना: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिलना चाहिए। जिन्होंने भवन दान दिये हैं उनको कब्जे में ले लिया है, कब्जे में सरकार के लेकिन कागजों में लेते नहीं हैं। क्या इनकी रजिस्टरी करानी है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके बारे में निवेदन है कि हर साल सैंकड़ों भवन शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों के लिए प्राइवेट डोनर्स बना कर दे देते हैं। उसके बाद में विभाग को एतराज होता है कि यह बिल्डिंग ठीक है या नहीं, अगर बिल्डिंग ठीक है तो उसको डिपार्टमेन्ट ले ले। लेकिन उन बिल्डिंग में कुछ न कुछ नुक्स होता है। जब इसकी जांच कराते हैं, एक्जामिन कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि बिल्डिंग में यह कमी है। जब तक वह कमी दुरुस्त नहीं होती तब तक कोरसपोंडेंस चलती रहती है और उसे विभाग लेते नहीं हैं। ऐसे कई प्रश्न मेरे सामने आये हैं। एक हाई स्कूल बना दिया पचास हजार रुपये लगा कर, लेकिन उसमें चूना कम लगाया और मिट्टी ज्यादा लगा दी। अगर वह बिल्डिंग बाद में गिर जाय तो बात पी. डब्ल्यू. डी. पर आती है। डोनर्स तो सस्ते में बना कर रवाना हो गये और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ने उसमें स्कूल चला दिये लेकिन बाद में यह बात आती है। यह मैंने जनरल बात आपको बताई। किसी पर्टीक्यूलर केस में क्या है वह आप पूछ सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सिविलाइज्ड गवर्नमेन्ट के नाते अगर कोई बिल्डिंग देता है तो टेक ओवर करने के पहले डिफेक्ट मालूम हो जायं तो आप टेक ओवर करें। आप

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)
टेक ओवर करते हैं और कमिट करते हैं उसके बेसिस पर और बाद में कहते हैं कि इसमें यह डिफेक्ट है। यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री फूलचन्द बाफना: सादडी का जानवरों का अस्पताल तो आपके ओवरसियर की देख रेख में बना है और उसे दानदाता ने बनवाया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर्टीक्यूलर केस को देख लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : जो रूल्स बने हैं, उसमें है कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की देख रेख में बनी है उसको ले लेंगे। फाउन्डेशन लेवल पर, प्लिन्थ लेवल पर और रूफ लेवल पर अगर ओवरसियर की रिपोर्ट है तो उसको ले लेंगे। अगर किसी बिल्डिंग को बनाते वक्त हमको पूछे नहीं और वैसे ही बना कर खड़ी कर दें तो उसमें बाद में दिक्कत आती है। अगर कोई बिल्डिंग पी. डब्ल्यू. डी. के सुपरवीजन में बनती है तो उसके सुपरवीजन के पन्द्रह पर्सेन्ट चार्जेज हम ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं, इसमें और कोई सवाल नहीं है, अगर बिल्डिंग में कमी रहेगी तो उसको हम तब तक नहीं लेंगे जब तक वह कमी रहेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : इसमें पांच-पांच, छः छः साल से विभाग चल रहे हैं और बाकायदा काम में ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल शाह !

प्रश्न संख्या 697

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय!

श्री अध्यक्ष : स्थगित ! श्री मुकुट बिहारी लाल !

धौलपुर के अस्पताल का एकीकरण

698. **श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल** (बयाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर स्थित सदर हॉस्पिटल और श्री केसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल में कितनी रोगी-शैय्याओं की व्यवस्था है ?

(ख) क्या यह सच है कि मत्स्य के राजस्थान में विलीनीकरण के काफी पश्चात् तक दोनों हॉस्पिटल का एकीकरण था ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः एकीकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान के तृतीय राष्ट्रीय मार्ग पर यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ?

(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि आगरा तथा ग्वालियर के मध्य चम्बल का खतरनाक रास्ता होने के कारण अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं ? इसलिये धौलपुर हॉस्पिटल के ग्रेड को बढ़ाया जावे ?

(ङ) क्या भू.पू. स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने दौरों के समय लिखा है कि उक्त दोनों अस्पतालों का एकीकरण किया जावे तथा इसका ग्रेड भी बढ़ाया जावे ?

उप मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) धौलपुर स्थित सदर अस्पताल और

(राव श्री धीरसिंह)
श्री केसर महारानी मेमोरियल अस्पताल में क्रमशः 90 एवं 60 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है।

(2) जी हां। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): 3 नहीं। क, ख, ग है।

श्री अध्यक्ष : क,ख,ग

राव श्री धीरसिंह : मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकिशन (वैर): कहां से, किस जगह से विचाराधीन है? कौनसा नम्बर है?

राव श्री धीरसिंह : क,ख, ग के बाद घ है–मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस अस्पताल को अपग्रेड करके बी. श्रेणी में करने का आश्वासन दिया है?

राव श्री धीरसिंह : यह आश्वासन मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : विचाराधीन तो है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था?

राव श्री धीरसिंह : आश्वासन कैटेगोरिकल दिया गया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन का आश्वासन है।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : क्या यह सच है कि ये दोनों अस्पताल एक ही प्रेमिसेज में बने हुए हैं और उनके बीच में केवल एक 20 फुट की सड़क का रास्ता है?

राव श्री धीरसिंह : ऐसी स्थिति है तभी तो विचार किया जा रहा है, दूर दूर होते तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामकिशन : इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्रीजी को देने दें, आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपने कहा कि जानकारी नहीं है, श्री कृष्णा मैनन सुरक्षा मंत्री थे तो इसी अस्पताल में रहे थे, यहां एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। यह इम्पोर्टेन्ट अस्पताल है, स्वास्थ्य मंत्रीजी बता दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) जब सरकार की फाइनेन्शियल पोजिशन अच्छी हो जायगी तो इसे अपग्रेड कर दिया जायगा।

श्री रामकिशन : राजाखेड़ा का चुनाव हुआ था तो आपने कहा था कि इसे एक कर दिया जायगा:

श्री दामोदर लाल व्यास: यह गलत बात है, चुनाव के समय में मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): कह भी सकते हैं...

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : सरकार की आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो जायगी?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री मदनसिंह!

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इन दोनों अस्पतालों का कन्ट्रोल एक के नीचे कब आ जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बी. क्लास अस्पताल डिक्लेअर किया जायगा तब ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : कब तक बी क्लास डिक्लेअर किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या ये दोनों अस्पताल एक अस्पताल में परिणत करने योग्य नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हैं।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : तत्पश्चात् अस्पताल की भौगोलिक स्थिति को उनमें जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों के अनुसार क्या यह एक ऐसा केस नहीं है कि इसे ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक सरकार की फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक नहीं होगी तब तक किसी अस्पताल को अपग्रेड करने का सवाल नहीं है । दोनों अस्पतालों को एक करने का मतलब है कि फाइनेन्शियल बरडन स्टेट गवर्नमेन्ट पर आता है । इसे बी. ग्रेड में अपग्रेड करने का सरकार ने निश्चय किया है पर किया तभी जायगा जब कि फाइनेन्शियल कन्डिशन अच्छी होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सरकार की आर्थिक अवस्था ठीक हो जायेगी, इस बात का क्या क्राइटेरिया है, कोई आधार बता दीजिये कि सरकार की इतनी आय हो जायगी इतना कर और बढ़ा दिया जायगा, इतना बजट हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं करना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 699 श्री मदनसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम सुलानिया ।

उपस्थिति कम होने पर परीक्षा से रोके गये छात्र

700. **लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर में कर्फ्यू के कारण इस वर्ष 1967 की परीक्षा के लिये जयपुर नगरपालिका सीमा में स्थित जिन स्कूलों और कालेजों के छात्रों की उपस्थिति कम रही थी और जिन्हें उपस्थिति कम रहने के कारण परीक्षा देने से रोका गया था उनकी संख्या कितनी है ।

(ख) कितने छात्र कोर्ट से आज्ञा प्राप्त करके परीक्षा में बैठे ?

(ग) क्या यह सही है कि जिन उक्त छात्रों ने परीक्षा दी है उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो कब घोषित किया गया ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (क) जयपुर नगरपालिका की सीमा, में स्थित स्कूल और कालेजों के किसी छात्र को कर्फ्यू के कारण अनुपस्थित रहने की

(उप मंत्री, शिक्षा)
वजह से वर्ष 1967 की परीक्षा में बैठने से नहीं रोका गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलानिया : सैकड़ों छात्रों को अनुपस्थिति के कारण परीक्षाओं में बैठने से रोका गया, लोग कोर्ट में जाकर स्टे लेकर आये और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि किसी को नहीं रोका गया।

राव श्री धीरसिंह : केवल एक केस अदालत में गया था सज्जनसिंह का दरबार स्कूल का, उसकी उपस्थिति 61.72 परसेंट थी, इसलिये उसे नहीं बैठने दिया गया।

श्री लादूराम सुलानिया : इसके अलावा ?

राव श्री धीरसिंह : इसके अलावा और कोई कोर्ट में नहीं गया, माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स रखेंगे तो उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नसंख्या 701।

जयपुर रीजनल ट्रांसपोर्ट आथोरिटी द्वारा बसों के परमिट

701. **श्री रामकिशन (बैर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी ने सन् 1964 से सन् 1967 तक कुल कितनी बसों के परमिट बगैर ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी की मीटिंग बुलाये केवल सरक्यूलेशन से प्रदान किये है ?

(2) उक्त परमिटों में से किस तारीख को किस मार्ग पर किसको परमिट दिया गया ? सूचि सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या इस प्रकार परमिट प्रदान करना नियम संगत है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों ने जिन्हें परमिट दिये गये हैं स्वय बसें नहीं चला रहे है और परमिट बेच दिये हैं ? अगर हां, तो सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) कुल 15 बसों के परमिट प्रदान किये हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। यातायात विभाग के रेकार्ड के अनुसार गाड़ियां परमिट प्राप्त करने वाले ही चला रहे हैं अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामकिशन : जो सूची दी है, आपका विभाग काफी चतुर है, केवल नाम दे दिये हैं, चन्द्रकान्ता, शारद देवी, इससे यह पता नहीं लगता कि किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है। और इससे हमनें जिस मंशा से यह प्रश्न पूछा है, वह मंशा ही पूरी नहीं होती, परमिट गलत ढंग से दिये जाते हैं, यह प्रश्न पूछने की

(श्री रामकिशन)
मंशा है। इसके लिये तो मैं कहूंगा कि आप अपने महकमे को ठीक कीजिये।

दूसरे आपने कहा कि रोटेशन से परमिट देने का नियम है, तो आप बताइें कि किस तरह से नियम है, कौनसा नियम है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सूची सही तरीके से पहुंचा दी जायगी। कितनी बसों को परमिट दिये यह तो बता दिया गया है।

श्री रामकिशन : रोटेशन से परमिट देने का अधिकार है, वह किस तरह है ? कौनसा रूल है ? यह देखिये प्रश्न में पूछा गया है कि क्या इस प्रकार परमिट प्रदान करना नियम संगत है ? आपने उत्तर दिया है, जी हां। कौनसे नियम और कौनसे हालात में परमिट रोटेशन से दे सकते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इस हालत में दे सकते हैं कि बिना मीटिंग काल किये इजाजत ले सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि रूल्स के अन्दर इस प्रकार सर्कूलेशन के जरिये परमिट देने का कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा है कि है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : है तो बताइये कौनसा रूल है ? कोई रूल नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई रूल नहीं है तो मैं जरूर मालूम करूंगा और आपको बताऊंगा। मेरी मालूमात है कि नियम है।

श्री रामकिशन : नियमों में साफ लिखा है कि किस सूरत में दिया जायगा, मैं सूरत जानना चाहता हूं। रूट को पब्लिश नहीं किया गया, रूट पर परमिट देते वक्त क्या पब्लिश किया है ? अचानक एक एक आदमी को कैसे परमिट दिया ? इसमें बड़ा स्कैन्डल है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप इसमें मेरी मदद करेंगे तो अच्छी बात है, मैं अच्छी तरह जांच करा लूंगा और आयन्दा के लिये अच्छी बात हो जायगी।

श्री रामकिशन : मदद तो हो गई, इस तरह परमिट दिये हैं चालू रूट पर रोडवेज के रूट पर परमिट नहीं दिये जाते पर भूसावर का परमिट कैसे दिया ?

श्री अध्यक्ष : इस सारे मामले में मन्त्री महोदय आपकी इमदाद से छानबीन करने के लिये तैयार हैं।

श्री रामकिशन : छानबीन क्या यह तो साफ है....

श्री अध्यक्ष : इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : साबित हो जायगा तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : साबित हो जायगा तो क्या कोई छूट सकेगा क्या ?

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मदनसिंह दांता (दातारामगढ़) : मदद का कहा, 5 मिनिट भी तो नहीं देते, समय दे कर बात कीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे देते, व्यवस्था का सवाल है····

श्री अध्यक्ष : कापियों वगैरह की शिकायत आती है कि धुंधली आती है, यह नहीं होना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह नहीं है, मेरा व्यवस्था का सवाल है···

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ताजिये का जलूस

680. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या थानेदार खण्डार ने 21 फरवरी, 67 की रात, को ग्राम छाण (थाना खण्डार) में ताजियों का जलूस लाइसेंस द्वारा अधिकृत मार्ग के बजाय एक माली के नोहरे की खास दीवारों को तोड़ कर नोहरे के बीचों बीच होकर निकलवाया ?

(2) क्या उक्त थानेदार के खिलाफ इस विषय की कोई शिकायत एस. पी. को की गई ?

(3) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-4-67 को यह शिकायत पेश हुई कि माधिया माली के नोहरे की दीवार तोड़ कर ताजिये अनधिकृत मार्ग से निकाले गये। इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद ही सच्चाई का मालूम होगा।

(2) जी हां।

(3) एस. एच. ओ. खण्डार को फौरन पुलिस लाइन में हाजिर होने के आदेश दिये और उसके खिलाफ जांच करने के आदेश दिये। जो अभी चल रही है।

जयपुर में हाई कोर्ट बैंच

695. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) :

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाई कोर्ट बैंच जयपुर में खोले जाने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(2) यदि उक्त बैंच जयपुर में खोले जाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है तो राज्य सरकार का राजस्थान के पूर्ववर्ती क्षेत्रों को सस्ता न्याय दिलाये जाने के लिए क्या विकल्प है ?

उत्तर

(उत्तर सरकार को प्राप्त नहीं हुआ)

सी. एम. ओ. सिरोही का रिक्त स्थान

699. **श्री मदनसिंह** (सिरोही) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिरोही जिले में सी. एम. ओ. की पोस्ट कब से खाली है, और क्यों ?

उत्तर

डा. वैशम्पायन सी. एम. ओ. सिरोही की पदोन्नति डी. एम. एन्ड एच. ओ. के पद पर दिनांक 18-10-66 से हो जाने पर सी. एम. ओ. का पद रिक्त हो गया था जिसकी नियुक्ति के लिये डा. जी. डी. नागर के आदेश इस निदेशालय के क्रमांक

Page No. 38

(चिकित्सा मंत्री)

दिनांक 17-6-1967 को हो चुके हैं। जोइनिंग रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

स्थगित प्रश्न

(9-6-67)

ग्राम ढींपरी, जिला कोटा में डाकुओं द्वारा चोरी एवं उनकी गिरफ्तारी

375. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के पुलिस स्टेशन खातोली सर्किल के ग्राम ढींपरी में दिनांक 22-12-66 को चोरी हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी के तत्काल बाद पुलिस को सूचना दे दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ दिनों बाद ही तीन डाकुओं को नीमोला के राजपूत व चानदा के कुछ जिम्मेदार आदमियों की मदद से पुलिस ने पकड़ा ? यदि हां, तो क्या क्या सामान बरामद हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ डाकुओं को जो उस समय फरार हो गये थे गिरफ्तार करने हेतु पुलिस ने कुछ दिनों बाद एक स्थान पर छापा मारा ?

(5) क्या यह सही है कि वहां पर डाकुओं और पुलिस में मुकाबला हुआ जिसमें डाकुओं द्वारा पुलिस के एक सिपाही के हाथ में चोट पहुंचाई गई और डाकू भाग गये ?

(6) क्या यह भी सही है कि उन पकड़े हुए डाकुओं को भी छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में हुई चोरियां

126. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 1962 से मार्च, 1967 तक कितनी चोरियां हुई हैं ? उन चोरियों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है ?

(2) उपरोक्त चोरियों में कितनी चोरियां बरामद की गई हैं और कितनी बरामद करने में असफलता रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने कोई विशेष कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में 1962 से मार्च, 1967 तक 65142 चोरियां हुई। इनमें 18 जानें तथा 3,11,81,635.87 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

(2) उपरोक्त 65,142 चोरियों में से 21,484 चोरी की घटनाएं झूठी पाई गईं तथा 11,558 चोरियां बरामद की गईं और 32,100 चोरियां बरामद करने में असफलता रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चोरियों को रोकने के लिये माकूल

(गृह मंत्री)
गस्त का इन्तजाम व बदमाशान और आवारागर्दों का वक्त पर चैकिंग करने का इन्तजाम है।

(कृपया परिशिष्ट सं. 5 देखिये)

बारां, अन्ता आदि क्षेत्रों में चोरी डकैती व अपहरण आदि के केसेज

127. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां, अन्ता, मांगरोल एवं सीसवाली पुलिस थाना क्षेत्रों में गत सन् 62 से लेकर 24 मई, 67 तक किस किस गांव में कितने कितने रुपयों की चोरियां व डकैतियां, हत्याएं व अपहरण हुए ? प्रति वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन क्षेत्रों में हुई चोरी व डकैती का माल मय अपराधी के प्रति वर्ष कितने पकड़े जा सके और कितनी चोरियां बरामद नहीं हो सकीं ?

(3) इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष सन् 62 से 67 तक की गई हत्याओं व किए गए अपहरण काण्ड के मामलों में से कितनी हत्याओं के मामले व कितने अपहरण काण्डों के मामले पकड़े जा सके ?

उत्तर

(1) बारां, अन्ता, मांगरोल एवं सीसवाली पुलिस थाना क्षेत्रों में गत सन् 62 से लेकर 24 मई, 67 तक चोरी 214, डकैती 4, हत्याएं 14 और अपहरण 21 अभियोग हुए उनकी नियमानुसार प्रतिवर्ष के अपराधों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चोरी के 109 अभियोगों में माल सहित अपराधी पकड़े गये। 105 चोरियों के अभियोगों में बरामदगी नहीं हो सकी। उनकी प्रति वर्ष की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सन् 62 से 67 तक हत्या 14, अपहरण काण्ड 21 की घटनाएं तथा उनमें से हत्या के 13, अपहरण के 10 मामले पकड़े गये। प्रति वर्ष की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई हैं)

धौलपुर क्षेत्र में एक्सीडेन्ट से मरने वालों की संख्या

126. **श्री मुकुट बिहारीलाल** (बयाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के थानों में जनवरी 67 तथा फरवरी 67 में कितने लोग एक्सीडेन्ट से मरे ?

(ख) जो लोग एक्सीडेन्ट से मरे उसमें मोटर तथा ट्रेक्टर से मरने वाले कितने हैं और कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें :

(ग) उक्त एक्सीडेन्ट जिन लोगों ने किये उन लोगों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? कितने केस अदालत में विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(क) दो आदमी एक्सीडेन्ट से मरे।

Page No. 40

(गृह मंत्री)

रमजी पुत्र पतेंदा फकीर साकिन नहीम थाना सैय , जिला आगर जीप से मरा। मुसम्मात किशन देई जोजे नाथी सा. सतवास ट्रैक्टर से मरी।

जीप से एक्सीडेन्ट करने वाले हरीसिंह पुत्र यसमत कोली ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली धौलपुर में मुकदमा नं. 8 तारीख 22-1-67 जुर्म और दफा 304 ए. भा. दं. सं. कायम किया जाकर तारीख 3-4-67 को मुलजिम मजकूर का चालान अदालत में पेश किया गया जो जेर तजवीज अदालत है।

ट्रैक्टर से एक्सीडेन्ट करने वाला रामभरोसे पुत्र मोहन सिंह ब्राह्मण सतवास के जिला थाना कोला से में मुकदमा नं. 15 तारीख 1-2-67 को व जुर्म जेर दफा 104 ए. भा. द. सं. में कायम किया जाकर तफतीश हुई और मुलजिम मजकूरा के खिलाफ तारीख 1-2-67 को चालान अदालत में पेश किया गया। जो जेर तजबीज अदालत है।

धौलपुर उप जिले में डाके, चोरी व कत्ल के केसेज

129. **श्री मुकुट बिहारी लाल (बयाना)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर उप जिले के थानों में गत तीन वर्ष के अन्दर दर्ज घटनाओं में से डाके तथा चोरी व कत्ल के कितने केसों का पता चला और कितने ऐसे केस हैं जिनका पता अभी तक नहीं चल सका है ?

(ख) जिन केसों का पता चला उनमें से कितने केस अदालत में चालान किये गये और उनमें से कितनों में सफलता प्राप्त की है ?

उत्तर

(क) सर्कल धौलपुर में गत तीन वर्षों में डकैतियों चोरी और कत्ल का निम्न हाल रहा:-

सन्	दर्ज हुए	चालान हुए	अदम पता वगैरा में रहे	ट्रायल का नतीजा		
				सजा	रिहा	ट्रायल है
1	2	3	4	5	6	7
डकैतियां						
1964	5	3	2	..	..	3
1965	7	2	5	..	..	2
1966	7	2	5	..	..	2
कत्ल						
1964	8	6	2	..	..	..
1965	9	6	3	..	..	..
1966	5	2	3	..	..	..

(गृह मंत्री)

क 1	2	3	4	5	6	7
नकबजनी						
1964	82	20	62	6	3	11
1965	65	16	49	2	5	9
1966	71	17	54	2	..	15
चोरियां						
1964	82	31	51	13	5	13
1965	50	24	26	8	3	13
1966	115	41	74	7	..	34

(ख) इसका उल्लेख भाग 1 के चार्ट में किया गया है।

धौलपुर नगर में मार्च, 1967 में हुई चोरियां

130. **श्री मुकुट बिहारीलाल** (बयःभा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर नगर में दिनांक 20, 21, 22 मार्च, 1967 को कितनी चोरियां और किस किस के यहां हुई तथा कितने मूल्य की वस्तुएं चोरी हुई ?

(ख) उक्त चोरियां किस थाना क्षेत्र में हुई तथा वहां कौन थानेदार और कब से है ?

उत्तर

(क) तारीख 20-3-67 को कोई चोरी नहीं हुई।

तारीख	नाम जिसके यहां चोरी हुई	माल चोरी गई	नाम थाना
21-3-67 व 22-3-67 की दरमियानी रात	श्री हुक्मसिंह वल्द श्री अर्जुन सिंह जाट	200) रु. माल बर्तन आटा	26।67 धारा 457।380 धौलपुर
22-3-67 व 23-3-67 की दरमियानी रात	श्री विशम्बर नाथ वल्द रामचरन वैश्य सा. शहर धौलपुर	36000)रु.	28।67 धारा 457।380 धौलपुर

(ख) यह चोरियां कोतवाली धौलपुर के क्षेत्र में हुई है और श्री टीकाराम एस. एच. ओ. के समय में हुई जो ता. 17-11-66 से तैनात थे। अब उनका तबादला पुलिस लाईन भरतपुर में होने से ता. 17-6-67 से चार्ज दे दिया और अब श्री मदन मोहन पारीक उनके बजाय काम कर रहे हैं।

चोरी व फरारी के केसेज–जिला टोंक

131. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले के कौन से पुलिस थानों व पुलिस चौकियों के क्षेत्रों में गत एक साल में कितनी चोरियां व फरारी के केस दर्ज हुए ?

(2) उनमें से कितनी बरामदगी हुई और कितनी बाकी हैं ?

(3) कितने केसों का चालान अदालत में किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में गत एक साल में चोरी की 368 व फरारी की 34 घटनाओं पर केस दर्ज हुए। थानों तथा चौकी को जिनमें उक्त घटनाएं हुईं सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) चोरी की 368 घटनाओं में से 27 घटनाओं में 53928.12 पैसे की धनराशि का माल बरामद हुआ तथा 62 चोरी की घटनाएं पुलिस के पास अनुसंधान में विचाराधीन हैं। 219 चोरी की घटनाओं में 56635.55 पैसे की धनराशि का माल बरामद नहीं हो सका।

(3) फरारी की 34 घटनाओं में से 4 घटनाओं का चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया और 15 मुकदमें झूठे पाये गये। 10 मुकदमें पुलिस के पास अनुसंधान में विचाराधीन हैं। चोरी की 87 घटनाओं में चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा-पुस्तकालय में रख दी गई है।)

जिला भरतपुर में डकैती व अपहरण की वारदातें

132. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई सन् 1966 से अब तक भरतपुर जिले में डकैती व डकैतों द्वारा अपहरण की वारदातों में काफी वृद्धि हुई है ?

(2) उक्त अवधि में कितनी डकैतियाँ एवं डकैतों द्वारा अपहरण की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

(3) उपरोक्त घटनाओं में से पुलिस कितने केसों में बरामदगी करने एवं डकैतों को पकड़ने में कामयाब हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त प्रकार की घटनायें भरतपुर जिले के धौलपुर उप जिले को छोड़ कर शेष भाग में पिछले 3 साल में सर्वाधिक हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह बात गलत है कि मई सन् 66 से लगायत जून, 67 तक डकैती व अपहरण की वारदातों में काफी वृद्धि हुई है।

(2) उक्त अवधि में डकैती व अपहरण की 18 वारदातें हुई हैं।

Page No. 43

(गृह मन्त्री)

(3) बरामदगी में कोई सफलता बावजूद प्रयास प्राप्त नहीं हुई किन्तु 17 डकैत गिरफ्तार किये जा सके।

(4) जी नहीं, अगर भरतपुर के धौलपुर सब-डिवीजन के डकैती एवं अपहरण के मुकदमों की संख्या भरतपुर के जिले के तमाम मुकदमों में से निकाल दिया जाय तो तमाम डकैतियां 9 रहती हैं और अगर इसकी तुलना दूसरे जिले गंगानगर, सवाईमाधोपुर, कोटा, जालौर, बाडमेर की डकैतियों की संख्या से की जावे तो भरतपुर जिले की डकैतियां कोटा व जालौर के बराबर हैं और गंगानगर की डकैतियां भरतपुर से ज्यादा हैं। बाडमेर की डकैतियां कम हैं। इस प्रकार उपरोक्त संख्या को देखते हुए यह कहना कतई गलत है कि भरतपुर के अन्दर ज्यादा वारदातें हुई हैं।

किराया नियंत्रण कानून

133 श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झुंझनूं जिले के किस किस कस्बे में किराया नियंत्रण कानून लागू है ?

(2) क्या पिलानी कस्बा इससे वंचित है ?

(3) अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या जिलाधीश झुंझुनू ने पिलानी कस्बे को भी इस व्यवस्था में शामिल किए जाने की सिफारिश की है ?

(5) अगर हां, तो राज्य सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) झुंझनू जिले के निम्न कस्बे में किराया नियंत्रण कानून लागू है :-

(1) झुंझुनू (2) बगड़ (3) नवलगढ़ (4) चिड़ावा (5) खेतड़ी (6) सीघाना (7) पिलानी

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी हां। सिफारिश की गई थी।

(5) पिलानी कस्बे में रेन्ट कंट्रोल अधिनियम लागू करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जनाना अस्पताल सादड़ी में महिला डा. की व्यवस्था

134. श्री फूलचन्द बापना (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जनाना अस्पताल, सादड़ी (जिला पाली) में कितने बेड्स की व्यवस्था है और उसके अनुसार अस्पताल में कितने व किस योग्यता के डाक्टर, लेडी डाक्टर व अन्य कर्मचारी होने चाहिए ?

(ख) जनाना अस्पताल सादड़ी (जिला पाली) में महिला डाक्टर कितने वर्षों से नहीं है और किस कारण से ?

(ग) जनाना अस्पताल सादड़ी (जिला पाली) कब से प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ से अब तक के कुल कितने वर्षों में कुल मिलाकर कितने कितने समय महिला डाक्टर रहे ?

(घ) जनाना अस्पताल, सादड़ी (जिला पाली) में अब महिला डाक्टर को कब भेजा जायगा ?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(क) जनाना अस्पताल सादड़ी (जिला पाली) में 16 बेड्स उपलब्ध हैं। जिस में निम्नलिखित कर्मचारी स्वीकृत कार्य कर रहे हैं:—

स्वीकृत पद		मौजूदा पद
1 महिला चिकित्सक ..	1	1
2 कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय	1	1
3 मिडवाइफ ..	1	1
4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4

(ख) उक्त अस्पताल में महिला डाक्टर दिनांक 20-2-66 से नहीं हैं क्योंकि राज्य में महिला डाक्टरों का अभाव है।

(ग) यह अस्पताल दिनांक 25-6-53 से प्रारंभ हुआ था उस समय से अब तक जो महिला रही हैं उसका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

1. डा. माया चोधरी जून 53 से 10-5-59
2. डा. एस. बेला 11-5-56 से 1-7-58
3. डा. माया चोधरी 4-7-58 से 3-8-60
4. रिक्त स्थान रहा 4-8-60 से 19-9-62
5. डा. एन. आर. पुरोहित 20-9-62 से 25-10-62
6. स्थान रिक्त रहा 26-10-62 से 7-7-64
7. डा. एल. साहनी 8-7-64 से 19-2-66
8. स्थान रिक्त रहा 20-2-66 से 19-2-66

(घ) राज्य में महिला डाक्टरों के अभाव से स्थान रिक्त है महिला डाक्टर उपलब्ध होते ही नियुक्त कर दी जायेगी।

छबड़ा में जच्चाखाना खोले जाने की व्यवस्था

135. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छबड़ा ग्राम में जच्चाखाना बनवाने हेतु जनता ने धनराशि एकत्रित करके राज्य कोष में जमा करादी है? अगर हां, तो कब व कितनी?

(2) क्या सरकार छबड़ा में जच्चाखाना खोलने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना छबड़ा में जच्चाखाना खोलने की नहीं है।

महिला चिकित्सालय, सादड़ी

136. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली में ग्रामवासियों ने एक महिला चिकित्सालय निर्मित करवाया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय महिला डाक्टर के अभाव में काफी अर्से से बन्द पड़ा हुआ है?

(3) उक्त चिकित्सालय में सरकार किसी डाक्टर को भेजने का विचार कर रही है?

(चिकित्सा मन्त्री)

(4) अगर हां, तो डाक्टर कब तक पहुंच जावेगी ?

उत्तर

(1) श्री दीपचन्द सूरजमल जी निवासी सादड़ी ने सन् 1953 में रु.15000) धनराशि की लागत का एक अस्पताल भवन बनवाया था।

(2) जी नहीं। इस समय लैडी डाक्टर की पोस्ट रिक्त है परन्तु यहां एक मिडवाइफ व एक कम्पाउन्डर तथा 4 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं महिला रोगियों की चिकित्सा सुविधा मेल अस्पताल सादड़ी में उपलब्ध है।

(3) राज्य में महिला डाक्टरों का अभाव होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

(4) महिला डाक्टर की उपलब्धि होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

ग्राम डोंडा सब-सेन्टर पर कम्पाउन्डर भेजने की व्यवस्था

137. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डोंडा सब-सेन्टर (प्रा. चि. केन्द्र, असनावर) पर करीब एक साल से कोई कम्पाउन्डर (ए. एच. डब्लू.) नहीं है ?

(2) अगर कम्पाउन्डर नहीं है तो क्यों और कब तक भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

श्री बी. एन. सक्सेना (ए. एच. डब्लू.) डोंडा सेन्टर पर 4 वर्ष से कार्य कर रहा था दिनांक 1-7-66 से यह कर्मचारी गैर हाजिर है। इस स्थान पर एक अन्य ए. एच. डब्लू. का पोस्टिंग शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

झालरापाटन की डिस्पेन्सरी में एक वार्ड बनाने की प्रार्थना पर की गई कार्यवाही

138. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालरापाटन की डिस्पेन्सरी में एक वार्ड बनाकर देने का प्रार्थना पत्र श्री हजारी लालजी मेहता द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो कब? इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और देरी की वजह क्या है?

उत्तर

जी हां। श्री हजारी लाल मेहता द्वारा एक वार्ड झालरापाटन डिस्पेन्सरी में दान द्वारा निर्माण करने का प्रस्ताव किया था।

यह प्रस्ताव इस संचालनालय में 4-9-65 को प्राप्त हुआ था।

इस प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्र संख्या 705/प्लान/डोन/67, दिनांक 20-4-67 के द्वारा वार्ड का निर्माण दान द्वारा करने के लिये स्वीकार किया गया है इसके लिये साइट प्लान व ब्ल्यू प्रिन्ट पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा मांगी गई थी और इस सम्बन्ध में पत्र लिखे गये साइट प्लान व ब्ल्यू प्रिन्ट 15-12-66 को उपलब्ध हुए इस विषय में कुछ जानकारी जिला चिकित्सा

Page No. 46

(चिकित्सा मन्त्री)

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ से मांगी गई और इस दान की स्वीकृति 20-4-67 को दे दी गई है।

बारां अस्पताल की एक्स-रे मशीन

139. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां अस्पताल में एक्स-रे मशीन कब से खराब पड़ी हुई है और किन कारणों से खराब पड़ी है? मशीन कब तक ठीक हो जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में एक्स-रे मशीन विशेषज्ञ कोई डाक्टर नहीं है और न ही कोई कम्पाउन्डर मौजूद है? यदि हां, तो कब तक इन दो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जावेगी?

उत्तर

(1) बारां अस्पताल की मशीन माह अक्टूबर, 66 से खराब पडी है इस मशीन को कम्पनी के (Electro technician) ने दिनांक 5-4-67 को देखा है और इस को बेकाम बतलाया है। जैसा कि मेडिकल आफिसर ने पूछने पर अपने टेलीग्राम दिनांक 3-7-67 में बतलाया है।

इस को जांच कर उचित कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जायेगी।

यहां कोई एक्स-रे विशेषज्ञ, डाक्टर और कम्पाउन्डर का पद स्वीकृत नहीं है। इसमें एक एक्स-रे मशीन टेक्निशियन की पोस्ट खाली पड़ी हुई है ज्यों ही उपलब्ध होगा लगा दिया जावेगा।

बारां अस्पताल में महिला डाक्टर का अभाव

140. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां अस्पताल में गत दो वर्षों में कुल कितने डिलीवरी केसेज आए और उनमें कितने सफल हुए और कितने बच्चे डिलीवरी होते ही मर गये?

(2) अस्पताल में डिलिवरी केसेज की कौन डाक्टर देखभाल करता है?

(3) क्या बारां अस्पताल में महिला डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो कितने समय से नहीं है? और अब कब तक महिला डाक्टर पहुंच जावेगी?

उत्तर

(1) बारां अस्पताल में गत दो वर्षों में 505 डिलीवरी के केसेज आये जिनमें 2 असफल रहे हैं एवं 28 बच्चे मरे हुए तथा 34 प्रिमेच्योर होने से मरे।

(2) डिलीवरी केसेज को सभी डाक्टर समय समय पर देखते रहते हैं।

(3) जी हां। सन् 1957 से नहीं है क्योंकि राज्य में महिला डाक्टरों का अभाव है उपलब्ध होते ही शीघ्र प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

कोटा जिले की प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एवं डिस्पेन्सरीज में डाक्टरों का अभाव

141. श्री **देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(क) कोटा जिले में किस किस स्थान पर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर एवं डिस्पेन्सरीज हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि कोटा जिले के बामला, बमोरी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर एवं केलवाड़ा, शाहबाद आदि स्थानों की डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स मौजूद नहीं हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एवं किस-किस डिस्पेन्सरीज पर कितने-कितने समय से डाक्टर मौजूद नहीं हैं ?

(ग) जिन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर एवं डिस्पेन्सरीज पर डाक्टर्स नहीं हैं उन स्थानों पर कब तक डाक्टर पहुंच जावेंगे ?

उत्तर

(क) कोटा जिले के प्राथमिक हैल्थ सेन्टर एवं डिस्पेन्सरी की सूची संलग्न है।

(डिस्पेन्सरी) डाक्टर एस. एन. चक्रवर्ती कार्य कर रहे हैं शेष जगह पर डाक्टर नहीं हैं। और प्रथम ग्रेड कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं।

केकवाड़ा प्रा. हैल्थ सेन्टर में डाक्टर एस. बोहरा की नियुक्ति के आदेश इस निर्देशालय के क्रमांक ई.।सो। ए। 1 ए. ओ.। 284 दिनांक 6-7-67 को किये जा चुके हैं, जो शीघ्र ही कार्य भार संभाल लेंगे।

जिन प्रा. हैल्थ सेन्टर एवं डिस्पेन्सरी में जिस समय से डाक्टर कार्य नहीं कर रहे वह सूची संलग्न है।

(ग) राज्य में डाक्टरों का अभाव है ज्यों ही उपलब्ध हो जायेगा नियुक्ति कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

श्रीमती दुर्गादेवी हास्पिटल, चिड़ावा

142. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या श्रीमती दुर्गादेवी हॉस्पिटल, चिड़ावा (जिला झुंझुनू) में किसी डाक्टर की नियुक्ति की हुई है ?

(ख) यह नियुक्ति किस तारीख को हुई और यह स्थाई थी या अस्थाई ?

(ग) क्या इतने लम्बे समय तक एक डाक्टर अस्थाई तौर पर रहने से हास्पिटल की व्यवस्था को हानि पहुंचती है ?

(घ) इस नियुक्ति को अब तक अस्थाई रखने का क्या अभिप्राय है ?

(ङ) क्या सरकार अब इस नियुक्ति को स्थाई करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। श्रीमती दुर्गादेवी अस्पताल चिड़ावा में दो चिकित्सक इस समय कार्य कर रहे हैं एक डिस्पेन्सरी में दूसरा परिवार नियोजन में स्टरलाइजेशन स्कीम में।

यह दोनो नियुक्तियां दिनांक 1-6-67 से हैं और स्थाई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह नियुक्तियां स्थाई होती हैं जब तक कि डाक्टर का स्थानान्तरण न हो जाय।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर और जालोर में महिला डाक्टर भेजने की व्यवस्था

143. श्रीमती मदन कौर (पदपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाडमेर जालोर के मेडिकल डायरैक्टोरेट क्षेत्र में एक भी लेडी डाक्टर नहीं हैं? यदि हां, तो वहां लेडी डाक्टर को भेजने की राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

जालोर में लेडी डाक्टर जानकी देवी बालिया दिनांक 31-3-67 से कार्य कर रही हैं। राज्य में लेडी डाक्टरों के अभाव के कारण बाडमेर में नहीं भेजी गई है लेडी डाक्टर के उपलब्ध होते ही भेज दी जावेगी।

ग्राम दुगारी (नैनवा) का सब-हैल्थ सेन्टर

144. श्री केशरीसिंह (हिन्डौली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की तहसील नैनवा के ग्राम दुगारी में क्या कोई सब-हैल्थ सेन्टर है? यदि हां, तो यह कब स्थापित हुआ?

(2) इस सब-हैल्थ सेन्टर के लिये कितना स्टाफ सरकार द्वारा मंजूर है और मौजूदा स्टाफ में कौन कौन हैं?

(3) इसके लिये सालाना दवाइयों का इन्डेन्ट क्या दिया जाता रहा है और उसके मुकाबले कितनी दवाइयां दी जाती हैं?

उत्तर

(1) जी हां, जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम दुगारी में प्राथमिक हैल्थ सेन्टर देई के अन्तर्गत एक सब-सेन्टर स्थित है जो दिनांक 19-6-65 से प्रारंभ हुआ है।

(2) इस सब सेन्टर दुगारी के लिये एक मिडवाइफ व एक वार्ड मेट (चतुर्थ श्रेणी) की स्वीकृति है। मिडवाइफ की कमी होने के कारण एक दाई की नियुक्ति इस समय की हुई है और एक वार्ड मेट (चतुर्थ श्रेणी) का स्थान रिक्त है।

(3) चूंकि सब सेन्टर प्राथमिक हैल्थ सेन्टर के तहत चलाया जाता है अतः इस सब सेन्टर दुगारी के लिये अलग से दवाइयां आदि का प्रावधान नहीं है। मिडवाइफ का किट व अन्य सामान जिसकी उसको आवश्यकता होनी है प्राथमिक हैल्थ सेन्टर देई के बजट से ही दिया जाता है।

ग्राम देई (तहसील नैनवा) का प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

145. श्री केशरीसिंह (हिन्डौली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम देई में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कब से कायम है और इसका स्टाफ मंजूरशुदा क्या है और मौजूदा स्टाफ क्या है?

(2) इसका सालाना दवाइयों का इन्डेन्ट क्या है और वास्तव में कितनी दवाइयां दी जाती हैं?

(3) क्या यहां पर इन्जेक्शन लगाने की फीस ली जाती है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम देई में एक प्राथमिक हैल्थ

(चिकित्सा मन्त्री)

सेन्टर दिनांक 3-8-62 से कायम है उसमें मंजूरशुदा एवं मौजूदा स्टाफ निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	स्वीकृत स्टाफ		मौजूदा स्टाफ
1.	चिकित्सक	1	(कम्पाउन्डर श्रेणी प्रथम)
2.	कम्पाउन्डर श्रेणी प्रथम	1	1
3.	कम्पाउन्डर श्रेणी द्वितीय	1	1
4.	कम्पाउन्डर श्रेणी तृतीय	2	2
5.	लेडी हैल्थ विजिटर	1	—
6.	मिडवाइफ	4	3
7.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	3

(2) इस प्राथमिक हैल्थ सेन्टर के लिए सालाना दवाइयों के बजट में 2000) रु. (66-67) स्वीकृत हुआ था और इसके अनुसार इस वर्ष में यहां पर कुल 2113) रु. की दवाइयां सप्लाई की गई हैं।

(3) जी नहीं।

चिकित्सालय-हिन्डोली पंचायत समिति

146. **श्री केसरी सिंह** (हिन्डोली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी की हिन्डोली पंचायत समिति के चिकित्सालय का स्टाफ क्या है और मंजूर शुदा क्या है ?

(2) सालाना दवाइयों का क्या बजट है ? क्या बजट के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं ?

(3) दवाइयों का इन्डेंट कहां से दिया जाता है और वे कहां से खरीदी जाती हैं ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी की हिन्डोली पंचायत समिति के प्राथमिक हैल्थ सेन्टर हिन्डोली में मंजूरशुदा एवं मौजूदा स्टाफ इस प्रकार है:—

क्र. सं.	स्वीकृत स्टाफ		मौजूदा स्टाफ
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	1
2.	कम्पाउण्डर ग्रेड द्वितीय	2	2
3.	कम्पाउण्डर ग्रेड तृतीय	1	1
4.	मिडवाइफ (ए.एन.एम.)	4	3
5.	लेडी हैल्थ विजिटर	1	1
6.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
7.	ड्राइवर	1	1
8.	एग्जूलेरी हैल्थ विजिटर	1	1
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8	8

(2) इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिये सालाना बजट (66-67) 3500) रु. स्वीकृत है। जो यथा संभव बजट के अनुसार ही दवाइयां सप्लाई की जाती हैं और इस वर्ष में 3633) रु. की दवाइयां सप्लाई की गई हैं।

(3) दवाइयों के इन्डेंट की सप्लाई जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्टोर कोटा के द्वारा की जाती है जहां पर अधिकतर दवाइयां निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा एक फर्म से एप्रूव्ड रेट पर खरीदी जाती हैं।

हायर सेकेन्डरी स्कूल, बून्दी के भवन की मरम्मत पर खर्च की गई राशि

147. **श्री केसरी सिंह** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केसरीसिंह)

बून्दी के हायर सैकेन्ड्री स्कूल में पिछले तीन सालों में मरम्मत में कितनी धन राशि खर्च की गयी है ?

उत्तर

भवन की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग द्वारा की जाती है। गत तीन सालों में मरम्मत पर निम्न प्रकार से खर्चा किया गया:—

साल	खर्च की गई राशि
1964-65	2,865
1965-66	2,897
1966-67	2,725

चाकसू में हायर सेकन्डरी स्कूल के खोलने की मांग

148. **श्री लादूराम सुलाणिया** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चाकसू, तहसील चाकसू में कौन कौनसी स्कूलें हैं और उनमें कितने कितने छात्र हैं ?

(2) क्या चाकसू के आस-पास कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल है ? यदि हां, तो कहां और वह चाकसू से कितनी दूर है ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष चाकसू में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो भविष्य में कब तक स्कूल खोल सकेगी ?

उत्तर

(1) चाकसू तथा तहसील चाकसू में निम्न राजकीय स्कूल हैं:—

	छात्र संख्या
1. राजकीय सेकेन्डरी स्कूल, चाकसू	280
2. राजकीय सेकेन्डरी स्कूल, चांदलाई	168
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोटखावदा ..	299
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोथुन ..	222
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गडवासी ..	135
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शिवदासपुरा	285
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुम्हारियावास	100

(2) राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, सांगानेर यह चाकसू से 17 मील दूर है।

(3) जी नहीं, आर्थिक एवं अन्य साधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

राज्य में नये कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल आदि खोले जाने की संख्या

149. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार राज्य में कितने नये कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा माध्यमिक शालाएं खोलना चाहती हैं ?

(2) क्या जिन जिन स्थानों पर ये इन्स्टीट्यूशन्स खोलना अभीष्ट है, उस विषय में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय भी लिये जा चुके हैं ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(3) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कहां-कहां यह इन्स्टीट्यूशन्स खुलेंगे ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार एक नया कालेज तथा कुछ स्थानों पर बालिकाओं के लिये माध्यमिक शालाएं खोलना चाहती है।

(2) जी हां।

(3) राजगढ़ (अलवर) में एक नया कालेज तथा फिलहाल फुलेरा (जयपुर), सोजत (पाली), गंगापुर (सवाई माधोपुर), एवं खैरथल (अलवर) में बालिकाओं की माध्यमिक शालाएं खोली जायंगी।

समस्त प्राइवेट मान्यता व सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय अध्यापकों के समान मिलने वाली सुविधाएं

150. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में समस्त प्राइवेट मान्यता व सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के समान वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता भी सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के समान समय समय पर नहीं बढ़ाया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी अध्यापकों के समान चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जाती ?

(4) यदि उपरोक्त सुविधायें अभी तक नहीं दी गई हैं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार ने प्राइवेट मान्यता व सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों (संचालकों अथवा व्यवस्थापकों) को किसी आदेश द्वारा बाध्य किया है कि वे उक्त समस्त सुविधायें उनके विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को दें ?

(6) यदि अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं दिये हैं तो क्या निकट भविष्य में सरकार प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों को कोई ऐसे आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

अध्यापकों के स्थानान्तरण

151. **श्री केशरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा डिवीजन में दिसम्बर, 1966 से फरवरी, 1967 तक अध्यापकों के स्थानान्तरण कहां से कहां किये गये और उनके नाम क्या हैं ?

(2) ये अध्यापक जिनके स्थानान्तरण किये गये हैं अपने स्थान पर कितने अर्से से काम कर रहे थे ?

(3) इनका मासिक वेतन क्या है ? और स्थानान्तरण के क्या कारण थे ?

(4) स्थानान्तरण के नियम क्या हैं ?

उत्तर

1, 2, 3, सूचना संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

साधारणतया अध्यापकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्थानान्तरण 3 वर्ष के पहिले नहीं किया जाता । केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे शिकायत प्रमाणित होने पर कार्य या व्यवहार सन्तोष-जनक नहीं होने पर कार्य तथा प्रशासनिक आवश्यकता के कारण 3 वर्ष से पहिले भी स्थानान्तरण किया जा सकता है । समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसके पश्चात् सन्तोषजनक कार्य एवं व्यवहार ठीक होने पर भी स्थानान्तरण अनिवार्य हो ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 6 देखिये)

छापली हाई स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण

152. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छापली (तहसील भीम) हाई स्कूल में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण तीन वर्ष से अधिक हो जाने पर भी नहीं हुआ है ?

(2) किन कारणों से लंबे समय तक इनका तबादला नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) छापली माध्यमिक शाला में ऐसे 4 अध्यापक हैं ।

(2) इनका कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक होने के कारण इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

ग्राम कोयला (तहसील बारां) में हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग

153. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बारां के ग्राम कोयला की जनता कोयला में हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने की मांग सन् 66-67 से करती आ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि कोयला ग्राम की जनता हाई स्कूल भवन के लिये नियमानुसार धनराशि जमा कराने के लिये तैयार है ?

(3) क्या सन् 67-68 में कोयला में हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने का निर्णय सरकार ने किया है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास कोयला ग्राम में हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में सन् 1966-67 में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु कोयला ग्राम के कुछ प्रतिनिधि विद्यालय निरीक्षक, कोटा के कार्यालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने कोयला ग्राम में हाई या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की मांग की किन्तु उस समय तक जिन स्थानों पर नये स्कूल खोले जाने थे उनकी सूची प्रकाशित हो चुकी थी ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, नहीं ।

कोटा जिले के अध्यापकों के एरियर बिल्स का भुगतान

154. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिला में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनको ट्रेंड मिडिल ग्रेड 1-7-50 या 1-7-51 से दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार न अध्यापकों को ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड देने का आदेश 20 फरवरी, 59 को दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि उस आदेशानुसार अध्यापकों के बनने वाले एरियर बिल्स 31 मार्च, 1959 तक चुका दिए जाने चाहिये थे ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेशानुसार अभी तक अधिकांश अध्यापकों के एरियर बिल्स का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों को भुगतान नहीं हुआ और किन कारणों से नहीं हुआ ? अब कब तक भुगतान करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 95 अध्यापकों को 1-7-51 से ट्रेण्ड मिडिल ग्रेड दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) 76 अध्यापकों को एरियर बिल्स का भुगतान हो चुका है अब केवल 18 व्यक्तियों का भुगतान होना बाकी है। जल्दी भुगतान नहीं होने का कारण यह था कि मामले प्रेरणात्मक प्रभाव से पदोन्नति (Retrospective Promotions) के थे कि जिनकी स्वीकृति फरवरी सन् 1959 के अन्त में हुई थी और यह स्वीकृति दिनांक 31-3-59 तक प्रभावशील थी परन्तु शाला से समय पर बिल न बनने के कारण उस समय इनका चुकारा न हो सका। इन मामलों को टाइम बार्ड क्लेम्स की तरह पास करा कर चुकारा कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इन शेष 18 बिलों का भुगतान अब शीघ्र ही करा दिया जाएगा ।

बारां नगर की प्राथमिक शालाओं में फर्नीचर की व्यवस्था

155. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां नगर में कितनी प्राथमिक शालाएं चल रही हैं और प्रत्येक स्कूल में छात्रों की कितनी कितनी संख्या है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो किन कारणों से और अब कब तक बैठने की व्यवस्था हो जावेगी ?

उत्तर

(1) बारां नगर में निम्नलिखित प्राथमिक शालाएं चल रही हैं और प्रत्येक स्कूल के छात्रों की संख्या संस्थाओं के नाम के सामने अंकित है:—

नाम शाला	छात्र संख्या बालक	छात्र संख्या बालिकाएं	योग
1	2	3	4
1. प्राथमिक शाला, बारां।	399	28	427

Page No. 54

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3	4
2. प्राथ. बारां द्वितीय	377	29	406
3. प्रा. बारां, तृतीय	240	21	261
4. प्रा. बारां, चतुर्थ	279	27	306
5. प्रा. बारां, पंचम	212	25	237
6. प्रा. बारां, षष्ठम	23	6	29

(2) उक्त प्राथमिक शालाओं में छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था अर्थाभाव के कारण नहीं हो पाई। अब इन शालाओं को फर्नीचर दिये जाने की व्यवस्था जुलाई, 1967 के आरम्भ से की जा रही है।

हायर सेकेन्डरी स्कूल, दुगारी (तहसील नैनवा) का भवन

156. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम दुगारी में हायर सेकेन्डरी स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(2) क्या वहां की इमारत मरम्मत तलब बरसों से पड़ी है और विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

(3) इस स्कूल में छात्रों के लिए पानी मिलने की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) दुगारी में कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है किन्तु सेकेन्डरी स्कूल है तथा इसमें 152 छात्र पढ़ते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) तालाब से पानी लाकर छात्रों को पिलाने की समुचित व्यवस्था है।

हायर सेकेन्डरी स्कूल बूंदी

157. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी के हायर सेकेन्डरी स्कूल में कुल कितने छात्र हैं और अध्यापक कितने हैं और चपरासी कितने ?

(2) क्या सरकार इस स्कूल को दो शिफ्ट में चलाती है ?

(3) दूसरा भवन नहीं बनवाने का क्या कारण है ?

(4) इस स्कूल में खेलों की क्या व्यवस्था है ? फिजीकल इन्स्ट्रक्टर इसकी व्यवस्था करता है या नहीं ?

(5) लाईब्रेरी के लिये यहां के बजट में कितनी रकम की व्यवस्था की गई है ? इस पर पिछले तीन सालों में क्या खर्चा किया गया था ?

(6) क्या यह सत्य है कि 1965-66 में सारी किताबें बॉयज फण्ड से खरीदी गई थीं ?

(7) पानी पिलाने के लिये क्या सरकार ने कोई इन्तजाम कर रखा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजगढ़ (अलवर) में कालेज खोलने की मांग

158. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार राजगढ (अलवर) की जनता की कालेज खुलवाने की मांग को पूरा करने का विचार रखती हैं ?

(2) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1967-68 के सत्र से कालेज चालू होने की सम्भावना हैं ।

प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की मांग–तहसील रायपुर

159. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव कोट किराना व नानणा की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में उन्नत करने का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

(2) यह प्राथमिक शालाएं कब तक माध्यमिक शालाओं में परिणित करदी जावेंगी ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) फिलहाल इस वर्ष लड़कों की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

बांगड़ कालेज पाली के होस्टल के निर्माण की योजना

160. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली में बांगड़ कालिज के विद्यार्थियों के आवास हेतु कोई होस्टल निर्माण की योजना बनाई गई थी ?

(2) इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) यह योजना कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पीलवा, जिला नागौर के स्कूल को हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाने की मांग

161. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसराम)

(1) ग्राम पीलवा, जिला नागौर की स्कूल में कौनसी कक्षा तक पढ़ाई होती है और कितने विद्यार्थी जुदा जुदा कक्षा में हैं ?

(2) कितने गांवों के लड़के इस स्कूल में शिक्षा लेने के लिये आते हैं ?

(3) क्या पीलवा ग्राम की स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने का विचार है ? यदि है, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आठवीं कक्षा तक स्कूल की कक्षाओं में छात्र संख्या इस प्रकार है :—

कक्षा	छात्र संख्या
पहली	34
दूसरी	25
तीसरी	27
चौथी	18
पांचवीं	29
छठी	34
सातवीं	30
आठवीं	30
कुल योग ..	227

(2) आस पास के लगभग 8 गावों के लड़के इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

(3) जी नहीं, धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

हाई स्कूल भवन, कामां में कमरों का अभाव

162. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां हाई स्कूल भवन में छात्रों के बैठने के लिये कमरों की व्यवस्था पूरी नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष स्थान के अभाव के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता है और कई कक्षाओं को बाहर खुले में बिठलाना पड़ता है, और वर्षा आंधी के समय स्कूल टाइम से पहले भी छात्रों की सुरक्षा हेतु छुट्टी देने के लिये मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या को हल करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भवन की व्यवस्था करने का कार्य जनता का है। यदि जन सहयोग प्राप्त हो तो राज्य सरकार भी आंशिक सहायता भवन निर्माण करने हेतु उपलब्ध कर सकती है।

राजकीय सैकेन्ड्री स्कूल अजीतगढ़ में विज्ञान का विषय

163. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल अजीतगढ़ तहसील श्री माधोपुर में विज्ञान का विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या जनता की मांग पर इस सम्बन्ध में आई. ओ. एस. सीकर की मौके की कोई रिपोर्ट आई है ? यदि हां, तो उसमें क्या राय दी गई है ?

(3) क्या जनता द्वारा उपरोक्त विषय के लिये पर्याप्त भवन बना दिया गया है ?

Page No. 57

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

अजमेर पहाड़गंज का स्कूल

164. **श्री परसराम गंगाराम** (पर्बतसर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर पहाड़गंज में लड़कों की स्कूल कौनसी कक्षा तक है ?

(2) कितने लड़के किस किस कक्षा में पढ़ रहे हैं ?

(3) क्या जुदा जुदा कक्षा के कमरे अलग अलग हैं ?

(4) क्या यह स्कूल किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो कितना किराया दिया जाता है और कब से ?

उत्तर

(1) पांचवीं कक्षा तक

(2)

कक्षा 1 में	10
कक्षा 2 में	14
कक्षा 3 में	18
कक्षा 4 में	18
कक्षा 5 में	11

(3) जी नहीं।

(4) स्कूल सरकारी भवन में चल रहा है।

सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल अजमेर नगर

165. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अजमेर नगर में सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल कुल कितने हैं ? और उन्हें कितनी वार्षिक अथवा मासिक सहायता दी जाती है ?

उत्तर

अजमेर नगर में कुल 41 सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल और 4 अन्य संस्थाएं हैं। उन्हें सन् 1966-67 में कुल रु. 8,65,091.00 की सहायता दी गई है।

बूंदी लाखेरी सड़क पर डामर कार्य

166. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी से लाखेरी सड़क पर कितने मील का डामर करने का काम बाकी है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर जहां डामर हो चुका है उसकी भी हालत खराब है ?

(3) इस सड़क पर कितनी पुलियाओं की आवश्यकता है और यह कार्य कब तक पूरा होने की योजना है ?

उत्तर

(1) 12 मील में डामर कार्य बाकी है अर्थाभाव के कारण सड़क पर डामर कब तक हो सकेगा। निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) फिलहाल पुलियों की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान रोडवेज के बस स्टोपेज एवं इन पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं

167. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान रोडवेज के मेन बस स्टोपेज कितने हैं?

(2) इनमें से कितने बस स्टोपेज पर यात्रियों की सुविधा के लिये शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, केन्टीन, टिकट घर, विश्राम गृह, शेड का प्रबन्ध है? और इन पर यात्रियों के सामान की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है?

उत्तर

(1) निगम के मुख्य बस स्टोपेज की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) निगम के जिन 2 स्टेशनों पर विश्राम गृह, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मुख्य 2 स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिये पोर्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा निगम की बसों में यात्रियों की हिदायत के लिये बोर्ड लगे हुए हैं कि यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत रखें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जयपुर–कोटा रूट के बस स्टेन्ड

168. **श्री जयनारायण सालोदिया** : (निवाई)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर कोटा रूट पर किस किस स्थान पर बस स्टेन्ड बने हुए हैं? और कहां कहां यात्रियों के लिये पानी व बैठने की व्यवस्था है?

(2) क्या यह सच है कि बहुत से बस स्टेन्ड पर यात्रियों के लिये छाया, पानी, बैठने की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो ये कार्य कब से विचाराधीन हैं और कब तक पूरे हो जावेंगे?

उत्तर

(1) जयपुर-कोटा रूट पर निगम के निम्नांकित बस स्टेशन हैं:--

(1) चाकसू (2) निवाई (3) टोंक (4) देवली (5) हिन्डोली (6) बूंदी (7) तालेरा।

उपरोक्त स्टेशनों में से हिन्डोली व तालेरा के अलावा सब जगह यात्रियों के लिये पानी व बैठने की व्यवस्था है। इन दोनों जगहों पर पास ही प्राईवेट बस स्टेन्डों के शेड हैं जिनमें यात्रियों को बैठने की सुविधा उपलब्ध है, व इन स्टेन्डों पर पीने के पानी व अन्य दीगर साधन उपलब्ध हैं।

(2) यह सही नहीं है कि इस रूट पर बहुत से बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिये पानी व बैठने की व्यवस्था नहीं है। अलबत्ता हिन्डोली व तालेरा पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। पर वहां प्रश्न संख्या 1 में बताई गई सुविधायें उपलब्ध हैं। वहां से चढ़ने व

Page No. 59

(यातायात मंत्री)

उतरने वाले यात्रियों की संख्या इतनी नहीं है कि निगम तुरन्त अन्य इन्तजाम करे।

सीमा क्षेत्रों की सड़क

169. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** : (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट में राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के किन किन राजपत्रांकित अधिकारियों को कहां कहां किस किस पद पर नियुक्त किया गया है ?

(2) इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कितनी लम्बी और किस किस प्रकार की सड़कों का निर्माण कब तक होने की योजना है ?

(3) इस योजना के अनुसार अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ की धनराशि मशीनरी खरीदने के लिये निर्धारित की है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत अब तक राज्य सरकार द्वारा किस किस प्रकार की कितनी कितनी कीमत की कितनी कितनी मशीनरी कहां कहां से खरीद की गई है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यह बताने की भी कृपा करें कि यह खरीद किस प्रक्रिया से की गई है ?

(5) इस खरीद में कितनी कितनी और किस किस कीमत की कितनी कितनी मशीनरी किस किस ठेकेदार को किस किस तारीख को दी गई है और किस आधार पर ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) मशीनरी दिये जाने से पूर्व किस किस ठेकेदार से सड़क निर्माण के एग्रीमेन्ट पूरे हो चुके थे और किस किस के नहीं ?

(7) क्या यह सही है कि ठेकेदारों को दी गई इस मशीनरी पर सरकार ने कोई कमीशन लिया है ? यदि हां, तो किस किस चीज पर कितना कितना ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाड़मेर जिले में सड़कों का निर्माण

170. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किन किन सड़कों के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हाथ में लिया ?

(2) उन सड़कों में से किन किन सड़कों का कार्य सम्पूर्ण हुआ और किन किन का अधूरा है ? उन अधूरे कार्यों के कब तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) उन सड़कों पर अलग अलग कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और उनसे कितने मील सड़कों का निर्माण हुआ है ?

(4) बाड़मेर जिले में एक मील ग्रेवल रोड पर औसतन कितनी धन राशि खर्च आती है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

Page No. 60

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) केवल बनोड से पचपदरा रोड का काम पूरा हुआ है बाकी सडकें पूरी नहीं बनी है। अर्थाभाव के कारण अधूरी सडकें कब तक पूर्ण हो सकेंगी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) अकाल सडकों पर जो कार्य हुआ है और उन पर जो खर्च हुआ है प्रश्न एक के उत्तर में प्रस्तुत सूची (अ) में अंकित है।

(4) बाडमेर जिले में 42,000) रु. प्रति माइल औसत खर्चा होता है।

(कृपया परिशिष्ट सं. 7 देखिये)

जालोर-गुडा सडक

171. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर से गुडा (वाया किशनगढ, गोल सायला, बागोडा) सडक बनाने की योजना बनी थी? अगर हां, तो इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ?

(2) अब तक यह सडक कितनी बन चुकी है?

(3) क्या जितनी बनी है वह योजना के अनुसार बनी है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) इस सडक का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद हर साल कितना कितना फन्ड इस सडक के लिये अलौट हुआ?

(5) क्या जितना फन्ड अलाट हुआ उसमें कोई हेर फेर भी हुई?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त सडक के लिये कोई टेन्डर मांगे गये थे और टेन्डर आने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया? अगर हां, तो कितनी बार और किन कारणों से?

(7) भीनमाल तहसील में कुल कितने मील सडकें हैं और उनमें से ग्रेवल कितने मील हैं और डामर कितने मील?

उत्तर

(1) जी हां। 15-11-1958 से कार्य आरम्भ हुआ है।

(2) 20 मील सडक बन चुकी है।

(3) जी हां, कार्य योजना के मुताबिक हुआ है।

(4) 1958-59 में 30000) रु.
1960-61 में 73000) रु.
1961-62 में 40000) रु.
1963-64 में 53500) रु.
1964-65 में 4000) रु.
1967-68 में 10000) रु.

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, अर्थाभाव के कारण टेन्डर 2 बार रिजेक्ट किये गये हैं?

(7) भीनमाल तहसील में 158 मील है जिनमें (45) मील ग्रेवल व 14 मील डामर है।

मकराना व मालपुर की सडक

172. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवचरणसिंह)

(1) क्या यह सत्य है कि करौली में मंडरायल व मासलपुर की सड़क की हालत खराब है ?

(2) भूतपूर्व रियासत के विलीनीकरण के पश्चात इस सड़क पर आज तक कोई कार्य क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) सड़क की दशा साधारण है।

(2) यह सही नहीं है।

महुआ तहसील की सड़कें

173. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि महुआ तहसील में तालचिडी खेडला सड़क व गाजीपुर पलानखेडा सड़क 15 वर्ष के पश्चात् भी पूरी नहीं हुई हैं ?

उत्तर

यह सड़कें योजना में स्वीकृत नहीं हैं अतः पूरा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

धौलपुर से जयपुर वाया करौली स्टेट हाई-वे

174. **श्री शिवचरणसिंह** (महुआ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर से जयपुर वाया करौली स्टेट हाई-वे कब तक पूर्णतया बनकर तैयार होगा ?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है, अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

चम्बल नदी पर फेरी ब्रिज लगाने की योजना

175. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चम्बल पर मंडरायल व सबलगढ़ (मध्यभारत) के बीच फेरी ब्रिज लगाने के विषय में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार व मध्य भारत सरकार से विचार-विमर्श कर रही है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक लगवाया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है अतः पुल का काम कब तक हो सकेगा कहना कठिन है।

धमान धौलेटा सड़क

176. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धमान धौलेटा रोड़ पर कब काम चालू हुआ और अब सड़क की क्या स्थिति है ?

उत्तर

यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है अतएव कार्य आरंभ का प्रश्न नहीं उठता।

परबतसर–मेड़ता सिटी-पुष्कर सड़क की मरम्मत

177. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर-मेंडता सिटी-पुष्कर सडक की हालत बहुत खराब है ?

(2) पिछली बार इसकी मरम्मत कब हुई थी और उस पर कितना व्यय हुआ था ?

(3) अब इसकी मरम्मत कब तक करवाई जायेगी ?

उत्तर

(1) सडक की हालत साधारण है ।

(2) साधारण मरम्मत महकमे की गैंग द्वारा सदैव होती रहती है । गत वर्ष मरम्मत पर 37,655) रु. खर्च हुआ है ।

(3) आशा है आगामी वर्ष में ।

बामनवास से मोरा सडक पर डामर का कार्य

178. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1961 में जिला सवाई माधोपुर में बामनवास से मोरा तक सड़क को पक्की (डामर) करने हेतु टेन्डर निकाले थे ? अगर हां, तो अब तक यह सड़क पक्की क्यों नहीं बनाई गई ? क्या इस सड़क पर बारा-मासिये काम करते हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बामनवास की अधूरी सडक का 2 मील का टुकड़ा अभी तक डामर नहीं किया गया है ? अगर इस टुकडे को पक्का बनाने की मंजूरी सरकार ने दी थी तो अभी तक कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं बामनवास से मोरा सडक इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है । 4 मील के पक्के भाग पर विभागीय मजदूर काम करते हैं ।

(2) जी हां, अर्थाभाव के कारण 1½ मील पर ही डामर का काम रोकना पड़ा ।

नावां तहसील की सड़क

179. **श्री किशन लाल शाह** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां तहसील में गत दस साल में कितनी सड़कें बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि कुचामन से घाटवा की सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्वीकृत है ? यदि हां, तो अब तक न बनाये जाने के क्या कारण हैं और सरकार इस सड़क को कब तक पूरा करवाने का इरादा रखती है ?

(3) इस वर्ष में नावां तहसील में कितनी एप्रोच रोड्स और कितनी लम्बी रोड्स बनाने का इरादा है ? यदि एप्रोच रोड्स बनाने का इरादा नहीं, तो क्यों ?

Page No. 63

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) 8 सड़कों पर काम कराया गया है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) अर्थाभाव के कारण कोई योजना नहीं है।

बारां—मांगरोल सड़क की मरम्मत का कार्य

180 **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां-मांगरोल सड़क कुल कितनी लम्बी है और किस किस स्थान पर सड़क कितने समय से खराब हो रही है ?

(2) इस सड़क की मरम्मत पर गत चार वर्षों में प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय किया गया है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को ठीक कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सड़क 16 मील 2 फर्लांग लम्बी है। प्रथम 1 मील तथा बारां के निकट 2 फर्लांग की दशा लगभग 2 वर्ष से खराब है।

(2) मरम्मत पर गत चार वर्षों में निम्न प्रकार व्यय किया गया है :—

1963-64	5469.23
1964-65	32633.01
1965-66	38749.55
1966-67	103523.89

(3) धन राशि उपलब्ध हुई तो इस 1 मील 2 फर्लांग के काम को इस वर्ष करा दिया जायगा।

मांगरोल से अयाना होकर इटावा जाने वाली सड़क पर डामर का कार्य

181. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिला में मांगरोल से अयाना होकर इटावा जाने वाली सडक को डामर रोड बनाने का ठेका किस वर्ष किस ठेकेदार को कितने रुपयों का दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है ? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं बनी ?

(3) क्या इस सड़क पर निर्माण कार्य चालू है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं है ?

(4) यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जावेगी।

उत्तर

(1) डामर का ठेका इस सड़क का किसी को भी नहीं दिया गया है।

(2) जी हां अर्थाभाव के कारण।

(3) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

(4) सड़क कब तक पूरी हो सकेगी, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

Page No. 64

बामनवास के ग्राम पिपलाई की नदी की पुलिया का निर्माण कार्य

182. **श्री पृथ्वी राज पटेल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास के ग्राम पिपलाई की नदी की पुलिया की मंजूरी हुये एक साल हो गया है और सामान काफी अर्से से पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसको बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

जी हां। अर्थाभाव के कारण।

तिलक नगर से बापू नगर जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य

183. **श्री राम किशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि, जयपुर शहर के उपनगर तिलक नगर को बापूनगर से जोडने के लिये मोती डूंगरी तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच से निकाली जाने वाली सडक का निर्माण कार्य उक्त स्कीम की योजना सन् 1959 में ही प्रारम्भ हो जाने के बाद भी आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? अगर हां, तो कृपया इस अनावश्यक देरी का कारण बताने का कष्ट करें।

उत्तर

सर्व प्रथम इस लिंक रोड का प्रावधान मोती डूंगरी योजना (तिलक नगर) के मानचित्र में रखा गया था। किन्तु प्रस्तावित सड़क का भूभाग जयपुर नरेश की निजी सम्पत्ति होने के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। वर्तमान में इस सडक के निर्माण कार्य की योजना को संशोधित कर राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र की भूमि द्वारा किया जा रहा है। तथा निर्माण कार्य हेतु टेन्डर आमन्त्रित कर स्वीकार कर लिये गये हैं।

तालादोला से प्रतापगढ़ (अलवर) तक की सड़क का सर्वे

184. **श्री बाबूलाल करोल** (जमवा-रामगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर-देहली रूट पर करीब २० माइल से जो कच्चा रूट तालादोला होता हुआ अलवर जिले के ग्राम प्रतापगढ तक जाता है उसका सर्वे कभी सरकार ने कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कच्चे रूट को पक्का बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

लालसोट से बस्सी तक सड़क निर्माण की व्यवस्था

185. **श्री मन्नूराम** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार लालसोट से डिंडवाना, रामगढ पचवारा, तूंगा होती हुई बस्सी तक सड़क बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक :

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

तूंगा से लालसोट सडक तीसरी योजना में स्वीकृत है। कार्य कब तक आरम्भ होगा, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। तूंगा से बस्सी तक सड़क बनादी गई है।

ओवर ब्रिज रोड जोधपुर

186. श्री सोमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर में ओवर ब्रिज रोड जो सरदार मार्केट गिर्दीकोट तक ले जाई जा रही थी उसका कार्य गत करीब पांच माह तक चला कर अब उसकी गति बहुत कम कर दी गई है ? यदि हां, तो इसकी गति कम किये जाने का क्या कारण है ? अब उक्त सडक कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

निवाई-बोली सड़क पर खर्च की गई धनराशि

187. श्री जयनारायण खालोडिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निवाई बोली सडक का कार्य कब से योजना में रखा गया है और निर्माण कार्य पर किस किस वर्ष में कितना कितना धन खर्च किया व अब तक कितना काम बाकी है ? काम कब से बन्द पडा है ?

उत्तर

यह काम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ है खर्च की सूची (अ) प्रस्तुत है। 12 मील का काम शेष है। कार्य चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 8 देखिये)

कालन्द्री से सिलदर तक सड़क निर्माण कार्य

188. श्री मोतीलाल (सेंदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 के चुनाव के समय राज्य सरकार ने कालन्द्री से सिलदर ग्राम तक सडक का निर्माण कार्य चालू किया था मगर कालन्द्री कस्बे से केवल 2 मील का टुकडा पूरा करके कार्य समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस सडक की कोई योजना है या नहीं ?

(3) अगर है, तो सडक का कार्य कब चालू किया जायगा ?

उत्तर

(1) यह कार्य वर्ष 1960-61 में आरंभ होकर 1963-64 में अर्थाभाव के कारण रोका गया है।

(2) यह सडक योजना में स्वीकृत है।

(3) अर्थाभाव के कारण कार्य पुनः कब आरंभ होगा निश्चित नहीं कहा जा सकता।

Page No. 66

कोरना से माडपुरा वाली सड़क का निर्माण कार्य

189. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचपदरा तहसील में कोरना से माडपुरा जाने वाली सड़क का निर्माण कब हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो उसको ठीक करवाने की ओर राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सड़क निर्माण वर्ष 1939-40 में हुआ है।

(2) सड़क की दशा साधारण है और विभागीय गैंग सड़क की सदैव देख रेख करती है।

(12.18 म.प.)

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अनस्टार्ड क्वश्चन्स के जवाब सदन में तो आते नहीं हैं। उनके जवाब गवर्नमेन्ट की तरफ से सेक्रेटेरियेट में आते हैं वे तो हमारे पास पहुंच जाते हैं पर कई अनस्टार्ड क्वश्चन्स के जवाब आते ही नहीं हैं। पिछले सत्र के अनस्टार्ड क्वश्चन्स के जवाब आने चाहिये थे पर दो प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं आये हैं। तो इसके लिये यह व्यवस्था की जाय कि या तो उनके उत्तर हमारे पास आ जायें या सचिव महोदय यहां कहें कि इतने अनस्टार्ड क्वश्चन्स रखे गये, इतने के उत्तर आगये हैं, और इतने के उत्तर आने बाकी हैं। हम ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं, सरकारी विभाग से ही हमें उत्तर नहीं मिले। तो इसके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करें कि या तो अनस्टार्ड क्वश्चन्स रखे ही नहीं जाय क्योंकि गवर्नमेन्ट की मर्जी है भेजे न भेजे। तो इसके लिये यह व्यवस्था की जाय कि डेली इस हाउस में हमें जानकारी मिले चाहे सी. एम. या चीफ व्हिप या सेक्रेटरी बतायें कि इन क्वेश्चन्स के जवाब आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सारी परिस्थिति का अध्ययन करके ऐसी व्यवस्था करना चाहूंगा कि जिससे माननीय सदस्यों को दिक्कत नहीं हो।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

तारांकित प्रश्नों के उत्तर छपवाने की व्यवस्था

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके सिलसिले में मैं एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा और सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा जो प्रश्नोत्तर काल में समय बचाने की दृष्टि से सहायक सिद्ध होगा। यह प्रश्न छपवाते हैं, प्रश्नोत्तर काल होता है, आधे सवाल तो ऐसे होते हैं कि जिनमें सूची मांगते हैं और सरकार देती है, एन समय पर देती है इससे तो अच्छा है कि दो पेज बढ़ेंगे, प्रश्नों के साथ उत्तर भी प्रिन्ट हो जायें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो महत्वपूर्ण सप्लीमेन्टरीज पूछ लिये जायेंगे इससे सदन का समय बचेगा मध्यप्रदेश की विधान सभा में इस प्रकार की परम्परा है। प्रिन्टेड उत्तर माननीय सदस्यों को मिलते हैं। उत्तर छपे हुए नहीं होते हैं इसलिये उनके लिये बारबार बीच में कहना पड़ता है, सुना नहीं, रिपीट करिये। उत्तर प्रिन्ट करवा देने से यह सारा समय बच जायेगा, पूरक प्रश्न पूछ लेंगे। थोडी सी परम्परा एक बार डालने की आवश्यकता है। स्टार्ड क्वश्चन्स के रिप्लाईज भी साथ में प्रिन्ट हो जायं तो समय की बचत होगी, सबको सुविधा होगी। नहीं तो जवाब एक दिन पहले आते हैं, सदस्यों को मिलते नहीं हैं, पूरक प्रश्नों में दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरी जगहों की क्या व्यवस्था है उनका अध्ययन करके अपने यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे ये दिक्कतें मिट जाय उसको देखकर निर्णय करूंगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : प्रश्न के उत्तर में यह भी होना चाहिये कि किन किन व्यक्तियों को परमिट दिये गये वह बाई सरकुलेशन....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इसके बाद में उठा लीजिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं जब कि दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे। इसमें यह सवाल नहीं कि मैंने किनको समय दिया और किनको नहीं। मैंने पूरी तरह से सबको एकोमोडेट किया है। आप उद्विग्न मत होइये। मैंने जो प्रश्न नहीं लिये जा सकते थे उनको भी यथाशक्ति एकोमोडेट करने का प्रयत्न किया है और इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि एक दो सवाल रह गये फिर भी आप उद्विग्न होगये। स्थगित प्रश्न छाप कर सकता था लेकिन उनको लिया गया 12 बज कर बीस मिनिट तक प्रश्नों को लिया गया। अतः माननीय सदस्य सेन्सेटिव न हों।

स्थगन प्रस्ताव

अंग्रेजी में असफल होने पर विद्यार्थियों में असन्तोष तथा विद्यार्थियों के प्रवेश में कठिनाइयां

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामकिशन, श्री देवीदत्त गाड़िया एवं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्रमशः सकेन्डरी व हायर सकेन्डरी की परीक्षाओं में अधिकांशतः अंग्रेजी में असफल होने से विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष, बारां डिग्री कालेज की द्वितीय वर्ष की कक्षा में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति तथा जयपुर शहर के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कठिनाई के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं। इन स्थगन प्रस्तावों से सम्बन्धित मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि इन पर चर्चा करने हेतु सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाय। अतः मैं इन प्रस्तावों पर अपनी अनुमति नहीं देता।

(श्री अध्यक्ष)

मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री इन सभी मामलों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप इसके लिये तारीख तय कर दें। आज पांचवीं छठी क्लास के विद्यार्थी एवं सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी की छात्रायें जो थर्ड डिविजन में पास हुई हैं उनकी बुरी हालत है।

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री): दस तारीख ठीक रहेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दस तारीख रखने से एडमिशन की लास्ट डेट तो निकल जायगी क्योंकि सात तारीख लास्ट डेट रखी गई है।

श्री अध्यक्ष: आज सात तारीख है कल आठ और परसों 9 और उसके बाद दस ही है।

श्री भैरोंसिंह: और उसके बाद 11। इस तरह से तारीखें तो आती जाती जायेंगी लेकिन सात तारीख तो दुबारा नहीं आयगी। अतः वक्तव्य आज ही दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था की जाय कि एडमिशन की डेट आगे बढ़ाई जाय।

श्री बरकतुल्ला खां: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको हाइएस्ट लेवल पर डिसकस करना और केबीनेट के सामने ले जाना आवश्यक है। इसमें नीतिका सवाल है अतः यह मेरे लिये आवश्यक है कि इस बारे में केबीनेट के साथ डिसकस करके उसमें जो निर्णय होगा उसके बाद सदन में रखा जाना उचित होगा इसी लिये मैंने समय की मांग की है। मुझे इसके लिये समय मिलना चाहिये। सरकार की इस बारे में क्या नीति होगी वह तय करने की बात है। इसके साथ साथ अगर तारीख आगे बढ़ाने की एडमिशन के लिये बात होगी तो वह भी की जायगी। इसलिये मुझे दस तारीख तक का समय दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: इसमें कहां पॉलिसी का सवाल आता है थर्ड डिविजनर्स का एडमिशन नहीं हो रहा है। इस बारे में सरकार तुरन्त घोषणा नहीं कर सकती है क्या?

श्री बरकतुल्ला खां: जहां तक फेल्योर्स और थर्ड डिविजन पास शुदा लड़कों को लेने का सवाल है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। अगर हम इनको लेने के लिये कहते हैं तो स्कूलों को दो शिफ्टों में चलाने की व्यवस्था करनी होगी अगर फेल्योर को प्रॉयोरिटी दी जायगी तो जो लडके अच्छे नम्बरों में पास हुए फर्स्ट या सेकन्ड डिविजन हैं उनको मना करना पडेगा।

श्री भैरोंसिंह: इसमें प्रॉयोरिटी फिक्स करने का सवाल नहीं है जब आप थर्ड डिविजन में पास हुए को भी पास मानते हो तो उसको आगे की स्टडी के लिये मौका तो मिलना चाहिए। या तो आप इस थर्ड डिविजन को ही हटा दीजिये नहीं तो आप इनको एडमिशन दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हमारे कहने का मतलब यह है कि जब आप थर्ड डिविजन में पास हुए लडके को भी पास मानते हो। यह आपका प्रोवीजन है स्टेट्यूट है कि हर लड़के को चाहे वह किसी श्रेणी में पास हो उसके आगे पढने के लिये आपको मौका देना चाहिए। आज हालत यह है कि पांचवी-छठी क्लासों के लड़कों को भी एडमिशन नहीं मिलता आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लड़के हमारे पास आते हैं कि सिफारिश कर दो ताकि हमारा एडमिशन होजाय । मैं युनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिये नहीं कहता लेकिन सैकेन्डरी, हायर सैकेन्डरी तक की शिक्षा की तो कम से कम गवर्नमेन्ट को व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री रामकिशन मेरा प्रश्न दूसरे ढंग का है उसमें तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है । अंग्रेजी में जो छात्र फेल हो गये हैं उनके बारे में निर्णय लेने का है । अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करना साधारण नागरिक के लिये जरूरी नहीं है न तो उनको विदेशों में जाना है और न विदेशी लोगों के साथ उनको सम्पर्क रखना है । वैसी हालत में जब कि मध्य प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश आदि की सरकारों ने अंग्रेजी में फेल हुओं को फेल नहीं माना है तो आप भी उसी प्रकार का निर्णय लें ताकि दूसरी जगह उनको एडमिशन आदि मिल सके ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, बारां के अन्दर डिग्री कालेज होते हुए भी द्वितीय वर्ष की कक्षा में लड़कों को स्थान नहीं मिल रहा है । अगर वक्तव्य इस बारे में दस तारीख को दिया जाता है तो एडमिशन की डेट निकल जायगी उसके बाद किसी भी चीज की घोषणा करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दूसरे माननीय सदस्यों ने उठा दिया है आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, यहां तो पांचवी क्लास से जो छात्रायें छठी क्लास में जा रही हैं उनको भी स्थान नहीं··

श्री अध्यक्ष : आप भी इसमें एडजस्ट होने जा रहे हैं क्या ? मन्त्री महोदय आप इन विषयों के बारे में आज किसी प्रकार से एडजस्ट हो सकते हैं क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं आज मैं किसी तरह से भी इसको एडजस्ट नहीं कर सकता । मैंने अपनी दिक्कत आपके सामने साफ तौर से रख दी है । इनमें उन तमाम लड़कों को जो फेल हुए हैं उनको और जो तीसरी श्रेणी में पास हुए हैं उन सब को एडमिशन देने का सवाल है । अगर सब को अकोमोडेट करने की बात आती है तो दो शिफ्टों में स्कूलें चलानी होंगी उसके लिये अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था, उसके लिये अलग से फण्ड आदि सब चीजें हैं जिनके बारे में मैं आफ हैण्ड वक्तव्य नहीं दे सकता ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जहां तक प्रश्न का प्रश्न है उसके बारे में निवेदन है कि जब वे तत्काल किये हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो हमारा प्रश्न करना व्यर्थ है । फन्डामेन्टल राइट्स एक सिटीजन के हैं जो बुनियादी हकूक हैं उनसे सम्बन्धित कोई प्रश्न आता है तो उसके उत्तर देने में विलम्ब नहीं होना चाहिये । अगर मैं इसके लिये यह भी कह दूं कि यह बड़ी भद्दी बात है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं । उधर एडमिशन की डेट भी आगे बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं, प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं तो वैसी हालत में प्रश्न का पूछना और हमारा यहां बैठना कोई महत्व नहीं रखता ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मैं भी सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! आप स्थान ग्रहण करिये। वक्तव्य आने दीजिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) दांता : मैं सुझाव दूंगा उससे शायद मन्त्री महोदय को आसान हो जायगा। इसमें दो प्रश्न हैं एक तो है जो थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं उनका है They should....

श्री बरकतुल्ला खां : जैसे कि विरोधी दल के नेता ने फरमाया कि शिक्षा का राइट है। मैं अर्ज करूं कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में कहा गया है कि प्राइमरी शिक्षा दी जाय। हाई एज्यूकेशन के लिए संविधान में कोई डाइरेक्टिव नहीं है लेकिन एक सिविलाइज्ड सरकार के नाते हम सारी सुविधायें देना चाहते हैं लेकिन उन सुविधाओं को **subject to the availability of funds, subject to the teachers' availability etc.**

सब चीजों को एडजस्ट करके दे सकते हैं। मैं सदन से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूं बल्कि पूरी चीज रखना चाहता हूं। अधूरा जवाब तो आज भी दे सकता था। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव को रूलआउट करके स्टेटमेन्ट के लिए कहा, इसलिये मैंने निवेदन किया कि अगर यह निर्णय लिया गया कि सब को एकोमोडेट करना है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि एडमिशन डेट बढ़ाई जायगी और निर्णय नहीं हुआ फिर तो नेचुरल बात है....

श्री देवीव्रत गाड़िया : बारां के डिग्री कालेज....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई डेट नहीं दी जायगी। मन्त्री महोदय ने जो स्थिति बताई कि पॉलिसी मैटर्स हैं, वास्तविकताओं के आधार पर मैं यह उचित समझता हूं कि 10 तारीख के लिये इसको रखा जाय।

श्री मदन सिंह दांता : इसका सम्बन्ध पॉलिसी मैटर्स से नहीं है। कैबिनेट डिसीजन

श्री अध्यक्ष : मेरी भी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य क्यों बार बार कहते हैं कि आज ही रखा जाय या कल ही रखा जाय। मेरा विश्वास है कि सदन ने मन्त्री महोदय को सुना है, मन्त्री महोदय ने अपनी विवशतायें प्रकट की हैं और सद्भावना प्रकट करते हुए सारे मामले को सविस्तार नीति के आधार पर कैबिनेट के सामने रखकर माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि यह उचित है। आज या 10 तारीख में कोई ज्यादा फर्क मालूम नहीं होता इसलिये 10 तारीख निश्चित की गई है। इस पर अब और कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : न तो इसका कैबिनेट की पॉलिसी से ताल्लुक है जो सवाल मैंने स्पेसिफिकली रखा है, आलरेडी स्कूल्स हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने 10 तारीख फिक्स अप कर दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 10 से पहले निराकारण हो जाय....

श्री अध्यक्ष : **You will also kindly look that the candidates are not put to inconvenience.**

Page No. 71

श्री विजयसिंह रावत : एडमिशन डेट बढ़ाई जाय।

श्री चुन्नीलाल बाढ़दार : एडमिशन डेट बढ़ाई जाय नहीं तो 10 तारीख को निर्णय लेंगे फिर कुछ नहीं होगा। न वदाम्यहं, न वदाम्यहं ....

श्री अध्यक्ष : आख्याहि भद्रे प्रिय दर्शनंच This will do. I have fixed up the date.

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आपके पास जब शिक्षा विभाग था तो उसमें काफी सुधार हुए, मन्त्री महोदय तो इतना भी उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने के लिहाज से न बोलें। माननीय सदस्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : एडमिशन की तारीख एक्सटेन्ड कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर ली जायगी।

श्री विजयसिंह रावत : बाद में कैसे होगा? 10 तारीख के बाद एडमिशन कैसे होंगे? एडमिशन की आज लास्ट डेट है। कम से कम ....

श्री अध्यक्ष : नो इन्टेरोगेशन।

श्री विजय सिंह रावत : यह एडमिशन डेट जरूर बढ़ाई जायगी ....

श्री बरकतुल्ला खां : यह गलतफहमी हो रही है। आज लास्ट डेट एप्लीकेशन्स की है, एडमिशन की लास्ट डेट नहीं है। एप्लीकेशन फोर एडमिशन की लास्ट डेट है।

श्री विजयसिंह रावत : इसको एक्सटेन्ड करें।

श्री बरकतुल्ला खां : क्या जरूरत है? जिनको एप्लाई करना था उन्होंने कर दिया। आज थोड़ा ही निर्णय होगा? आज तक जितनी एप्लीकेशन्स थीं बाद में कन्सीडर की जायेंगी।

श्री विजय सिंह रावत : आज के बाद जो एप्लीकेशन्स दी जायेंगी, उनको एन्टरटेन किया जायगा?

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री **हरिदेव जोशी**।

श्री मक्खनलाल : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। आज के लिए आपने जवाब के लिए फरमाया था।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में देख लेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सांभर साल्ट लिमिटेड की 1965-66 से सम्बन्धित दूसरे प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायण सिंह मसूदा (समाज कल्याण मन्त्री) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के तेरहवीं रिपोर्ट (1963-64 प्रथम व द्वितीय भाग) की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार को आखिरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

Page No. 72

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं कार्य सलाहकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी : समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : प्रतिवेदन है क्या चीज ?

श्री पी. के. चौधरी : We have not received the copy.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके साथ लगा रखी है।

श्री पी. के. चौधरी : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का जो उपस्थापन हुआ, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

मेडिकल कालेज के अध्यापकों में वेतन के मामले पर असन्तोष,

श्री दामोदर लाल व्यास (चिकित्सा मंत्री): श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** सदस्य राजस्थान विधान सभा ने राज्य के मेडिकल कालेजों के अध्यापकों के वेतन के मामले को लेकर असन्तोष के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है।

सेवा नियमों के अनुसार किसी अस्थायी व्यक्ति के स्थान पर जब तक स्थायी चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग या विभागीय प्रोमोशन कमेटी के द्वारा नहीं हो जाता तब तक उसकी नियुक्ति की अवधि समय समय पर लोक सेवा आयोग की सहमति से बढ़ानी पड़ती है और इसी कारण उस व्यक्ति को प्रोविजनल बेसिस पर वेतन दिया जाता है।

मेडिकल कालेजों के अध्यापकों का स्थायी तौर पर चयन लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय प्रोमोशन कमेटी द्वारा न होने के कारण प्रोवीजनल बेसिस पर वेतन का भुगतान करना पड़ा। विभागीय प्रोमोशन कमेटी और लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी चयन न कराये जाने के निम्न विशेष कारण हैं :—

(1) राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेज ब्रान्च) 5-11-62 से पृथक् की गई। इसके पश्चात् कुछ अर्सा इसको पूर्ण व सुचारु रूप से निर्मित करने में लग गया और अगस्त, 1963 में इसकी जो वरिष्ठता सूची निकाली गई उस पर काफी एतराजात हुए यहां तक कि कई रिट याचिकायें राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई जिनका फैसला फरवरी, 1966 में हुआ। ऐसी परिस्थिति में जब कि पदोन्नति का आधार वरिष्ठता सूची होता है किसी प्रकार की स्थायी नियुक्तियां करना सम्भव न था।

Page No. 73

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(2) कालेजों की संख्या एक से पांच तक समय समय पर बढ़ जाने के कारण योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता भी बढी। साथ ही साथ जनरल मेडिकल सर्विस में उन योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञों (स्पेशलिस्ट्स) में असन्तोष बढ़ा जिनको राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेज ब्रान्च) में स्थानाभाव से नहीं लिया जा सका था। इन विशेषज्ञों को राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेज ब्रान्च) में प्रविष्ट करने के लिए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की और नियमों में संशोधन किए। इस कार्यवाही में कई तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हुई और काफी समय लगा परन्तु कार्य सम्पन्न हो चुका है और कमेटी की रिपोर्ट अब कार्यान्वित की जा रही है। योग्य व अनुभवी विशेषज्ञों को राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेज ब्रान्च) में प्रविष्ट किया जाने से पहले क्लिनिकल शाखा में व्याख्याताओं के पद लोक सेवा आयोग को चयन के लिये देना उचित नहीं है।

वैसे अब काफी कठिनाइयां हल हो चुकी हैं और स्थायी नियुक्तियां करने हेतु क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल शाखाओं में प्राध्यापकों और प्रवक्ताओं का चयन विभागीय प्रोमोशन कमेटी द्वारा हो चुका है और स्थायी नियुक्तियां शीघ्र ही कर दी जावेंगी। नॉन क्लिनिकल शाखा में व्याख्याताओं का चयन भी इस कमेटी द्वारा हो चुका है और डिमान्स्ट्रेटरों के पद लोक सेवा आयोग को चयन के लिये दिये हुए हैं। आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर डिमान्स्ट्रेटरों को स्थायी नियुक्तियां कर दी जावेंगी।

यह स्पष्ट है कि मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को प्रोवीजनल बेसिस पर वेतन का भुगतान परिस्थितियोंवश किया गया है, परन्तु ये परिस्थितियां अब काफी समाप्त हो चुकी हैं और शीघ्र ही स्थाई नियुक्तियां होने पर प्रोविजनल बेसिस पर वेतन पाने वाले केवल वही अध्यापक होंगे जिनकी अस्थायी नियुक्तियों की अवधि बढ़ाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी और ऐसे अध्यापकों की संख्या बहुत कम होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रोविजनल बेसिस पर जिन डाक्टरों को पेमेन्ट किया जा रहा है उनकी संख्या कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि 62 में मेडिकल कालेज सर्विस जब अलग हुई तो उसके बाद में कहीं किसी की परमानेन्ट नियुक्ति हुई ही नहीं और जितने भी अपोइन्टमेन्ट हुए वे सब टाइम टू टाइम एडहाक बेसिस पर हुए और इसका कारण बता दिया गया है। फिर मेडिकल सर्विस रूल्स बने, उसके अनुसार फिर सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई पर उसको हाई कोर्ट में चैलेन्ज कर दिया गया। फिर दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरार का रिक्रूटमेन्ट हो सकता था वह हुआ। इसके बाद रूल्स नये अमेण्ड करके उसके अनुसार जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई तो स्पेशलिस्ट बाहर थे उनको भी मेडिकल सर्विस में मौका दिया गया और रूल्स अमेण्ड किये गये और अब रीडर-प्रोफसर आदि के लिए डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी बिठा चुके हैं जिसमें पी.एस.सी. के चेयरमैन एसोशियेटेड थे, उसमें चयन कर लिया गया है और अब पी. एस. सी.]

(श्री दामोदरलाल व्यास)
से एप्रूवल भी आ गया है और अब परमानेन्ट-सब्सटेन्टिव एपोइन्टमेन्ट के आर्डर हो जावेंगे। जितनी तादाद आप कहते हैं वह मैं अभी नहीं दे सकता। They are all Ad-hoc and every body will be treated as temporary as I told you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जानकारी मैं चाहता था और मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में भी इस बात की सूचना दी थी कि जितने डाक्टर हैं जिनको प्रोवीजनल बेसिस पर आप चला रहे हैं वे 90 परसेन्ट के करीब हैं। सरकार सदन में शिकायत करती है कि राजस्थान में डाक्टर सरकारी सेवा में नहीं आते, नहीं रहते। इसका एक बहुत बडा कारण आपकी यह दुर्नीति है कि पांच-पांच साल तक राजस्थान के मेडिकल कालेज में डाक्टरों को प्रोवीजनल बेसिस पर पेमेन्ट दिया जाता है और कोई भी डाक्टर पांच साल सर्विस में रहने के बावजूद अगर अपने एक्सटेन्शन के लिये सेक्रेटेरियेट के चक्कर काटे तो वह यह नहीं करना चाहेगा और यही कारण है कि आपके यहां डाक्टरों की कमी है। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तो अच्छी है कि आपने डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की मीटिंग बुलाने का फैसला कर लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मीटिंग बुलाने का फैसला ही नहीं किया बल्कि फाइनेलाइज भी कर चुके हैं और वह उसकी रिकमण्डेशन्स पी. एस. सी. से एप्रूव भी हो चुकी हैं फाइनल आर्डर होने बाकी हैं अब तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो फिर प्रोवीजनल बेसिस पर कोई डाक्टर नहीं रहेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान करारोपण।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन था।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी जवाब दे रहा हूं। आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष : करौली ...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी आज्ञा से रामानन्दजी ने कल स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उसके बारे में स्टेटमेन्ट दे दूं आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष : जी हां। दे दें।

अलवर नगर में पानी भर जाने से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : अलवर नगर के एक हिस्से में पानी भर जाने से वहां के रहने वाले आदमियों को खतरा पैदा हो गया और मकान गिरने का अन्देशा पैदा हो गया। उसके लिये उन्होंने जो सुझाव दिया उसकी बिना पर कलेक्टर अलवर को हिदायत कर दी गई है कि वे सब अधिकारियों की मीटिंग करके इसका हल निकाल कर खतरे से उस एरिया, को जहां पानी भर गया है, बचाने का प्रबन्ध करें जल्दी से जल्दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने इस बात की जानकारी प्राप्त की है या नहीं कि जो वहां पर यू. आई. टी. ने नाला बनाया है वह नाला टेक्निकली गलत बन गया है और उसके कारण पानी शहर में रुकने से समस्या पैदा हो गई है और इसलिये उस नाले के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टेक्निकल डिफेक्ट को दुरुस्त करने के लिये क्या आवश्यक कदम सरकार ने उठाये हैं ? क्या इस बारे में सरकार को जानकारी मिली है या नहीं ? और मिली है, तो सरकार उस बारे में क्या कदम उठाने को सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर को टेलीफोन पर आपके स्थगन प्रस्ताव को पूरा पढ़कर सुना दिया है और यह भी हिदायत कर दी गई है कि नाले में टेक्निकल डिफेक्ट हो तो टेक्निकल आदमियों से जानकारी करके उसका हल निकालने के लिये सबकी सलाह मशविरा से कोशिश करें ।

एस. डी. एम. करौली द्वारा एक सैनिक के प्रति दुर्व्यवहार सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : करौली एस. डी. एम. कोर्ट द्वारा मिलिटरी मैन से असभ्य व्यवहार ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, श्री श्रवणलालजी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने तहसील करौली में एक सैनिक को गिरफ्तार करने और उसके साथ एस. डी. एम. का असद् व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उपरोक्त मामले में जिलाधीश सवाई माधोपुर से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है जिसके आधार पर पाया जाता है कि श्री मिश्राराम ने दिनांक 15-6-67 को एस. डी. एम. करौली के समक्ष उपस्थित होकर अदालत में 80 किलो आटा व 15 किलो चीनी का परमिट अपने 2 माह के अवकाश के खर्चे के लिये लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया । एस. डी. एम. ने शक्कर के लिये ग्राम पंचायत में दरख्वास्त देने को कहा और आटे का परमिट देने के लिये कोई प्रावधान न होने से दरख्वास्त नामंजूर की । श्री मिश्राराम इसके बाद अदालत के बाहर ही ठहर गये । किन्तु लगभग 2 बजे जब एस. डी. एम. लंच में जाने के लिये डायस से उतरने लगे तो मिश्राराम ने रास्ता रोक लिया और कहा कि "नहीं जाने दूंगा" । इस पर मजिस्ट्रेट वापिस कुर्सी पर बैठ गया और हस्ब दफा 341 आई. पी. सी. के अन्तर्गत मिश्राराम द्वारा अपराध करने के कारण कार्यवाही प्रारम्भ की व मुंसिफ मजिस्ट्रेट करौली ने इस्तगासा तैयार किया । अभियुक्त मिश्राराम को हस्ब दफा 64 सी. आर. पी. सी. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करौली को इस्तगासा तैयार किया । अभियुक्त मिश्राराम को हस्ब दफा 64 सी. आर. पी. सी. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेश देने के सिलसिले में नाम पता पूछने पर मिश्राराम और अधिक उत्तेजित हो गया तथा नाम बताने से इन्कार किया तथा बहुत शोर किया और बाधा उपस्थित की । एवं इस प्रकार न्यायालय की मर्यादा भंग की । इस स्थिति को देखकर मजिस्ट्रेट ने चालानी गार्ड को आदेश दिया कि वो मिश्राराम को गिरफ्तार कर ले । कान्स्टेबल उमरावसिंह ने मिश्राराम को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया । परन्तु अभियुक्त ने पूरी तरह रेसिस्ट किया और यह दलील पेश की कि वह मिलिटरी वर्दी में था इसलिये उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए । किन्तु मजिस्ट्रेट ने मिश्राराम द्वारा किये गये जुर्म को देखते हुए उसको गिरफ्तार करने के आदेश की तामील करने को कहा । इस पर मिश्राराम ने कान्स्टेबल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उमरावसिंह पर आक्रमण कर दिया और अदालत के कमरे में ही गुत्थमगुत्था हो गई। श्री रघुनाथप्रसाद एडवोकेट, जो बार एसोसियेशन के प्रेसीडेण्ट भी हैं, ने बचाव करने की चेष्टा की तो उनसे भी अभियुक्त गुत्थमगुत्था हो गया।

श्री उमरावसिंह और श्री रघुनाथप्रसाद दोनों के चोटें आईं। उपरोक्त स्थिति में अदालत द्वारा मिश्राराम के खिलाफ जिसने न्यायालय की मर्यादा भंग की, अपमान किया, व न्याय कार्य करते समय बाधा डाली धारा 228 ताजीरात हिन्द में अपराध मानकर हस्ब दफा 480 जाब्ता फौजदारी में कार्यवाही की।

मिश्राराम को अपराध सुनाया गया व उसे सुनने का अवसर दिया गया। तो उसने अपराध स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा न करने की प्रार्थना करते हुए क्षमा चाही। उसने यह भी बताया कि वह घरेलू परिस्थितियों से परेशान हो गया था और गेहूं व चीनी के लिये दर्ख्वास्त नामन्जूर हो जाने से उत्तेजित हो गया, जिससे अपराध कर बैठा। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोसीजर के अनुसार अन्त में अभियुक्त के सैनिक होने की बात को भी ध्यान में रखते हुए धारा 228 ताजीरात हिन्द के अपराध में अभियुक्त पर 11) रुपये मात्र जुर्माना किया व जुर्माना जमा न करने पर 2 दिन की सजा का आदेश दिया। मिश्राराम ने उसी समय जुर्माना जमा करवा दिया।

यह पाया जाता है कि मिश्राराम ने न तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये कोई मांग की थी और न उसको पुलिस द्वारा पीटने की ही बात कही। जुर्माना जमा करने के पश्चात् उसने अदालत में यह भी प्रार्थना की कि उस पर जुर्माना करने के आदेश को कन्डोन कर दिये जावें वर्ना मिलिटरी अधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, किन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा सजा सुना देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतिरिक्त जिलाधीश की जांच रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि मिश्राराम ने सारे मामले को गलत व अतिरंजित रूप दिया है। एस. डी. एम. द्वारा हस्ब दफा 228 ताजीरात हिन्द कार्यवाही की गई और फैसला दिया गया उस विषय में यहां कुछ न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि मिश्राराम के खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ है तो उसको ऊपर की अदालत में जाकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। जहां तक उसके साथ ज्यादती करने के आरोप हैं जांच परिणामों से ऐसा नहीं पाया जाता और न ही किसी प्रकार का असन्तोष उस क्षेत्र में है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि वह चीनी के लिये आया और उसको चीनी नहीं दी, मिश्राराम ने एस.डी.एम. को रोका वगैराह इसके साथ साथ उसको जो सजा दी उन सब की कापी आप मंगा लेते तो आपको मालूम हो जाता कि फौजी की क्या गलती थी, फौजी अपनी ड्रेस में था या नहीं ? मैं आपको बताऊं कि वकीलों ने बाहर लेजाकर उसको पीटा। 8 बजे कोर्ट खोली गयी। जंजीरों में जकड कर उसको 6 मील दूर लेजाया गया। (शेम शेम) आपने इसकी पूरी रिपोर्ट देखी नहीं। आपको इसकी जांच करानी हो तो अलग निष्पक्ष पुलिस

(श्री मदनसिंह दांता)

अधिकारी को भेजें या या इधर के एम. एल. ए. का बेंच बिठा दीजिये ताकि वह जांच करे। उस फौजी के साथ बडा अनर्थ हुआ है। हिन्दुस्तान में आज तक फौजी को उसकी ड्रेस में न तो किसी के द्वारा पीटा गया है, यहां पर उसको वकीलों के द्वारा पीटा गया और उसको बाहर ले जा कर उसको बुरी तरह से पीटा गया। उसने रुपया नहीं जमा कराया और न ही उसने माफी मांगी है। दूसरों ने दिये। हनुमानजी के मंदिर में बेहोश था तब उससे दस्तखत करवा लिये। जंजीरों में जकड कर उसको ले जाया गया और छः मील दूर पटक दिया रात में। (शेम, शेम की आवाज) सचाई लेना चाहते हैं मामले की तो आप निष्पक्ष जांच कराइये। कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आयी है वह ठीक नहीं है। जहां फौजी इलाका है, एक नहीं अनेक घटनायें हुई हैं, कलेक्टर और एस. डी. ओ. लेवल पर अन्याय हो रहा है।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। क्लेरिफिकेशन के लिये प्रश्न पूछिये कोई एम्बीगुएटी इसमें रह गयी होतो।

श्री श्रवणलाल : जो बात मेरी जानकारी में है और मैंने वहां जाकर उसको देखा है, उसको मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने नहीं रखूंगा तो कैसे होगा?

श्री अध्यक्ष : मैंने नियमों का प्रावधान रखा है।

श्री श्रवणलाल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख इस बात के लिये होता है कि हमारी सरकार फौजी भाइयों के लिये नियम बना कर उनका ढिंढोरा इस प्रकार पीटती है कि हम फौजियों के लिये अनेक प्रकार की सुविधायें देंगे, उनके बच्चों के लिये स्कॉलरशिप देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य : इतना समय नहीं है। प्रश्नों से आप पूछ लीजिये मैं उसमें लिबरल रहूंगा। आप तो भाषण देने लग गये। जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न रखे वैसे ही आप पूछ लीजिये।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे देश की रक्षा करने के लिये हैं, हमारी इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचने वाले हैं उनके साथ, एक फौजी भाई के साथ चीनी के लिये, जो फौजी की फुल ड्रेस में था, इस प्रकार की पिटाई की जाय, उसको इस प्रकार पीटा जाय जिससे उसको किसी प्रकार होश न रहे यह लज्जा और शर्म की बात है। जिसके घर में शादी थी, जो चीनी और अनाज के लिये एस. डी. एम. का चक्कर लगा रहा था, वह चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया, लास्ट में एस. डी. एम. मौजूदा था, उसने कहा कि मुझे चीनी और अनाज नहीं दिया जाता है तो मुझे इन्कार कर दिया जाय जिससे शादी के लिये मैं दूसरी जगह अरेन्जमेन्ट करूं। इसके लिये वहां चालानी गार्ड को बुलाया और कहा कि इसको अरेस्ट कर लिया जाय। फौजी ने कहा कि आपके यहां से कोई लिखित ऑर्डर नहीं है गिरफ्तार करने का। उसके बाद क्या होता है कि चालानी गार्ड के सिपाहियों, वहां एक वकील था उसके द्वारा

(श्री श्रवणलाल)

किस प्रकार उसको पीटा जाता है कि उसको एक बन्द कोठरी में लेजाया जाता है वहां पर बेंतों, डंडों और घूंसों से उसको मारा जाता है। वह बेचारा फौजी भाई जो देश की बीस साल से सेवा कर रहा है, नदिया जिला वेस्ट बंगाल में राष्ट्र की सेवा कर रहा था, दो महीने बहिन की शादी के लिये छुट्टी आया था, आज उसके लिये चीनी नहीं है और उसको इस प्रकार पीटा जाता है। चीनी मांगों तो उसको जेल भेजा जाता है। उस पर 11) रुपया जुर्माना किया जाता है, इससे अधिक शर्म की बात इस सरकार के लिये और नहीं हो सकती। क्या उम्मीद की जा सकती है इस सरकार से ? हमारे देश की रक्षा करने वालों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, उनको जेल भेजा जाय, पीटा जाय, उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जाता है और ऊपर से मंत्रीजी ऐसा जवाब देते हैं जो बिल्कुल ही असत्य है।

(12.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभानेत्री महोदया, मैं विश्वास दिला कर कहता हूं कि एस. डी. एम. ने अपनी जेब से जमा कराये रुपये। उसने कहा कि माफी मांगो। फौजी ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, इसका जजमेन्ट आगे होगा। न्याय आगे होगा, मैं माफी नहीं मांग सकता। यह सलूक उन मिलिट्री भाइयों के साथ में हो रहा है जो देश की रक्षा करने वाले हैं जिनके खातिर ये लोग आज यहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिये ये ढकोसलेबाजी बातें कह कर एस. डी. एम. को बचाना चाहते हैं। ब्लेक मार्केट करता है चीनी का उसको ये बचाना चाहते हैं। उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं। पचास रुपया कोई देगा तो उसको दस किलो, बीस किलो चीनी मिल जावेगी। उसके लिये कहते हैं कि ग्राम पंचायतों से लेना चाहिये। स्पेशल परमिट देते हैं। औरों के लिये नहीं। कहते हैं कि ग्राम पंचायतों से ले लो। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में चीनी अवेलेबल है ? उस फौजी की जेब में पैसा नहीं था। पचास रुपया एस. डी. एम. को दे देता तो उसको चीनी मिल जाती। आटा मिल जाता और साधन मिल जाते। जो इस प्रकार अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको तो और प्रमोशन देते हैं कि अच्छा किया मिलिट्री मैन को ठोका अच्छा किया। उस के खिलाफ 11) जुर्माना करके देश की रक्षा करने वाले के साथ अच्छा बर्ताव किया आपने ?

सभानेत्री महोदया, मेरा इलाका फौजियों का इलाका है। हजारों की संख्या में फौजी वहां से जाते हैं। यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव होगा तो एक दिन वह आवेगा कि मंत्री महोदय एस. डी. एम. तो क्या आपको भी भागना पड जावेगा। इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाय। उस फौजी की कोई गलती नहीं थी। उसको पीटा गया। उसके लिये बाधायें उत्पन्न कीं। इमिडियेटली एक्शन लिया जाय। यदि आपने इस देश की रक्षा करने वालों के साथ इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के प्रति एक्शन नहीं लिया तो उस इलाके के हजारों मिलिट्री मैन हैं, एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जावेगी।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(1 म. प.)

श्री शिवचरण सिंह (महुआ) : माननीय सभानेत्री महोदया, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आया हूं जिस जगह का यह वाकया है, इसलिए मुझे भी बोलने का समय मिलना चाहिए। मैं सभापति महोदया, आपको अर्ज करूं कि जिस दिन यह घटना घटी मैं भी वहां पर मौजूद था और जिस फौजी भाई के साथ यह हुआ....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही है।

श्री श्रवणलाल : जिस जगह यह घटना हुई उसी जगह के माननीय सदस्य हैं इसलिए बोलने का मौका दिया जाय।

श्री शिवचरण सिंह : इसके पीछे वास्तविकता क्या है वह मैं आपको अर्ज करूं कि आपकी राज्य सरकार की ओर से हमारे क्षेत्र में जहां से हजारों लोग आज फौज में हैं उनके लिए राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी फौज से जवान छुट्टी पर आता है तो उसको राशन मनी मिलता है न कि राशन। एक तरफ तो केन्द्र सरकार राशन का स्टैन्डर्ड नियत करती है और दूसरी तरफ फौजी आते हैं उनको पैसा मिलता है न कि राशन मिलता है, इसलिए राज्य सरकार का फर्ज हो जाता है कि उस इलाके में जहां फौजी हैं वहां पर विशेष प्रकार से राशन की व्यवस्था की जाय। हमारे क्षेत्र के हजारों आदमी फौज में हैं, और उनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, और वहां पर वह एक एक किलो अनाज के लिए तरसते हैं। चीनी की एक घटना घटी है, लेकिन इस प्रकार की घटनायें दैनिक जीवन में घटती रहती हैं। वहां पर राजा महाराजाओं को, महाराजा बृजेन्द्रपाल सिंहजी जो कि करौली के हैं उनको 5-5 बोरी चीनी की परमिट दी जाती है और वहां पर और-और संस्थाओं को बीस-बीस बोरी का परमिट होता है, लेकिन एक फौजी के लिए 10 किलो चीनी नहीं हुई यह हमारी सरकार के लिए एक लज्जा का विषय है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था है, और इस प्रकार से फौजियों का अपमान हो और जो उनके सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की जाती है, यह राज्य सरकार के लिए एक लज्जा का विषय है। हमारे राज्य के अन्दर फौजियों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं है, फौजियों के लिए जो सुविधायें दी जाती हैं राजस्थान के अन्दर सारी सुविधाओं के अन्दर मैं कहूंगा कि सवाई माधोपुर में फौजियों को जमीनें दी जाती हैं लेकिन उसमें भी राजनैतिक आधार होता है। इस इलाके के फौजियों को कोई जमीन नहीं दी जाती है। उनकी जमीन के मामले आज भी राजस्थान सेक्रेटेरियट में पड़े हुए हैं। एक मामला भी नहीं सुलझा है। राशन के मामले में भी मैं जब प्रधान था तो बीसियों चिट्ठियां मैंने लिखीं और आज भी राज्य सरकार के सामने इसका प्रश्न उठाया। आप इसकी इन्क्वायरी करें और मालूम करें कि क्या तथ्य हैं, मैंने इसके एम्पलॉयमेन्ट का मामला उठाया। आज आप एम्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से मालूम करें कि एक भी फौजी को नौकरी मिली है? रेग्युलर पुलिस के अन्दर आज फौजियों की भर्ती का प्रावधान है लेकिन वहां उनकी भर्ती नहीं होती है। आर. ए. सी. में उनको भर्ती नहीं किया जाता है, और आज भेदभाव का वातावरण चल रहा है, और इस प्रकार से आज राजनैतिक दबावों के आधार पर चीनी का वितरण,

(श्री शिवचरणसिंह)
अनाज का वितरण किया जाता है और इसकी जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था आपने बना रखी है उसमें सब के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। चाहे कोई राजा हो या गरीब हो उन दोनों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो आप यह भेदभाव करते हो यह कहां तक उचित है ? यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस घटना की पूरी जानकारी करके उचित व्यवस्था करें..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप वहां पर मौजूद थे आप ईमानदारी से कहें कि घटना सही है या नहीं ?

श्री शिवचरण सिंह : य हवलदारह मेजर शक्कर लेने गया तो यह कह दिया गया कि आप वर्दी पहन कर आओ वर्ना हमें मालूम नहीं कि आप फौजी हैं या नहीं। दूसरे दिन जब वह वर्दी पहनकर गया है तो उसको शक्कर के लिए इन्कार कर दिया गया जब कि मैं आपको अर्ज करूं कि उसी दिनउसी तारीख को कई परमिट्स शक्कर के इश्यू हुए ह। जब उसको मना किया गया तो उसने कहा कि आप मना कर दो कि मुझे शक्कर नहीं मिलेगी, और अगर आप दूसरों को देते हो तो मुझे भी देनी पडेगी। वहां पर उसने इस बात को कोर्ट के अन्दर कहा। म आपको कहूं कि जिस समय एस. डी. ओ. शक्कर दे रहा था उस समय वह कोई जुडीशियल कोर्ट में नहीं था वह उस समय सप्लाई आफिसर की हैसियत से था और उसने कन्टेम्प्ट कोर्ट का मुकदमा चलाया, वह गलत है। जिस समय वह परमिट की कार्यवाही कर रहा था उस समय वह जुडीशियल मजिस्ट्रेट या एस. डी. एम. की कैपेसिटी में नहीं था बल्कि सप्लाई ऑफिसर की कैपेसिटी में था और जो उसने 11 रुपये का उस पर जुर्माना किया है यह बिल्कुल अवैधानिक है, और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए, और जिस प्रकार से एक अधिकारी ने एक फौजी भाई का अपमान किया है, और इस प्रकार की व्यवस्था पैदा की है उसके बारे में उसको सजा मिलनी चाहिए, वर्ना उसके परिणाम बहुत खराब होंगे।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदया, जहां तक जवानों का सवाल है इस सदन में हम काफी बोल चुके हैं, और जो अभी फिलहाल में घटना घटी है इसको सुनकर इस राजस्थान के वीर जो भारत भूमि की रक्षा के लिए तैनात हैं उनको सभी को दुख जरूर हुआ होगा, क्योंकि यह बात अखबारों में आई है। जहां तक सवाल परमिट का या और दूसरी फैसेलिटीज का है अगर एक जवान दो महीने की छुट्टी पर आता है और जिला अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना करके फौजी जवान की इस प्रकार से बेइज्जती करके, जिस बेइज्जती से इस सरकार का विश्वास ही नहीं उठता है बल्कि जवानों की वह सहनशीलता और वह उत्साह भी मारा जाता है जिसको लेकर जवान इस देश की आजादी को कायम रखने के लिए बोर्डर पर लडते हैं। आज यह जो मसला सामने है कि एस. डी. ओ. ने जुडीशियल पॉवर्स नहीं होते हुए भी उस फौजी के ऊपर 11 रुपया जुर्माना किया, उसको मारा गया, उसकी

(श्री विजयसिंह रावत)

बेकदरी की गयी और मार-पीट कर बाहर निकाला गया क्या यह न्यायसंगत था ? किसी भी अधिकारी के लिए किसी भी जज के लिए क्या यह उचित है ? आज हमारी फौज की युनिफार्म की कीमत है, जवान की कीमत नहीं लेकिन उसकी युनिफार्म की कीमत है, आज युनिफार्म के ऊपर इस देश की आजादी कायम है उस युनिफार्म के अन्दर 50 करोड़ की आज हमारे देश की जन संख्या है। 50 करोड जो इस देश के नागरिक हैं उनके सम्मान, उनकी इज्जत और आबरू युनिफार्म के अन्दर है। अगर उस युनिफार्म की इस प्रकार से बेइज्जती की गयी है तो इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाये और एस. डी. ओ. कुसूरवार निकले तो उसको सजा दी जाय, और मैं तो यह कहता हूं कि अगर सरकार अपने आदेश कागजों पर देकर कहां तक उनकी क्रियान्विति होती है इसको नहीं देखती है तो इस ज्यादती को देखते हुए एक दिन ऐसा आ सकता है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक हैं और सेना में नौकरी कर रहे हैं उनके दिलों में ऐसी अडचन पैदा हो सकती है कि जो मंत्री यहां दिखाई देते हैं और एस. डी. ओ. वगैरह हैं वह ऑफिसों में नजर नहीं आयेंगे, शायद ऐसा समय आ सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं नहीं कहता हूं सिर्फ भाषण के लिए लेकिन सुझाव के लिए कहता हूं कि यह जो चीज की जा रही है जो वर्दी के अन्दर अन्याय किया जाता है यह न्यायसंगत नहीं है। देश की परम्परा और देश की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने के लिए है यह और इसके ऊपर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। इसके ऊपर हम कई दफा बोल चुके हैं, और लड़ाई के मैदान में क्या सोलजर्स के ऊपर गुजरती है और डेढ़ महीने की छुट्टी में भी उसके साथ क्या क्या बीतती है फिर भी अगर सरकार कानों में तेल डालकर अपने फौजियों को किसी प्रकार की राहत नहीं देती है और अधिकारियों के ऊपर पाबन्दी नहीं लगाती है तो बहुत ही खेदजनक बात है सरकार के लिए।

(श्री गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय कह रहे हैं सुन लीजिए।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मंत्री महोदय ने जो कहा है वह हमने सुना है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कुछ घटना हुई है उसके लिए एक कमेटी बैठाई जाय और जांच की जाये। सदस्य कहते हैं फैक्ट्स यह हैं और मंत्रीजी ने जो कहा है वह भी सुना है इसके लिए एक कमेटी बैठा दी जाय जो इसकी निष्पक्ष जांच करे...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहें जो कुछ कहना है मैं जवाब दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : सभानेत्री महोदया, जो मंत्री महोदय ने कहा है और जिला अधिकारियों ने जो उनके पास सूचना भेजी है उसको ही ब्रह्म का अक्षर मानकर पढ़ कर सुना दिया।। स्वयं कांग्रेस के सदस्य ने भी माना है कि वहां पर ज्यादती हुई है और फौजी भाई के साथ ज्यादती की गयी है। रात के 8 बजे उस पर मुकदमा चलाया गया है

(श्री नत्थीसिंह)
और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं · · ·

श्री श्रवणलाल : (श्री शिवचरण सिंह व श्री दामोदरलाल व्यास के आपस में वार्ता करने पर) सभानेत्री महोदया वहां माननीय सदस्य को दबाया जा रहा है।

श्री नत्थीसिंह : आप देख लीजिए अभी भी उनको दबाया जा रहा है · · · ·

श्रीमती सभानेत्री : आप बोलना जारी रखें।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर सदन के माननीय सदस्यों की रक्षा के लिए हैं। यहां पर फौजियों का सवाल है उसमें रात को 8 बजे जबरदस्ती कोर्ट बैठाकर सजा दी और उसके साथ में अभद्र व्यवहार करना यह एडमिनिस्ट्रेशन की निरंकुशता की हद है और इसको केवल कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही नहीं विश्वास करके आप निष्पक्ष कमीशन बैठाकर इसकी जांच करायें। अगर फौजी का दोष है तो ठीक है उसको सजा दी जाय और अगर इस तरह से एक एस. डी. ओ. ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करके मजिस्ट्रेट की हैसियत से उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि सब के कान खड़े हो जायें और आपसे राज्य चल नहीं पा रहा है आप तो केवल लीपापोती करते हैं। वे कितना भी अन्याय करें, कितना भी अत्याचार करें, इस सदन में बैठ कर आप उनकी रक्षा करते हैं। यह गलत टेंडेंसी है। उन्होंने बदमाशी की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए कमीशन की मांग को मंजूर करना चाहिए ताकि सही तथ्य आपके सामने और सदन के सामने आ सकें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : एक फौजी के साथ में ऐसा बर्ताव होता है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा ? कैसी हालत आम जनता की ये लोग करते होंगे ? इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य सदन के सामने आए हैं उनसे यह बात अवश्य प्रतीत होती है कि माननीय मंत्रीजी के पास जो केवल अफसरों की रिपोर्ट आई है उस पर केवल एतबार नहीं करके एक इण्डिपेंडेंट इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वह स्वयं इसको करें या इस सदन के माननीय सदस्यों को मुकर्रर करें, लेकिन एक नॉन-ऑफिशियल तरीके की जांच होनी चाहिए और एक ज्युडिशियल ऑफिसर के साथ-साथ उनकी ड्यूअल कैपेसिटी होने के कारण उन्होंने अपने ज्युडिशियल फंक्शन को इस तरह से इस्तेमाल किया है तो यह सीरियस मैटर है। कई ऐसे मामले और भी आए हैं जहां कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से किसी मजिस्ट्रेट ने जब कोई बात हो गई और जब वह एड-मिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहे थे तो फौरन अपने ज्युडिशियल कैपेसिटी के पॉवर्स को इस्तेमाल करके कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट के केसेज बनाये गए हैं। यह बात दूसरी है कि ऐसे केसेज सदन के सामने नहीं आए हों। तो यदि एक भी मामला इस प्रकार का पकड़ा जाता है और उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही होती है तो यह टेंडेंसी ज्यडिशियल ऑफिसर्स की कम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पायेगी । इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले पर कोई भी इण्डिपेंडेंट एन्क्वायरी कराई जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदया, वास्तव में दो मामले इसमें साथ में हैं । एक तो यह है कि वह फौजी शक्कर का या आटे का परमिट लेने के लिए एस. डी. एम. के पास गया और उसने परमिट देने से इन्कार कर दिया । उसे परमिट देना चाहिए था या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, यह दूसरा प्रश्न है जिसकी तो अलग से जांच की जायेगी या जो कुछ कार्यवाही की जा सकती है उसके खिलाफ वह की जायेगी । परन्तु इस मामले में केवल परमिट देने या परमिट नहीं देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि यह सवाल भी है कि एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अपनी अदालत से बाहर जाता है तो वह उसको रोक देता है, जाने नहीं देता । उसके बाद अदालत में आकर शोरगुल मचाता है, अदालत की कार्यवाही में दखल देता है तो वे कण्टम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनीशियेट करते हैं अपनी अदालत के अन्दर । अब सवाल यह आता है कि कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट हुआ या नहीं हुआ । आया वे ज्युडिशियल वर्क कर रहे थे या नहीं जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे सप्लाई का वर्क कर रहे थे । तो यह सारा मामला ऐसा है कि किसी भी ज्युडिशियल डिसिजन के अन्दर, मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेन्ट उसके मैरिट्स और डी-मैरिट्स में नहीं जा सकता । उसकी अपील तो, अपीलेट ऑथोरिटी सेशन्स कोर्ट में ही हो सकती है या हाई कोर्ट में हो सकती है । वे ही उसकी मैरिट्स में जाकर फैसला कर सकते हैं कि आया उसने जो ज्युडिशियल डिस्चार्ज आफ ड्यूटी कर रहे थे उसमें ऑब्स्ट्रेकल किया या नहीं किया । जहां तक उसको 11) रुपये जुर्माना कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट के लिए करने का सवाल है मैं तो उसके लिए आपको यही अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य सदन के बहुत से लायक वकील हैं, वे इस बात से सहमत होंगे और कम से कम मुझे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात को सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ, वह एक बहुत लायक और काबिल वकील हैं, यह मैं जानता हूं, वे इस बात को सोचें कि कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेन्ट जा नहीं सकती । **That is purely Judicial decision.** उसके डिसिजन के लिए स्टे के लिए एप्लाई करना पड़ता है और ऊपर की कोर्ट में जाकर इस डिसिजन को सेट एसाईड कराया जा सकता है, इसमें गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, यह माननीय सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कहना मुनासिब समझा कि वह कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट गलत था...

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्न तो यह है कि उस समय वह ज्युडिशियल कंपेसिटी में नहीं था...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुनिए मेरी बात को पहले ।

श्री विजयसिंह रावत : कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट में तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए...

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले आप मेरी बात सुनिए । इसलिए मने आपको अर्ज

Page No. 84

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किया कि जहां तक कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट का सवाल है, उसके लिए तो मैं केस की मैरिट्स में जा नहीं सकता। उसको डिटरमिन नहीं कर सकता। रहा सवाल इस बात का कि माननीय सदस्य कहते हैं कि उसका कोई कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। मुझे इसकी कानूनी जो स्थिति है उसके अन्दर संदेह है इस बात का कि एक सिपाही, या एक पुलिस का अफसर या एक फौजी जो कि छुट्टी की दरख्वास्त देकर आता है और उसने अदालत की तोहीन की है और उसके लिए अदालत ने कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट की सजा दी है तो भी उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मुझे इस पर शंका है।

श्री विजयसिंह रावत : उसको पाबन्द किया जाय...

श्री दामोदरलाल व्यास : सभानेत्री महोदया, यह तरीका बिल्कुल गलत है। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। यह न समझें कि मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं एस. डी. एम. को। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहला आदमी होऊंगा जो यह चाहूंगा कि यदि उसने गल्ती की हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन मुझे अंदेशा है, मैं डेफिनेट नहीं कहता हूं। मेरे पास ए. डी. एम. की रिपोर्ट आई है उसके बिना पर कह रहा हूं और अभी मैंने माननीय सदस्य शिवचरण को बुला कर भी पूछा कि आप वहां मौजूद थे तो आप बताइए कि उन्होंने ऑब्स्टेकल पैदा किया था या नहीं। यह खुद मंजूर करते हैं इस बात को तो कि उसने ऑब्स्टेकल पैदा किया था। मगर जहां तक परमिट देने का सवाल है, दूसरों को परमिट दे रहे थे और उसको परमिट नहीं दिया तो उसको उत्तेजना आना सही था। एक फौज का ऑफिसर या एक फौज का सिपाही छुट्टी पर आता है और वह परमिट लेने के लिए जाता है और उस समय दूसरों को परमिट दे रहे थे और उसको परमिट नहीं दिया गया तो उसका नाराज होना बिल्कुल वाजिब था, परन्तु उस नाराजगी के कारण यदि कोर्ट की ज्युडिशियल प्रोसीडिंग्स में दखल देते हैं तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट की बात गलत भी हो तो भी मैं उसकी मैरिट पर नहीं जा सकता। जहां तक सवाल फौजी अदालत से कोर्ट मार्शल होने का है, मुझे इसमें संदेह है, परन्तु मैं इसे लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन कराऊंगा इस बात को कि आया वास्तव में ऐसी स्थिति है क्या कि कोई फौज का सिपाही अगर छुट्टी पर आता है और कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ होती हैं, वह कोर्ट में ऑब्स्टेकल पैदा करे और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दफा 228 में केस शुमार करके प्रोसीडिंग्स इनीशियेट करके कन्विक्शन कर सकता है, यह अदालत का अधिकार है, तो इसको भी कोर्ट मार्शल में जाना चाहिए, इसके बारे में मुझे संदेह है और इसलिए मैं लॉ डिपार्टमेन्ट से इसको एग्जामिन कराऊंगा और जैसी उनकी राय आएगी उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

रहा सवाल परमिट देने का। इस बारे में मेरी मान्यता यह है कि एस. डी. एम. ने इसको टैक्टलेसली हैंडल किया है उस सिपाही

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के साथ। यह जो कहा गया कि दूसरों को तो परमिट दिए गए और उस सिपाही को परमिट देने से इन्कार कर दिया गया जब कि उसकी बहिन की शादी थी। इस बात को मैं हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पर छोड़ देता हूं कि वे खुद जायें वहां पर और इन्क्वायरी करके आयें और मुझे विश्वास दिलायें कि यह बात सही है तो मैं यह कहूंगा कि उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनरल उमराव सिंहजी स्वयं इसमें जांच कर लें कि क्या यह बात वाकई सही है। केवल इस आधार पर कि एक दरख्वास्त आ गई और उस दरख्वास्त में जो घटना बताई गई उसी के वाकयात को सही मान लें तो मैं यह कहूंगा कि मेरे लिए इसी एक दरख्वास्त के आधार पर बात को मान लेना मुश्किल है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद इन्क्वायरी करके आते हैं जिनकी कोई इस प्रकार की नीयत नहीं हो सकती कि वे एस. डी. एम. को बचायें और उस देश के फौजी के प्रति जैसी आपकी हमदर्दी है, हमारे भी दिल में वैसी ही हमदर्दी है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दिल में भी वैसी ही हमदर्दी हो सकती है, मैं नहीं समझता कि कोई भी एस. डी. एम. को प्रोटेक्ट करने की बात कर सकते हैं। अगर उनका कसूर पाया गया तो इस तरफ कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो ठाकुर साहब हैं अपने, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने जितनी बातें कही हैं तो वे खुद जांच करें इस बारे में और जिस दिन वे आकर मुझे बतायेंगे और मुझे विश्वास दिलायेंगे कि यह बात सही है तो मैं निश्चित रूप से निहायत इन्डिपेंडेंट आदमी से इसकी जांच कराऊंगा जो अदालत के बाहर घटना हुई है उसकी। अदालत की घटना का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कुछ नहीं कर सकता कोर्ट मार्शल का जहां तक सम्बन्ध है, उसका मैं पता लगाऊंगा और उसमें अगर हम कुछ करने लायक बात पा सकें तो वह जरूर की जायेगी। जहां तक परमिट देने का प्रश्न है और इसके साथ जो दूसरी बातें हैं उसकी जांच अवश्य कराऊंगा इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री मदनसिंह दांता (दातांरामगढ़) : प्रश्न यह है कि इसकी मारपीट हुई कि नहीं? उसके अन्दर उसका क्या हाथ है मजिस्ट्रेट का? वकीलों के जरिये मारपीट हुई है उसका गला घोटा गया है। आपने मुझे विश्वास में लेकर कहा है तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मां जाया सगा भाई भी होगा तो भी मैं सत्य कहूंगा। यह सत्य है कि वकीलों के जरिये दो दफा उसको पीटा गया और रात के आठ बजे उसको पीटा गया है......

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे विश्वास है, मगर मैं अर्ज करूंगा कि यह रिपोर्ट देखिये 6 मील दूर का यहां जिक्र किया गया तो मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार यह गलत है। यह बाद की बनाई हुई बात है। फौजी ने एक दरख्वास्त करके इस बात को जाहिर किया है कि अदालत के अन्दर इस मुकदमें में उस पर 11 रुपये जुर्माना हो जाने के बाद उसकी नौकरी को खतरा पैदा हो जायगा उस पर मजिस्ट्रेट ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को वह तब्दील नहीं कर सकता है। उसके बाद में इस प्रकार की दरख्वास्त उसने दी

Page No. 86

(श्री दामोदरलाल व्यास)
हूं, मैं नहीं कहता कि इनकी दरख्वास्त बिल्कुल गलत है, लेकिन यह कहूंगा कि जो जांच की है एडिशनल कलेक्टर ने तो उसकी जांच से यह मामला बिल्कुल गलत पाया गया है। आप कहते हैं कि यह मामला सही है तो आपके पास सही मानने का कोई आधार नहीं है सिवाय उसकी दरख्वास्त के जो कि आपके पास भी आई होगी जैसी कि मेरे पास आई है, और उसी पर मैंने इनीशियेट किया है कि आप जानकारी करके तथ्य बतायेंगे तो यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी जांच के लिए मैं पीछे हटूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक बात है और वह यह है कि आप एक पुराने बुजुर्ग वकील हैं तो आपकी इतनी जानकारी तो होगी और शायद मथुरादास जी भी इस बात को ताईद करेंगे और इस बात को आप लॉ डिपार्टमेन्ट से भी एक्जामिन करा लेंगे कि एस. डी. एम. को स्पेशली कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्राई करके उस पर उसी समय सजा देने का अधिकार है कि नहीं? यानी एस. डी. एम. कन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स ट्राई करले और एक आदमी को जेल भेजदे तो उनको यह अधिकार, यह ऑथोरिटी है भी कि नहीं?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह आप धारा 228 पढ़लें।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : इसीलिये तो मैं बता रहा हूं। आप लॉ डिपार्टमेन्ट से इस बात को एक्जामिन करालें कि एस. डी. एम. साहब ऑथोरिटी थे कि नहीं कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्राई आउट करके उसको सजा दे देते।

दूसरी बात यह भी आप एक्जामिन करालें कि मजिस्ट्रेट साहब अगर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और चले जा रहे हैं या और दूसरी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, चीनी का परमिट दे रहे हैं, उस सिलसिले में अगर कोई आदमी किसी को रोक लेता है तो वह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की तारीफ में नहीं आता है। कोर्ट के बाहर आ रहे हैं जैसा कि आपने कहा कि शिवचरणजी ने इत्तिला दी कि वे कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो रोका। कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टर साहब के सामने पिकेटिंग करते हैं और राशन, चीनी मांगते हैं तो उनको रोक लेते हैं लेकिन वह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की तारीफ में नहीं आता है। इस जांच के आधार पर तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस ऑफिसर ने बिना कानूनी अधिकार के, कानून के दायरे के बाहर इस प्रकार के कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उस सारी पोजीशन पर आप अपील में जायें तो वह बाहर नहीं था तो उससे कैसे उसको रिलीफ मिलने वाला है? आप डिपार्टमेन्टल प्रोसीडिंग्स करके ऐसे आदमी को सस्पेन्ड करके जो भी माकूल सजा हो सकती है डिपार्टमेन्टल लेवल पर वह कर सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास उनका जजमेन्ट है एस. डी. एम. का जो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के केस में दिया है। उस जजमेन्ट के शुरू के इन्ट्रोडक्टरी पैराज को मैंने पढ़ा है तो उनसे ऐसा मालूम होता है जो उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं मुकद्दमात की पेशी कर रहा था, एवीडेन्स

(श्री दामोदर लाल व्यास)

वगैरह रेकार्ड कर रहा था। आपका यह कहना है कि वह सप्लाई का वर्क कर रहा था तो यह जजमेन्ट से मालूम नहीं होता है कि वह सप्लाई का वर्क कर रहा था। जहां तक जजमेन्ट में लिखा है उसके बिना पर मैं कह रहा हूं कि उस तरह का केस बनता है। रहा सवाल इस बात का जैसा कि आपने कहा कि वह बाहर निकलता है, आता है, तो उसकी रिपोर्ट में बाहर निकलते वक्त रोका तो अन्दर गया यह है। लेकिन अन्दर जाकर कार्यवाही की है फौजी ने तो उस पर एक्शन लिया है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं उसको जस्टीफाई नहीं करता हूं कि वह सही है या गलत है। मैंने कहा कि मैं उसके मेरिट्स पर जा नहीं सकता हूं। जहां तक और करने का सवाल है कोर्ट से बाहर का सवाल है, परमिट का सवाल है देने-लेने का सवाल है मेरे ख्याल से मैंने काफी विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि उस पर कार्यवाही अवश्य करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और करदें कि जैसा कि आपने कहा कि अपील में पहुंचे और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था भी है कि फौजियों के मामले में सरकार सहायता दे तो क्या सरकार अपनी तरफ से उस फौजी के लिए किसी वकील को नियुक्त करके इस मामले की अपील कराने का विचार करेगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अगर ऐसे नियम हैं तो किस प्रकार के मुकदमात के लिए है, मैं नहीं कह सकता। अगर सरकारी सहायता चाहेगा फौजी और नियमों में वह आती होगी, तो अवश्य सहायता दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समस्या इससे हल नहीं होने वाली है वह तो अपील में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की जांच पर जायगा, it can strike it out, if it is legal question, but it cannot go into the facts of the case whether Magistrate was working as Judicial Officer in his judicial functinos or whether he was acting as Supplies Officer.

यह तो बहुत विषम परिस्थिति होगी। कई मजिस्ट्रेटों के पास और भी काम होते हैं और जज काम करते-करते परमिट बांटने का भी काम करते हैं। जुडिशियल पावर्स भी हैं तो वह जिससे नाराज होगया तो उसको वह काम करते हुए भी वह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट में रख देगा। अपीलेट कोर्ट फैक्ट्स में नहीं जायेगी। ज्यादे से ज्यादा कह देगी कि जजमेन्ट गलत है उसको बरी कर देगी लेकिन उसको सजा तो नहीं मिल सकती है।

श्री दामोदर लाल व्यास : क्यों नहीं मिल सकती ? कौन सा कानून है कि अपीलेट कोर्ट फैक्ट्स में नहीं जायेगी। मैंने तो ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा है। अपीलेट कोर्ट फैक्ट्स में नहीं जायेगी कि आया वह जुडिशियल फंक्शन कर रहा था या दूसरा काम कर रहा था तो फिर जजमेन्ट क्या करेगी ?

बात यह है कि हर तरह से इत्मिनान दिलाने के बाद आप कानून का मिस-इन्टर-प्रिटेशन करते हैं कि अपीलेट कोर्ट फैक्ट्स में नहीं जा सकती है तो इतना कानून तो हम भी समझते हैं। अपीलेट कोर्ट को फैक्ट्स में जाना पड़ेगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : आप इतना कानून समझते हैं कि वह वर्दी

(श्री विजयसिंह रावत)
पहने हुए था तो वर्दी की बेइज्जती करना ही उस ऑफिसर की गलती हो जाती है और इतनी गलती हो जाती है कि उसको माफ नहीं किया जा सकता है। युनिफार्म पहने हुए सिपाही की इस हालत में कोई बे इज्जती करता है या मारता है तो वह बिल्कुल आफेन्सिव है, और इतना ऑफेन्स है कि जब लड़ाई का जमाना हो तो उस वक्त वह करदे तो शूट करने के ऑर्डर्स होते हैं। आप मिलिट्री के कानून को पढ़िये।

श्री दामोदर लाल व्यास : अगर इन सब बातों पर भी आपको संतोष नहीं होता है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने हर तरह से कह दिया कि हर एन्क्वायरी के लिए तैयार हैं फिर भी आप कहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री मदन सिंह दांता : जब फौजियों के लिए ऐसे ऑर्डर्स हैं तो उन ऑर्डर्स का भी गवर्नमेन्ट पालन नहीं करती है।

श्री दामोदर लाल व्यास : अगर ऐसा होगा कि किसी ऑफिसर को अधिकार नहीं होगा इसमें मुझे भी सन्देह है कि उसका इस मामले में भी कोर्ट मार्शल होना चाहिये था। तब भी मैं ने कहा कि लॉ-डिपार्टमेन्ट से इसको एक्जामिन करायेंगे और उस सूरत में जो कुछ भी कानूनी कार्यवाही सरकार को करना चाहिये अगर यह बात निकली कि उस मजिस्ट्रेट को इस तरह का अधिकार नहीं था तो जो कुछ कार्यवाही इसमें करना चाहिये वह कार्यवाही की जायगी।

श्री विजयसिंह रावत : एक बात बतलायेंगे····

श्रीमती समानेवी : माननीय सदस्य काफी बहस हो चुकी है।

श्री विजयसिंह रावत : जब भी सजा दी जाती है एक फौजी जवान को, उसको क्वार्टर गार्ड भी दिया जाता है तो पहले वर्दी और बेल्ट उतरवा दिया जाता है। उसके बाद उसको फैसला सुनाया जाता है। वर्दी पहने हुए किसी भी जवान को इस देश में तो क्या विदेशों में भी सजा नहीं दी जाती है तो उस पर 11 रुपये दण्ड कैसे किया गया? हमारे देश का संविधान है कि वर्दी के अन्दर अगर है तो उसको सजा नहीं दी जायगी। कोर्ट मार्शल भी होता है तो उसकी वर्दी उतारी जाती है उसके बाद उसको सजा दी जाती है।

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय सदस्य जो चाहते हैं तो मेरा अर्ज करना है कि कोई आदमी अदालत में जाकर इस तरह की कार्यवाही करेगा तो जब तक वर्दी पहने है तो वह इम्यून रहेगा इस तरह की कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इस तरह से वर्दी पहन कर कत्ल करदें फिर भी गिरफ्तार नहीं होगा, ऐसा कानून आप बतादें जैसे एक नया कानून दुनिया में पैदा हुआ है।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें अपील में जाने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। उन्होंने नोट में लिख दिया है कि मुकद्दमें कर रहा था। लेकिन प्रेक्टिस अमूमन यह होती है कि मुकद्दमें भी करते रहते हैं और परमिट भी देते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसका निराकरण कैसे होगा जब तक कि इसकी जांच नहीं कराई जायगी। हर मामले में कहेंगे। असल में यह होता है कि मकद्दमें

(श्री रामकिशन)
भी करते रहते हैं और बीच बीच में दरख्वास्तें भी आती रहती हैं तो परमिट भी देते रहते हैं। अपील में जाने पर समस्या का निराकरण कुछ नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : समझने की बात तो आपकी और मेरी है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या मन्त्री महोदय मुझे कोई पत्र देंगे जांच के लिए या केवल इस सदन में फर्मा दिया है वही काफी है। मेरे पास ऑथोरिटी लेटर तो हो।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपको यह कहा है कि आप स्वयं इत्मीनान कर लेंगे और मुझे यह बता देंगे कि वह व्यक्ति सही है और अदालत के बाहर यह हुआ है तो मैं इन्डिपेन्डेन्ट से इन्डेपेन्डेट ऑफिसर को भेजूंगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : वकीलों ने अदालत में मारा है, यह सिद्ध कर दिया तो ! वेट ए मिनट ! वेट ए मिनट !

श्री दामोदर लाल व्यास : आप जांच कर लीजिये।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : सरकार को मालूम हुआ कि वकीलों ने मारा है और उसके साथ मार-कुटाई की है तो आपका यह कर्तव्य होता है कि ऐसी बातों को रोका जाय। लेकिन आप यह वर्डिक्ट देते हैं कि एस. डी. एम. कोर्ट में मार सकते हैं, और पीट सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपके पास जितनी जानकारी हो वह दे दीजिये। मैं जांच करवाऊंगा।

श्री रामकिशन : आपका अधिकार पत्र कहां है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अधिकार आपको दे रखा है।

विधायी कार्य राजस्थान, करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 पर विचार

श्रीमती सभानेत्री : आगे की कार्यवाही शुरू की जाय। माननीय श्री सतीशचन्द्र जी बोलेंगे :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने राजस्थान टैक्सेशन लॉज अमेन्डमेन्ट बिल, 1967 को सदन में विचारार्थ लिये जाने के लिये जो प्रस्ताव किया है, उसके सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है :—

"राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

सभानेत्री महोदया, 29 मई को जब राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन में अपना भाषण दिया था उस दिन इस सदन के अन्दर कुछ नये टैक्सेज लगाने की घोषणा उन्होंने की थी। उन घोषणाओं के अनुसार यह राजस्थान टैक्सेशन लॉज एमेन्डमेन्ट बिल इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा राजस्थान में सेल्स टैक्स के अन्तर्गत काफी वृद्धि की गई है, इसके द्वारा एक्साइज के अन्तर्गत वृद्धि की गई है और कुछ नये टैक्सेज में वृद्धि की गई है। और इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदया, कल भी उन्होंने एक नया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
विधेयक इसी सदन में प्रस्तुत किया था उसके माध्यम से....

श्री रामकिशन : आज वह नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ नये टैक्सेज लगाने की बात सदन के सामने आई थी। वह जो कल विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह विधेयक इस समय सदन के सामने विचाराधीन नहीं है। फिर भी जो विधेयक विचारार्थ सदन में प्रस्तुत है उसके बारे में केजुअल रेफरेन्स किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान सरचार्ज ऑफ लैण्ड रेवेन्यू,–इन कानूनों के सम्बन्ध में एक्ट, के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये जाकर और टैक्सेशन की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः, सभापति महोदया, मेरी पहली आपत्ति इस राजस्थान टैक्सेशन लॉज एमेन्डमेन्ट बिल के सम्बन्ध में यह है, इस आपत्ति को मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के नाते भी उठाना चाहता था, लेकिन जो इस सरकार का रवैया इस सदन में रहा है, वैसे मैं यह मान कर चलता हूं कि कोई भी वैधानिक प्रश्न, जो इस सदन में उठाया जाय, वह चाहे कानून के खिलाफ हो, विधान के खिलाफ हो और वह बात सरकार के दिमाग में जंच भी जाय तो भी सरकार उस बात को स्वीकार नहीं करती है कि उस कानून को इस सदन में पारित न किया जाय। मुझे याद है, जिस समय फाइनेन्स एक्ट इस सदन ने पास किया था, और इस सदन में राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन बिल विचारार्थ चल रहा था उस समय इस सदन में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 304 बी के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकार का विधेयक सदन में विचारार्थ नहीं लिया जा सकता है और इस सदन के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने उन वैधानिक आपत्तियों के ऊपर भी विचार नहीं किया और उस सम्बन्ध में विधि विभाग का कोई सलाह मशविरा नहीं लिया और केवल 'हां' पक्ष में बहुमत है, इस आधार पर उस कानून को इस सदन से पारित कराया लेकिन, सभापति महोदया, उस कानून को अदालत में चुनौती दी गई, उसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेश की गई, उसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन पेश की गई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान सरकार के प्रति किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पास किये गये। यह कहा गया कि किस प्रकार के गलत कानून राजस्थान सरकार पास कराती है और राजस्थान की विधान सभा में बिल इन्ट्रोड्यूज करती है। सभापति महोदया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों के ऊपर भी इन्डाइरेक्ट आक्षेप आये कि जो विधान सभा का अधिकार नहीं है, उसको विधान सभा ले लेती है। इस प्रकार के आक्षेप राजस्थान सरकार की कमी के कारण से राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों को सुनने को मिले। मैं समझता हूं, यह राजस्थान सरकार और राजस्थान विधान सभा के लिये लज्जा की बात है। मैं सभापति महोदया, जानता हूं कि राजस्थान सरकार और राजस्थान के वित्त मन्त्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय को इस आधार पर यह कहा जाय कि यह कानून विधि विधान के खिलाफ है, संविधान के अनुच्छेद 304 बी के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना यह बिल सदन में पेश नहीं किया जा सकता और इसके लिए मैं जवाहर लाल वाले मामले का उदाहरण दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ पढ़ कर सुनाऊं, पुराने सारे लेजिस्लेचर्स की हिस्ट्री बताऊं और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रक्चर्स पास किये वह आपको सुनाऊं तो भी वित्त मन्त्री जी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि इस प्रकार के राजस्थान टैक्सेशन लॉज एमेन्डमेन्ट बिल को स्थगित किया जाता है। मैं इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को उठाते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि सदन के बाकी माननीय सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा है कि वह जवाब देते समय इस कॉन्स्टीट्यूशनल आपत्ति के सम्बन्ध में भी जवाब देंगे और इस सदन के माननीय सदस्यों को सेटिस्फाई करेंगे।

सभानेत्री महोदया, टैक्सेज का विरोध समान्यतः विरोधी पक्ष की तरफ से बहुत जोर-शोर से किया जाता है और सरकार की ओर से बड़ी भारी दलील इस बात की दी जाती है कि हमें देश का योजनाबद्ध विकास करना है, और देश का योजनाबद्ध विकास करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा लेने के लिए इस सरकार के पास साधन टैक्सेज का एक बहुत बड़ा है और सरकार की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक तो टैक्सेज से रेवेन्यू प्राप्त की जाती है और दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यू कुछ लोन्स से, सब्सीडी से और ग्रान्ट्स आदि से की जाती है। इन दो मुद्दों के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। मैं राजस्थान सरकार की इस बात से इन्कार नहीं करना चाहता हूं कि राजस्थान का योजनाबद्ध तरीके से विकास न किया जाय। लेकिन राजस्थान के अन्दर टैक्सेज के प्रपोजल्स के सम्बन्ध में पिछली बार जो सदन में विचार-विमर्श हुआ था, और जिस समय बजट पर वादविवाद हुआ था उस समय कांग्रेस पक्ष के लोगों ने और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने टैक्सेज के प्रपोजल्स का विरोध किया और उसके कारण उन टैक्सेज में से कुछ टैक्सेज सरकार ने वापिस लिये सरकार को मजबूरन कुछ टैक्सेज को वापिस, लेना पड़ा। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस सदन को विश्वास में ले कि आखिर वह कौनसी परिस्थितियां हैं, आप योजनाबद्ध विकास करने की बात तो करते हैं, तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बादमें, आज राजस्थान के अन्दर, सभा नेत्री **महोदया, यह सदन जानना चाहेगा कि इस तरह के टैक्सेज लगाने की स्थिति आखिर पैदा क्यों होती है ? हर तबका इस बात की मांग करता है कि राजस्थान में अब टैक्सेज लगाने की गुंजाइश नहीं है।** राजस्थान की दो करोड़ जनता के ऊपर पहले से ही काफी करों का बोझ है और राजस्थान के छब्बीस जिलों में से तेईस जिलों के अन्दर लोग अकालग्रस्त हैं, राजस्थान की दो करोड़ जनता के पास खाने को अनाज नहीं है और पीने को पानी नहीं है। जब राजस्थान की दो करोड़ जनता की यह हालत है तो फिर किस आधार के ऊपर आप नये टैक्सेज लाना चाहते हैं ?

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रवैया यह बना रखा है कि हम किसी प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू बढा नहीं सकते। आमदनी बढाने का तरीका है नॉन टैक्स रेवेन्यू बढाने का। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढाने में राजस्थान सरकार नाकामयाब रही है, और राजस्थान की जनता पर टैक्सेज का भार लादती रही है। मैं कुछ आंकडे प्रस्तुत करना चाहूंगा उससे अनुमान लगेगा कि राजस्थान की हालत क्या है। मैं एक नक्शा जैसा कि राजस्थान और हिन्दुस्तान की इकोनॉमी का है, उसके आधार पर राजस्थान का नक्शा, एक छोटी सी तस्वीर, कुछ आंकडों के आधार पर राजस्थान के वित्त मन्त्री और सदन के सामने रखना चाहूंगा।

एक थर्ड फाइव ईयर प्लान हिन्दुस्तान में बनाया गया, उस तीसरी पंच वर्षीय योजना में सारे देश भर में 3922 करोड रुपये के लगभग खर्च हुआ। उसके आधार पर जो टार्गेट्स तृतीय पंच वर्षीय योजना के थे, जो टोटल एक्स्पेन्डीचर हुआ है तृतीय पंच वर्षीय योजना के काल में, उसके कुछ कम्पेरेटिव आंकडे रखना चाहता हूं। उससे अन्दाज लगाये कि राजस्थान सरकार तृतीय पंच वर्षीय योजना में राजस्थान का कितना विकास कर सकी है? आंध्र प्रदेश का तृतीय पंच वर्षीय योजना का टार्गेट था 313 करोड का और खर्चा किया 351 करोड। आसाम का टार्गेट था 120 करोड का और खर्च किया 133 करोड। गुजरात का तीसरी पंच वर्षीय योजना का टार्गेट था 235 करोड का और खर्च किया 237 करोड। केरला का टार्गेट था 170 करोड और खर्च किया 180 करोड। मद्रास का टार्गेट था 291 करोड और खर्च किया 342 करोड। महाराष्ट्र का टार्गेट था 390 करोड और खर्चा किया 425 करोड। पंजाब का टार्गेट था 231 करोड और खर्चा किया 244 करोड। यू. पी. का टार्गेट था 497 करोड और खर्चा किया 530 करोड। वेस्ट बंगाल का टार्गेट था 250 करोड और खर्चा किया 299 करोड। राजस्थान का तीसरी पंच वर्षीय योजना का टार्गेट था 236 करोड और खर्चा हुआ 204 करोड।

जितने आंकडे पुस्तक के आधार पर उपलब्ध हैं मैं उनको रख रहा हूं, इनमें कमी बेशी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में तीसरी पंच वर्षीय योजना में जितने टार्गेट्स जितनी स्टेट्स के थे, मैंने 10–11 स्टेट्स के नाम रखे हैं, उन सबके आंकडों में टार्गेट से ज्यादा खर्चा हुआ है पर राजस्थान का जितना टार्गेट था उससे कम खर्च हुआ है। राजस्थान का विकास कम हुआ है और राजस्थान का विकास कम हुआ है तो राजस्थान की सरकार किस मुंह से राजस्थान की जनता पर नये टैक्स लगाना चाहती है?

इतना ही नहीं राजस्थान की नॉन टैक्स रेवेन्यू और दूसरी स्टेट्स की नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकडे में आपके सामने रखूंगा। राजस्थान की नॉन टैक्स रेवेन्यू हिन्दुस्तान में सबसे कम है। उस नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकडे 64-65 के एक्चुअल एकाउन्ट्स के आधार पर बताना चाहता हूं क्योंकि 65-66 के आंकडे रखूंगा तो वित्त मन्त्री जी अकाल की बात कहेंगे। 64-65 के एक्चुअल एकाउन्ट्स के आधार पर नॉन टैक्स रेवेन्यू का नक्शा मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वेस्ट बंगाल 34.53 करोड, केरल 34.61 करोड, बिहार 37.23 करोड, गुजरात 39.79 करोड, उडीसा, 43.95 करोड, मध्यप्रदेश 45.65 करोड, आन्ध्र प्रदेश 54.41 करोड, मैसोर 54.80 करोड, पंजाब 57.11 करोड, महाराष्ट्र 59.31 करोड, मद्रास 60.36 करोड, उत्तर प्रदेश 129.95 करोड और राजस्थान का हैं केवल 29 करोड। हिन्दुस्तान की 13 स्टेट्स की नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा है केवल जम्मू कश्मीर की राजस्थान से कम है पर राजस्थान के मुकाबले जम्मू कश्मीर की नॉन टैक्स रेवेन्यू कम है, उसको पर कैपिटा के हिसाब से मैं बाद में बताऊंगा पर 64-65 की नॉन टैक्स रेवेन्यू हिन्दुस्तान की 13 स्टेट्स के मुकावले में राजस्थान की नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। 65-66 में 49.39 करोड आंकी गई वह 66-67 में घटा कर 41 करोड करदी गई जब कि हिन्दुस्तान की 12 स्टेट्स ऐसी है जहां बढी है। बिहार में 64-65 में 37.23 करोड थी, 65-66 में 45 करोड करदी गई और 66-67 में 47 करोड की गई। और राजस्थान में 47 करोड से घटा कर 41 करोड करदी गई, 66-67 में 8 करोड की नॉन टैक्स रेवेन्यू का घाटा है।

मैं 51-52 के आंकडे प्रस्तुत करता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री जी 51-52 के मुकाबले में आंकडे पेश किया करते हैं। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि 51-52 में राजस्थान की रेवेन्यू थी उस टोटल रेवेन्यू की 27 पर्सेन्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू थी आज वह टोटल रेवेन्यू की 20 पर्सेन्ट है। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि 51 से बार-बार मुकाबला किया करते हैं, फिर यह इतनी गिरावट क्यों आई है? माननीय वित्त मन्त्री जी एक बात कहेंगे और मैं जानता हूं यह कहेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकडे आपने पेश किये हैं, उसमें पॉपुलेशन का, एरिया का डिफरेन्स है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है वहां की आबादी पांच-साढे पांच करोड है, इतना बडा ऐरिया होने के कारण वहां नॉन टैक्स रेवेन्यू का सही अन्दाज नहीं लगा सकते, जब तक कि पर कैपिटा का नहीं रखते इसलिये मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकडे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

महाराष्ट्र की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू 64-65 में 14.98 रु. थी, आन्ध्र प्रदेश की 15.12, यू. पी. की 17.58, गुजरात की 19.32, केरल की 20.48, मैसोर की 23.22, आसाम की 25.06, पंजाब की 28.28 और जम्मू-कश्मीर की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू 55.81 रु. है जम्मू कश्मीर की नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकडे राजस्थान से कम थे पर पर कैपिटा राजस्थान से बहुत ज्यादा है। उडीसा की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यु 25.12 है मद्रास की 17.92 है पर राजस्थान की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू 14.36 ही है।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू में सेन्ट्रल असिस्टेन्स भी शामिल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नॉन टैक्स रेवेन्यू के हैड हैं जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू मानी जाती है, जिसे फाइनेन्स कमीशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मानता है, जिसे केन्द्रीय सरकार मानती है, उस आधार पर फैक्ट्स तैयार होते हैं, उसका पर कैपिटा निकाला है। वेस्ट बंगाल और बिहार को छोड कर हिन्दुस्तान की और सब स्टेट्स से राजस्थान की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू कम है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के हैड के नीचे आइटम होते हैं उसी पर कह रहे हैं, इससे आपका परपज सर्व नहीं होगा, मैं जवाब दूंगा उसमें सब बता दूंगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू का यह मतलब नहीं। स्टेट एन्टरप्राइजेज से इसे आंका जाता है। 55.81 आपने जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू बताई है, वहां सेंट पर्सेन्ट सेन्ट्रल असिस्टेंस है।

श्री रामकिशन : तो इससे यह सिद्ध होता है कि सेन्टर से असिस्टेंस लेने में राजस्थान सरकार असफल रही है।

श्री मथुरा दास माथुर : वहां इमर्जेन्सी हुई तो सेन्ट्रल असिस्टेन्स अपने आप बढ गई। अपने यहां आर. ए. सी. हुई तो वह अपने आप बढ़ गई।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : वित्त मन्त्रीजी ये आंकडे मैंने घर में नहीं बनाये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कहता पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की नंगी तस्वीर रखता हूं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू और पर कैपिटा नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की और स्टेट्स से कितनी कम है।....

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल गलत है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बात को आप छुपाना चाहते हैं।....

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो एक एक कम्पोनेन्ट को बता दूंगा, पर आप बता रहे है इन आंकडों से वह परपज सर्व नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सब स्टेट्स के लिये यूनिफार्म है, जिस आधार पर दूसरी स्टेट्स का केल्कूलेट किया है उसी आधार पर राजस्थान का भी केल्कुलेट किया है....

श्री मथुरा दास माथुर : फेमीन टाइम में सेन्ट्रल असिस्टेन्स बढ गया तो वह आंकडे अपने आप बढ़ जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी तसवीर सामने आ गई है। प्लान डेवलपमेन्ट की बात करते हैं, वह आपके सामने आ गई। सन् 1966-67 की जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुई उसमें से कितना परसन्टेज हमारी स्टेट को शेयर के रूप में मिला वह आंकडे आज तक आपने प्रस्तुत नहीं किये हैं....

श्री मथुरादास माथुर : छपवाकर बांट दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं बांटा है पर कैपिटा टैक्स का जो है उसके अनुपात में सेन्ट्रल असिस्टेन्स नहीं मिली, ये आंकडे सदन से जान-बूझ कर छिपाये गये हैं। आपके पास तैयार हुए पडे हैं लेकिन वे सदन में नहीं बताये गये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं

Page No. 95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
थर्ड प्लान की प्रोग्रेस की रिपोर्ट क्या आपने हमको सप्लाई की है . . . .

श्री मथुरादास माथुर : हमने आपको एन्युअल रिपोर्ट दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने थर्ड प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है क्या जब कि आपके पास छपी हुई पडी है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री रामकिशन : आपने '63-64 की दी है। 64 के बाद आपने कोई 'रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच साल की 61 से 66 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट सप्लाई आपने नहीं की है ?

श्री मथुरादास माथुर : हम हर साल की एन्युअल रिपोर्ट देते आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने लास्ट ईयर तक एन्युअल रिपोर्ट दी है। फाइव ईयर्स की छप चुकी है लेकिन बंटी नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं बांटी ? बांटें उस रिपोर्ट को ताकि सदन को मालूम हो सके कि पांच सालों में इतना पैसा खर्च किया गया और यह प्रोग्रेस हुई। आपको कैसे टैक्स लगाने का अधिकार है ? आपने प्लान टार्गेट्स एचीव किये या नहीं यह तो जनता को पता लग सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no "Progress Report". That is a "Decline Report".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह चूंकि आपके खिलाफ है इसलिये आप पेश करना नहीं चाहते। विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट हो या बागची कमिटी की रिपोर्ट हो या कम्पेरेटिव स्टडी टेबल हो उसको आप रखना नहीं चाहते, क्योंकि वह आपके अनुकूल नहीं होती। बागची कमेटी रिपोर्ट ने तीन आना पर कैपिटा इन्कम बतायी है वह आप रखना नहीं चाहते।

श्री मथुरादास माथुर : आप बागची कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। बागची रिपोर्ट के अनुसार यदि कार्य होता तो भूखों मरने की नौबत आती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उससे कम अब भी क्या है। आखिर बागची को नियुक्त किसने किया था ? जिसने साढे तीन आना पर कैपिटा इनकम बतायी उसको क्या एपॉइन्ट मैंने किया ?

श्री मथुरादास माथुर : I cannot accept and submit a report in the House which I think is wrong.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके अधिकारी हैं यह आपको देखने का है। इसके अलावा पांच साला रिपोर्ट छप चुकी है लेकिन आपने उसको दिया नहीं। लेकिन तथ्य किसी से छिपे नहीं रहते, लेकिन चूंकि वह आपके खिलाफ पडती है, आप उसको पेश नहीं करना चाहते।

श्री रामकिशन : आपका यह तरीका है कि चोर सदस्य फायदा उठा लेवें और निष्ठावान सदस्य घाटे में रह जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, मैं 66-67 के सेन्ट्रल टैक्सेज के शेयर के बारे में निवेदन कर रहा था। वह मनी भिन्न-भिन्न स्टेटों को किस प्रकार दी जाती है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। पंजाब 17.71, मैसूर 18.02 गुजरात 19, मध्यप्रदेश 24. मद्रास 28, वेस्ट बंगाल 61, बिहार 33, उत्तर प्रदेश 53.14, आसाम 28, केरल 26.4, जम्मू-काश्मीर 61.35, राजस्थान को बदकिस्मती से 16.26 पर्सेन्ट, आप अब इससे अन्दाज लगाइये सेन्टर से कितनी कम मात्रा में हम असिस्टेन्स ले पाये हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा कोई प्रभाव नहीं या हमारी कोई चलती नहीं। यह शेयर मनी सेन्ट्रल टैक्सेज का है। आज मैं सारे आंकड़े ला या हूं सारा भाषण मेरा आंकड़े बाजी से परिपूर्ण होगा। आप अन्दाजा लगाइये राजस्थान का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें से जो पर्सेन्टेज लेण्ड रेवेन्यू का है टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 29.28 पर्सेन्ट है। ऐसी हालत में हिन्दुस्तान की अन्य राज्यों में लेण्ड रेवेन्यू का शेयर है वह इस प्रकार से है :—

पंजाब में 4.75, मैसूर 8.20, गुजरात में 8.08, आन्ध्र में 15.05, मध्यप्रदेश 11.7 मद्रास में 5.26, महाराष्ट्र में 3.84, आसाम 14.02, केरल 3.09, वेस्ट बंगाल 5.97, उडीसा 8.73, काश्मीर 8.97, राजस्थान 15.71

अब आप ही अन्दाजा लगाइये यह तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का हाल रहा है। अब आप टैक्स रेवेन्यू का हाल सुन लीजिये। इस हिसाब से कुछ सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल कलेक्शन किये गये हैं। 1966-67 में पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू भिन्न-भिन्न स्टेटों का इस प्रकार रहा है :—

बिहार 20.28, उडीसा 20.94, जम्मू-काश्मीर 24.94, मध्य प्रदेश 25.34, आन्ध्र 27.27,।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, यू. पी., उडीसा, बिहार आदि इन चारों स्टेटस में जो हमारे पडोसी राज्य हैं उनमें पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू इस प्रकार से है:—

66-67 में राजस्थान 27.50, यू. पी. 7.43, मध्यप्रदेश 4.4, बाकी तो अलग है। माननीय मन्त्री महोदय आप इससे अन्दाज लगाइये आपकी पर कैपीटा टैक्स रेवेन्यू आधी स्टेटों से ज्यादा है। जहां 51-52 में राजस्थान की टैक्स रेवेन्यू 11 करोड थी वहां 66-67 में 40 करोड हो गई। आप इस सारे मामले में तरक्की करते चले जा रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू की हालत यह है। मैं सभापति महोदया, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने टैक्सेज के लगाने के बाद भी एक दो बातें प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखी हैं:—

"Out of 212 Crores spent during the period 1961-1966, 162 crores were provided by the Government of India. The rest was met by the State Government."

(2 म. १.)

और यह बाकी जो खर्चा मीट आउट किया गया है वह टैक्सेज से मीट किया है। पंच वर्षीय

Page No. 97

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

योजना में 32 करोड रुपये करीब टैक्स से कलेक्शन किया और करने चाहिये थे 80 करोड। इधर तो यह हालत कि इतनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू कम। बढती हुई टैक्सेज अन्य राज्यों के मुकाबले में। साथ-साथ में बड़े खोले हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट में एक जगह मेन्शन किया है कि सिवा गंग कैनाल के पेज 15 पर देखिये: "Except Gang Canal no project has beer able to meet interest liability on its revenue."

अब अन्दाजा लगाइये कि इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी को आप मीट नहीं कर सकते सिवा गंग कैनाल के, यह तो आपकी हालत है। सारे ऑडिट रिपोर्ट में आपने देखा होगा।

चम्बल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में थोडा निवेदन करना चाहता हूं कितना इरिगेट होना था, कितना इरिगेट हुआ, कितना शार्टफोल हुआ, कितना रेवेन्यू होना था। 1960-61 से 1963-64 तक के आंकडे रखना चाहूंगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कुल मिलाकर इन चार सालों में 81.26 लाख और जो एक्चुअल रेवेन्यू हुई है 31-3-64 तक वह है 31.06 लाख, तो 50.20 लाख का शार्टफाल हुआ है। 4 सालों में, चम्बल प्रोजेक्ट के इरिगेशन के सिलसिले में अपने को हुआ है। अब अन्दाजा लगाइये कि आखिर 50-50 लाख रुपये का शार्टफाल 4 सालों में एक इरिगेशन के प्रोजेक्ट में हो तो फिर राज्य सरकार किस मुंह से राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाने की बात करती है? 8.50 लाख एकड जमीन को इरिगेट करना था और किया है 3.25 लाख एकड। लगभग 30 प्रतिशत का टार्गेट पूरा कर पाए। आप रेवेन्यू की दृष्टि से रह गए लगभग 40 प्रतिशत से कम।

अब भाखरा-नांगल के सम्बन्ध में जरा सा निवेदन करता हूं। केवल राजस्थान के पोर्शन का 1960-61 से 1963-64 तक। इसमें टार्गेटेड एरिया थी 31.98 लाख एकड और एक्चुअल इरिगेट हुई 13.80 लाख एकड। एन्टीसिपेटेड प्रॉफिट की रिवाइज्ड रिसीट्स है हमारी 125.32 लाख और हमारी जो एसेस्ड रिसीट्स हैं 57.25 लाख रुपए। उस हिसाब से भाखरा-नांगल में 68.07 लाख का शार्टफाल हुआ है जो हमारी असेस्ड रेवेन्यू थी। यह लम्बा स्टेटमेन्ट हो जायगा लेकिन 1966 तक हर रबी और खरीफ की फसल का कितना इरिगेशन वाटर रिलीज किया गया, कितना वाटर का युटीलाइजेशन किया गया, कितना पर्सेन्टेज हुआ, सदन को सुनकर ताज्जुब होगा। एक जगह ऐसी है कि 1961-62 में खरीफ की फसल राजस्थान में इरिगेशन वाटर-रिलीज किया 1,66,280 और युटिलाइजशन हुआ 2252, युटिलाइजेशन पर्सेन्टेज 1.3। लॉसेज आफ रेवेन्यू जो केल्क्यूलेट किए गए हैं 1960-61 से सारे मिलाकर 84 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इन सारे हालात में राजस्थान में सिंचाई का क्षेत्रफल भारत में सबसे कम है।

उडीसा 17.4,
केरल 18.7,
बिहार 22.6,
बंगाल 25.8,
आन्ध्र प्रदेश 27.0,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आसाम 28.1,

उत्तर प्रदेश 30.1,

मद्रास 38.6,

पंजाब 40.1,

जम्मू-काश्मीर 45.1,

राजस्थान 10.09।

जन-संख्या के आधार पर वनों की उपज :—

आसाम	13.18
गुजरात	13.25
केरल	17.29
उड़ीसा	16.22
मैसोर	21.24
मध्य प्रदेश	28.25
राजस्थान	11.11

एक तरफ तो यह रिपोर्ट और दूसरी तरफ रेवेन्यू कलेक्शन के एरीयर्स। हमारी सरकार डेढ़ करोड के टैक्सेज लगाना चाहती है। क्या रेवेन्यू के एरियर्स नहीं हैं? क्या लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करना है, क्या इसमें से डेढ़ करोड की क्षतिपूर्ति करके राजस्थान की जनता को नहीं बचा सकते? लगभग 18 करोड के रेवेन्यू कलेक्शन के एरियर्स हैं। सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं दो से तीन प्रतिशत एक से दो, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12 और 10 से 15 प्रतिशत सेल्स टैक्स की रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने कभी कोशिश की है कि जितनी सेल्स टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं आपके विभाग में 31-3-66 को लगभग 135 लाख रुपये की सेल्स टैक्स की बकाया लोगों में मौजूद थी? और आप नए नए टैक्सेज लगाते जायं? मिनरल्स की रॉयल्टी का रुपया बकाया जिसमें लोग लखपति और करोड़पति हो जाते हैं। 1.20 करोड का बकाया है। सरकारी बकाया लोन्स और एडवान्सेज 31-3-66 को 109.45 करोड। मिसएप्रोप्रिएशन और एम्बेजेलमेन्ट केसेज 30-9-66 तक 26 लाख। ऑडिट ऑब्जेक्शन्स जिनके बारे में हिसाब किताब नहीं है 11.80 करोड जिसमें युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं आए 30-9-66 तक जिनके बारे में पता नहीं क्या खर्च हुआ, जनता का धन बांटा गया; युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं। खादी बोर्ड जैसी संस्थाओं को अनुदान दे रहे हैं; ऐसी संस्थाओं में सरकार का रुपया है बाकी 34.76 करोड, तो किस मुंह से राजस्थान की गरीब जनता पर लगाना चाहते हैं? रेवेन्यू वसूल नहीं कर सकते, बकाया वसूल नहीं कर सकते, लोन्स एडवान्सेज को वसूल नहीं कर सकते, मिसएप्रोप्रियेशन के पैसे को वसूल नहीं कर सकते, तो आप क्या वसूल कर सकते हैं?

श्रीमान् माथुर साहब, शिमला में राजस्थान सरकार का एक बंगला है धौलपुर हाउस के नाम से जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं और सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि यह जो बंगला है धौलपुर हाउस के नाम से मशहूर है। इसमें दो चीजें हैं। एक बड़ा भारी फर्निश्ड हाउस है। धौलपुर हाउस, जिसका नाम है हाई लैण्ड और एवरेस्ट। काफी और प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच्ड है। यह चक्कू हाउस है। इस हाउस में बहुत बढ़िया फर्नीचर लगा हुआ था। शानदार मकान था। 20 सर्वेन्ट क्वार्टर्स थे। टेनिस कोर्ट थे, और उसमें बढ़िया कॉपर पीतल के बरतन थे। 70 हजार स्क्वायर यार्ड उससे अटैच फौरेस्ट लैण्ड था जिसमें बड़े बड़े

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देवदार के पेड और दूसरे कीमती पेड लगे थे।

इतना बडा एरिया होने के बाद आप उसकी कीमत का कितना अन्दाज लगाते हैं? जयपुर शहर में जमीन आप देख रहे हैं 100) रुपये गज के हिसाब से बिक रही है। वहां आप इस की कीमत कम से कम 20 रुपये 25) रुपया गज को की भी लगावें तो 70 हजार वर्ग गज जमीन की क्या कीमत होती है? 14 लाख की कीमत हो गई। अब इसके साथ दो बंगले अलग बने हुए हैं। टैनिस कोर्ट था, कापर ब्रास का फर्नीचर था। कितना हो सकता है? बीस-पच्चीस लाख से कम नहीं हो सकता। फिर भी आप दस लाख नहीं, पांच लाख ही लगा लीजिये।

लेकिन, माथुर साहब आपको पता नहीं, यह बंगला बेच दिया गया केवल बीस हजार में। कम से कम बीस लाख की प्रॉपर्टी सत्तर हजार स्क्वायर यार्ड फौरेस्ट की जमीन, जिसमें देवदार के पेड, दो-दो बंगले, टैनिस कोर्ट, कॉपर ब्रास के बरतन, फर्नीचर और वह बेच दिया जावे बीस हजार में ? ऑक्शन नहीं किया। आपको चाहिये तो यह सेल डीड मेरे पास है। नकल है।

श्री मथुरादास माथुर : कब बेचा था?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी चीजें बता दूंगा। थोडी सबर रखिये। अगर फाईनेन्स मिनिस्टर के नाते इतनी दिलचस्पी है आपको कि राजस्थान के कोष का एक एक पैसा बचाया जावे और फाइनेन्स मिनिस्टर दबाव में न आओ, नम्बर दो के लोभ में मत आओ। सेन्ट्रल में लियाकतअली खां थे फाइनेन्स मिनिस्टर: पटेल साहब की नाक में दम कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : दबाव में नहीं आवेंगे तो कल ही फाइनेन्स का पोर्टफोलियो जाता नजर आवेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो फाइनेन्स का पोर्ट फोलियो पृथ्वीराज [illegible] आगया न कांग्रेस में।

मैं आपसे निवेदन करता हूं....

श्री मथुरादास माथुर : बता तो सही, कब बेचा गया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात का लोभ छोड दीजिये। सरकार किसी की भी रहे आपका मतलब किसी दूसरे मन्त्री से है।

श्री मथुरादास माथुर : किस ईयर में यह मकान बेचा गया है?

श्री भैरोंसिंह : चाहिये तो ईयर भी मिल जावेगा। जिस प्रक्रिया से बेचा है वह प्रक्रिया भी बता देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बता रहा हूं। किस आदमी को बेचा है और किस इन्टेंशन से बेचा गया है और किस पक्षपात के कारण से बेचा गया है?

श्री मथुरादास माथुर : यह किस साल में बेचा गया है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 5-7-65 को। सेल डीड की नकल चाहिये तो यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रही और बेचा है ज्ञानचन्द को और बिना नीलामी के बेचा है ।

एक माननीय सदस्य : और क्यों बेचा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी सब बातें क्यों पूछते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । इसके बारे में सारी जानकारी करावें ।

(हीयर, हीयर की ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, जानकारी करा ही रहा हूं । माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है ।

श्रीमती सभानेत्री : जानकारी ही नहीं पूरी जानकारी पूरी डिटेल सदन में आनी चाहिये इसकी ।

(पुनः हीयर, हीयर की ध्वनि)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और सरकार इस पर से परिणाम निकाल कर एक्शन क्या लेती है यह देखना है तब आपकी ईंसियत और आपकी ईमानदारी जाहिर होगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कुछ नहीं, कुछ नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त मन्त्री ने इस प्रश्न की गम्भीरता को नहीं पहिचाना आसन ने पहचाना है । इसके लिये आसन का मैं आभारी हूं ।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था, अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आपकी घंटी बज चुकी है और और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपने अपने भाषण में यह जो नये टेक्सों की बात कही थी तो उसमें आपने यह कहा था कि योजना के लिये 1 करोड 50 लाख की रकम में 92 लाख की कमी को पूरा करने के लिये नये टेक्स लगाने हैं, और उन नये टेक्सों के संबंध में निम्न-लिखित कदम उठाने का प्रावधान करना चाहता हूं । ये नये टेक्स हैं । आपने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है इन नये टेक्सों के प्रोपोजल के हिसाब से 1 करोड पचास लाख में 92 लाख मिला कर 2 करोड 42 लाख की बात कही है ।

देशी शराब और सभी चीजों का आपने लिख दिया है कि 1 से 15 पर्सेंट किया जाता है । 10 से 12 और सात से 10 पर्सेंट और डिस्टिल्ड वाटर का दो पर्सेंट से 6 पर्सेंट आपने कर दिया । इसके परिणाम स्वरूप 50 लाख आवेगा ।

फिर लिखा है जानवरों के बारे में । मनोरंजन कर के बारे में कि उससे 15 लाख मिलेंगे । मुझे इससे ताल्लुक नहीं ।

फिर सेल्स टेक्स की मद में 50 लाख का प्रोपोजल रखा है । और सेल्स टेक्स के आइटमों में एक, दो, तीन । तीन में आप

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

जिस पर 10 या 15 कर दिया। ख में 10 से 12 ग में आठ से दस पर्सेण्ट और घ में डिस्टिल्ड वाटर दो से छः पर्सेण्ट आपने कर दिया है। इसके अलावा नहीं।

अब आप अन्दाज लगाइये। नोटिफिकेशन आपने जारी किया 29 मई को जिससे सेल्सटैक्स लगाया गया है और एक बात और कह दूं इसमें खास तौर से यह कहा है मन्त्री महोदय ने कि पापड पर टैक्स में वृद्धि नहीं की जावेगी। कहा है न !

यह लिखा है इसमें कि कच्चा लोहा सोना चांदी ट्रैक्टर उनके पुर्जे सूतो धागा। बीडो व पापड की दर में कोई बढोतरी नहीं की जावेगी। यह भाषण दिया है। और नोटिफिकेशन निकाला है :

"एतद्द्वारा पापड संबंधी अधिसूचना 16–3-66 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : दो प्रतिशत के अंक के स्थान पर 3 प्रतिशत अंक प्रतिस्थापित किया जावेगा।

यहां आपने दो से तीन कैसे कर दिया पापड के सिलसिले में। आपने तो कहा था कि पापड पर टैक्स नहीं बढाया जावेगा। पर सदन को आप धोखा देना चाहते हैं। सदन में कहते हैं कि टैक्स नहीं बढावेंगे और अपनी अधिसूचना में टैक्स बढा देते हैं।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विज्ञप्ति 29 मई की है। भाषण में कहते हैं कि पापड पर टैक्स में वृद्धि नहीं की जावेगी, पर यहां दो से तीन पर्सेन्ट कर दिया।

इतना ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपने सदन में तालियां बजवाईं कि यह बजट समाजवादी और चमत्कारिक बजट है। पर आपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया है। एक तरफ रेफ्रीजरेटर, कूलर्स, मोटर गाडियों पर टैक्स बढाया है इससे वाहवाही आपने ली, तालियां बजवाईं। पर 29 मई का नोटिफिकेशन आपने निकाला। आपने सोचा होगा, गजट देर से लोगों को मिलेगा। पता नहीं लगेगा। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे यह आपने नया नोटिफिकेशन निकाला है :

In exercise of the powers conferred under Sec. 4, the State Govt. being of the opinion that it is in the public interest, hereby provides with immediate effect the rate of tax shall be as shown in column three of the said list··'

आपने बीडी पर टू परसेन्ट किया पापड पर दो परसेन्ट किया। पर इस 29 के नोटिफिकेशन में दो की बजाय तीन किया है। यह कैसे रेफरेन्स करते हैं। आपने उन सारी चीजों पर घी और मक्खन के आइटम पर टैक्स की बात कही है।

यह नई विज्ञप्ति निकाली है। नये टैक्स निकाले हैं या पुरानों को रिपीट किया है। यह कहां समझा जा सकता है? यह आपने डबल रोटी पर दो पर्सेन्ट दूसरे में तीन परसेन्ट कर दिया और आपने सीने का डोरा, घी, मक्खन, कांच, ऊन, बकरी के बाल, लाख और आगे जाकर लिखा है मिट्टी का तेल सात परसेन्ट। चाय, काबरी माचिस पर कांच की चूडियों पर सात परसेन्ट कर दिया। यह आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बढ़ाया है या रिवाइज किया है। आपने अपने भाषण में कहा नहीं।

एक माननीय सदस्य : पूछड़ा पकड़ लो।

श्री मथुरादास माथुर : यह 29 मई का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। पापड़ के लिये वह तो कैंसिल हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैंसिल कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर : पर मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 29 मई का नोटिफिकेशन है। जो सेल्स टैक्स की रेट लिखी हुई है। सात परसेन्ट लिखा है मिट्टी का तेल, चाय, काफी, माचिस कांच की चूड़ियां पर सात परसेन्ट था या रिवाइज किया है। इससे अन्दाजा नहीं लगा सकते कम किया, बढ़ाया या ज्यादा किया। यह सात परसेन्ट का ही पहले था तो यहां फिर से लिखने की जरूरत क्या थी ?

यह देखा हो आपने कि चार्ट देना चाहते हों एक जगह पर इसके कारण किसी पर दस से 12 किया है किसी पर दो से तीन किया है। सारे प्रोसीजर को कम्पलीकेटेड क्यों करना चाहते हैं ?

सभानेत्री महोदया, सेल्स टैक्स के बारे में मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से। राजस्थान में सेल्स टैक्स, राजस्थान के आस पास के प्रान्त हैं, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राजस्थान में सेल्स टैक्स वही होना चाहिये जो राजस्थान के आसपास के प्रान्तों में हों, यदि पड़ोसी राज्यों में सेल्स टैक्स की दरें कम हैं और राजस्थान में ज्यादा हैं तो राजस्थान के व्यवसाय को धक्का पहुंचेगा। इससे स्मगलिंग बढ़ेगा। यही कारण है कि राजस्थान **ट्रेड ऐण्ड इण्डस्ट्री मर रही है** राजस्थान की हालत खराब हो रही है। बड़ी गम्भीर वित्तीय हालत आज राजस्थान की है। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में सेल्स टैक्स की जो रेट्स हैं वे ही युनिफाइड रेट्स राजस्थान राज्य में भी होनी चाहिये। इससे यहां के ट्रेड और इन्डस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। व्योपारी बाहर के पड़ोसी राज्यों से माल न खरीद करके राजस्थान से खरीदेंगे। सरकार बारबार भरोसा देती आयी है लेकिन **अफसोस है कि कोई कदम नहीं उठा** पायी।

सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस टैक्सेशन के सिलसिले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की हालत का जिस प्रकार का नक्शा हमारे सामने आया है उस सारे नक्शे में आज राजस्थान के अन्दर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग खुल कर हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर किसी प्रकार का कोई अंश राजस्थान सरकार का नहीं है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लगेगी, तो राजस्थान की बहबूदी नहीं हो सकेगी। टैक्स पर टैक्स लगाये जा रहे हैं, गेहूं जवार, मक्का, घी, मक्खन, चाय, काफी, जूता, बनियान, मोजे, कोई चीज इस प्रकार की आम जीवन में काम आने वाली चीजों को इस कांग्रेस की हुकूमत ने नहीं छोड़ा है जिन पर टैक्स नहीं लगाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो। सब तरह की इन चीजों पर टैक्स लगे हैं। यह प्लान्ड इकोनोमी नहीं है। यह प्लान्ड डेवलपमेन्ट की निशानी नहीं है। खाने-पीने की चीजों, घी, तेल, मक्खन, पापड और वे छोटी-मोटी जीवन को चलाने की आवश्यक सामग्री है जिनके बगैर लोगों का जीवन नहीं चल सकता है और जो सौ, दो सौ, तीन सौ पाते हैं उनके लिये जीवन की आवश्यक चीजें तो आप निर्धारित कर दीजिये कि इन चीजों पर तो टैक्स नहीं लगेगा। मुझे ऐतराज नहीं है कि लग्जरी की चीजों पर आप टैक्स लगायें, रेफ्रीजेटर पर टैक्स लगायें मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन चाय और काफी लग्जरी की चीजें नहीं हैं। टायर और ट्यूब लग्जरी की चीजें नहीं हैं, पापड और अनाज कोई लग्जरी की चीजें नहीं हैं, मसाले लग्जरी की चीजें नहीं हैं। आप इन पर टैक्स बढा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि चाय और काफी पर नहीं बढाया है। आप यह दलील दे रहे हैं कि कन्ज्यूमर्स की चीजों पर सेल्स टैक्स बढाया है यह बिलकुल सत्य से परे है। एक एक्जास्टिव नोटिफिकेशन निकाला गया है कि पहले इन चीजों पर यह सेल्स टैक्स था। जो बढाया गया है उसको रिपीट करके बताया है कि यह बढाया है और जिन पर नहीं बढाया है उनको केवल वहां रिपीट ही किया गया है। यह हर आदमी की जानकारी के लिये किया गया है।

माननीय सदस्य ने पापड के लिये कहा। 29 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल दिया। मैं निवेदन करूंगा कि बजट स्पीच में कोई बात नहीं हो और फिर टैक्स लगा दिया हो यह नामुमकिन बात है। यह हो नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : राजवी करणीसिंहजी और अमरराजजी पर सेल्स टैक्स लगा या नहीं?

श्री मथुरा दास माथुर : सेल्स टैक्स असेसीज पर लगाते हैं। बेचने वाले आप हैं तो दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले के मुकाबले में टैक्स महंगा पडता है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे जांच करेंगे इस बात की कि पिछले दिनों फैमिली प्लानिंग सेन्टर खोले गये। फैमिली प्लानिंग सेन्टर बहुत सारे बोगस खोले गये। स्टेरेलाइजेशन के केसेज में, जिन लोगों ने नस बन्दी कराली और पैसा दिया जाता है जिनको ?, वे लोग पैसा ले गये जिनका स्टेरेलाइजेशन नहीं हुआ। यूनियन गवर्नमेन्ट के पास इसकी शिकायतें की गई हैं। 15 पर्सेन्ट के करीब मेरे हिसाब से फैमिली प्लानिंग सेन्टर बोगस खोले गये हैं। स्टेरेलाइजेशन कराया ही नहीं, झूठे नाम रजिस्टर में दर्ज करके जो राशि मिलती है उसको ले गये लोग। सूक्ष्म में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करेंगे।

एक बात और कहना चाहूंगा। राजस्थान की वित्तीय हालत को देखते हुए बहुत ही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गम्भीर हालत से गुजर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने चमत्कारी बजट पेश किया, बजट पेश करने से काम नहीं चलेगा। आने वाले सालों में एक एक पाई पर वाच डॉग की तरह से बुल डॉग की तरह से राजनैतिक दबावों से ऊपर उठ कर नहीं चलेंगे, जो पन्द्रह वर्षों से धांधली बाजी चली आ रही है, राजस्थान सरकार अनाप-शनाप पैसा खर्च कर रही है, अनुदानों के खर्चे में कटौती नहीं करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू बढायेंगे नहीं, जो बेकार की बोगस संस्थायें बनी हुई हैं, जिनमें लाखों रुपयों का घोटाला है, कोआॅपरेटिव बैंक हैं, मोर्टगेज बैंक हैं, मैं कोओपरेटिव मूवमेन्ट के खिलाफ नहीं हूं, सहकारिता के खिलाफ नहीं हूं, सहकारिता का आन्दोलन चलना चाहिये, लेकिन आज जो सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है वह गलत चल रहा है, वह सरकार के लिये लज्जा की बात है; मूवमेन्ट के लिये भी लज्जा की बात है। जहां तक धन के दुरुपयोग को रोकने की बात है, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रहने के लिये जिस प्रकार के हथकन्डे अपना रही है मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूंगा उस बारे में लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकेंगे। साथ ही चुनाव से पहले जो वादे किये गये थे और वे पूरे नहीं हुए हैं, हारे हुए लोगों के लिये राजस्थान लेजिस्लेटिव कौन्सिल बनाने का वायदा किया था, मैं पुरजोर मांग करता हूं, कांग्रेस के बडे-बडे नेताओं को रिहैबिलिटेट करने के लिये राजस्थान लेजिस्लेटिव कौन्सिल के निर्माण के लिये आप कदम न उठायें। आपकी संख्या बहुत होगई है, 102 हो गयी है। आप दो चार और बढ़ा सकते हैं। हमें उनकी चिन्ता नहीं चिन्ता उनकी है जो कांग्रेस में बारगेन कर रहे हैं। उनकी कीमत दो अन्नी की रह गई है। यह उनके सोचने का सवाल है। केबिनेट के एक्स्टेन्शन की आज जरूरत नहीं है। दो चार महीने पहले थी जब झूल रहे थे। जयकिशनजी आये तो शोभारामजी को कहा, सुमित्रा जी आयी तो रामदेवजी को कहा, बी. एन. जोशी आये तो पी. के. चौधरी को कहा . . .

(लगातार समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप ब्रैकेट के परे जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पांच मिनिट में कन्क्लयूड कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट सवाल है। सदन इस बात में दिलचस्पी रखता है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है कि इस सेशन के बाद में केबिनेट का एक्सपेन्शन किया जायेगा आज राजस्थान के हालात ऐसे हैं कि जो राजस्थान की गरीब जनता है वह बडे मन्त्रि-मण्डल का भार नहीं सह सकती। आपका भार ही क्या कम है 1800 रुपये का पानी और 3600 रुपये की बिजली और उसके उपरान्त मोटर गाडी और बंगले क्या नहीं है और फिर केबिनेट का एक्सपेन्शन करके क्या करोगे? आपको उसको बढ़ाने की जरूरत क्या है? इसलिये मैं इस बात की मांग करता हूं कि राजस्थान की दो करोड जनता के प्रति आप कुछ सोचें और उस पर यह सफेद हाथी जैसा मन्त्रि-मण्डल का भार नहीं डाला जाये। फाइनेन्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मिनिस्टर के नाते आपको इसको अपोज करना चाहिये, आपको विरोध करना चाहिये इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माथुर साहब कैसे भी प्रैशर्स आयें, सरकार रहे या जाये लेकिन जनता रहेगी और जनता के हित में बडा मन्त्रि-मण्डल बनाना राजस्थान की जनता के ऊपर बडा भारी कुठाराघात होगा। इसलिये राजस्थान की इस हालत में क्योंकि चन्द सवालात आपने इस बिल के सम्बन्ध में पेश किये हैं राजस्थान की जनता महसूस करती है कि इस प्रकार के टैक्सेस लगाने की गुन्जाइश नहीं है, आप फाइनेन्स कमीशन के सामने मैमोरेन्डम बता दें कि अब हमारे यहां पर टैक्स नहीं लग सकते और इसलिये मैंने इस बात का प्रस्ताव किया है कि राजस्थान टैक्सेशन लाज अमेन्डमेन्टस बिल जिसका कलेक्शन आपके कानून से हो रहा है इस सारे बिल को जनता की जानकारी के लिये और जनता का रिएक्शन जानने के लिए और जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दुर्गालाल बाढदार!

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभानेत्री महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय" मैं इस सदन के सामने दो तीन महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं।

माननीय सभानेत्री महोदया, हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री आज राजस्थान की जनता के ऊपर करों की वृद्धि का प्रस्ताव जो लेकर आ रहे हैं मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के लगभग 9000 राज्य कर्मचारियों को पेट की रोटी छीनने के बाद, राजस्थान की जनता के ऊपर मनमाने कर लगाने के बाद भी आज राजस्थान के वित्त मन्त्री की भूख तुषितपात नहीं हो पाई है। राजस्थान के वित्त मन्त्री करों की वृद्धि के द्वारा, करों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकर राजस्थान की उस जनता के ऊपर कर लगाना चाहते हैं कि जिस जनता की वास्तविक स्थिति को यदि राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय विचार करके देखें तो उन्हें इस बात का, माननीय सभापति महोदया, अनुभव हो जायेगा कि क्या आज राजस्थान की जनता की यह स्थिति है कि वह विशेष करों के भार को वहन कर सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय का उदर एकमात्र सुरसा के बढते हुए पेट की भांति होता जा रहा है कि जिसको मालूम नहीं कि जिस व्यक्ति के ऊपर वह कर लगाना चाहते हैं उसमें उस कर के देने की ताकत है या नहीं। वह तो एकमात्र अपने कर-वृद्धि की धुन में और भावना के अन्दर आगे बढते हुए जा रहे हैं कि इस प्रकार की उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं पडती है। माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह कर प्रस्ताव जो जिस जनता के ऊपर लगाना चाहते हैं आज उस जनता की वास्तविक स्थिति क्या है? राजस्थान में करीब 9 हजार राज्य कर्म-

(श्री दुर्गालाल बांढ़दार)

चारियों को जिनको बेरोजगार कर दिया गया है, जिनके पेट की रोटी छीन ली गई है उनकी वास्तविक स्थिति आज क्या है? मेरे ख्याल से राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। मैं उनके सामने रख रखना चाहता हूं। वे लोग जिनकी भावना इस प्रकार की थी और जो आशा लगाकर के बैठे थे कि तुम्हारी नौकरी एक या दो वर्ष रहने वाली है और इसके उपरान्त किसी क लडका बी. ए. फाइनल में था, किसी दूसरे रोजगार को लेने वाला था और किसी ने दूसरी आशा रख रखी थी कि जिसके बारे में वह अपने जीवन में सोचे और वह अपने आपको कौटुम्बिक स्थिति में सही मानो में ढालना चाहते थे, लेकिन जब सारे राज्य कर्मचारियों के प्रति इस राजस्थान की सरकार ने जो भावनायें व्यक्त की हैं और राजस्थान की सरकार ने जो आदेश देकर उनको अपनी सेवाओं से मुक्त कर दिया है उन्हें इतना भी अवसर नहीं दिया कि वह किसी प्रकार से अपने आगे के जीवन को सुचारु रूप से चला सकें। लेकिन, सभापति महोदया, मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस आदेश के पीछे उनकी सही भावना थी कि जिसके द्वारा वह राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए अपनी राज्य सरकार के अन्दर कोई बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहते थे या राजस्थान के फाइनेन्सेज के ऊपर किसी प्रकार की बचत करना चाहते थे या इसके पीछे इस प्रकार की भावना थी कि कुछ राज्य कर्मचारियों के लिए अब की चुनावों में जब हमारे मन्त्री महोदयों ने और खास तौर से मुख्य मन्त्री महोदय ने यह देखा कि पुराने कर्मचारियों में बहुत से व्यक्ति इस प्रकार के रहे हैं कि जिन्होंने चुनावों के समय में राज्य सरकार को सहायता नहीं करने के बाद विरोधियों को सहायता करने की कोशिश की है और इस भावना को लेकर इस राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी करने की चेष्टा की है कि जिससे पुराने राज्य के कर्मचारियों को निकाल दिया जाये। माननीय सभापति महोदया, स्पष्ट रूप से आंकडों के आधार पर मैं वित्त मन्त्री महोदय के सामने यह नक्शा खींचना चाहता हूं कि उनको मालूम हो जायेगा कि नौ हजार कर्मचारियों से जिनको राज्य सेवा से वह निलम्बित करना चाहते हैं उनको ग्रेचुटी कितनी देनी पडेगी उनको पेन्शन कितनी देनी पडेगी? आज राज्य सरकार के पास जहां पैसे पैसे की कमी है और वित्त मन्त्री महोदय सारी राजस्थान की जनता के सामने जब कभी सवाल आता है तो यह सवाल पैदा कर देते हैं कि हमारी राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है विकास का कोई प्रश्न लेकर आते हैं, कोई उन्नति का प्रश्न होता है, छोटी सी समस्या राज्य सरकार के सामने रखते हैं तो उस समय तो वित्त मन्त्री महोदय के द्वारा और केबिनेट के और अन्य मन्त्रियों के द्वारा यह उत्तर दिया जाता है कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार का आदेश देने के बाद आज 3 करोड का राज्य सरकार को नुकसान होने वाला है। इसका उत्तरदायित्व किस के ऊपर मंढ़ा जाए। मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहूंगा कि सारी समस्या पर यदि वित्त मन्त्री महोदय विचार करना चाहें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि जो आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं और जो कदम राज्य सरकार उठाना चाहती है और उठाने जा रही है उस कदम

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के द्वारा राजस्थान को वित्तीय स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार आने वाला नहीं है बल्कि राजस्थान को वित्तीय स्थिति के अन्दर एक प्रकार का विकार आने वाला है और उसके द्वारा इस राजस्थान का कल्याण नहीं हो सकता।

दूसरा सवाल, माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं वित्त मन्त्री महोदय के सामने यह लाना चाहता हूं कि राजस्थान की उस गरीब जनता को दयनीय स्थिति का दिग्दर्शन मैं उनको कराना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, हमेशा यह विचार करके देखें कि आज से 3 साल पहले सरकार के द्वारा विकास किया गया उसके आंकडों के ऊपर विचार करके देखें। इसी राजस्थान के राज्य में शक्कर आप गरीब जनता को किस भाव बेचा करते थे जो राजस्थान की सरकार अपने यहां शक्कर का भाव 80 पैसा रखती थी और आज आपकी सरकार में उसका भाव 160 पैसा हो गया .....

श्रीमती समानेत्री: माननीय सदस्य! आप इस विधेयक पर ही बोलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं उसी विषय पर बताना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति क्या है और किस प्रकार से यह राज्य सरकार करती है। मैं टैक्स रेवेन्यू और नान-टैक्स रेवेन्यू दोनों को लेकर एक का पोजीशन एक्सप्लेन कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदया, तो राजस्थान की जनता की स्थिति का अब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि राजस्थान की जनता के सामने खाने-पीने और अपना जीवन चलाने की जो शक्ति है और आने वाली कठिनाइयों का निराकरण और उनकी उपलब्धियों को आसान करना राजस्थान सरकार का जो पुनीत कर्तव्य होना चाहिए था, राज्य सरकार अपने कर्तव्यों से च्युत होकर राजस्थान सरकार अपनी आंखों को मूंद करके यह सोचती है कि राजस्थान की जनता अब भी इस स्थिति में है और राजस्थान की जनता में आज भी ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा वह राज्य सरकार को टैक्स दे सकती है। यह जो भावना राज्य सरकार की है, माननीय सभापति महोदया, वित्त मन्त्री महोदय की है, स्थिति तो उस प्रकार की होनी चाहिए कि और कोई गरीब या सडी हुई चीज होती है तो उसके ऊपर बुरे से बुरा आदमी भी दृष्टिपात नहीं करेगा, लेकिन मुझ को तो ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय की निगाह तो उस गिद्ध की सी निगाह है जो मांस में पडे आखिरी दाने को भी नोंचकर खाने की सोचता है और हड्डियों का कंकाल रहने के बाद भी यह सोचता रहता है कि बाकी हड्डियों को भी खा जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की पर कैपिटा इनकम क्या है और उस पर विचार करते हुए राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को कितना टैक्स राज्य सरकार को देना पडता है और इन्होंने विगत पांच वर्षों के अन्दर इस राज्य सरकार ने टैक्स का भार राजस्थान की जनता पर कितना बढा दिया है, क्या आगे का बोझा वह राजस्थान की जनता वहन कर सकेगी? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि इस राजस्थान के लोकप्रिय मन्त्री बनना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस प्रकार का सुझाव है और जिन पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए। मेरे इन सुझावों को यदि आप कार्यान्वित करने की

(श्री दुर्गालाल बढ़दार)

चेष्टा करेंगे तो निश्चयात्मक रूप से और विश्वास के साथ, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के ऊपर आपको टैक्स लगाने की नौबत नहीं आएगी और इस प्रकार से आप राजस्थान की जनता को राहत देंगे और यह राजस्थान की जनता आपके विषय में सद्भावना अपने हृदय में स्थापित कर सकेगी। लेकिन मैं यह भी मान कर चलता हूं कि आपके सामने रोना और अंधे के सामने रोना और अपने नैन खोना बराबर है और बहरे के आगे ढारी बजाना यह दोनों बातें एक ही हैं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आप यह जरूर विचार करके देखिये की जनता पर यह टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा कर आप अपने खर्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ नोन-टैक्स रेवेन्यू के मसले पर विचार करके देखिये। क्या आपने कभी इस दृष्टिकोण से भी विचार किया है कि राजस्थान में जिन स्कीमों को लेकर राजस्थान सरकार चली, उदाहरण के लिये मैं आपके सामने इस ट्रांसपोर्ट और रोडवेज के मसले को ही रख देना चाहता हूं वे पूरी हुई हैं? राज्य सरकार सम्भवतः यह मानती थी, राज्य सरकार की सम्भवतः यह भावना थी, यह मान्यता मान कर चलती थी कि इस विभाग के द्वारा जो इस प्रकार से व्यापारिक आधार पर राज्य सरकार अपनी इस योजना को चलाना चाहती है तो उस योजना के द्वारा बहुत सा धन इससे राज्य सरकार को प्राप्त होगा। क्या वित्त मन्त्री महोदय आज इस स्थिति में हैं? वित्त मन्त्री महोदय को भी इस बात का अनुभव है कि राजस्थान के सारे रूट्स पर प्राइवेट बसेज चला करती थीं। इन प्राइवेट बसेज के किराये की तुलना राज्य सरकार की चलने वाली बसों की तुलना में देखें तो कहीं कहीं तो, किसी किसी रूट पर तो दूने से भी ज्यादा किराये की वृद्धि हुई है। प्रश्न आपके सामने यह है और आप बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि आइल का खर्चा बढ़ गया है, पैट्रोल का खर्चा बढ़ गया है, इन सब की दरों में वृद्धि हो हुई है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, यह चीज स्पष्ट रूप से विदित हो जायेगी कि जिस प्रतिशत में खर्चे में वृद्धि हुई है उसके मुकाबले में कहीं दूने से ज्यादा वृद्धि आपने किराये में कर दी है। आपसे आधा किराया देने के बाद भी प्राइवेट बसेज के आनर्स मुनाफा कमाया करते थे लेकिन इसके विपरीत आपके द्वारा लगाया गया मनमाना टैक्स अदा करने के बाद भी

(2.43 म.प.)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, पदासीन)

आज जो रोडवेज की आपकी हालत है जिसमें करोड़ों रुपयों का घाटा इस राज्य सरकार को देने के बाद भी आज जनता के सामने कोई ऐसी सहूलियतें उपलब्ध नहीं हैं, कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिनके द्वारा जनता को आराम दिया जा सके। क्या कभी आपने सोचा? वित्त मन्त्री महोदय, इस बारे में आप सोचें कि राजस्थान सरकार का, पब्लिक एक्सचेकर का करोडों रुपया इस विभाग को हमने दिया है तो उन करोडों रुपयों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। लेकिन यहां तो ऐसी अन्धाधुंधी का राज्य चल रहा है कि जिसके अन्दर कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर बसों का घोटाला होकर और उनकी वेल्यू, कैपिटल घटती जाती है, आप अपने आंकडों के अन्दर कुछ भी आंकते

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रहियेगा लेकिन जब आंकडों से हटकर वास्तविक बाजार में चीज आएगी तो इसकी वह कीमत मिलने वाली नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या कभी आपने विचार किया है कि इस प्रकार राजस्थान के फाइनेन्सेज का दुरुपयोग करने वाली यह जो आपकी अण्डरटेकिंग चल रही है इनको रोकने की ओर ध्यान दिया है? लेकिन आप कभी इस प्रकार का ध्यान नहीं देंगे।

दूसरा सुझाव, जिसे मैं आपको बताता हूं वह यह है कि 15 करोड रुपये की बकाया की वसूली का सवाल आपके सामने चल रहा है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, 16 करोड का ओवर ड्राफ्ट इस राजस्थान के ऊपर कायम हुआ है। आपने इस राज्य को, इस राजस्थान की स्टेट को आपने एक दिवालिया सरकार बना कर रख दिया है। मुझ को तो यह अनुमान होता है, ऐसा अन्दाज मुझे लगता है और आगे होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से मैं दिखा देना चाहता हूं कि अब आपकी क्रेडिट बैंक के सामने, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने बिल्कुल नहीं रहने वाली है और राजस्थान में वह स्थिति बहुत जल्दी पैदा होने वाली है कि शायद राजस्थान सरकार दो-चार पांच महीनों के बाद ही इस स्थिति के अन्दर पहुंच जाय कि वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक का वितरण न कर सके। आपके पास पैसा बचा नहीं है तो फिर कर्मचारियों की तनख्वाह का सवाल पैदा होगा, बैंक आप पर रिलायन्स करने वाली नहीं है। कोई एक पैसा आपको कर्जा देने वाला नहीं है, इस दिवालिया सरकार को कोई कर्जा दे नहीं सकता तो फिर आप सोचिए कि उस समय आपकी क्या हालत हो जायगी? यह सरकार यदि दिवालिया बनती है तो उसका दोष किस पर डाला जा सकता है। वह यदि किसी पर डाला जा सकता है तो केवल राजस्थान सरकार के ऊपर डाला जा सकता है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आप यह कह कर अपनी बचत नहीं कर सकते कि वित्त का पोर्टफोलियो तो इसी साल मेरे पास आया है। मैं यह बात कह सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर आप इस कैबिनेट के अन्दर फुलफ्लेज्ड मेम्बर रह चुके हैं और कलैक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के अन्दर आपका भी उतना ही उत्तरदायित्व है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। यदि आप सोचते, यदि आप आंख खोलते और सबसे बडी बात तो यह है कि सबसे बडा पोर्टफोलियो योजना का आप अपने हाथ में लिए हुए थे। यदि इन योजनाओं को आप आंख खोल कर देखने की कोशिश करते तो योजनाओं में जो अनावश्यक योजनाऐं थीं उनको रोकते, जिनमें धन का दुरुपयोग होता था तो उस सारे धन के दुरुपयोग को आप रोक सकते थे, लेकिन आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। आज राजस्थान स्टेट को दिवालिया की स्टेज पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व आप पर भी उतने ही रूप में लगाया जा सकता है जितना कि राजस्थान के किसी भी मन्त्री पर लगाया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह आपको कब से मालूम हो गया है कि राजस्थान स्टेट दिवालियापन की स्थिति में है? मैं आपको बजट भाषण के समय बता चुका हूं, बजट के वादविवाद के उत्तर के समय बता चुका हूं,

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टेट अस्सेट्स और लायबिलिटीज आपके सामने सदन के सामने रख चुका हूं, फिर भी आपको यह वहम बना हुआ है कि स्टेट दिवालिया होने जा रही है और इस बात को आप हर समय बोल देते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं कहता हूं कि आप जो स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से मानते नहीं हैं। राजस्थान सरकार पिछले छः सालों से बराबर कहती क्या है और करती क्या है, यह हो रहा है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि जो स्थिति आपने आंकडों में कर रखी है, उस स्थिति को देखते हुए मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है जब आप यह कह कर दूर हो जायेंगे कि हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी तो सब्जबाग दिखाने की आदत है। पांच साल· · ·

श्री मथुरादास माथुर : आप जो कुछ कह रहे हैं वह तो कम से कम फैक्टस पर कहें। कितनी हमारी लायबिलिटी है, कितने हमारे एसेटस हैं उनके फिगर्स मैं आपको क्वश्चन के जवाब में भी दे चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं। सदन में आप कुछ कहते हैं तो उस पर भी विचार किया जाता है और जो कुछ सुझाव देंगे अगर वे वाजिब होंगे तो उन पर अमल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन यह जो आप साईकोलोजी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार दिवालिया हो गई है, हम पर किसी का विश्वास नहीं रहा है और अब हमें कोई कर्जा देने वाला नहीं है तो आप यह भी तो देखिए कि अगर सौ करोड का कर्जा है तो उधर राजस्थान कैनाल भी सौ करोड की खडी है। आज बिल्डिंग बनाने के लिए लाखों रुपयों का कर्जा लिया गया है तो लाखों रुपयों की बिल्डिंग खडी हुई है। एसेट्स और लायबिलिटीज मिला कर देखें तो स्टेट की एसेट्स सरप्लस में है। प्रि-कवेनेन्ट के एसेट्स को अकाउण्ट में नहीं लिया गया है, उसके बावजूद स्टेट के, एसेट्स सरप्लस हैं। तो यह जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि दूसरे बैंकों की हमारे पर क्रेडिट नहीं रही है और कोई कर्जा नहीं देने वाला है तो मैं आपको कहता हूं कि आज भी राजस्थान गवर्नमेन्ट की साख है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय वित्त मंत्री जी· · ·

श्री नत्थीसिंह : आपने तो वह स्थिति पैदा कर दी है कि ये हवा बनाने से भी रह गए।

श्री दुर्गालाल बाडदार : मैं कोई हवा बनाने की कोशिश नहीं करता, मैं तो प्रत्यक्ष, यथार्थ बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप यथार्थ को सुनने की चेष्टा कीजिए। आपने . .

श्री सभापति : यथार्थ में भी फैक्ट्स को लेकर चलें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप जो वास्तविक स्थिति को नजरअन्दाज करना चाहते हैं, इस दृष्टि से मैंने आपको बताया कि आप इन आंकडों के इन्द्रजाल में राजस्थान की जनता को इस प्रकार से कसना चाहते हैं कि जिसका एक उदाहरण छोटा सा मैंने आपको रोडवेज का दिया। रोडवेज के टंडीरों की कीमत दो तीन हजार भी कोई नहीं आंकेगा जब आप उनको मार्केट में लायेंगे।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
लेकिन आप आंकड़ों मे इनकी कीमत तीस तीस हजार रुपया आंक कर चलते हैं और इस प्रकार अपने दिवालियापन को छुपाने के लिए आप आंकडों के इन्द्रजाल में · · ·

श्री मथरादास माथुर : यह भी गलत है। आप इसको भी नहीं समझ सके हैं। रोडवेज के अन्दर प्रोफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कैपिटल कंजूम कर रहे हैं। इसका डेप्रिसियेशन फण्ड है, इन्टरेस्ट चार्ज होता है और सब कुछ कैलकूलेट करने के बाद अगर बस की कीमत डेप्रिसियेशन के बाद दो पैसे की रह जायेगी तो भी बस की कीमत तो पहले की आ चुकी है। प्रोफिट का कन्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, इस हद तक ही घाटा है और कोई खतरे की बात नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यही तो एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं कि इस आंकड़े के इन्द्रजाल के अन्दर आप इस जनता को फंसाना चाहते हैं लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जो सही बात है, जो सही तथ्य है · ·

श्री मथुरादास माथुर : ए. जी. की ऑडिट रिपोर्ट आती है, वे सब हिसाब देखते हैं, उनके आंकडों को आप देखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : देखिये वित्त मंत्री महोदय जब कभी प्रत्यक्ष या सही बात सामने आती है तो सहन करने की शक्ति नहीं होती है, स्वभाविक है मनुष्यमात्र के लिए। आप इस प्रकार से विचलित होते हैं तो यह स्वभाविक बात है। हम इस बात को स्वभाविक मानकर चलते हैं।

तीसरा सुझाव जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अभी तक तो एक भी नहीं रखा तीसरा कहां से आगया है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो करारोपण की स्कीम है और करों को बढ़ाने की स्कीम है आपकी यह भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा जन्म देने वाली है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अभी आपने काश्तकारान के ऊपर लेवी के मसले को रखा, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय आप थोडा प्रेक्टिकल माइन्डेड बन कर इस दृष्टिकोण से विचार करने की चेष्टा कीजिये। इसमें एक अहम बात है वह मैं आपको बताना चाहता हूं राज्य सरकार को रुपये की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार को चलाने के लिए टैक्स भी लगाने पड़ते हैं और लगाये जाते हैं इस सिद्धान्त का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन टैक्स लगाने के पीछे राज्य सरकार की भावना क्या होती है और वह भावना सही मायने में क्रियान्वित होती भी है या नहीं, इस पर आपको निश्चयात्मक रूप में विचार करना चाहिए। एक लेवी का छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपकी कठिनाई खोल देना चाहता हूं। इस लेवी को वसूल करने में राज्य सरकार की भावना यह थी कि नियन्त्रित मूल्य के ऊपर राज्य सरकार को कुछ अन्न उपलब्ध हो जायगा और अन्न वितरण करने में राज्य सरकार को लाभ होगा। लेकिन आप प्रेक्टिकल रूप से देखिये, गावों में जाकर देखिये, गुप्त रूप से इस बात का अन्वेषण करने की चेष्टा कीजिये कि इसका मुनाफा जो कुछ राज्य सरकार को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

होना चाहिए या जितना काश्तकार को होना चाहिए उतना ही इन दोनों को न होकर एक तीसरी क्लास भी पैदा कर दी है उस तीसरी क्लास को इसका मुनाफा होता जा रहा है, और वह क्या है कि आज इस लेवी की चोरी के लिए, इस लेवी से बचत करने के लिए गलत-गलत रिपोर्ट अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अधिकारियों के सामने इस प्रकार की गलत रिपोर्ट पेश करके उस आधार पर लेवी एसेस की जाती है। आप अन्दाजा लगाइये, ऐसे बहुत से केसेज मैं आपको बताऊंगा कि जिनमें काश्तकार के यहां हजार मन गल्ला पैदा हुआ और रिपोर्ट के आधार पर 30 मन गल्ला लेवी में लेते हैं, लेकिन एक काश्तकार के यहां 30 मन गल्ला पैदा हुआ है उससे 300 मण लेवी में गल्ला वसूल करते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो डिस्क्रीशन तहसीलदार ने एक्सरसाइज कर लिया है या जो स्वेच्छा या स्व विवेक तहसीलदार ने अपनी मर्जी के आधार पर ले लिया है उसकी अपील करने के लिए आपने कोई प्रावधान भी नहीं रखा। अगर कोई गरीब आदमी जाकर एक अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध कोई याचना करना चाहता है तो उसके लिए कोई आपके कानून में प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा आप भ्रष्टाचार को जन्म देना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं या राजस्थान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी अगर आप टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगाने के साथ-साथ इतना प्रेक्टिकल माइन्डेड आपको बनना पड़ेगा कि टैक्स के रियेलाइजेशन में किसी प्रकार की गडबड नहीं होती, टैक्स के अन्दर कोई लीकेज नहीं होता, लेकिन इन दोनों बातों पर आप ध्यान नहीं देते। कानून बनाना आपका काम है और कानून का इम्पैक्ट क्या होता है, उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए किस प्रकार के स्टेप्स लिये जाते हैं राज्य सरकार इस पर विचार नहीं करती, तो मेरा कहना यह है कि यह अटल और अमर सिद्धान्त है कि 'लीस्ट रूल इज दी बेस्ट रूल'। उसके विपरीत राजस्थान सरकार ने अपना रवैया ऐसा बना लिया है चाहे सेशन्स लॉज के लेलें चाहे दूसरे लॉज को लेलें राज्य सरकार दिन में 10 कानून बनाने की कोशिश करती है, राज्य सरकार इस प्रकार का कानून का इन्द्रजाल इस जनता के सामने रखने की कोशिश करती है, तो मैं यह कहूंगा कि जनता तो क्या यहां तक कि राजस्थान सरकार का लॉ डिपार्टमेन्ट भी उन सारे कानूनों के बारे में सही मायने में करेक्ट इन्फार्मेशन देने के लिए भी समर्थ नहीं है, उसके लिए भी संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस पर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती और उसके विपरीत राज्य सरकार का क्रम इस तरह से चलता है जिसके द्वारा इस गरीब जनता पर विशेष टैक्स का भार लगाया जाता है।

चौथा सुझाव जो योजना के ऊपर है उसमें केवल, माननीय सभापति, आपके द्वारा, इस राजस्थान मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिन योजनाओं को, बडी योजनाओं को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ना चाहती है आंकडों के आधार पर मेरे माननीय पूर्व सदस्य काफी प्रकाश डाल चुके हैं और उन्होंने यह भी बतादे की

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
कोशिश की है कि राजस्थान का टारगेट कितना इन योजनाओं में व्यय करने का था और राज्य सरकार उतना व्यय नहीं कर सकी। आखिर राज्य सरकार को करोड़ों रुपये योजनाओं पर खर्च करने चाहिए थे उतने रुपये राज्य सरकार ने नहीं किये और करोड़ों रुपयों की बचत राज्य सरकार को हुई, फिर यह रुपया कहां चला गया ? कैसे यह भूख बढती जा रही है ? फिर भी राज्य सरकार की वह टैक्स का भार लगाकर इस जनता से और रुपया वसूल करने की कोशिश करती है। इसका क्या कारण है ? वह रुपया कहां चला गया ? इस पर भी आपको दूसरे दृष्टि कोण से विचार करना होगा।

राजस्थान का मंत्रि-मंडल आज जनता पर और पहले इस प्रकार की भावना बनाये हुए बैठा है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल के सामने अपना आराम है राजस्थान की जनता का आराम नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं पहले वह मंत्रि-मंडल के सामने रख चुके हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आज यह बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह प्रत्यक्ष की बात है और आंकडों की बात है, इसको आप जांच करके देख लीजियेगा कि आज राजस्थान सरकार के एक मंत्री पर तनख्वाह के अलावा उसके बंगले का, उसके पानी का, उसकी मोटर का, उसके रेफ्रिजिरेटर्स का, उसके नौकरों का, उसके चाकरों का कुल कितना खर्चा पड़ता है ? जितनी एक राजस्थान के मंत्री की तनख्वाह है उसका 10 गुना खर्चा एक मंत्री करता है, और उस सारे खर्चे को इस राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। जनता की गाढ़ी कमाई, जनता की कठिन कमाई से पैदा किया हुआ यह पैसा पब्लिक एक्सचेकर का यह रुपया जो यह राजस्थान का मंत्रि-मंडल अपने आराम के लिए बराबर खर्च करता जा रहा है, क्या जनता के लोकप्रिय मंत्री होने के नाते आज राजस्थान का मंत्रि-मंडल इस सदन के सामने यह आश्वासन देने के लिए तैयार है ? क्या जनता को लोकप्रिय मंत्रि-मंडल जनता के सामने इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करने के लिए तैयार है कि लोकप्रिय सरकार के मंत्री जिस प्रकार से केरल के अन्दर साइकलों पर चला करते थे और अपने खर्च के ऊपर किसी प्रकार की कोई बढोतरी नहीं करते थे उस प्रकार का आश्वासन आज यह राजस्थान का मंत्रि-मंडल इस जनता को देने के लिए तैयार है क्या ? लेकिन वह नहीं होगा। यह सवाल जब भी आता है उस समय यह बात पैदा की जाती है कि यह लोग, विरोधी पक्ष के लोग पुराने जमाने की ऑटोक्रेसी के लोगों की तारीफ करने वाले हैं। हम यह कहते हैं कि पुराने जमाने के ऑटोक्रेट तो चले गये, पहले तो एक ही टाइरेन्ट होता था, एक ही ऑटोक्रेट होता था, लेकिन इस डेमोक्रेसी के जमाने में आज मंत्रि-मंडल में कितने ऑटोक्रेट्स हैं और कितने फ्यूडल्स हमारे सामने बैठे हुए हैं कि जिनका सारा खर्चा इस राजस्थान की जनता को वहन करना पड़ता है। क्या आप विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब आपका काम, राज्य सरकार का काम बड़े आराम से चल रहा है, इस जनता के सामने क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि अब भी कम से कम जितने मंत्री आप हैं हम उनको अपनी आंखों पर लगाने को तैयार हैं, उन पर हमारी कमाई का पैसा बहुत कुछ खर्च करने

Page No. 114

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
को तैयार हूं, लेकिन आप कम से कम मंत्रिमंडल को नहीं बढ़ायें।

श्री श्रवणलाल : पाइन्ट आफ आर्डर, सर एक तो कांग्रेस के सदस्य बैठते नहीं हैं और बैठते हैं तो सोते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर उनको सोना है तो उनको लाबी में भेज दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : देखिये साहब, यह कोई नई बात नहीं है। हमारे यहां शास्त्र में चला आ रहा है कि जैसा खायेगा अन्न वैसा बनेगा मन। अब प्रश्न यह है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं सोयेंगे तो मेरे भाई आप लोग सोने को आयेंगे? उनसे पूछो कि अन्न कैसा खाते हैं। जब काम का समय आयेगा तो सोयेंगे वे लोग।

श्री सभापति : नींद सब को आती है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैंने कहा कि अन्न पर सब डिपेन्ड करता है। तीन प्रकार के गुण, तीन प्रकार के अन्न और तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहां शास्त्रों में दी हुई हैं।

(3 म. प.)

चौधरी साहब अब आप रहने दीजिये।

श्री रामकिशन : आपने सुना नहीं, आप क्या कह रहे हैं?

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक बार फिर कह दीजिये, आपने सुना नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : आपके संगीतमय भाषण से लोगों को नींद आ जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं एक विश्वास और चाहता हूं। ठीक, आपने जितना खर्चा कर लिया, बहुत ऊंचा व्यय कर लिया उसे हमने बर्दाश्त कर लिया। आगे के लिए क्या आप विश्वास दे सकते हैं कि आगे और भी आय को बढ़ा कर और खर्चा नहीं लेकर यह दिखायेंगे कि पब्लिक एक्सचेकर को कितना फायदा आप पहुंचा सकते हैं। आगे दो और दो चार होंगे, दो और दो पांच होने वाली बात नहीं होगी। वैसे बहुमत के द्वारा दो और दो पांच आप कर सकते हैं, दो और दो पांच वाली बात को भी बहुमत के द्वारा आप पास कराना चाहें तो आपकी मर्जी है। क्योंकि बहुमत आपके पास है इसलिए आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं।

अंत में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह और बताना चाहता हूं कि जो सैल्स टैक्स की दर आप राजस्थान के अन्दर कर रहे हैं, उस पर राजस्थान सरकार को वास्तविक रूप से विचार करना चाहिए। एक तरफ तो राजस्थान सरकार इस बात का दावा करती है कि हम अपने राज्य के अन्दर व्यापार की वृद्धि करना चाहते हैं, अपने राज्य के अन्दर हम इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने राज्य का इस प्रकार विकास करना चाहते हैं जिससे हमारे हिन्दुस्तान के और सिस्टर स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में राजस्थान अच्छे प्रान्तों की गिनती में आ जाय। लेकिन यह स्वाभाविक प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप विचार करके देखिये कि एक व्यापारी जो उत्पादन करेगा तो उत्पादन करने के बाद उस उत्पादित वस्तु की बिक्री

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

करने का प्रश्न आता है। बिक्री करने का प्रश्न आता है तो उत्पादन में जितनी लागत आती है, उस लागत से कम पर बेचने को वह तैयार नहीं होगा। किन्तु इस राज्य के बाजारों में आने वाले सामान पर बिक्री कर और स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है, यहां पर व्यापारी को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर वह ज्यादा टैक्स देगा तो ज्यादा मंहगी चोज तैयार करेगा और जब चीजें ज्यादा मंहगी तैयार होंगी, जब मंहगी चीजें तैयार होंगी तो देश के बाजारों में हमारे यहां की वस्तु बिकने जायगी तो उसकी कितनी बिक्री हो सकेगी यह आप अन्दाज लगा सकते हैं। अब इससे राजस्थान के व्यापार का विकास होगा? आप राजस्थान में बनाई हुई चीजों को ले लीजिये, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी अधिक बिक्री न होने के कारणों में से एक यह कारण है जिससे लोग राजस्थान के बाजारों से चीजें खरीदने को तैयार नहीं होते जब कि दूसरे स्टेट में बनाई हुई चीजों को व्यापारी खरीदने को तैयार होते हैं। इसलिए आपके यहां के व्यापार पर सैल्स टैक्स के कारण कुठाराघात होता चला जा रहा है। इसी कारण से आपके यहां का ऊंचा तबका, समाज का ऊंचा तबका समाप्त हो रहा है जिनकी आमदनी के ऊपर इन्कम टैक्स के द्वारा आपको इन्कम होती थी, और व्यापारी के ऊपर दूसरे टैक्सेज लगाने के कारण से आपको आमदनी होती थी। इस तरह से आपने एक तरफ ही केवल देखा और दूसरी तरफ देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। एक तरफ से ही आपने पैसा लेने की कोशिश की और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखा। इस पैसे के लालच के कारण से इस स्टेट का व्यापार नष्ट होता जा रहा है। जब इस स्टेट के अन्दर कारोबार करने वाले व्यक्तियों को नुकसान होता है तो राजस्थान की उन्नति किस प्रकार से हो सकती है। राजस्थान के कारोबार को, राजस्थान के व्यापार को यदि नुकसान पहुंचाने वाला कोई है तो वह आपके सैल्स टैक्स की दरें हैं, जो हिन्दुस्तान की दूसरी सिस्टर स्टेट्स से ज्यादा हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अपनी सैल्स टैक्स दरों पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करने के बाद में राज्य सरकार को इस निर्णय पर पहुंचना चाहिये कि किस प्रकार से हम अपनी स्टेट का कारोबार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हमें अपनी स्टेट के व्यापार को बढ़ाना चाहिये।

अंत में मैं केवल यह कहना चाहता हूं, जो कानूनी मसला मेरे पूर्व वक्ता ने इस सदन के सामने रखा है, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य सरकार जब कभी कोई फाइनेन्शियल लेजिस्लेशन, पीनल लेजिस्लेशन इस सदन के सामने लाना चाहती है तो उसको लाने के पहले उसको कानूनी प्रावधानों के ऊपर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। अगर आज हमारी राज्य सरकार की इस प्रकार की स्थिति है कि फाइनेन्शियल मैटर, फिसकल स्टेट्यूज संवैधानिक आपत्तियों के होते हुए भी इस सदन के समक्ष लाये जा रहे हैं और बिना प्रेसीडेंट की असेन्ट के इस प्रकार के कानून पास कराये जा रहे हैं। जिस प्रकार की पहले भी इस राज्य सरकार के द्वारा गलती की जाने पर हमारे यहां के सर्वोच्च और वरिष्ठ न्यायालयों में राज्य सरकार के प्रतिकूल निर्णय दिया जा चुका है। उसके उपरान्त भी राज्य सरकार अपनी यही

(श्री दुर्गालाल बाहुदार)

मान्यता लेकर चले, राजस्थान सरकार अपनी यही भावना को लेकर चले कि अदालत के फैसले तो होते आये हैं और होते रहेंगे लेकिन राज्य सरकार अपनी रफ्तार से चलती जायगी। यह कोई बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान के मंत्री महोदय की इस प्रकार की विचारधारा रही है, इस विचारधारा के मंत्री महोदय हमेशा रहे आये हैं, और मौजूदा जो मंत्री महोदय बैठे हैं का राजस्थान सरकार के द्वारा जो कानून बना गये उन पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यह कानून अमान्य है लेकिन मंत्री महोदय ने अपनी जिद् रखी और इस सदन के द्वारा वेलिडेटिंग बिल पास करा दिया। उनकी विचारधारा यह है कि हाई कोर्ट फैसला देता रहेगा, हमारा इस सदन में बहुमत है, हमारी ताकत है उसके आधार पर हम वेलिडेटिंग बिल बना सकते हैं और जो फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया है उसको हम निरस्त कर सकते हैं। इस भावना को लेकर इस सदन से कानून पास कराना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। लेकिन सद्भावना के साथ किसी प्रकार से अपनी शक्ति का अत्यधिक विचार न करते हुए जनता के हित की भावनाओं को लेकर कोई कानून, कोई इस प्रकार का बिल इस सदन में पास कराना चाहते हैं, तब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप जनता की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका और हमारा नहीं है, यह प्रश्न राजस्थान की दो करोड़ जनता से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न, इस प्रस्ताव के द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने मेरी यह एक छोटी सी मांग रखना चाहता हूं कि जो कानून राजस्थान की दो करोड़ जनता को प्रभावित करने वाला है, जिस कानून के द्वारा राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर टैक्सेज लगाये जाने का मसला है-इस प्रकार के कानून को जनता के सामने जनता की भावनाओं को जाने की दृष्टि से प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक होता है। आप अपनी जिद् को छोड़ दीजिये, और इस बात को छोड़ दीजिये कि इससे क्या नफा-नुकसान होने वाला है। कम से कम जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून को जनता की भावनाओं को जानने के लिए, जनता की विचारधारा सही मायने में जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस बात पर इस प्रकार विचार करेगी। मान लीजिये, अगर विचार नहीं करना चाहती है और राज्य सरकार अपनी विचारधारा पर एडेमेन्ट रहना चाहती है तो कम से कम इस बात का ध्यान में रख लेना चाहिए कि छोटे छोटे सुझाव हम देना चाहते हैं, उनको ध्यान में रख कर आप जनता पर टैक्स लगाने की कोशिश कीजिये। आप देखिये कि आपका करोड़ों रुपया आज बकाया है, उसको वसूल करने की कोशिश आप कीजिये। लेकिन जब भी उसकी वसूली का सवाल आता है तो आपके सामने यह सवाल नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति, जिससे बकाया वसूल करने जा रहे हैं, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। इससे वसूली करने में मेरे सामने कौटुम्बिक संकट आ सकता है। इन बातों पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके सम्प्रदाय के लोग हैं, जो लोग आपको चुनाव में मदद करते

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हैं उनको व्यर्थ रूप से सहायता देने के लिए हजारों रुपये की तकावी आप देते हैं, हजारों रुपये के लोन दे देते हैं, उनके लिए इस प्रकार की बोगस संस्थाओं को जन्म दे देते हैं जिससे राज्य सरकार के करोडों रुपये वह खा जाते हैं और बाद में आप उसकी वसूली करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दें, और इतना सख्त कदम उठायें कि भविष्य में राज्य के एक्सचेकर का पैसा इस प्रकार बरबाद नहीं किया जायगा। कर्ज लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार हो, चाहे मंत्री महोदय का रिश्तेदार हो उससे सख्ती के साथ में रुपया वसूल किया जायगा और भविष्य के अन्दर इस प्रकार की बोगस संस्थाओं को, इस प्रकार के बोगस इन्स्टीट्यूशन्स को, जिनमें उत्पादन बढाने की शक्ति नहीं है, उनको पैसा नहीं दिया जायगा। यदि सरकार इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे देगी तो जनता का हित हो सकेगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयन्दा वर्षों में आपको टैक्सेज के कोई प्रोपोजल्स लेकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

थोड़ी सी छोटी-छोटी योजनाओं पर भी आप रुपया खर्च करने की कोशिश करें। मेरी दो समस्याएं हैं, मेरी इन स्थानीय दो छोटी सी समस्याओं पर विचार व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

आज जयपुर की पेय जल की स्थिति बड़ी जटिल होती जा रही है। हमने वित्तीय स्थिति के बारे में बातें सदन के सामने रखीं, जब हम छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर आते हैं तो हमें यह जवाब देने की कोशिश मत कीजिये कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये हम इन पर विचार नहीं कर सकते। हजारों लाखों की स्कीमों के स्थान पर जब हम सैकड़ों की थोड़ी सी स्कीमें आपके सामने रखते हैं तो उन पर आपको सहृदयता-पूर्वक विचार करना चाहिये। आपके सामने हमने जयपुर में पेय जल की समस्या के हल के लिये स्कीम रखी थी, जो बड़े बड़े कुए हैं, उनमें हैंड पंप, प्रेशर पंप लगाने से जयपुर की जनता को पानी दे सकते हैं। आपने पांच, चार जगह बहुत कुछ चिल्लाने और यहां दबाव देने के बाद इस स्कीम को क्रियान्वित करने की कोशिश की है पर मेरी समझ में नहीं आता कि इसे आपने क्यों बन्द कर दिया। चार पांच कुओं में चलाई गई यह स्कीम और दस, पांच कुओं में चालू की जाती तो जयपुर की पानी की समस्या हल हो सकती थी।

दूसरी जो स्थानीय समस्या है उसके बारे में आज प्रश्नोत्तर काल के बाद सदन के सामने सवाल उठाया गया, वह है बच्चे-बच्चियों के एडमिशन का सवाल। क्या मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार करने की कोशिश की है कि कितनी पोपुलेशन राजस्थान की बढ गई है, कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, उनको एडमिशन मिलता है या नहीं। अन्दाज लगाइये उन अभाग्यशाली पिताओं और संरक्षकों का जो इस महंगाई के जमाने में अपना पूरा पेट नहीं पाल सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जिनको पूरा खाने को नहीं मिलता, वे अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नौकरी पर बराबर 10 बजे नहीं पहुंच पाते हैं तो हाजरी बाबू एब्सेन्ट मार्क करने को तैयार रहता है, राशन के लिये जाते हैं तो लम्बी क्यू में खड़े रहना पड़ता है, पब्लिक टैप

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पर पानी लेने जाते हैं तो क्यू में खड़े रहना पड़ता है, बच्चों को एड्मिट कराने के लिये जाते हैं तो वहां भी लम्बी क्यू में खड़े रहना पड़ता है, एक दिन की गैर हाजरी और अफसर की घुड़कियों का सामना करने के बाद भी जब वह हैड मास्टर या हैड मिस्ट्रेस के पास पहुंचता है तो जवाब मिलता है कि, एड्मिशन नहीं मिल सकता, भर्ती बन्द हो गई। कोई मंत्री इस बात का दावा करने को तैयार है क्या कि मैं अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिये क्यू में लगा था, नहीं। 7 साल फेल हो गया तो 8 वें साल भी उसे एड्मिशन मिल जायगा पर गरीबों के बच्चे थर्ड डिविज़न में पास होते हैं तो भी उनको एड्मिशन नहीं मिलता। मेरे यहां पुरानी बस्ती का लड़कियों का स्कूल 5 वीं क्लास का चल रहा है, 187 लड़कियां छठी क्लास में ऑटोमेटिकली दाखिल होनी चाहियें थीं पर जिस बेवकूफी की स्कीम राजस्थान सरकार बनाती है, वैसी ही स्कीम पर इस सरकार के अधिकारी चलते हैं। वहां की हैड मिस्ट्रेस कहती है कि छठी क्लास नई हो गई इसलिये हमने नये एड्मिशन कर लिये हैं। हमने कहा कि भली मानस यह तो सोचा होता कि पांचवीं से आपकी स्कूल की कितनी छात्राएं आने वाली थीं। यह आपके कर्मचारियों की हालत है। डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं तो वे मिलते नहीं, शिक्षा सचिव से मिलने की कोशिश की तो कहा कि मेरे को मालूम नहीं है। उनको मालूम नहीं है तो दो तीन हजार की तनख्वाह किस बात की लेते हैं? राजस्थान के शिक्षा सचिव बने हैं और कहते हैं कि समस्या का हमें मालूम नहीं है। शिक्षा मंत्री को टेलीफोन करने की कोशिश की तो वे जोधपुर चले गये थे। मंत्री सैर करते फिरें, शिक्षा सचिव को मालूम नहीं, हैड मास्टर, हैड मिस्ट्रेस सुनें नहीं, तो गरीब जनता के लोग कहां जायेंगे? क्या आपके घर पर जा कर धरना दें? आप उनकी सुनना नहीं चाहते, राजस्थान की जनता आपसे कई अपेक्षा करती है, आप मंत्रियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि इन छोटी-छोटी समस्याओं पर विचार नहीं करें। सदन के सामने यह सवाल उठाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहां आती यह है कि मन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट नहीं देते, उसके लिये 10 तारीख निर्धारित की जाती है। 10 तारीख तक एड्मिशन बन्द हो जायेंगे पर आज राजस्थान की जनता की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, राजस्थान के मन्त्री महोदय जनता की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, आपके ये कारनामें डेमोक्रेसी पर कलंक हैं। राजस्थान की जनता शान्त है पर याद रखिये एक समय आने वाला है जब राजस्थान की शान्त जनता का खून खोल जायगा। अहिंसा के पुजारियों! महात्मा गान्धी के अनुयायियो!! राजस्थान की शान्त जनता को क्रान्ति की ओर अग्रसर करने की सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के मंत्रि-मण्डल की होगी।

सभापति महोदय, मैं तो स्पष्ट शब्दों में यह भी कहना चाहता हूं कि जयपुर एक एसा जिला है जिसके प्रति राजस्थान का सारा मन्त्रि-मण्डल, राजस्थान के मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, जयपुर जिला ऐसा है जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, गुजरे पांच साल चुनावों में और इस आम चुनाव में भी जयपुर जिले ने इस सरकार के मुंह पर, गाल पर करारा तमाचा लगाया है, इस चुनाव में भी करारा तमाचा लगाया है और इस तमाचे के कारण जयपुर जिले के विकास के लिए,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
जयपुर जिले में शिक्षा के उत्थान के लिये कतई रुपया नहीं दिया गया। कौनसी विकास योजना इस जिले के लिये आपने पेश करने की कोशिश की है? कोई नहीं। जब आपकी यह भावना है, तो आप प्रान्तीय और व्यक्तिगत द्वेष की भावना को जन्म देते हैं, फिर आप जयपुर जिले की जनता से क्या आशा कर सकते हैं, पूछते हो, तुम हमें कितना चाहते हो? अपना दिल टटोल कर देखो हमारे प्रति क्या भावना रही है तुम्हारी। बराबर 10 साल से जयपुर जिले को आपने बरबाद करने की कोशिश की है पर याद रखो समय आने वाला है, आपको अपने इस रवैये को छोड़ना होगा, इन सारी समस्याओं पर विचार करना होगा।

हमारी इस कैबिनेट में एक मन्त्री तो ऐसे हैं जो जयपुर की पुरानी रियासत में रहे हुए आदमी हैं, उसे तो कम से कम जयपुर की जनता के प्रति सद्‌भावना रखनी चाहिए थी। आपकी रिश्तेदारियां, सम्बन्धी आदि ऐसे व्यक्ति हैं जो जयपुर में पले हैं फिर मन्त्री महोदय माननीय दामोदरलालजी, मुझको अपना दुश्मन या मित्र समझिये, पर एक प्रोफेशन के होने के नाते, आज आप मन्त्रिमण्डल में हैं, पर एक दिन आप हमारे साथ वकालत करते थे, मैं तो भाई ही मान कर चलता हूँ, आपकी भावनाएं बदल गईं। मुझे तो आप पर इतना भरोसा था, विश्वास था कि राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में जयपुर के आदमी दामोदरलालजी हैं, जयपुर के लिये कुछ करेंगे पर आपको मन्त्रि-मण्डल का इतना लालच आगया है कि आप अपने भाई बन्धुओं के लिये भी विचार करना नहीं चाहते....

श्री मूलचन्द डागा : इनमें संकीर्णता नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको यह डर लगता है कि कहीं मैंने कोशिश की तो श्री सुखाड़िया जी मेरे से मन्त्री पद छीन लेंगे। आप जनता की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें आप हमारे साथ चले आइये हम आपका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे आपको सर आंखों पर लगायेंगे.....

श्री मूलचन्द डागा : यह भाई-भतीजावाद की क्या बातें हो रही हैं?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अन्धे के आगे रोना और अपने नैन खोना जैसी बात हो रही है; अच्छे बाबा आप मन्त्रि-मण्डल में बैठे रहो लेकिन जयपुर जिले का कुछ तो भला करो आपको यही सद्‌बुद्धि दे। आशा है आप इन सब बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभापति महोदय, किसके गुणगान हो रहे हैं?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: आपने पन्द्रह साल तक शासन कर लिया आप अब 15 सदस्यों को लेकर इधर चले आइये हम दामोदरजी आपको मुख्य मन्त्री बनायेंगे आप सही तौर से राजस्थान का इन्तजाम करिये।

श्री रामकिशन : यह सेल्स टैक्स के बारे में बोल रहे हैं या दामोदरजी के बारे में बोल रहे हैं? हमको भी तो पता लग जाय ताकि हम भी उसी पर बोलें।

श्री सभापति: आपकी भी तृष्णा हो तो आप भी फरमा दीजिये।

श्री रामकिशन (वैर) सभापति महोदय, सामान्य बजट के दौरान वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक हालत गिरती जा रही है। प्रति व्यक्ति आमदनी गिरती जा रही है यह मैं मानता हूं कि दुनियां की कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो टैक्स लगाये बगैर काम कर सके। लेकिन टैक्स लगाते समय दो तीन मुख्य चीजों की तरफ ध्यान नहीं रखा जाता। आखिर टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है ? कोई भी सरकार टैक्स इसलिये लगाती है ताकि खज़ाने में आमदनी हो। यह उद्देश्य साधारण उद्देश्य है चाहे सरकार पूंजीवादी सरकार हो या समाजवादी सरकार या गैर समाजवादी हो। सब को शासन चलाने के लिये टैक्स लगाने होंगे।

दूसरा टैक्स लगाने का उद्देश्य यह है कि प्रचलित समाजवादी व्यवस्था में जो असमानता अलग-अलग वर्गों में आई उस पर टैक्स लगाकर उनको समान स्थिति पर लाया जाय। सरकार को जो जो टैक्स वसूल करना है तो वह सम्पन्न वर्ग से टैक्स ले, उसका बोझ साधन-सम्पन्न वर्ग पर डाला जाय और जो गैर विकसित वर्ग हैं उन पर उस टैक्स से प्राप्त पैसे को खर्च किया जाय। इस दृष्टि से देखा जाय तो मैं कहूंगा कि सरकार की इन तीन योजनाओं के बाद भी यह स्थिति सामने आई है कि जो साधन-सम्पन्न वर्ग हैं वह ज्यादा साधन-सम्पन्न होता जा रहा है और जो साधन-विहीन हैं वह ज्यादा साधन-विहीन होते जा रहे हैं। जो पैसा टैक्स के रूप में लिया जाता है वह किस प्रकार से खर्च हो किस प्रकार से असमानता दूर हो, सरकार का इस सम्बन्ध में कोई दृष्टिकोण नहीं है। जहां तक टैक्स लगाने का सवाल है उससे मैंने कभी असहमति जाहिर नहीं की है। सरकार टैक्स लगाती है और जिस पर लगाती है उस करदाता की क्षमता नहीं बढ़ाती है तो सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है। सरकार टैक्स लगाने के बाद टैक्स पेयर यदि उतनी आमदनी अपनी आय बढ़ा कर या बाजार में ज्यादा माल लाकर बढ़ाना है तो यह मानकर चलना चाहिए कि सरकार अपने उद्देश्य में सफल हुई है। पैसा देकर भी वह सोचता है मेरा टर्न ओवर बढ़ गया है तो उससे टैक्स वसूल करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजस्थान का हाल यह है कि सन् 54 से लेकर 56 तक राजकीय व्यापार में, खेती में, उद्योग-धन्धों में जितनी पैदावार की आशा थी उस पैदावार से कम होती जा रही है। पैदावार आपकी निरन्तर घटती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण क्षेत्रों में आपकी आमदनी घटती जा रही है पैदावार आप बढ़ा नहीं पाये दूसरी तरफ आपने टैक्सों का वजन बढ़ा दिया। हम अपनी तरह के राज्यों का यहां से मुकाबला करें तो हमारे यहां काफी ज्यादा टैक्स हैं। हमारे से जो ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिशील राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र, गुजरात तथा मद्रास जहां औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहां इन राज्यों में 35 से 40 प्रतिशत राज्य की आमदनी कारखानों की आमदनी से होती है। इससे राजस्थान की हालत बिल्कुल उल्टी है यहां की सारी अर्थ-व्यवस्था काफी पिछड़ी हुई है। राज्य को उद्योगों से यहां बहुत कम आमदनी है। इसलिये हम इसका मुकाबला गुजरात से नहीं करें, महाराष्ट्र से नहीं करें हमें इसमें अपने जैसे प्रान्तों के साथ मुकाबला करना चाहिए वहां पर टैक्स का असर क्या है जहां तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जहां उद्योग धन्धे पनप सकते हैं जो उस क्षेत्र की इकोनोमी का मुख्य बेस है। दूसरा खेती का क्षेत्र है, और

(श्री रामकिशन)

तीसरा जो बहुत अल्प-विकसित क्षेत्र है । इस दृष्टि से देखा जाये तो बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा ये सीमान्त क्षेत्र वाले प्रदेश हैं । इनसे सब से ज्यादा टैक्स की रेट्स राजस्थान की पड़ती हैं । बिहार और उत्तरप्रदेश में जहां पर भी पुरानी शासन-व्यवस्था है फिर भी वहां आधा प्रतिशत से अधिक सेलस टैक्स नहीं पड़ता है । फिर हमारी सरकार के पास क्या आधार है ? वह यहां किस आधार पर बढ़ाती है ? वैसे टैक्स बढ़ाने का विरोध नहीं लेकिन सरकार को इस बारे में देखना चाहिए कि उनके पड़ोसी राज्यों में बमुकाबले कितना प्रति व्यक्ति कर है । यहां का सबसे ज्यादा है । मैं निवेदन करूं उत्तरप्रदेश में एक व्यक्ति पर टैक्स का भार 3.43 पैसे आता है । बिहार में 5.26 मध्यप्रदेश में 7.14 और राजस्थान में प्रति व्यक्ति 7.45 आता है । मैं नहीं समझ पाया इस वर्ष का बिक्री कर इसमें शामिल नहीं किया । 66 के हिसाब के आधार पर बता रहा हूं । बिहार और उत्तरप्रदेश से ज्यादा है फिर यहां पर सेल्स टैक्स की रेट किस आधार पर बढ़ाना चाहती है ।

आपने यह माना है अपने बजट भाषण में कि हमारे यहां पर खेती की पैदावार गिरी है कारखानों की पैदावार गिर गई है फिर हर सेक्टर में किस प्रकार आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं ? हमें उन चीजों पर टैक्स बढ़ाना चाहिये जो लग्जरी गुड्स हैं । इससे खजाने में पैसा भी आ सकता है और सामाजिक न्याय भी मिल सकता है । लेकिन, सभापति महोदय, सरकार ने ऐसे टैक्स लगाये ह जिनका साधारण उपभोक्ता पर असर पड़ता है । मोटर विहीकल्स की कीमतें बढ़ रही हैं । इससे क्या होगा ? किराये का चक्कर भी बढ़ेगा । आपने मोटर पार्ट्स पर 12 से 15 प्रतिशत टैक्स कर दिया । पैट्रोल पर टैक्स बढ़ाया है । सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाया । तो आखिर आप देखेंगे एक दो माह बाद मोटर मालिक यह मांग करेंगे कि जब इन चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं तो इसलिये हमारा किराया भी बढ़ेगा ।

तो कहने के लिये वित्त मन्त्री सोचते हैं कि मोटरें लग्जरी गुड्स हैं । अगर कारों पर बढ़ायें, रेफरीजिरेटर और कूलरों पर बढ़ावें, हमें कोई ऐतराज नहीं । मैं समझता हूं कि उन पर बढ़ाना चाहिये, इतना बढ़ाना चाहिए कि दे दे सके और लोगों की दिलचस्पी में कमी नहीं हो । जितना हमारा टर्न ओवर होगा, उतना टैक्सों का रुपयो बढ़ेगा लेकिन साधारण ट्रक पर साधारण लारी पर बढ़ाने का मतलब होगा कि वह भार उपभोक्ता पर पड़ेगा । राजस्थान सरकार ने अंदाजा लगाया है कि मोटर व्हिकल्स पर और चीजों पर टैक्स बढ़ा कर आमदनी बढ़ा देगी । मेरे ख्याल से सरकार इस मामले में साल के अंत में गल्ती पाएगी, इसलिये पाएगी कि सरकार ने जो इस समय टैक्स लगाया है जैसे उत्तर प्रदेश में 1'5 प्रतिशत टैक्स नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब व गुजरात में नहीं । अब एक आदमी ट्रक खरीदना चाहता है, लारी खरीदना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं है, कि माथुर साहब की नौकर हो कि जयपुर से ही ट्रक खरीदे । अगर दो सौ का भी फायदा होगा तो वह दिल्ली जायेगा, आगरा जायेगा । नतीजा यह होगा कि जो हम असेस करते हैं कि साल के अंत में इतना ला पायेंगे, मेरे खयाल से साल के अंत में जितना हमने उससे किया है उसे कुछ न कुछ कम होगा क्योंकि राजस्थान की

(श्री रामकिशन)

और दिल्ली की कीमतों में, राजस्थान और आगरा की कीमतों में, राजस्थान और अहमदाबाद की कीमतों में एक लारी पर 3-4 हजार का फर्क है। अब 4 हजार का फर्क, दो महीने में 4 हजार एक आदमी नहीं कमा सकता। इसलिए वह दिल्ली और आगरा से क्यों नहीं खरीदे? हो सकता है कि फीयट्स के बारे में माथुर साहब कहेंगे कि नहीं मिलेगी लेकिन ट्रक्स की क्या हालत है? आज से 5-6 महीने पहले मोटर व्हिकल्स की दिक्कत कम होती जा रही है। बैंकों ने रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज किए, उसकी वजह से व्यापारियों में इकट्ठा करने की क्षमता कम हो गई इसलिए बाजार में भी ज्यादा माल उपलब्ध है। अत: इस मामले में दुबारा विचार करें और इतना अंतर नहीं रखें कि जिससे राज्य का व्यापार खींचकर उत्तरप्रदेश को चला जाय। अगर ऐसा हुआ तो हमने जो अच्छा उद्देश्य रखकर काम किया, उसका नतीजा उल्टा हो सकता है।

दूसरी योजनाओं का फल क्या हुआ, उस पर मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं हर बार प्रकाश डालता रहा हूं। आपने कुछ विभागों में कमियां की हैं, उनसे बचत हो सकती है। हम अधिकारियों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते। हमें ऐसी फौज पैदा करनी है जो उत्पादन में विश्वास रखती हो केवल कलम चलाने वाले बाबू पैदा नहीं करने चाहिए लेकिन साथ साथ देखना पडेगा कि आज प्रशासन का खर्चा, जबकि हमारा प्रति व्यक्ति टैक्स, प्रति व्यक्ति व्यय, सारे राज्यों से, एक दो राज्यों को छोड़ कर, कम है, प्रशासन का व्यय अब तक सबसे ज्यादा है। आपने जो कटौती की है, उसका प्रभाव अगले साल देखने को मिलेगा लेकिन आज हालत यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र, झांसी, पश्चिम बंगाल, केरल, ये सब हमसे ज्यादा विकसित राज्य हैं और हम एक वर्ष में एक व्यक्ति पर जो पैसा खर्च करते हैं वह उनके मुकाबले डेढ से ज्यादा है, सामाजिक सेवाओं पर, सामान्य प्रशासन पर कैपीटल आऊटले पर। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि पैसा लगाते हैं प्रति व्यक्ति ज्यादा, और सब से ज्यादा प्रशासन पर खर्च केवल दो राज्यों को छोड कर, आप करते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? आज बडे से बडे राज्य उत्तरप्रदेश में एक व्यक्ति पर सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) जिसमें पुलिस, जेल, कलेक्टर कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, पर खर्चा निम्न प्रकार है :—

उत्तरप्रदेश	4.56 प्रतिशत
बिहार	3.55
मध्यप्रदेश	5.15
गुजरात	6.05
आंध्र प्रदेश	5.94
उडीसा	5.63
मैसोर	5.36
मद्रास	6.55

राजस्थान जो औद्योगिक दृष्टि से, खेती की दृष्टि से और सब दृष्टियों से पिछडा हुआ है इस मद में खर्चा 6.50 है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार टैक्स जो लेती है लेकिन टैक्स लेने के बाद इसका मतलब यह है लगता कि हमारा टैक्स जो लिया जा रहा है, वह उत्पादन कार्यक्रम पर इतना नहीं लिया जाता वह केवल अधिकारियों की फौज खडी करने पर.......

श्री मथुरादास माथुर: आपने जो अभी प्रशासन पर खर्चे के फिगर्स दिए उनमें सामाजिक सेवायें भी शामिल हैं या प्यूअरली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं ? डाक्टरों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे या सोशियल सर्विसेज?

श्री रामकिशन : सोशियल सर्विसेज। जो डाक्टर्स वगैरह हैं वे सामाजिक सेवाओं में चले गए। मैं केवल प्रशासन पर खर्चे की बात करता हूं। आपने जो यह प्रिन्टेड फिगर्स दी हैं उनमें सब लिखा हुआ है। अभी अपने प्रशासन में खर्चा करने की गुंजाइश है अन्य राज्यों के मुकाबले में।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जो फिगर्स दी हैं वह अपने स्टेट की हैं। मगर दूसरे राज्यों की प्रणाली केल्क्यूलेट करने की दूसरी है। आप कम्पेयर नहीं कर पायेंगे।

श्री रामकिशन : सारा पैटर्न एक जैसा है। सामाजिक सेवाओं का अलग है। वही पैटर्न राजस्थान ने अपनाया है। आप टैक्स बढाइए लेकिन टैक्स बढाने के बाद जहां हमारे प्रशासन के खर्चे में कमी की जा सकती है, वह करिए। हर बजट में 4-5 साल पहले जो स्थिति थी कि केवल खर्चा बढाते जाते थे। 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख की कटौती हर साल करते जा रहे हैं। आपकी कटौती का प्रभाव अगले प्रशासन पर कितना आयेगा वह अलग आंकडे बतायेंगे। लेकिन आज भी हालत यह है कि सारे देश के अन्दर, जम्मू काशमीर को छोडकर क्योंकि वहां स्थिति दूसरी है, हमारे यहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा खर्चा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि टैक्स बढाइए लेकिन सबसे पहले करदाताओं को विश्वास दिलाइए कि आप किन कामों पर खर्च करने जा रहे हैं। आज राजस्थान नहर अधूरी है, पानी के बगैर लोग प्यासे मर रहे हैं, आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है लेकिन टैक्स लेते समय दो गारंटी दें कि जो पैसा आप लेते हैं वह उत्पादन कार्यक्रमों पर लगेगा और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। दुरुपयोग के सारे किस्से तो जनसंघ वाले जानते हैं कि यहां खा गए वहां पी गए...

श्री मथुरादास माथुर: आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या...

श्री रामकिशन: मैं तारीफ कर रहा हूं कि उनको खाने वाली चीजों का ज्यादा ज्ञान रहता है। एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन पर सबसे ज्यादा खर्चा है, दूसरी तरफ आपने तसवीर नहीं देखी। आप इस स्टडी को पढिए प्रति व्यक्ति व्यय राजस्थान में बहुत कम है। सामाजिक सेवाओं पर, निर्माण कार्यों पर सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं कामों पर खर्चा कर रहे हैं। आप इस मामले में दुबारा एक कमेटी बिठायें कि प्रशासन पर किस प्रकार खर्चा कम कर सकते हैं, मन्त्रियों की चर्चा चलती है, न तो आप हमारे कहने से उनकी संख्या घटाने वाले हैं और न बढाने वाले हैं। मैं ऐसी बात नहीं कहता जो आपसे न हो सके क्योंकि आपकी पार्टी के स्वार्थ हैं इसलिए यह बात तो आपसे होनी नहीं क्योंकि हरियाना में 25 से 35 मन्त्री कर दिए बिहार में 70 से 80 कर दिए। इसलिए आप जो आज कर जायेंगे उसका हम आगे चलकर लाभ उठाना चाहते हैं। हम आपको छूट देना चाहते हैं। आपकी सूझबूझ किस दिशा में है? आपने कहा कि फलाना दफ्तर तोड दिया, मैं उसका तो स्वागत करता हूं, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढाई लेकिन जो बेरोजगार हुए उनके लिए क्या योजना है?

(श्री रामकिशन)

आपकी योजनाओं के द्वारा असल में स्थिति यह आ गई है कि उससे लाभ तो कुछ हुआ नहीं उल्टे योजना व्यय इतना बढ़ा लिया है कि उद्योग धन्धे तो उससे पनपे नहीं केवल स्टेट ही लोगों को धन्धा देने का माध्यम रह गई है।

जो और सेक्टरों में ट्रान्सपोर्ट में, कामर्स में, इन्डस्ट्री में विस्तार होना चाहिए था, कृषि में जो विस्तार होना चाहिए था, कृषि के लिए कह सकते हैं अनावृष्टि के कारण आप पिछड गये, पर बाकी में तो आपकी योजनाओं को सफल होना चाहिए था पर सफल होने और आर्थिक स्थिति उनकी उन्नत होने के स्थान पर पतन की तरफ जा रही है। सन् 54 में अगर सन् 54 को आधार मान लें तो उद्योग धन्धों से स्टेट की आमदनी में जो कन्ट्रीब्यूशन था वह भी गिर गया आज। खेती को तो अकाल की वजह से मान सकते हैं कि इसमें वृद्धि नहीं हो पाई। खानों का उत्पादन गिर गया, उद्योग-धन्धों की प्रगति रुक गई। जिन जगहों पर पैसा लगाना चाहिए योजनानुसार वहां पैसा नहीं लगाया और नतीजा यह है कि आज तीन-तीन योजनाओं के पूरी कर लेने के बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। जबकि तीन योजनाओं के बाद सोवियत यूनियन हालांकि मैं विरोधी हूं एकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद का, पर इसके बावजूद उनमें गुण थे। तीन योजनाएं पूरी कर लेने के बाद स्टालिन ने कह दिया हिटलर से कह दिया कि तुम से भी निपट सकते हैं, मुसोलिनी से कह दिया, अमेरिका और जर्मनी से कह दिया कि तुम भी आ सकते हो। पर आज तीन योजनाओं को पूरी करने के बाद आपका क्या हाल है?

आपकी तो हालत इतनी कमजोर हो गई है कि आप आन्तरिक मामलों में कमजोर, सेना के मामले में कमजोर, खेती के मामले में कमजोर, कल-कारखानों के मामले में कमजोर हर क्षेत्र में उत्पादन के मामले में कमजोर। आप कह दें अगर हैं मजबूत तो मजबूत के साथ कि संकट के वक्त आर्थिक ढांचा हमारा मजबूत रह सकेगा, टूट नहीं जावेगा। सैनिकों को कह सकें कि तुम निश्चित रह सकते हो नकसलबाडी की सीमा को गरम करने की कोशिश की जा रही है पूर्व की और पश्चिम की सीमाओं को गरम करने की कोशिश चल रही है, पर हम विश्वास से नहीं कह सकते कि इन सबका हमारी सेनाएं मजबूती से मुकाबला कर सकेंगी।

टैक्स देते रहेंगे, व्यापार वाले आपको देते रहे हैं। पर हालत यह है आज अकाल की बात छोड दीजिए। 64-65 का वर्ष ले लीजिए आपकी गलत टैक्सेशन की पॉलिसी का नतीजा यह हुआ कि जहां व्यापार बढना चाहिए उल्टे वह घट गया।

सभापति महोदय, राजस्थान में एक तरह से 54 में 16.83 प्रतिशत राज्य की आमदनी में व्यापार से हिस्सा आता था। पर अब क्या हालत है उस व्यापारिक सेक्टर की? 65 के वर्ष पर अकाल की छाया नहीं थी, बढिया साल का असर था पर फिर भी इस वर्ष में इस सेक्टर से राज की आमदनी में केवल 13.8 परसेन्ट आमदनी ही रह गई। क्यों? क्योंकि हमारे व्यापार में इन्डस्ट्री के सेक्टर में या तो डाइवर्ट हुआ या इस सेक्टर में सही नियोजन नहीं हुआ। या तो व्यापार दूसरी तरफ चला गया या आपके ये आंकडे जो आपने दिये हैं, गलत हैं। विवेकपूर्ण मन्त्री महोदय,

(श्री रामकिशन)
जब जवाब दें तो इसका जवाब दें कि इनमें से कौन सी बात गलत है या तीनों गलत हैं।

तो मैं पूछता हूं आपकी योजना का आधार क्या है ? उत्पादन के लिए आप पैसा लगाते हैं। पहली योजना के अन्दर जो आपकाउ टैक्स का निर्धारित लक्ष्य था वह पूरा टैक्स का पूरा टैक्स आपका वसूल हुआ। दूसरे में पांच करोड ज्यादा टैक्स जनता ने आपको दिया। तीसरी योजना जो अकाल का साल भी जिसमें रहा वित्तीय स्थिति खराब रही लोगों की पर फिर भी जितना टैक्स आपका निर्धारित था वह दिया जनता ने अपना फर्ज पूरा का पूरा निभाया, आपने जितना टैक्स वसूल करना था उतने का उतना पूरे का पूरा वसूल किया, बल्कि अधिक ही किया, पर नतीजे के नाम पर हर मामले में आपके जीरो हैं।

खेती के मामले में मान सकते हैं कि प्रकृति पर आपका अधिकार नहीं। इससे आप फेल हो गये तो उसका भार प्रकृति पर है। पर दूसरे व्यापार के क्षेत्र में इन्डस्ट्री के क्षेत्र में आपने क्या किया ? क्या नतीजा हांसिल किया ? बहुत सोच-समझ कर आपको जवाब देना पड़ेगा।

टैक्स बढाना बहुत बडी क्रान्ति नहीं है। मैं मान लेता हूं आपने रेफरीजरेटर, कूलर आदि विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाने की हिम्मत की है और इस नाते पुराने मन्त्रियों के मुकाबले में आपका ब्रेन फरटाइल है। आपकी दिशा कुछ सही है सोचने की। यह तो और भी कोई वित मन्त्री होते छोटे-मोटे तो कर लेते। पर आपके लिये तो असल सोचने का सवाल यह है कि पैसा लाकर लगावें कहां ? जहां से अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले वहां लगावें तब आपकी वाहवाही है। बनिये के संस्कारों से बना हुआ वित्त मन्त्री चाहिए। जाति वाले बनिये दूसरे हैं। संस्कारों से बनिया चाहिए हमें तो जो एक एक पैसे पर नजर रखे। पर आज क्या हो रहा है ? मैं जानना चाहूंगा। पर जो बातें कहीं गई हैं उनको कन्ट्राडिक्ट आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो कहा उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। आपकी किताब है, आपके आंकडे हैं और आपका बजट है।

पर अब सवाल उठता है, आपने टैक्स तो लगा दिये। उसे आप हम रोक नहीं सकते क्योंकि लोकतन्त्र का यह सिस्टम है कि कि काला-पीला कुछ भी करते रहो बहुमत आपके पीछे है। मैं चाहता हूं पीला करना चाहिए और आपको लम्बी जिन्दगी में चलना है तो। सरकारें तो गिरती पडती रहती हैं। माथुर साहब, खुश हैं कि उन्होंने हमारे दल से 16 आदमी खरीद लिये। खरीद के मामले में हिन्दुस्तान का कोई व्यापारी राजस्थानी के मुकाबले में नहीं देखा। माथुर साहब, आप इसमें माहिर हैं। गुप्ता उपमन्त्री थे यू. पी. के परसों मिल गये। कहने लगे राजस्थान में क्या चमत्कार है ? मैंने जवाब दिया माथुर-मिर्धा-सुखाडिया एण्ड कम्पनी है जिसने खरीद के मामले में दक्षता प्राप्त की है। वह दक्षता आप में नहीं है। ये ऐसी स्कूल में पढे हैं और वहां खरीद के मामले में दक्षता प्राप्त की। इसके लिये तो बधाई है आपको। अच्छा काम किया। अच्छे व्यापारी हैं। दूसरे गुण भी हैं। पर साथ ही साथ सही व्यापारी के गुण भी अपने में पैदा करें। उद्योग-धन्धे और व्यापार भी बढावें। सरकारी

(श्री रामकिशन)

खजाने में पैसा बढावें, टैक्स लगावें, कोई चिन्ता नहीं, पर उस पैसे का दुरुपयोग मत करना। इतनी तो आशा करके हम चलना ही चाहते हैं। इस पैसे का दुरुपयोग न किया जावे।

दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप टैक्स बढाते जा रहे हैं। बढाते जाइए। पर बिक्री कर का जो ढांचा खडा कर रक्खा है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हालत है, कभी उस बारे में भी आपने सोचा है? कमिश्नर साहब आपके बढिया आदमी हैं। हो सकते हैं। पर उनके काम करने वाले क्लर्क, नाकेदार, नाके पर काम करने वालों की क्वालिटी क्या है? यह भी आपने कभी देखा है?

वैसे तो देश के आज के कांग्रेसी राज को मैं नेशनल चरित्र की गिरावट का राज कहूंगा। चरित्र का हनन हमारे चरित्र के पतन और गिरावट और चरित्र भ्रष्ट का काम आपने अपने शासन में किया, उतना संसार में कोई प्रशासन आज तक नहीं कर पाया। इस पंचवर्षीय योजना में आपने चरित्र पूरे का पूरा गिरा दिया एक काम तो जरूर किया। पर, माथुर साहब, आप अगर टैक्स लगाते नहीं, और केवल टैक्स की चोरी ही रोक लेते तो इतना रुपया तो आपको इससे ही मिल जाता। रेफरीजरेटर और कूलर के आपके टैक्स का फिर भी समर्थन करता हूं। आप धौलपुर और भरतपुर के नाकों पर चले जाओ। आपको मन्त्री बनने की जरूरत नहीं रहेगी, सुखाड़िया जी के सामने गिरने पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों सुखाडियाजी को आप हाथ जोडते फिरते हैं? आप वहां से अकेले पचास लाख लेकर चले आओगे। क्या धरा है आपकी इस मिनिस्ट्री में और सुखाडियाजी के सामने हाथ जोडने करने में? पचास लाख पूरे स्टाक की बात है। बडे क्लर्क ही बन जाओगे तो एक लाख 80 हजार के आसपास ले सकते हो। क्या जरूरत है इनके सामने नाक रगडने की? निर्बुद्धि से आदमी के सामने। पर आप में इतना दम है? कमिश्नर साहब जैसे सारे जी हुजूर अपने नाकों की चोरी को रोक सकते हैं? मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि अकेले भरतपुर, धौलपुर के नाकों पर जितनी चोरियां होती हैं उतनी और किसी विभाग के किसी सीगं में नहीं होती। आखिर सरकार को हो क्या गया है?

टैक्स लगा दिये। पर मिसएप्रोप्रियेशन की बात है, नहीं कर रहे हैं। कितनी चोरियां हो रही हैं इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो चोरी हो रही है उसको भी अगर नहीं रोक सके तो आपने ये व्यर्थ के अधिकारी बिठा क्यों रक्खे हैं? क्यों इन पर इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो, किसी को हजार, किसी को दो हजार और तीन हजार क्यों मुफ्त में दे रहे हैं? इन्होंने सारी बातों पर क्या नजर रक्खी है?

चरणसिंह जी हैं। जागरूक हैं। चारों तरफ देखते हैं। थानेदार को उठाकर रख दिया। कह दिया तुम तो जाओ घर। मामूली से किसान बन कर चले गये थाने में और रख दिया थानेदार को उठाकर। पर आप में तो माथुर साहब काफी चमक-दमक है। किसान का स्वांग तो आपको नहीं जचेगा पर किसी व्यापारी से जरूर जच सकते हो। आप जाइये धौलपुर और भरतपुर के नाकों पर और अपने करिश्मे दिखाइए। अगर सही बनिये जाहिर किया अपने को और फिर

(श्री रामकिशन)
मन्त्रीपना अपना नहीं जताया तो उनसे निपट लेना। एक ट्रक लेकर चले जाओ। आपको जितना पैसा उनको देना पडता है और जितना टैक्स आपको आना चाहिए उसका दो आना नहीं आता आपके खजाने में। वह अधिकारियों और उन कर्कों, नाकेदारों की जेबों में चला जाता है।

पैसा आप जनता से लेते हैं उसके लिये तो हम आपको रोक नहीं सकते। विधान सभी में हमारा बहुमत नहीं इसलिये। पर आपको एक एक पैसे का हिसाब तो बताना पडेगा। यह तो पूछ सकते हैं।

आप कहते हैं चोरी रोकने की कान्क्रीट मिसाल दो। क्या कान्क्रीट मिसाल दें। इससे बडी और क्या मिसाल होगी। आप चले जाइए वहां पर और तीन दिन के भीतर आपको पता लग जावेगा वहां क्या होता है। पर यह हो कैसे? नाकों पर जाने का कष्ट करे कौन?

मैंने सुना है बहुत बडे लोगों से चन्दा आप लेते हैं और उनसे दबते भी हैं। उनकी मुट्ठी में रहते हैं। आप क्यों यह करते हैं? आपको चन्दा ही चाहिये। आप इन पोस्ट वालों से सीधा कह दो उनसे सौदा तं कर और पांच हजार का चन्दा ले लो। व्यक्तिगत तो नहीं कहता, यह मेरा काम नहीं है। पर कांग्रेस के फण्ड के लिये दस-दस हजार तो एक एक क्लर्क दे सकता है वहां का। आप वहां किसी को दो महीने के लिये भेज दीजिये। दस हजार चन्दा ले लीजिये। फिर दो महीने बाद हटा दीजिये। दूसरे को भेज दीजिये। उससे फिर चन्दा ले लीजिये। आज यह हालत है।

श्री भैरोंसिंह : ठेकेदारी इन्ट्रोड्यूस कर दो वहां के लिये तो। यह भी कर सकते हैं उनसे कह सकते हैं तनखा तो अपनी बचत में डालो उनसे पूछ लो धौलपुर भरतपुर नाकों से क्या बचाकर दे दोगे।

श्री रामकिशन : फिर भी इन्कम बढेगी आज की बनिस्पत तो। आखिर आपके ये अधिकारी क्या हैं, क्या करते हैं?

मैं दूसरा निवेदन और करना चाहता हूं यह तो विभाग का भ्रष्टाचार है जो सर्व विदित है।

दूसरा सवाल और है। आपने इस विभाग के सर्विस के रूल्स भी नहीं बनाये हैं। उठाकर मन चाहा उसको सहायक अधिकारी बना देते हैं। किसी को अधिकारी बना देते हैं। जो पी. एस. सी. से इन्सपैक्टर बन कर आये उनका कोई ठिकाना नहीं। कोई नियम नहीं बनाये आपने प्रोमोशन के। तो यह धांधलेबाजी आपने इस विभाग में बना रखी है। आपने जान बूझकर नियम नहीं बनाये। बना देते तो आपका धन्धा बन्द हो जाता। अभी तो जिसे चाहा प्रोमोशन दे दो, जिसे चाहो उसे छुट्टी दे दो। मैं पूछना चाहता हूं आखिर आप क्या करना चाहते हैं?

आपने कहा हम सेलस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। मुद्दे भी यहां उठे। मैं मानता हूं छोटा व्यापारी पूंजीपति नहीं है। वह कोई बडा मुनीम नहीं रख सकता। बडा काम धन्धा नहीं रख सकता। इसलिये इसका सरलीकरण होना चाहिये। लेकिन और सरलीकरण को तो आप जानें क्योंकि मैं कोई सेल्स टैक्स का वकील तो हूं नहीं, मेरी कोई प्रेक्टिस नहीं और मेरा इस विषय में

(श्री रामकिशन)

विशेष ज्ञान भी नहीं किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सारे अधिकारियों के असेसमेन्ट का टाइम देखिये। आप एक बात तय कीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में वहां का बिक्री कर अधिकारी एक साल में वहां के व्यापारियों का असेसमेन्ट कर देगा। आप चलियें और सारे सरलीकरण को तो जाने दीजिए लेकिन आप यही कर दीजिए कि इस साल से अगली साल का असेसमेन्ट वहां डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी कर दे तो आपका सारा सरलीकरण हो जायेगा और इससे रिश्वत भी आधी और काम भी आधा। लेकिन होता क्या है कि चार-चार साल तक असेसमेन्ट्स नहीं होते हैं। एक वर्ष में एक व्यापारी को प्रॉफिट हुआ और उस समय तो उससे वसूली हुई नहीं और अगली साल में उसको घाटा हो गया तो जब आपका नोटिस पहुंचता है तब तक उसका दिवाला निकला होता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता बढ रही है। आप एक मत बना लीजिए कि एक साल से ज्यादा कोई भी फर्म बगैर असेसमेन्ट के नहीं रहेगी। लेकिन असल में मुश्किल क्या है कि आप यह काम नहीं कर पायेंगे क्योंकि सेल्स टैक्स का काम व्यापारियों का है और आपने क्या कर रखा है कि जो आर. ए. एस. होते हैं उनको सेल्स टैक्स अधिकारी लगा दिया है और उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो बनियों के बही खाते ही नहीं पढ सकते हैं। मैं इसके लिए यह कहूंगा कि आप कोई स्पेशल कोर्स की व्यवस्था कर दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी कार्यालय में चले जाइये वहां पर बिक्री कर अधिकारी बनियों के बही खाते पढ नहीं सकता है और जो गडबडियां करते हैं उनसे पढवाते हैं। उनकी खुद की समझ में तो आता नहीं है। तो जो भी बिक्री कर अधिकारी लगाये जायें उनको आप एक विशेष प्रकार की इन्कम टैक्स की और सेल्स टैक्स की जानकारी दें। लेकिन इन सारी बातों को आप करना नहीं चाहते हैं।

तीसरी बात, सभापति महोदय, जो मुझे कहनी है वह यह है कि आप वैलफेयर स्टेट की बात करते हैं, आप समाजवाद की बात कहते हैं लेकिन आप समाजवादी नहीं हैं, आप वैलफेयर स्टेट में भी विश्वास रखने वाले नहीं हो लेकिन आप अवसरवादी जरूर हो। अवसरवादी, दम्भी और ऐसी प्रकृति के लोग हो कि कभी समाजवाद की हवा चली तो उसका नाम ले दिया और कभी वैलफेयर स्टेट की हवा चली तो उसका नाम ले दिया लेकिन आप हो अव्वल नम्बर के अवसरवादी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस अवसरवादी होने के नाते ही कुछ काम कीजिए। आपने जहां रेफरीजरेटर्स के ऊपर टैक्स बढाया तो आपको कम से कम इतना विवेक तो होना ही चाहिए कि दूसरी तरफ मोटे अनाज के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसको आप समाप्त करते। लेकिन मैं जानता हूं आप इसको कर नहीं सकते। आपने कहा कि हमने पापड पर नहीं बढाया। यह पापड खाने वाले कितने हैं? छोटे मोटे व्यापारी, छोटे-मोटे मारवाडी और आप जैसे कुछ मंत्री हैं जो पापड खाने वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह पापड कोई इतना बडा आइटम तो है नहीं जिसके लिए आप इतना बढचढ कर कहें। यह पापड वगैरह खाने की बात तो अलग है हिन्दुस्तान के

(श्री रामकिशन)

करोडों लोगों के लिए तो आज रोटी का सवाल है। इस मोटे अनाज के ऊपर जो आपका टैक्स है इसको तो आपको समाप्त कर देना चाहिए था और इस टैक्स के समाप्त करने से इतना उससे नुकसान होता कि एक साल में आप अपने कार्यालय को खींच लेते तो उससे ज्यादा उसकी बचत हो जायेगी। अब मैं चाहूंगा कि आप इस काम को जरूर करें। आप तेल पर नहीं हटाइये लेकिन कम से कम मोटे अनाज की बिक्री पर जो टैक्स लगाया है उसको हटायें। मोटे अनाज में भी एक मन के ऊपर चार रुपये का फर्क पड़ता है।

आप हर साल राज्य कर्मचारियों का भत्ता बढाते हैं लेकिन जो अच्छी सरकारें हैं वह भत्ता नहीं बढाती बल्कि कीमतों पर नियंत्रण करती हैं इसलिए आप बजाय कर्मचारियों के 5-10 रुपये बढाने के इस अनाज पर कम टैक्स करते तो कीमतें नीचे जातीं। इसी तरह से मैंने पहले भी निवेदन किया और बजट के समय में भी निवेदन किया था कि भरतपुर में तेल का विशेष उद्योग है और उसको पूंजीपति चलाते हैं-इससे मुझे दिलचस्पी नहीं है लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है भरतपुर की जमीन में कोई पानी नहीं है, कोई नहर नहीं है। वहां पर दो तरह की जमीन है एक तो नहरी और दूसरी खुश्क। खुश्क जमीनें में सिवाय मूंगफली के और दूसरी चीज जैसे गेहूं, जौ वगैरह नहीं हो सकते। आपने या तो जोधपुर में प्रयत्न किये होंगे या और जगह प्रयत्न किये होंगे लेकिन भरतपुर में न तो कोई कोशिश की और न ही आपने उचित समझा। लेकिन वहां पर कुछ उद्योग जमे हैं। आज हालत यह है कि आपके टैक्सेशन की पॉलिसी से आप वहां बातों को नहीं समझते। अब की साल क्या हुआ है कि जहां नहरी क्षेत्र लगता है आगरा, गुना, भिण्ड, मुरैना और मथुरा वगैरह आज वहां से सरसों आ रही है और वहां की तेल मिलें सरसों निकाल कर बिहार, उडीसा भेज रहे हैं। अब आपका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है उसका नतीजा यह है उत्तर प्रदेश वाले बिहार और उडीसा वालों को भेजते हैं और उनको सस्ता पडता है और भरतपुर का तेल तेज पडता है, इसलिए मालूम हुआ कि भरतपुर की दो मिलों ने काम बन्द कर दिया है। उसका नतीजा यह होता है कि मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरसों का ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें और दूसरी चीज नहीं हो सकती वह घटेगा इसलिए आपने अब उसमें संशोधन किया है वह आपकी विज्ञप्ति मैंने देख ली है। उससे लाभ होने वाला नहीं है। आपने 4 पर्सेन्ट कर दिया, 3 का 4 और 2 का एक और 1 का 2 करके वही चार का 4 कर दिया। इस साल की स्थिति यह है कि वहां से सारा माल उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश को आ रहा है। उस सारी स्थिति में आपको टैक्स के स्ट्रक्चर की बात को बदलने की सोचना चाहिये। दूसरे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने विज्ञप्ति में सलमा और सितारे और गोटा आदि पर 3 पर्सेन्ट का टैक्स लगाया है। यह टैक्स लगाना उचित है या नहीं यह तो एक विवाद की चीज हो सकती है लेकिन संसार में दो विचारधारायें काम करती हैं मनुष्य की सुन्दरता और पेट तो पेट की व्यवस्था तो आप कर नहीं सके अब गांव की कोई काली औरत कभी सितारे लगाती है, गोटा लगाती है तो उनकी तरफ आपकी नजर चली गली।

(श्री रामकिशन)

मैं तो इसे कंजर ही कहूंगा। लेकिन आप कम से कम यह तो सोचें कि सलमा सितारे से आपका काम नहीं चल सकता-उनके ऊपर 3 पर्सेन्ट टैक्स। यह बंजारे, मारवाड़ी जो सलमा सितारों को काम में लेते हैं-हमारी तरफ तो सलमा सितारे कोई लेते नहीं हैं इसलिये मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं—आप सोने की अंगूठी पहनते हैं, आपकी पत्नियां, आपके परिवार के अन्य लोग बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनती हैं मैं तो खैर उनके नाम भी नहीं जानता लेकिन गांव की साधारण औरतें कभी कभी अपने दुखदर्द को भुलाने के लिए सलमा सितारे वाली चीज पहन लेती हैं तो आपकी नजर वहां पर भी चली गयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दूसरे लोग तो बेमतलब की कहते हैं—मैं कोई 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने सीमेन्ट और उसकी बनी हुई चीजों पर भी टैक्स लगा दिया। मकानों पर कोई सीमेन्ट या उससे बनी चीज लगती है और उस पर 15 पर्सेन्ट टैक्स कर देते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके विभाग को दिक्कत हो कि सीमेन्ट कुओं में काम में आया या मकानों में आया लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे भरतपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जो रिंग्स बनती हैं और जो कुओं के लिए सामान बनता है उस पर 10 पर्सेन्ट टैक्स कर दिया तो मैं चाहूंगा कि इन टैक्सों में आप निश्चित रूप से कमी करें। इसके लिए आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं। कुओं के बारे में सीमेन्ट का जो उपयोग होता है उस पर जो 7 परसेन्ट टैक्स था वही काफी है और किसान जिस सीमेन्ट को अपने काम में लेता है उसके ऊपर आप इस तरह का टैक्स लगाते चले जा रहे हैं और इस संकटकाल में जब कि कुए बनाना बहुत जरूरी है मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इन टैक्सों पर आप गम्भीरता से विचार करें और सरकार अपनी राय बनाये और तो तीन घोषणायें सरकार को करनी चाहिए जैसे सोवियत यूनियन ने घोषणा की है कि हम 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। अब हालत क्या है कि अमेरिका भी हमला कर सकता है लेकिन उनका कहना है कि हम 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगायेंगे और जो पुराने टैक्स हैं उनकी वसूली पूरी तरह से करेंगे। एक तरफ तो बरबादी बढ़ती जा रही और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं मैं इन्हीं सब बातों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन मुद्दों पर विचार करें।

एक चीज और खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने तीस स्टेन्डर्ड एकड़ पर सरचार्ज लगाया है बराबर का। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जो धनी हैं, बड़े किसान हैं, जो टैक्स के बोझ को उठा सकते हैं उन्हें टैक्स का बोझ उठाना चाहिये। लेकिन जमीन पर टैक्स का जो सिस्टम है उसमें बड़ी दिक्कत है। जमीन की बड़ी दिक्कत है। हमने सरचार्ज तो दूना कर दिया लेकिन जमीन तो तीस एकड़ ही है अब उसमें पैदावार कितनी होती है, पैदावार गिरती है, बढ़ती है या क्या होता है। कभी कभी पैदावार गिर जाती है तो भी टैक्स का बोझ तो वैसे ही पड़ेगा। इसलिये कोई ऐसा

(श्री रामकिशन)

सिस्टम पैदावार को असेस करने का सिस्टम आपको निकालना चाहिये ताकि जो डर हमारे दिमाग में है वह यह है कि जो असेसिंग अथोरिटी एक्साईज और सैल्स टैक्स के बारे में जिस प्रकार की आपकी ऑथोरिटी है, जिस प्रकार का अमला है उसी तरह का अमला इसमें रहता है तो वह किसानों को खा जायेंगे। इसके अलावा जैसे बिक्री कर के बारे में है कि अगर बिक्री अधिक होती है तो अधिक बिक्री कर देना पडता है और अगर बिक्री कम होती है तो कम बिक्री कर देना पडता है इसी प्रकार जमीन के बारे में भी होना चाहिये कि भले ही उसके पास 30 स्टेन्डर्ड एकड जमीन हो उसकी इतनी पैदावार हो तो उसको सरचार्ज देना पडे और यदि इतनी पैदावार न हो तो सरचार्ज नहीं देना पडे। मान लीजिये कि किसी साल पैदावार कम होती है, दो मन अनाज ही पैदा हुआ तो भी आप कह देंगे कि इतने एकड का इतना सरचार्ज लाओ तो इससे किसानों को बडी दिक्कत हो जायेगी। आप जो सरचार्ज लेना चाहते हैं इसको बढादें तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भले ही इसे और भी बढा दीजिये, जो बडे किसान हैं और जो इसको दे सकते हैं उनसे आप लीजिये लेकिन कुछ मेजस ऐसे अडोप्ट करिये कि जिससे किसानों के साथ वह हालत न हो जैसी कि बिक्री कर में व्यापारियों के साथ होती है।

श्री मथुरादास माथुर : एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स भी दे रहे हैं।

श्री रामकिशन : ठीक है वे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स दे रहे हैं लेकिन जो आपने सरचार्ज लगाया है उसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिये। इस सारे मामले में वित्त मन्त्री का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वित्त मन्त्री का विभाग तो हर समय इस बात पर लगा रहना चाहिये कि किस वर्ग का विकास हो रहा है और किस वर्ग का विकास नहीं हो रहा है, इस चीज को वह हर समय देखता ही रहे। किस वर्ग की उन्नति हो रही है और किस वर्ग की अवनति हो रही है, किस वर्ग का कल्याण हो रहा है और किस वर्ग की कमजोरी है जिसको उठाने की ओर ध्यान देना है, इन चीजों की ओर वित्त मन्त्रीजी की दृष्टि होनी चाहिये तभी आप लोगों का कुछ भला कर सकते हैं वरना इन छोटी-मोटी चीजों से कोई क्रान्ति नहीं होने वाली है। इन छोटी-मोटी चीजों से आप क्रान्तिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जो यह बिल आया है इसके अन्दर भी अच्छे सुझाव आ सकें इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दिया जाय तो सचमुच ही आपको अच्छे सुझाव मिल सकेंगे और सदन के भी सुझाव मिल सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस साहब, अभी समाप्त कर रहा हूं। कई लोग तो वैसे ही बोलते रहे हैं मैं तो कुछ सुझाव सामने रख रहा हूं। सदन के अन्दर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी हर बात को, आपके हर काम को गलत बताते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छी बातों का समर्थन करते हैं तो गलत बातों का विरोध करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी कमी

(श्री रामकिशन)

देखते ही नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीसों घण्टे आपकी ओर ही देखा करते हैं। तो आपको इनमें डिफरेन्शियेट करना चाहिये, इसमें आपको फर्क करना चाहिये कि कौन कौन से वर्ग के लोग किस तरह के विचार रखते हैं। वित्त मन्त्री महोदय की आंख तो इतनी पैनी होनी चाहिये कि यहां मैं इंगलेण्ड के वित्त मन्त्री का उदाहरण नही रखूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको आंख इतनी पैनी होनी चाहिये कि आप देखें कि किस वर्ग की सम्पन्नता अधिक बढती जा रही है और कौन सा वर्ग निर्धन होता जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको वित्त विभाग को छोड देना चाहिये और किसी और को सम्भाल लेना चाहिये। अभी जैसा कि जनसंघ के माननीय सदस्य आपको धमकी दे रहे थे कि सुखाडिया जी आपसे यह विभाग छीन लेंगे, अगर कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया तो। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आप अच्छी तरह से काम करिये और क्रान्तिकारी तरीके से काम करिये, केवल मथुरादास माथुर राजस्थान का अगर कोई बढिया काम करते हैं तो उसे मुख्य मन्त्री बरखास्त नहीं कर सकते और अगर बरखास्त कर देते हैं तो भी आप देश के ऑनरेबल पुरुष बन सकेंगे। अगर देश के लिए अच्छा काम करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं तो आपको कोई भी मन्त्री पद से हटा नहीं सकता और इस तरह से आप कांग्रेस पार्टी को भी रख सकेंगे, आप महापुरुष मन्त्री रहेंगे। मन्त्री के लिए बुद्धि और शक्ति दोनों चाहिये। बुद्धि के लिए तो आपकी कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वित्त विधेयक क्या होता है और फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम क्या होता है। कुछ तो दस्तखत करना भी नहीं जानते, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिये आप तो बुद्धिशाली हैं आप तो बुद्धि और शक्ति से काम करते चले जाइये तो यह सदन आपके साथ है। तो इन्हीं सुझावों के साथ कि यह अनाज पर टैक्स नहीं होना चाहिये और इस तरह की जो चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं होना चाहिये बाकी जैसा अभी आपने कल बिल पेश किया ट्रेड की लैण्ड पर टैक्स का, तो इस तरह के साधन आप और ढूंढिये, सदन आपका इसमें साथ देगा, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को आप छोड दीजिये। अगर इस तरह से काम करते हैं तो आप निश्चय ही देश का कल्याण कर सकेंगे।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापति : माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री श्रवण लाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार का करारोपण बिल वित्त मन्त्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आज हमारी सरकार की जो नीति है, जो वित्त मन्त्री महोदय की नीति है वह जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाने की नीति रही है। जिस प्रकार कि, सभापति महोदय, किसी गरीब के घर के अन्दर बच्चे ज्यादा पैदा हो जाते हैं और बच्चों की देखभाल जिस प्रकार की वहां होती है, उस घर के अन्दर कोई किसी

(श्री श्रवणलाल)

प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है और वह चाह जहां इधर-उधर घर से बाहर बेपरवाह की तरह से मारे-मारे फिरते हैं उसी तरह से आज हमारी इस सरकार की हालत इस कर के निर्धारण के सम्बन्ध में यह रह गई है कि हमारी सरकार जनता के ऊपर नये-नये टैक्स लगा करके और जनता के ऊपर एक बडा भारी पहाड खडा कर देती है।

सभापति महोदय, अगर इन टैक्सों के विषय में आज से बीस साल पहले के आंकडे उठा कर देखें जांय तो यह सुनकर ताज्जुब होगा सभापति महोदय, इस बात के लिए कि किन-किन व्यक्तियों के प्रति इस टैक्स की बकाया कब से चली आ रही है। कितने केसेज ऐसे हैं जिनके बारे में कि विभाग के अन्दर किसी प्रकार का कोई रिकार्ड भी नहीं है, इस समय वहां पर कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है। करीब-करीब, तीन-चार लाख ऐसे केसेज हैं जो कि लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, उनके रिकार्ड का पता नहीं है। उनका रिकार्ड है भी या नहीं। सभापति महोदय, इस तरह के एक दो नहीं हजारों मामले ऐसे हैं जिनके अन्दर टैक्स की चोरियां होती हैं। इस प्रकार के अनेक मामले सदन के अन्दर रोजाना प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे यहां पर खानों का अधिकतर एरिया है और उसके अन्दर रॉयल्टी सिस्टम के नाम से वहां पर हर एक ठेकेदार को दिया जाता है। तो, सभापति महोदय, आज अगर उस रॉयल्टी की बकाया की इन्क्वायरी की जाय तो जैसा कि मैंने पहले भी एक बार सदन के अन्दर क्वेश्चन पूछा था कि और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक-एक ठेकेदार के प्रति एक-एक लाख रुपया बकाया है। टैक्सों की बकाया एक साल से नहीं, दो साल से नहीं पांच साल से नहीं, दस-दस सालों से बकाया है। एक आदमी के प्रति इस प्रकार से सरकार का बकाया है लेकिन फिर कभी उसको ठेका दुबारा दिया जाता है और जो बकाया है उसकी वसूली की किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सभापति महोदय, जो टैक्सों की बकाया लोगों में चल रही उसके सम्बन्ध में मैं आपको उदाहरण देता हूं और एक छोटी सी मिसाल देता हूं। यात्री-कर का पैसा जो कि सफर करने वाला है वह यात्री-कर का पैसा नकद रूप में देता है, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो गई है? पहले, प्रथम तो क्या होता है कि जितने भी बस-मालिक हैं, जिनकी बसें चलती हैं वह क्या करते हैं कि किसी प्रकार से यात्रा करने वालों को या तो टिकिट ही इश्यू नहीं करते हैं। यानी रुपये में से पचास प्रतिशत तो पहले ही हजम कर जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो रुपया यात्री-कर के रूप में वसूल होता है वह उनके पास जमा होता रहता है और वह जमा होते 2 एक एक लाख रुपये तक पहुंच जाता है और उनके पास बकाया पडा रहता है। तो पचास पर्सेन्ट तो वैसे ही खा गए और उसके बाद में जो वसूल किया हुआ पैसा है वह भी बाद में खा गए, सरकार उनसे वसूल नहीं कर सकती जैसा मैंने पहले भी कई बार यहां पर रखा है कि हमारे सुखाडियाजी के रिश्तेदार हैं जो कि दीनूभाई गुलाम मोहम्मद जिनकी भीलवाडा में बसें चलती हैं। इसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा था तो मुझे बताया

(श्री चवणलाल)

गया कि एक-एक लाख रुपया एक-एक व्यक्ति में बकाया है। यह बकाया क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय से कि इनकी वसूली के लिए आपने क्या काम किया है? लेकिन वित्त मन्त्री जी की हिम्मत नहीं कि उनसे वसूल कर सकें क्योंकि वे सुखाडिया जी के रिश्तेदार हैं, अगर वसूल करें तो कैसे करें? अधिकारी एक्शन लें तो कैसे लें? किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि सुखाडियाजी के रिश्तेदारों से सरकारी बकाया की वसूली कर सकें। इसके साथ-साथ आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज इस शासन के अन्दर करीब 2,51,166 मामले ऐसे हैं जिनका कि कर-निर्धारण ही नहीं हुआ है और वह मामले आज से करीब दस साल से चले आ रहे हैं। जहां तक रेवेन्यू की बकाया का सम्बन्ध आता है अगर इसका उदाहरण दिया जाय तो, उपाध्यक्ष (सभापति) महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 445 करोड की बकाया है और वह भी कब से चली आ रही है सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह सन् 1949 से लेकर 65 तक की बकाया चली आ रही है एक प्रश्न के माध्यम से आया था गये हुए सेशन के अन्दर तब सुना होगा कि 49 हजार रुपये आज उप-शिक्षा मन्त्री हैं उनके अन्दर बकाया हैं। आज एक मन्त्री इस तरह से पैसा खाकर बैठा है उससे वसूल नहीं कर सकती है तो सरकार दूसरों से क्या वसूल कर सकती है? सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ अनेकों इस प्रकार की मिसालें आपके सामने मिल जायेंगी। सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय के लिए कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर 59-60 से लेकर आज तक जो हमारी बकाया चली आ रही है वह 135.99 लाख है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। इतनी बडी-बडी रकमें हमारे वित्त मन्त्रीजी वसूल नहीं कर सकते हैं और जनता पर नये-नये टैक्स पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, यह कौन सा न्याय है?

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि टैक्स लगाते हैं और आपको टैक्स जनता देती है और आप जनता से लेते हैं तो आपका जो कार्य उससे करना होता है; जिस कार्य के लिए यह टैक्स लिया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह टैक्स जो जनता का दिया हुआ टैक्स है वह केवल एक व्यक्तिगत जिले के लिए है? सभापति महोदय, आज सवाल इस बात का आता है कि जिस प्रकार से टैक्स लगाये जाते हैं और राजस्थान के कोने-कोने की जनता पर वह लागू होता है। जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है उसको ये मन्त्री महोदय ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठकर मनमाने ढंग से खर्च करते हैं। आपने भी सुना है कि जब अकाल के नाम पर खर्च का सवाल आता है तो आप देखेंगे कि तीन-चौथाई उदयपुर के अन्दर खर्च होता है और एक-चौथाई हिस्सा पूरे राजस्थान में खर्च होता है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार के टैक्स जनता पर लगाये जाते हैं और जिन टैक्सों को जनता से वसूल करते हैं उन टैक्सों की रकम जनता के हित के लिए करीब-करीब सभी जिलों में बराबर से लगायें। सभी आदमी टैक्स जिन पर टैक्स लगाया जाता है टैक्स पे करते हैं। मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से पूछना

(श्री श्रवणलाल)

चाहता हूं कि इन 20 सालों के अन्दर सवाई माधोपुर जिले को क्या दिया? सभापति महोदय, अगर किसी काम की जरूरत पड़ी, मानलें कि सुरक्षा के नाम पर चन्दे की जरूरत पड़ी तो सवाई माधोपुर जिला कभी भी पीछे नहीं रहा, और न रहेगा। अव्वल नहीं तो दूसरा नम्बर तो उसका रहेगा ही। लेकिन यह टैक्स का जहां सवाल है, जनता की भलाई के काम का जहां सवाल है, किसी प्रकार के कार्य का जो सवाल आता है तो सवाई माधोपुर जिले को बिल्कुल नंगा रखा जाता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे वहां पर खानों का इस प्रकार का साधन है जिससे लाखों की नहीं करोडों रुपयों की सरकार को सालाना इन्कम होती है। उस इनकम के एवज में वहां के आने-जाने के साधनों को देखें, मन्त्री महोदय एक बार वहां जाकर देखें, अपनी गाडी लेजाकर उस रोड को देखें, तो आपको ताज्जुब होगा इस बात को सुनकर, सभापति महोदय, कि वहां पर एक-एक गज के गड्ढे आपको पडे हुए मिलेंगे। तो यह सब सरकार की नीति है कि जनता पर टैक्स लगायें और उस टैक्स का दुरुपयोग करें।

सभापति महोदय, इसी तरह से आज जिस प्रकार से मोटरों से जो यात्री-कर लगाया है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय इस टैक्स को जो यात्री-कर है उसके लम सम में रखें जिस प्रकार कि अभी गये सेशन में हमने व्यापारियों को इस प्रकार की सुविधा दी है कि हम उनसे लम सम एक साल के अन्दर टैक्स ले लेंगे। इसी प्रकार से मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि बसों से जो यात्री-कर लिया जाता है उनके लिए भी यह सोचें कि साल के अन्दर एक लम सम में लेने का क्राइटेरिया बनायें कि फलां बस की इतनी इनकम होती है, और उसके अनुसार इतना टैक्स, यात्री-कर, सालाना उसके ऊपर पडता है वह उससे वसूल करलें। इस तरह से रखें तो एक साल के अन्दर फलां बस मालिक से इतनी लिमिट के अनुसार हमको टैक्स मिल जायगा। इससे, सभापति महोदय, बस मालिक जो हैं टिकिट देने में किसी प्रकार की जो गडबडियां करते हैं वह नहीं करेंगे और टैक्स भी समय पर देने के लिये अपने आप अमादा हो जायेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जहां तक सवाल इस बात का है, लेवी का, तो हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले यह लेवी लगाई थी, और लेवी के सम्बन्ध में जो इस विभाग के मन्त्री थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यदि किसी किसान ने गल्ला शादी-विवाह में खर्च कर दिया है या उसकी फसल नष्ट होने पर उसके यहां गल्ला पैदा नहीं हुआ है, बरसात अधिक होने के कारण, ओले पड गये जाने के कारण या किसी कारण से नुकसान हुआ है तो उसकी जांच करेंगे और जांच कराने के बाद में इस प्रकार की बात जांच से सही निकली तो उसकी इस प्रकार से सहायता करेंगे कि उससे गल्ले की वसूली नहीं की जाय, लेकिन, सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है कि जहां बोया चना लेकिन पटवारी ने लिख दिया गेहूं है, जहां बोया जौ लेकिन उसने लिख दिया गेहूं बोया, तो आज पटवारी के द्वारा किसानों से बातचीत की जाती है और पुलिस के

(श्री श्रवणलाल)

द्वारा उन किसानों को घसीट घसीट कर लाकर हवालात में बन्द किया जाता है। सभापति महोदय, मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं इस बात को कि अगर मन्त्री महोदय मेरे साथ चलें तो कई केसेज में बताऊंगा कि जहां पर किसान के यहां जो बोया जाता है उसके लिए गेहूं की परची देकर उनसे गेहूं वसूल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह सरकार इस प्रकार के कानून लादकर जनता पर कुठाराघात करके गरीब किसानों को जो टैक्स देते हैं, आपके लादे हुए टैक्सेज से वह किसी तरह से बचते नहीं हैं, उन किसानों को इस तरह से परेशान करती है। उनको हवालात में बन्द किया जाता है पुलिस के द्वारा उनको धमकियां देकर, पीट कर गल्ला वसूल किया जाय तो यह कौनसी इन्सानियत है ?

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ठेकेदारों के प्रति लाखों रुपया बकाया है। शराब के ठेकों को ले लीजिये। हमारी सरकार इस बात में विश्वास करती है कि शराब के पैसे से अधिक इनकम बताकर, शराब से अधिक पैसा इकट्ठा करके टैक्स के रूप में हमारी सरकार मुनाफा बताती चली जा रही है। सभापति महोदय, आज उन्हीं ठेकेदारों के प्रति लाखों रुपया बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी से किस से उन्होंने वसूल किया है, किन किन ठेकेदारों से किया है और किन किन से नहीं किया है और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया ?

सभापति महोदय, इसी के साथ साथ आज क्या होता है कि आप जयपुर में किसी भी सिनेमाघर में चले जाइये तो वहां पर टिकटों का ब्लेक तो होता ही है। सभापति महोदय, मुझे भी कई बार सिनमा देखने का कुछ मामूली शौक होगया और सिनेमा देखने के लिये चला गया। सभापति महोदय, मैंने वहां जाकर क्या देखा कि वहां पर किस प्रकार से टैक्सों की चोरी होती है वह तो होती है लेकिन उसके बाद अनेकों प्रकार की चोरियां होती हैं। वहां पर आप देखिये कि चाहे सेकण्ड क्लास को ले लीजिये, अपर क्लास को ले लीजिये बालकोनी को ले लीजिये तो 10-20 या 25 टिकटें वहां पर वितरित किये जायेंगे, उसके बाद सभापति महोदय, खुले रूप से ब्लेक में मिलेंगे। कोई व्यक्ति खिडकी पर जाकर टिकट खरीद नहीं सकता है। एक रुपये का टिकट दो रुपये या सवा दो रुपये में नहीं पड जाय तब तक सिनेमा नहीं देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गया आपका इन्सपेक्टर ? कहां है आपके अधिकारीगण जो मनमानी इस प्रकार से कर रहे हैं? मैंने सिनेमा के प्रोप्राइटर से पूछा इस बात के लिये कि यह क्या हो रहा है तो वह कहता है कि हमें आप क्या कहते हैं आप अपनी गवर्नमेन्ट को कहें वे लाखों रुपये खाये बैठे हैं तो हम क्या गुनाह करते हैं तो, सभापति महोदय, आज यह सरकार कमजोर हो गई है। इसकी ढीली नीतियां इस प्रकार की हैं कि यह सरकार किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। जब एक्शन नहीं ले सकती है तो खुली छूट अधिकारियों को मिली हुई है। अधिकारी जानते हैं कि विभागीय मन्त्री हमारे खिलाफ कोई चार्जेज नहीं लगा सकते, क्योंकि विभाग के अन्दर वे मनमानी करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

(श्री श्रवण लाल)

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय नये-नये टैक्स लगाकर जनता को दिन प्रति दिन कमजोर बनाते चले जा रहे हैं इस मंहगाई के जमाने में जब कि मंहगाई बढ़ती हुई चली जा रही है और खाने को गल्ला नहीं मिलता है। इस बात को वे सोचें और करारोपण बिल यह पेश किया है उसको मैं तो यह कहूंगा कि उसको वापिस लेलें तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री सभापति: माननीय श्री नत्थीसिंह!

श्री गिरधारीलाल व्यास: Shri Nathi Singh is not present.

श्री सभापति: माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री कृष्णकुमार गोयल: (कोटा): सभापति महोदय, जो वित्त मन्त्री महोदय ने यह करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक रखा है उसकी केवल दो मन्शायें मैं सदन के सामने रखता हूं। एक तो यह है कि बजट के अन्दर जो घाटे की व्यवस्था है उसके लिए टैक्स को बढ़ाकर किसी प्रकार से उसकी पूर्ति की जाय, और जैसा कि उन्होंने सदन के अन्दर बताया था कि आज जो सेल्स टैक्स के कारण जो व्यापारी वर्ग के अन्दर किसी प्रकार की दुविधा है उन दुविधाओं को कम किया जा रहा है उस दृष्टि से वे संशोधन बिल सदन के अन्दर ले कर आये हैं। जहां तक करों का प्रश्न है, टैक्स की नीतियों का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के ऊपर जो वित्त मन्त्रीजी का बजट भाषण था उस पर जितनी चर्चा हुई है उसमें उन प्रश्नों पर काफी विचार हो चुका है।

आज यह सरकार यह स्वयं मान कर चलती है कि सरकार को अपनी नान टैक्स रेवेन्यू बढानी चाहिए थी, उस गति से सरकार अपनी नान टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढा पाई है; सरकार को अपने खर्च में मितव्ययता करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाई है, सरकार को रिकवरीज जिस गति से करनी चाहिए थीं उस गति से नहीं कर पाई है। सरकार केवल एक माध्यम ढूंढ कर चलती है कि जनता की आलोचना से बचा जा सके तो उससे बच कर जनता पर टैक्स लाद दिये जायें और वित्त मन्त्रीजी ने इसी तरह के टैक्सेज की व्यवस्था इस विधेयक के द्वारा की है। अन्य सदस्यों ने वित्त मन्त्रीजी की प्रशंसा की है उनके नजरिये की, जो नजरिया उनका टैक्सेज लगाने में रहा है, मैं भी प्रशंसा करूंगा। यह सही है कि उन्होंने टैक्सेज लगाने में वर्ग भेद किया है, इस वर्ग पर टैक्स का भार बढाना चाहिए, इसका विचार उन्होंने किया है, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्रीजी ने जो टैक्स लेने के लिये जो साधन अपनाया है, उसमें यह नजरिया जरूर रखा है पर जो बड़ा नजरिया रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान का धंधा, राजस्थान का व्यापार ही चौपट हो जाय, कहीं ऐसा नहीं हो कि बिक्री कर के द्वारा जो बिक्री कर प्राप्त होता है वह बिक्री कर हमें प्राप्त नहीं हो, यह नजरिया वित्त मन्त्रीजी ने नहीं रखा है। इससे जो बिक्री कर के द्वारा हमें बिक्री कर प्राप्त होता है वह बिक्री कर तो हमारे हाथ से जायगा ही, इससे राजस्थान के खजाने के अन्दर तो नुकसान होगा ही पर दूसरी ओर राजस्थान के व्यापारी जिस धंधे पर जीवित हैं, वह धंधा ही कहीं चौपट नहीं हो जाय। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस बिल में क्लाज 30 जो रखा है उसकी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेल्स टैक्स का सेक्शन 5 है उसमें जनरल रेट सेल्स टैक्स की 10 परसेन्ट से बढा कर 15 परसेन्ट बढाई है उस ओर मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह ठीक है कि मोटर ट्रक, हैं, उनके पार्ट्स ट्यूब टायर्स हैं, रेफरीजरेटर हैं, लग्जरी गुड्स हैं इन पर नोटिफिकेशन के जरिये वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स का भार बढाया है और लगता ऐसा है कि साधारण जनता पर इससे भार नहीं पडने वाला है। पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रक्स पर टैक्स बढाते हैं, ट्यूब टायर्स पर टैक्स बढाते हैं, इन पर टैक्स बढाने से कीमतें बढेंगी और धीरे-धीरे साधारण जनता की उपभोग्य वस्तुएं हैं, उन पर इसका असर पडेगा। सेंट्रल टैक्स की दर 10 परसेन्ट है, जब कि राजस्थान सरकार ने इस नये टैक्स को ला कर जो नोटिफिकेशन निकाला है, आज आपने टायर ट्यूब पर सेल्स टैक्स 10 परसेन्ट से बढा कर 12 परसेन्ट कर दिया है, मोटर कार पर, ट्रक्स पर चेसिस पर, रेफरीजरेटर्स पर, लग्जरी गुड्स पर 10 परसेन्ट से 15 परसेन्ट सेल्स टैक्स किया है। मैं जानना चाहूंगा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 10 परसेन्ट है, उसे आपने राजस्थान में 12 परसेन्ट कर दिया है। आज राजस्थान का ऐसा कौनसा व्यापारी, उद्योगपति होगा ....

(4.25 म.प.)

श्री निरंजन नाथ आचार्य
(अध्यक्ष पदासीन)

जो 10 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पडता है, उसको छोड कर 12 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट राजस्थान के मार्केट में देगा। आज उस ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन को ले लीजिये, जो बसेज चाहिये, उन बसेज को खरीदने के लिये आप राजस्थान के मार्केट में नहीं जायेंगे, दिल्ली के मार्केट में, या दूसरे मार्केट में चले जायेंगे और 10 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स की अदा करके राजस्थान में ले जायेंगे पर राजस्थान का व्यापारी केवल अपने धंधे को ले कर राजस्थान में बैठा है, राजस्थान सरकार से अपने धंधे में आशा करते हैं, उस व्यक्ति को 12 पर्सेन्ट 15 पर्सेन्ट अदा करना पडेगा तो ऐसी हालत में अब वह राजस्थान के बाजार से हट कर दिल्ली के बाजार में चला जायगा। और इस तरह से राजस्थान के व्यापारी का व्यापार ठप्प होगा। उसका व्यापार तो ठप्प होगा ही उसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार को सेल्स टैक्स के जरिये जो लाखों रुपया मिलता है, वह राजस्थान सरकार को न मिल कर दूसरी सरकारों को मिलेगा, राजस्थान सरकार उस आमदनी से महरूम रहेगी। आपने 12 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट बढाया है, उससे एक ओर राजस्थान के खजाने में कमी आयेगी दूसरी ओर व्यापारी का व्यापार ठप्प हो जायगा। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कठिनाई को केवल हमने ही महसूस किया हो ऐसी बात नहीं है। जयपुर के सेल्स टैक्स आफीसर ने, सर्किल नं. 1 के सेल्स टैक्स आफीसर हैं उन्होंने स्वयं सेल्स टैक्स कमिश्नर को लिख कर दिया है कि मोटर विहिकल्स, ट्यूब टायर्स, और लग्जरी गुड्स बेचे जाते थे उन पर सेल्स टैक्स 10 पर्सेन्ट से 12 पर्सेन्ट और 15 पर्सेन्ट कर दिया है उससे राजस्थान के खजाने में कमी आ गई है, सारे व्यापारी राजस्थान के मार्केट से हट कर दिल्ली के मार्केट की ओर दूसरी स्टेट्स के मार्केट की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और बढते जा रहे हैं। इस दृष्टि कोण से मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा आपने इस नजरिये को अपनाया है, और स्टेट्स में और सेन्टर में यदि सेल्स टैक्स की इन पर रेट 12 पर्सेन्ट और 15 पर्सेन्ट होती उस हालत में राजस्थान में भी बढा देते तो आपत्ति नहीं होती पर राजस्थान में सेल्स टैक्स की दर 12 और 15 पर्सेन्ट हो जाय और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स 10 पर्सेन्ट ही रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के खजाने में कमी आयेगी और राजस्थान के व्यापारी का व्यापार ठप्प हो जायगा।

मै राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि जैसा कि जौहरी बाजार से आने वाले हमारे नेता माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने आपका ध्यान आकर्षित किया होगा आप जो सेल्स टैक्स की दर 12 पर्सेन्ट और 15 पर्सेन्ट कर रहे हैं, रेट्स व्यापारियों का जो व्यापार स्वातन्त्रय है, उस व्यापार स्वातन्त्रय में आप बाधा के रूप में खडे हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि रेस्ट्रिक्शन्स हों पर पहले तो जो रेस्ट्रिक्शन्स हों वे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स होने चाहियें, इसके साथ ही वे पब्लिक इन्ट्रेस्ट में होनी चाहियें, दूसरी बात इसमें यह है कि इस प्रकर का कदम उठाने से पहले इस प्रकार के बिल पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति पहले होनी चाहिये, वह आपने प्राप्त नहीं की है।

हमारे संविधान की धारा 304 में इस सब-क्लाज 30 के बारे में दिया है, वह कहती है:—

"(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:

Provided that no Bill or amendment for the purpose of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President."

और इस सबन्ध के अन्दर सुप्रीम कोर्ट की सेपरेट मान्यता है फ्री ट्रेड के रेस्ट्रिक्शन्स हैं तो फिर प्रश्न आयगा रेस्ट्रिक्शन रिजनेबल है या नहीं इसके अलावा अगर इस प्रकार का कोई बिल लाना चाहते हैं उस पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति करनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को लेकर नोशन्स दिये हैं। 1963 के सुप्रीम कोर्ट ने पेज 92 ए. इसके अन्दर होल्ड किया है—

"The previous sanction of the President is required in order that economic pressure which may inspire a State Legislature to impose restrictions on free movement of trade and commerce may be examined in the light of the interest of the national economy."

इस प्रकार से जो यह बिल लाया गया है जिसके अन्तर्गत फ्री ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा रहे हैं पाबन्दी लगा रहे हैं जिनको रिजनेबल या पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं कहे जा सकते। आप अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिये यह कर लगाते हैं इसके लिये यह जरूरी है कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लें। आज ही इस प्रकार का प्रश्न पहली बार उठा हो यह बात सही है। इस बारे में जब भी फाइनेन्सियल बिल्स आते हैं राष्ट्रपति

Page No. 140

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

को उस पर स्वीकृति होना आवश्यक है, यह बात हम बारबार ध्यान में लाते रहे हैं इसके बारे में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर स्ट्रिक्चर पास किये हैं राज्य सरकार पर कटाक्ष किये हैं और उस पर राज्य सरकार को माफी तक लिखित में मांगनी पड़ी है जब पैसेन्जर टेक्स को लेकर उस समय के वित्त मंत्री महोदय को जब कहा गया कि यह जो पैसेन्जर पर आप टेक्स बढ़ा रहे हैं आप इसको विधि विभाग से एग्जामिन करवाइये कि आया इस प्रकार का बिल बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है या नहीं ? लेकिन उस समय वित्त मंत्री महोदय माने नहीं और न सिलेक्ट कमिटी में भिजवाने के प्रस्ताव को माना और जल्द बाजी में पास करवा दिया गया। उसके खिलाफ सम्बन्धित मोटर चलाने वालों ने हाई कोर्ट में रिट की उस पर रिमार्क्स दिये गये। आपके विधि विभाग को दिये गये, विधान सभा को दिये गये...

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के सदस्यों के लिये क्या रिमार्क्स दिये ? रिफलेक्शन ओन दी असेम्बली ?

Are there some reflections on the Assembly ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ए. आइ. आर. 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 764 इसमें पैसेन्जर टेक्स को लेकर उसके वैलीडेशन के बारे में कहा गया है....

श्री अध्यक्ष : What was the point agitated ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : "Tends to show that the drafting of Section 2 has been casual and somewhat careless."

पैसेन्जर टैक्स की रेट्स बढ़ायी गई यह रेट्स बढ़ाने का पावर सरकार को नहीं था उस पर एतराजात हुए हैं। हाई कोर्ट में मैटर पेन्डिग था ऑर्डिनेन्स निकाला गया और उस एक्शन को वैलीडेट किया गया। उसके बाद एक्ट बनाया गया उसमें भी सेक्शन (2) के लिये प्रीवियस सेंक्शन प्रेसीडेन्ट की होनी चाहिये उसके बगैर बिल पास कर दिया। लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने लिखा है कि लेजिस्लेचर को कोई अधिकार नहीं कि जो यह प्रीज्यूम करके चले कि प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति प्राप्त हो जायगी। जिस पैरा में सरकार पर रिफलेक्शन किया गया है उस सम्बन्धित पैरे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : Is there any specific reference to the Law Department.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सारा विधि विभाग पर रिफलेक्शन है

श्री अध्यक्ष : By implication, you mean? The Government it is.

श्री गिरधारीलाल व्यास : He says everything by implication.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : "as to any consequence and with respect, the assent of the President

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

o such declaration also does not serve the purpose which subsequent assent by the President can serve under Article 255."

उन्होंने एक्स्प्लेन किया है।

"In our opinion the Legislature incompetent to declare that the failure to comply with Article 255 of no consequence and, with respect, the assent of the President to such declaration also does not serve the purpose which subsequent assent by the President can serve under Article 255."

श्री यह तो जुरिस्डिक्शन का सवाल है।

It talks about the competence or incompetence.

श्री कृष्णकुमार गोयल :

In our opinion the assent of the President can not by any legislative process be deemed to have been given to an earlier Act at a time in fact it was not so given."

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन यह कर रहा था आज जो यह बिल लाया गया है इस बिल के द्वारा जो फ्री ट्रेड है वास्तव में जो धंधा करने का अधिकार है आज आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उससे पहले आपको इस पर प्रेसीडेन्ट की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है जल्दबाजी के अन्दर आप इसे पास न करें। यदि ऐसा किया गया तो वही हालत होगी जो पैसेन्जर टैक्स बिल की हुई। इसलिये मेरी मान्यता है कि इस प्रश्न को लेकर सम्बन्धित व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकते हैं फिर वही दशा हो सकती है नल एन्ड वॉयड यह हो सकता है। इससे पहले कि हम इसके पास करें इन सारे प्रश्नों पर लीगल ओपीनियन ले लेनी चाहिये, और इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था आज राजस्थान सरकार के एक्शन्स के कारण हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित में माफी मांगनी पडी है। बारबार सरकार का रवैया इसी प्रकार का बनता जा रहा है जब कि संविधान के अन्दर यह स्पष्ट मान्यता है, स्पष्ट निदेश है, तो उनकी पालना करने में आपको क्या हिचक होती है ?

इसके अलावा मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान क्लॉज 3 के सब-क्लॉज 5 में जो अमेन्डमेन्ट किया है उस ओर दिलाना चाहता हूं इसके अन्दर प्रोवीजो लगाया गया है:—

"Provided also that when any goods are sold, packed in any materials, the tax shall be leviable on the sale of such packing materials (whether they are separately charged for or not) at the same rate (if any) as is applicable to the sale of the goods themselves."

अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रोवीजो को लेकर के राजस्थान सरकार सेल्स टैक्स में बढोतरी करना चाहती है। कोई भी सामान बिकता है उस सामान को बान्धने के लिये जो पैकेट या पेपर कवर या बोतल इस्तेमाल होगी उसके ऊपर भी टैक्स आप लेना चाहते

Page No. 142

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं। वह उसी रेट के आधार पर जिस वस्तु को उस पैकेट में बेचा जा रहा है उस पर जितना सेल्स टैक्स लगेगा उसी हिसाब से उस कवर पर बोतल पर देना होगा। वित्त मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इस बारे में मान्यता प्राप्त हुई है इसके बारे में स्पष्ट रूप में निर्णय लिया है। हैदराबाद से चार मीनार सिगरेट बिकती है उस पर टैक्स नहीं था रेपर पर वहां के सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट ने उस पर टैक्स लेने का प्रयास किया। उस प्रश्न को लेकर वह पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गयी। उनका कहना था कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत जो टैक्स लेते हैं वह सेल पर लगता है। सेल को डिफाइन करना आपके और हमारे हाथ में नहीं है। एक पैकेट में बीस सिगरेट आती हैं यह इम्प्लाइड करके पैकेट टू पैकेट उसके आधार पर मूल्य लगाया है। इस प्रश्न को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में गये उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि इस प्रकार से टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह केस है 1951 पेज 367 स्टेट ऑफ मद्रास 363 आफ 1965 पेज 213। उसमें सेल का होल्ड किया है जो वस्तु को बान्धने के लिये पैकेट्स काम में लिये जाते हैं उसकी कीमत को अलग असेस करके सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते। जिस मूल्य को मानकर के कन्जूमर ने कीमत दी है उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: मेरे इस अमेन्डमेन्ट लाने का मतलब यह है कि जैसे एक पीपा है घी का उस पर सेल्स टैक्स की दर जो है उसमें पीपा जो टीन का होता है उसको अलग से बेचते हैं। उसकी कीमत वे अलग लेते हैं इस बारे में मेरे पास अनेक रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं उसमें यह कहा गया कि जो कमोडिटी उसके अन्दर होती है उसका सेल होता है उस पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। उसी पर उस का भी लेलें तो सहूलियत होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं इससे सहमत हूं लेकिन लीगल जो लेकूना है जब तक आप घी के टीन पर असेस नहीं कर लेते हैं घी इतने का और टीन का मूल्य इतना उन दोनों के ऊपर आप असेस नहीं कर लेते तब तक नहीं लगा सकते उसमें टीन की कीमत इम्मेटिरियल है।

इसका दूसरा पहलू भी है जैसे एक बोतल है उसमें शराब है, दूसरी उसी तरह की बाटेल है जिसमें सिर में लगाने का तेल है और तीसरी बोटल में खाने का तेल है। इन तीनों में जो चीजें हैं उन पर अलग अलग प्रकार से टैक्स है शराब पर बारह प्रतिशत, हेअर आइल पर दस प्रतिशत और खाने के तेल पर छः प्रतिशत। तीनों की सेल्स टैक्स की दर अलग-अलग है। जब कि बोतल का मूल्य सब के लिये समान है तो जिसमें शराब है उस बोतल की कीमत शराब पर जो टैक्स है उससे आप असेस करेंगे यानि जिस बोतल में शराब है उसपर आप 12 प्रतिशत से असेस करेंगे और जिसमें हेअर आइल है उसकी कीमत 10 प्रतिशत से असेस करेंगे और खाने का तेल है उसकी कीमत 6 प्रतिशत से असेस करेंगे। बोतल एक प्रकार की लेकिन उनकी कीमतें तीन प्रकार से निर्धारित होंगी क्योंकि उसमें अलग-अलग चीजें हैं। इस प्रोवीजो से हरेक पर सेल्स टैक्स उस पैकेज पर अलग-अलग हो जायगा। इससे डिस-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
कमिश्नेशन हो जायगा फिर संवैधानिक प्रश्न खड़ा होगा।

श्री मथुरादास माथुर : हमने इस अमेन्डमेन्ट से सेल ऑफ दी कवर और सेल ऑफ दी पैकेज प्राइज ये सारे सेपरेट हैं और सेपरेट लागू होंगे। शराब बोतल में ही बिकती है उसमें बोतल की कीमत अलग नहीं। शराब की बोतल पाव आधा पाव आदि सभी प्रकार की हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शराब के बारे में आपने असेस किया है कि बोतलों की कीमत कितनी होगी मान लीजिये बोटल्स यूज की उसकी कीमत दस हजार रुपये है तो उस पर क्या रेट लगायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो सेल पर निर्भर है बोतल कोई अलग से बिकती नहीं वह उस चीज के साथ ही जाती है। यहां पर जो कवर है सेपरेट रेपर है कागज का है या टिन का है वह साथ में बिकता नहीं उसको अलग से बेचा जाता है। यह उसी पर लगेगा जहां सेल ऑफ कवर सेपरेटली होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जिस केस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसमें प्रेजीडेन्ट की स्वीकृति लेने का प्रश्न भी है। आप इस बारे में हैदराबाद केस को आधार लेकर एग्जामिन करवाइये और विधि विभाग की सलाह लीजिये नहीं कहीं पर संवैधानिक संकट पैदा न हो जाय।

इसके अलावा आपने कलटीरल पॉइन्ट पर सेल्स टैक्स इन्ट्रोड्यूस किया है...

श्री मथुरादास माथुर : इस पर बहस नहीं करें यह तो ड्राप कर दिया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्लाज 10 के द्वारा सेक्शन 11 में अमेन्डमेन्ट किया है इसमें हो सकता है आपको कुछ डिफीकल्टीज पेश आयी हों। इसके अलावा आपने डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स दी हैं। मैं आपका ध्यान डिप्टी कमिश्नर अपील्स की ओर दिलाना चाहता हूं राजस्थान सरकार इसको बेईमान मानकर चलती है। यह लॉ का सामान्य सिद्धान्त है उसके अन्दर जिस अदालत में अपील पेश की जाय, जिस अधिकारी के सामने अपील पेश की जाय उसको स्टे करने के अधिकार होते हैं यहां आपने डिप्टी कमिश्नर को अपील पर स्टे करने के अधिकार नहीं दिये हैं। सेल्स टैक्स ऑफिसर को आपने स्टे के अधिकार दिये हैं दूसरे कमिश्नर जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है वे स्टे दे सकते हैं। वैसी हालत में जिसके पास अपील जाती है उसको स्टे करने के अधिकार से वंचित रखने का क्या प्रयोजन है ? इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि डिप्टी कमिश्नर को ईमानदार आप मानते नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं यह क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या स्टे का प्रोवीजन नहीं है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिसके सामने अपील हो उसको स्टे करने का अधिकार नहीं है He is not competent to issue the stay order.

श्री अध्यक्ष : दी बिल इज साईलेन्ट ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ के अन्दर एक्ट बना है इसलिये शायद ख्याल न

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हो इसलिये समय पर ही अमेन्डमेन्ट लाया गया है। आज अमेन्डमेन्ट लाया जो रहा है और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को तो पावर्स दे रहे हैं लेकिन डिप्टी कमिश्नर अपील्स सेल्स टैक्स हैं उसको आज तक स्टे देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। वित्त मंत्रीजी को, यह ठीक है कि आज उनको कठिनाइयां महसूस हुई हैं। व्यापारियों के कागजात जब्त करने के बारे में, दूसरे डाक्युमेन्ट्स और बुक्स सीज करने के कारण राज्य सरकार के अधिकारियों को अधिकार दिया गया है उसके कारण व्यापारियों को कठिनाइयां हुई हैं। छः-छः सात-सात वर्ष हो गये जब्त किये गये कागजात व्यापारियों को वापिस नहीं किये गये। वित्त मंत्रीजी, मैं आपकी जानकारी के लिये दो केस रखना चाहूंगा। एक किशनलाल डालचन्द जौहरी बाजार का है। 61-62 में कागजात सीज किये गये। 6-7 वर्ष हो गये, आज तक उस व्यक्ति को कागजात नहीं लौटाये गये। असेसमेन्ट आज तक फाइनल नहीं किया गया बस एक ही बात है, लाओ पैसा उसके पीछे।

(शेम शेम की आवाज)।

श्री अध्यक्ष : "Shame" for an individual !-No shame.

श्री कृष्णकुमार गोयल : झुंझुनूं वाला केस हुआ वह मर गया आदमी। आज इस व्यक्ति को खून की उल्टियां हो गई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उसके पहले हुई थी जेदो जबरदारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाजा- तरीके से परेशान करने के लिये कागज सीज किये गये।

श्री अध्यक्ष : खून की उल्टियां पहले से हुई, छः सात साल बाद।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस- बहुत हो गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक केस अ- निवेदन करना चाहूंगा। एक संशोधन ला- आये। जो अधिकार थे उसको लिमिट रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा उसकी। लि- लेकिन रह गया है उसकी ओर ध्यान आक- जरूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि त- महीने से अधिक अधिकारी कागजात को र- नहीं सकेंगे। रोकेगा तो कमिश्नर की इजा- लेनी पडेगी। ठीक है। तीन महीने के कमिश्नर की स्वीकृति ले ली, फिर उसके क्या होगा ? आपका लॉ उसके बाद कहता है ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस हद त- कमिश्नर इजाजत देगा उतनी हद तक र- सकेगा। "You can keep the records fo- two months for assessment purpo- or other purposes." दो महीने रखेगा Commissioner can not say that 'yo- can keep the papers indefinitum' नहीं कह सकता। कमिश्नर को कोई न को- प्रेस्काइब्ड डेट देनी पड़ेगी। जरूरत है, महीने दो महीने रख लेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुप्रीम कि- परमिशन ले सकता है। लेकिन कोई न को- मेक्सिमम लिमिट प्रेस्काइब होनी चाहिये जिस टाइम के अन्दर को [illegible]

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आपने जब्त किये, इन्वेस्टिगेशन करके केस फाइनेलाइज होना चाहिये। एक कमिश्नर ने मेक्सिमम लिमिट दे दी कि कितने समय तक वह कागजात रख सकता है। लेकिन और उद्देश्य हो, नाजायज फायदा उठाने के लिये व्यौपारियों को परेशान किया जाय और सरकार की निगाह में हैरान किया है तो उनको दंडित करने के लिये कोई पावर वहां रखना चाहिये। एक अधिकारी को पॉवर देते हैं। जाकर कागजात सीज कर सकता है। अकारण सीज किये कागजात, कमिश्नर कहता है कि अकारण सीज किये तो उसको कहां तक पैनेलाइज किया जा सकता है इस प्रश्न पर आपका कानून चुप है।

एक व्यापारी है, जिसकी चर्चा सदन में हुई। ईस्टर्न कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मिर्जा इस्माल रोड, खेतान भवन, पर। आफिस खेतान भवन में। फैक्टरी इण्डस्ट्रियल एरिया में। वित्त मंत्री महोदय, 7.10.65 को लगभग 40 अधिकारियों ने चार जीप में आकर रेड किया। ताले तोड़ कागजात जब्त किये। बोरियां में उनको भरा। 9 बोरी कागजात की जब्त की। तीन हजार का कैश था उसको जब्त किया। पता नहीं वह है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, 7.10.65 को कागजात जब्त किये। पचपन दिन के बाद रसीद दी गई कि ये कागजात सीज किये। यह जो हाइहेन्डेडनेस है, अधिकारी को अधिकार दिया है, 65 में इसके कागजात जब्त किये दो साल होने आये आज तक कागजात नहीं लौटाये गये। असेस्मेन्ट का काम पूरा नहीं किया। क्या वे सारे काम ऐसे नहीं हैं जिनके पीछे बू आती हो? क्या कोई बारगेनिग नहीं चल रहा है? लम्बे अर्से तक कागजात क्यों पड़े रखे जाते हैं इसकी जानकारी चाहूंगा। तीन महीने के बंधन में डालना चाहते हैं। कमिश्नर को अधिक से अधिक किस सीमा तक, किस तिथि तक कागजात रखने का अधिकार है इसका निर्धारण आप इसमें कीजिये।

इन प्रोविजन्स में आप अमेन्डमेन्ट लाये हैं। आपने लम्पसम की बात बहुत की। लम्पसम के नाम पर जिस कमोडिटी पर चाहें आपने सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार चाहा है। भ्रष्टाचारियों को दंड देंगे। किस पदार्थ पर असेस किया जाय? इकट्ठे रूप में सेल्स टैक्स ले लेंगे। कितना लिया जाय? क्या इसके पीछे बारगेनिंग काम नहीं करेगा यह आपको तय करना पड़ेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि लाइव स्टाक पर सेल्स टैक्स की व्यवस्था की है। कीमत पर आपने सेल्स टैक्स नहीं लगाया बल्कि अदद पर लगाया। सेल्स टैक्स अदद पर नहीं हो सकता। जब तक बिक्री की कीमत नहीं है सेल्स टैक्स नहीं हो सकता। बिना कीमत के सेल्स टैक्स नहीं हो सकता। आपने व्यवस्था की है वह गलत है। इसके पूर्व यह बिल सदन में लाया जाय इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ताकि उस पर गम्भीरता से विचार करके पारित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक 9-7-67 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

आई करेक्ट माईसेल्फ।

सदन की बैठक दिनांक 10-7-67 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात सदनकी बैठक म.प. 5बजे दि. 10-7-67 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 674 का उत्तर देखिये)

सूची

उदयपुर-रतनपुर मार्ग

क्रम संख्या	परमिट होल्डर	गाड़ी नं०	अवधि
1.	राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	आर. जे. वाई–1866	3-3-67 से 18-3-67
2.	बाम्बे ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	आर. जे. वाई–1311	,,
3.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	आर. जे. एल–1875	,,
4.	अरावली रोडवेज	आर जे. क्यू.–3591	,,

परिशिष्ट 2

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 683 का उतर देखिये)

चिकित्सालय देखने हेतु नियम

1. अस्पताल में मरीजों की देखभाल तथा चिकित्सा प्रशासन को देखते हुए तथा जनता की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने अस्पताल देखने की संस्था बनाई है।

2. इन कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने इस संस्था को बनाई है जिससे वह संस्था अस्पताल की उन्नति के लिये सुझाव सरकार को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रेषित कर सकती है।

3. सामान्य तौर पर इस संस्था का कार्यकाल दो साल का है, लेकिन सरकार चाहे जब इसका समय बढ़ा सकती है।

4. प्रत्येक दर्शनार्थी को राजकीय अस्पताल का निरीक्षण और प्रबन्ध करने की हर एक सुविधा दी जावेगी। और प्रत्येक मरीज को जो कि भरती होते हैं और अस्पताल के हर एक जगह कानून के मुताबिक प्रवेश दिया जावेगा।

5. दर्शनार्थी जब कभी भी निरीक्षण करने आयेगा तो वह वार्ड डिस्पेन्सरी कमरा, परामर्श कोष्ट, स्टोर, रसोई और अस्पताल की दूसरी इमारतों व मरीजों को दिया जाने वाला खाने का निरीक्षण कर सकेंगे।

6. प्रत्येक दर्शनार्थी को अगर वे चाहते हैं तो अस्पताल का चक्कर लगा सकते हैं जबकि जनाना अस्पताल में सिर्फ महिला दर्शनार्थी को ही वार्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी जावेगी।

7. प्रत्येक दर्शनार्थी अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण पुस्तिका में जो कि अस्पताल में पड़ी रहती है उसमें आने व जाने का समय लिखें तथा पूर्ण अस्पताल का विवरण भी लिखें। तथा जिला चिकित्सा अधिकारी को उसके प्रति अपने विवरण सहित संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर, के पास भेजे।

8. जो विवरण निरीक्षण पुस्तिका में दर्शनार्थी लिखें वे चाहे अस्पताल के अधिकारियों से मिलकर अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं ताकि अस्पताल के कर्मचारियों के नाम पर धब्बा न लग सके।

9. यदि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चाहे और दर्शनार्थी के द्वारा लिखा गया आवश्यक न हो तो और व्यक्तिगत वाद-विवाद हो तो संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को भेज सकता है।

परिशिष्ट 3

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 693 का उत्तर देखिये)

MAKE OF STATEMENT SHOWING - No: OF CARS/SCOOTERS ALLOTTED BY GOVERNMENT OFFICERS & DOCTORS DURING THE LAST FIVE YEARS.

S. No.	MAKE OF CAR/SCOOTER	GOVERNMET OFFICER	DOCTORS	TOTAL
1.	Fiat	80	20	100
2.	Ambassador	107	42	149
3.	Standard Hearald	31	11	42
4.	Vespa Scooter	49	16	65
5.	Lambretta Scooter	59	11	70

परिशिष्ट 4

(कृपया स्थगित-प्रश्न संख्या 557 का उत्तर देखिये)

डी० आई० आर० के मुकदमात की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	कितने केसेज डी. आई. आर. में दर्ज हुए
1	2	3
1.	टोंक	12
2.	बाड़मेर	32
3.	पाली	5
4.	सिरोही	8
5.	जैसलमेर	21
6.	भीलवाड़ा	17
7.	नागौर	12
8.	चित्तौड़गढ़	24
9.	बांसवाड़ा	..
10.	अलवर	23
11.	कोटा	93
12.	जोधपुर	53
13.	गंगानगर	21
14.	चुरू	6
15.	उदयपुर	77
16.	भरतपुर	30
17.	बूंदी	10
18.	अजमेर	77
19.	बीकानेर	16
20.	डूंगरपुर	3
21.	जयपुर	184
22.	झुंझुनू	14
23.	सवाई माधोपुर	21
24.	सीकर	..
25.	झालावाड़	..
26.	जालोर	26
27.	श्री० आर० पी०	108
	कुल योग	892

परिशिष्ट 5

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 701 का उत्तर देखिये)

बस परमिटों की सूची

क्रमांक	परमिट देने की तारीख	परमिट प्राप्त कर्ता का नाम	मार्ग का नाम
1.	13-10-66	श्री घासीराम गुप्ता	तिजारा-सोना
2.	,,	श्री कमरुद्दीन	झुंझुनू-सालासर
3.	15-10-66	श्रीमती विश्वदेवी	पहाड़ी-नदबई
4.	31-10-66	मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान पथ परिवहन निगम	जयपुर-कोटपूतली
5.	2-11-66	श्री जगदीश प्रसाद	महुवा-अलवर
6.	21-11-66	श्री धर्मचन्द	पहाड़ी-अलवर
7.	31-11-66	श्री नाथसिंह	मन्डावर-गंगापुर
8.	12-12-66	श्री महावीर प्रसाद	सीकरी-पुनाना
9.	13-12-66	श्रीमती शारदा देवी	भरतपुर-गोवर्धन
10.	20-12-66	श्री श्यामसुन्दर	टोडारायसिंह-अजमेर
11.	,,	श्री सत्यनारायण	टोडारायसिंह-अजमेर
12.	7-1-67	श्री चन्द्रकान्ता	डीग-भुसावर
13.	12-1-67	श्री प्रमोदकुमार	भरतपुर-गोवर्धन
14.	21-3-67	श्री सुगनचन्द	बयाना-भुसावर
15.	4-4-67	गुप्ता ट्रान्सपोर्ट कं०	हिन्डौन-गुढाचन्दरजी

संकेत:—क्रमांक 2 एवं 11 पर अंकित परमिट अभी तक निर्गम नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट 6

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर देखिये)

Statement of thefts & Burglary cases with Property stolen & recovered from the Year 1962 to 30th March, 1967, Rajasthan.

Year		Reported	False, etc.	True cases	Not detected	Property: Stolen	Property: Recovered	Loss of life.
1962	Burglary Theft.	5907 6983	3432 4469	2475 2514	2563 3014	2549185.52 2217657.63	716538.73 1396872.83	
1963	Burgalry Theft.	6132 7444	3441 4889	2691 2555	3604 3035	2525220.13 2338463.95	722916.30 1476327.56	2 ..
1964	Burgalry Theft.	7132 8325	663 1419	6469 6906	4405 3668	3350711.00 2721398.00	1206068.00 1993058.00	2 ..
1965	Burglary Theft.	6659 8165	669 1386	5990 6739	3788 3425	3062573.24 2962279.69	1055130.55 1987708.36	4 ..
1966	Burglary Theft.	2367 2305	235 463	2132 1814	1162 681	4011452.21 3695393.23	1229523.78 2548815.04	7 2
1967	Burglary. Theft.	1700 2063	193 225	1507 1838	222 423	760517.67 986793.60	185842.45 525529.10	.. ..
TOTAL ..		65142	21484	43658	32100	31181635.87	15044321.10	18

परिशिष्ट 7

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 151 का उत्तर देखिये)

नवम्बर 66 से फरवरी 67 तक स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों की सूची

क्रमांक	नाम अध्यापक	कहां से स्थानान्तरित किये गये	कहां को स्थानान्तरित किये गये	स्थानान्तरित से पूर्व संस्था में कितने समय से कार्य कर रहे	मासिक वेतन	स्थानान्तरित का कारण
1.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	स. अ. उ. मा. वि. झालावाड़	शिक्षा प्रसार अधिकारी उप. स. चिड़ावा मु. सुमेल	16 वर्ष	235 (115-300)	पंचायत समिति सुनेक में शिक्षा प्रसार, अधिकारी की अत्याधिक आवश्यकता के कारण
2.	श्री कन्हैयालाल मालवी	एस. अ. उ. मा. बकानी	वि. स. उ. मा. शा. उ टीटोडिया	1 वर्ष	105 (75-200)	उ. मा. वि. बकानी से अध्यापक का स्थान समाप्त होने के कारण
3.	श्री बाबूलाल आर्य	स. अ. उ. मा. वि. चिड़ावा	स. उ. मा. शा. कोटड़ी	2 वर्ष	145 (75-200)	उ. मा. वि. बिसावा में अध्यापक का स्थान समाप्त होने के कारण

नोट :—क्रम सं. 2 व 3 के अध्यापक उन्हीं से संस्थाओं में डपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं जहां वे स्थानान्तरित किये गये हैं। उनका स्थानान्तर केवल वेतन के सम्बन्ध हेतु किया गया है क्योंकि उन अध्यापकों में से अध्यापक का पद समाप्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट 8

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की उत्तर देखिये)

क्र. सं.	नाम सड़क	कार्य विवरण मिट्टी का कार्य	मीलों व फर्लांग में	धन राशि जो खर्च हुई
(1)	बाड़मेर बतार, कामोद रोड	26	7-4	1172160.00
(2)	गीरा से मलवसोद रोड	20	..	467839.00
(3)	स्योपुरा स्वामी रोड	30	27-4	994727.00
(4)	गडरा सुकरां रोड	15	1-6	462958.00
(5)	इरसानो विराव समदरा रोड	20-7	19-2	416557.00
(6)	मोहला गुढा रोड	17	1-4	330212.00
(7)	सेडवा से बालासर रोड	43	..	1289139.00
(8)	चोरीमना-घमाऊ-भूमीया रोड	26	8-0	1398395.00
(9)	सिन्दरी-नीतरा रोड	12	4-	215811.00
(10)	सिन्दरी-बायतू रोड	13-4	4-4	91198.00
(11)	बालोतरा-नीली रोड	17	म 3-0	296562.00
(12)	बालोतरा से समदड़ी	15	6-4	103408.00
(13)	कमोद से पचपदरा रोड	..	49-7	291523.00
(14)	कमोद से तिलवाडा	25	17-4	359056.00
(15)	रामसर से चोहटन	25	16-4	2211666.00
(16)	गारा का तालासे तुदाला	24	7	1028461.00
(17)	बाड़मेर से समदड़ी	,,	,,	5500.00

परिशिष्ट 9

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 187 का उत्तर देखिये)

31-5-67

वर्ष	खर्चा भाग जिला सवाई माधोपुर	खर्चा जिला टौंक
1958-59	76,665	..
1959-60	59,837	..
1960-61	26,266	..
1961-62	41,982	..
1962-63	10,524	..
1963-64	5,366	47,765
1964-65	12,022	16,222
1965-66	37,605	78,436
1966-67	36,133	49,970
1967-68	..	9,708

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई, 1967)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	13	(श्री अमीनुद्दीन अहगद)	(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
3	अंतिम से 7	श्री अमीनद्दीन	श्री अमीनुद्दीन
9	14	श्री प्रद्यम्नसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
,,	18	माथ्र	माथुर
17	13	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
18	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
21	1	बीकानेर म	बीकानेर में
26	17	मुइ	मुझे
29	18	बाडमर	बाड़मेर
34	2	प्रशासकीय	प्रशासकीय विभाग
,,	अंतिम से 11	श्री हरजीराम बरड़क	श्री हरजी राम बुरड़क
37	16	(वठूमर)	(कठूमर)
,,	18	मण्डो में	मण्डी
38	शीर्षक	—7 जुलाई, 96 7—	—7 जुलाई, 1967—
40	,,	तारांकत	तारांकित
55	11	श्री दिग्विजयसिंह	श्री दिग्विजय सिंह (स्थगित प्रश्न)
,,	13	55.	557.
69	16	तो उसका	तो उसकी
,,	18	नेवम्ट	नेवस्ट
70	अंतिम से 6	ाफी	काफी
,,	,, 4	यिसको	किसको
71	4	बताइ	बताइये
76	3	यदि हां तो क्यों ?	यदि हां, तो क्यों ? (उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)
77	1	गस्त ।	गश्त का
,,	8	रेंगे	करेंगे
,,	अंतिम से 11	का के मामलों में वे ि तनी	काण्ड के मामलों में वे कितनी

1	2	3	4
78	15	126. श्री मुकुटबिहारीलाल	128. श्री मुकुटबिहारीलाल
,,	अंतिम से 5	कार्यव हो	कार्यवाही
79	2	आगर	आगरा
,,	8	2101-67	2[illegible]-1-67
,,	14	कोला से	कोलारी
83	17	पर कस	पर केस
83	,,	चौकी को	चौकी की
90	5	म एक	में एक
91	6	ाचकित्सा	चिकित्सा
102	15	हां, तो कब तक ?	हां, तो कब तक ? (उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)
103	5	होने पर	होने पर,
,,	8	स्थानातरण	स्थानान्तरण
106	अंतिम से 2	रखा ह ?	रखा है ?
110	11	करेंग	करेंगे
117	15	(3) स योजना	(3) इस योजना
118	14	बतने	बताने
120	अंतिम से 4	मडरायल	मंडरायल
124	,, 11	साल म	साल मे
126	12	रूपयो वा	रुपयों का
128	4	ानम.ण	निर्माण
129	अंतिम	?	है ?
130	8	(खेदर)	(रेवदर)
134	4	इसम	इसमें
135	1	म चाहूंगा	मैं चाहूंगा
139	5	श्री मदनसिंह (दातारामगढ़) दांता :	श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) :
141	अंतिम से 2	लारट डे	लास्ट डेट
143	14	recerved	received
146	अंतिम से 9	रिक्रटमेन्ट	रिक्रूटमेन्ट
147	,, 8	बुलान	बुलाने
150	12 व 25	मजिस्ट्रट	मजिस्ट्रेट
135	1	भेजें या या	भेजें या
1[illegible]4	10	मौजूदा था	मौजूद था

3

1	2	3	4
154	अंतिम	सिपाहियों, वह	सिपाहियों, वहां एक वकील या उसके द्वारा
155	5	वस्ट	वेस्ट
,,	6	दो महीन	दो महीने
158	अंतिम से 5	होती ह।	होती है।
159	17	य हवलदारह	यह हवलदार
,,	25	हुए ह।	हुए हैं।
,,	अंतिम से 5	म आपको	मैं आपको
161	शीर्षक	(श्री विजर्या ह रावत)	(श्री विजयसिंह रावत)
164	अंतिम	ज्यडिशियल	ज्युडिशियल
166	,,	इसलिए मने	इसलिए मैंने
167	,,	बात को तो कि	बात को कि
169	अंतिम से 7	मैं अपको	मैं आपको
171	13	हट्गा।	नहीं हटूंगा।
172	23	वाला ह	वाला है
173	अंतिम से 1	मुकदमात क	मुकदमात के
,,	,, से 3	लिए हु	लिए हैं
174	8	functinos	Functions
175	शोर्षक	शासकोय	शासकीय
179	21	यह ह	यह है
184	अंतिम से 9	आंकड़े में	आंकड़े मैं
188	21	पसन्टेज	पर्सेन्टेज
190	10	आपक	आपके
193	6	रिनोर्ट	रिपोर्ट
197	अंतिम	म ाब	दबाब
200	अंतिम से 12	का आपन	फा आपने
203	9	माथर	माथुर
204	16	बारब र	बारबार
205	1	श्री मथरादास	श्री मथुरादास
206	1	वही	कही
211	1	किसी क	किसी का
213	अंतिम से 2	नहा होगा	नहीं होगा
215	अंतिम	ये की	के किराये की

1	2	3	4
217	अंतिम	ोई	कोई
222	शोर्षक	विचर	विचार
223	,,	वधियां—7 जु ाई, 196 —	विधियां—7 जुलाई, 1967—
,,	8	क सामने	के सामने
232	21	बात का	बात को
236	1	हुइ	हैड
241	अंतिम से 3	लगाये हृ	लगाये हैं
242	7 व 15	बढगा	बढ़ेगा
,,	13	दे सक	दे सकें
,,	18	सरकार न	सरकार ने
243	1	कीमतों मैं	कीमतों में
244	अंतिम से 5	यह् है लगता	लगता यह् है
,,	,, 4	रहा ह	रहा है
	,, 3	लिय जाता	लिया जाता
245	1	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
245	13	श्रीमयरादास	श्री मथुरादास
,,	20	बढ़ान	बढ़ाने
,,	21	के ल	के लर्वे
246	अंतिम से 6	छूट ेना	छूट देना
249	5	आपकाउ	आपका
250	16	कि कालापीला	कालापीला
251	अंतिम	मिनिस्ट्री म	मिनिस्ट्री में
253	6	कल्कों	क्लकों
,,	9	विधान सभी	विधान सभा
254	20	आपन	आपने
,,	अंतिम	कोई	कोई
256	15	ाले	वाले
257	शीर्षक	विधिां— जुलाई	विधियां—7 जुलाई
258	अंतिम	चली गली	चली गयी
259	अंतिम से 4	कुओं क	कुओं के
263	शीर्षक	रा. करारोपण विधियां— 7 जुलाई 967—	राज. करारोपण विधियां— 7 जुलाई, 1967—
265	2	चाह्	चाहे

1	2	3	4
266	11	टैवों	टैक्सों
267	9	कसे	कैसे
269	शीर्षक	रज.	राज.
271	„	राज. करारापण विधिबां– 7 जुलाई, 1967– संशाधन	राज. करारोपण विधियां– 7 जुलाई, 1967–संशोधन
273	अंतिम से 10	टक्स	टैक्स
„	अंतिम	हो चका	हो चुका
275	अंतिम से 4 व 5	श्री निरंजननाथ आचार्य (अध्यक्ष पदासीन)	(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)
278	अंतिम से 7	न्ट्रेस्ट	इन्ट्रेस्ट
279	8	समय क	समय के
282	7	प्रसारत	प्रसारण
„	अंतिम से 3	बाधने	बांधने
„	„ 2	ौकेट	पैकेट
283	7	रूप म	रूप में
„	अंतिम से 11	हाल्ड किया ह	होल्ड किया है
285	3 व 15	श्री मथरादास	श्री मथुरादास
286	17	दियी	दिये
„	18	नहृ	नहीं
„	21	डिप्ट	डिप्टी
287	11	बारे म	बारे में
288	अंतिम	अस्मेम्सेट	अमेसमेन्ट
289	„	बारगेनिग	बारगेनिंग
290	1	पड़ रखे	पड़े रखे
„	12	इवट्टे	इकट्ठे